उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन् 1961 ई0)

UTTAR PRADESH KSHETRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS ADHINIYAM, 1961

(U.P. Act No. XXXIII of 1961)

उत्तर प्रदेश [1][क्षेत्र पंचायत] तथा [1][जिला पंचायत] अधिनियम, 1961[2]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961 ई०]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1963

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1963

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1965

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 06, 1969

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1970

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 1970

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 1971

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1972

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1973

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1976

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 38, 1978

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 08, 1984

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 20, 1990

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 20, 1998

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2000

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2001

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25, 2005

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 2018

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 2022

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में 14 सितम्बर, 1960 को तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधन सहित 1 मई, 1961 को पारित, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 19 मई, 1961 को स्वीकार कर लिये गये।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 60 द्वारा प्रतिस्थापित – दिनांक 22 अप्रैल, 1994 से प्रवृत्त

2. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 18 अगस्त, 1960 ई0 का उत्तर प्रदेश का असाधारण गजट देखिये ।

["भारत के संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 29 नवम्बर, 1961 ई0 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 3 दिसम्बर, 1961 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश में [1][क्षेत्र पंचायतों] तथा [1][जिला पंचायतों] की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

यह इष्टकर है कि शासकीय कृत्यों के लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को आगे बढ़ाने, ग्राम्य क्षेत्रों में सम्यक् स्थानीय शासन सुनिश्चित करने और युनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन स्थापित [2][ग्राम सभाओं] के अधिकारों तथा कृत्यों का [1][क्षेत्र पंचायतों] तथा जिला पंचायतों, से समन्वय करने के लिये खण्ड तथा जिला स्तरों पर कुछ शासकीय कृत्यों के सम्पादनार्थ उत्तर प्रदेश के जिलों में क्रमशः [2][क्षेत्र पंचायतों] तथा [2][जिला पंचायतों] की स्थापना की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

अध्याय — 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश [2][क्षेत्र पंचायत] तथा [2][जिला पंचायत] अधिनियम, 1961 ई० कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

[3][(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि राष्ट्रीय आपात के कारण या देश या उसके किसी भाग की सुरक्षा या अभिरक्षा के परिरक्षण के लिये ऐसा करना वांछनीय है, गजट में अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी जिले या जिले के किसी भाग के संबंध में इस अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसंहृत कर सकती है या निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध परिवर्द्धनों, लोपों, या परिवर्तनों के रूप में ऐसे परिष्कारों के साथ उस क्षेत्र पर प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे और तदुपरान्त जब तक कि अधिसूचना निरस्त न कर दी जाय, यथास्थिति, ऐसे जिले या उसके किसी भाग, पर अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसंहृत रहेगा या अधिनियम के उपबन्ध उक्त प्रकार से विनिर्दिष्ट परिष्कारों के साथ प्रवृत्त होंगे ।]

प्रतिबन्ध यह है कि किसी जिले में, जिसमें राज्य सरकार [2][क्षेत्र पंचायतों] तथा [2][जिला पंचायतों] संघटित करने की कार्यवाही आरम्भ करे, [2][क्षेत्र पंचायतों] तथा [2][जिला पंचायतों] का संघटन करने के सीमित प्रयोजन के लिये द्वितीय अध्याय और किन्हीं अन्य अध्यायों के उपबन्ध, जो इस संघटन के लिये आवश्यक या आनुषंगिक हों, इस अध्याय के

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम के शीषक 09, 1994 की धारा 60 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्रचलित होने के दिनांक से प्रचलित हुये समझे जायेंगे और किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुये भी [1][क्षेत्र पंचायतों] तथा [1][जिला पंचायतों] के सम्यक् संघटन के लिये आवश्यक सब कार्य तथा कार्यवाहियां, पूर्वोक्त अध्यायों तथा उनके बनाये गये नियमों अथवा आदेशों के अनुसार की जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना राष्ट्रीय अथवा आपात के कारण देश या उसे किसी भाग की क्षेम या सुरक्षा के लिये वांछनीय है, गजट में विज्ञप्ति द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी जिले अथवा किसी जिले के भाग के सम्बन्ध में इस अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसंहृत कर सकती है या निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध परिवर्द्धनों, लोपों या परिवर्तनों के रूप में ऐसे परिष्कारों के साथ उस क्षेत्र पर प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे और तदुपरान्त जब तक कि विज्ञप्ति निरस्त न कर दी जाय, यथास्थिति, ऐसे जिले या उसके किसी भाग पर अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित दी जाय, यथास्थिति, ऐसे जिले या उसके किसी भाग पर अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसंहृत रहेगा अथवा अधिनियम के उपबन्ध उक्त प्रकार से निर्दिष्ट परिष्कारों के साथ प्रवृत्त रहेंगे।

परिभाषाएं

2–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में ––

(1) "अनुसूचित जातियों" का तात्पर्य उन जातियों से है जो "भारत का संविधान" के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जातियां समझी जायें ;

ऐक्ट संख्या 2, 1934

(2) "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ होगा जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, 1934 में "शिड्यूल्ड बैंक" का है ;

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 1958

(3) "अन्तरिम जिला परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अधीन संघटित अन्तरिम जिला परिषद् से है ;

(4) "उपविधि" का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके बनाई गई उपविधि से है ;

(5) "कलेक्टर" के अन्तर्गत वह अपर (एडीशनल) कलेक्टर भी है जिसे कलेक्टर ने लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपना कोई कृत्य प्रतिनिहित किया हो ;

(6) [1][क्षेत्र पंचायत] का तात्पर्य धारा 5 के अधीन [2][निगमित] [1][क्षेत्र पंचायत] से है तथा इसके अन्तर्गत [1][क्षेत्र पंचायत] की कोई समिति, सदस्य, अधिकारी या सेवक भी होगा जिसके द्वारा [1][क्षेत्र पंचायत] के इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कर्तव्य या कृत्य का सम्पादन इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हो ; [3][और क्षेत्र समिति का तात्पर्य इस अधिनियम, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधन के पूर्व था के अधीन स्थापित किसी क्षेत्र समिति से है।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 15(क) (i) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 15(क) (ii) द्वारा बढ़ाया गया।

[1] [(7) "खण्ड" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र पंचायत के पंचायत क्षेत्र से है ;

[1][(8) "पिछड़े वर्गों", "ग्राम सभा", "ग्राम पंचायत", "सर्किल", "राज्य निर्वाचन आयोग", "वित्त आयोग" और "जनसंख्या" के वही अर्थ होंगे जो सयुक्त प्रान्त पचायत राज अधिनियम, 1947 में क्रमशः उनके लिए दिये गये है ;]

(9) "गृह" के अन्तर्गत कोई दुकान, गोदाम, छादक (शेड) तथा गाड़ी या पशु रखने के लिये प्रयुक्त कोई बाड़ा भी है ;

(10) "ग्राम्य क्षेत्र" का तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगरपालिका, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया, छावनी तथा नगर महापालिका क्षेत्र के अतिरिक्त जिले के क्षेत्र से है ;

(11) [2][ज़िला पंचायत] [3][का तात्पर्य] धारा 17 के अधीन [4][निगमित] [2][ज़िला पंचायत] से होगा तथा इसके अन्तर्गत [2][ज़िला पंचायत] की कोई समिति तथा उसका [2][ज़िला पंचायत] का कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक भी होगा जिसके द्वारा [2][ज़िला पंचायत] के इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा किसी कर्तव्य या कृत्य का संपादन इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हो [5][और] [ज़िला परिषद] का तात्पर्य इस अधिनियम, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधन के पूर्व था के अधीन स्थापित किसी [जिला परिषद] से है" ;

(12) [2][ज़िला पंचायत] का ''सेवक'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो [2][ज़िला पंचायत] से वेतन पाता हो और उसकी सेवा में हो ;

(13) "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड" तथा "बोर्ड" का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविंसेज डिस्ट्रिक्ट बोर्डस ऐक्ट, 1922 के अधीन स्थापित डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से है ;

(14) "जिला मैजिस्ट्रेट" का तात्पर्य, [6][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20] के अधीन नियुक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से है ; **अधिनियम सं0 2, 1974**

(15) "जिला स्तर के अधिकारी" का तात्पर्य जिले के ऐसे अधिकारियों से है जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस रूप में निर्दिष्ट करें ;

(16) "त्रिमास" का तात्पर्य तीन महीने की उस अवधि से है जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में से किसी महीनें के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ हो ;

[7][(16–क) "मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (टटट) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से है ;]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 62(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 62(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 15(ख)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 15(ख)(दो) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 62(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 15(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।

[(17) (क) "नगरपालिका" "नगरपालिका बोर्ड" तथा "नोटीफाइड एरिया" के वही अर्थ होंगे जो यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन क्रमशः "म्युनिसिपैलिटीज", "म्युनिसिपैलिटीज बोर्ड" तथा "नोटीफाइड एरिया" के है ; यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1916

(ख) "टाउन एरिया" का वही अर्थ होगा जो यू0 पी0 टाउन ऐरियाज ऐक्ट, 1914 में दिया गया है ; यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1914

(ग) "छावनी" तथा "छावनी बोर्ड" के वही अर्थ होंगे जो कैन्टोनमेन्टस ऐक्ट, 1924 के अधीन क्रमशः "कैन्टोनमेन्ट" तथा "कैन्टोनमेन्ट बोर्ड" के है ; ऐक्ट संख्या 2, 1924

(घ) "नोटिफाइड एरिया कमेटी" या "नोटिफाइड एरिया की कमेटी" का तात्पर्य यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 338 के अधीन संघटित कमेटी से है ; और यू0 पी0 ऐक्ट सं0 2, 1916

(ङ) "टाउन एरिया कमेटी" या "टाउन एरिया की कमेटी" का तात्पर्य यू0 पी0 टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 की धारा 5 के अधीन स्थापित कमेटी से है ;][1] यू0 पी0 ऐक्ट सं0 2, 1914

(18) "नगर महापालिका" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 ई0 के अधीन स्थापित नगर महापालिका से है ; उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1959

(19) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम या तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम द्वारा नियत से है ;

(20) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी प्रयोजन के लिये नियत प्राधिकारी के रूप में गजट में विज्ञापित किया गया हो ;

(21) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम से है ;

(22) [2][* * * *]

(23) किसी खण्ड या जिले के संबंध में "निश्चित दिनांक" का तात्पर्य क्रमशः [3][उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, उस खण्ड के लिये प्रथम क्षेत्र पंचायत या उस जिले के लिये प्रथम जिला पंचायत के संघटन के दिनांक] से है ;

(24) "न्यायाधीश" का तात्पर्य जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) से है और उसके अन्तर्गत जिला न्यायाधीश द्वारा तदर्थ नामांकित या नामोदिष्ट कोई अन्य अधीनस्थ दीवानी न्यायाधिकारी (सिविल जुडिशियल आफिसर) भी है ;

(25) "भूमि प्रबन्धक समिति" का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 में यथापरिभाषित भूमि प्रबन्धक समिति से है ; यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 26, 1947

(26) "मण्डल" "जिला" या "तहसील" के वही अर्थ होंगे जो यूनाइटेड प्रांविसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 में क्रमशः "डिवीज़न" "डिस्ट्रिक्ट" तथा "तहसील" शब्दों के है ; यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 3, 1901

(27) किसी [4][क्षेत्र पंचायत] अथवा [4][जिला पंचायत] के संबंध में "मंडल आयुक्त" का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविंसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 12 के अधीन उस मण्डल यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 3, 1901

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1963 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 62(घ) द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 15(घ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(डिवीजन) के लिये नियुक्त (कमिश्नर) से है जिसके भीतर, यथास्थिति, [1][क्षेत्र पंचायत] अथवा [1][जिला पंचायत] अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हों तथा उक्त ऐक्ट की धारा 13 के अधीन उस मण्डल के नियुक्त अपर आयुक्त (एडीशनल कमिश्नर) भी इसके अन्तर्गत है ;

(28) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;

(29) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(30) "लोक सेवक" का तात्पर्य इण्डियन पीनल कोड, 1860 की धारा 21 में यथापरिभाषित "पब्लिक सर्वेन्ट" से है ; **ऐक्ट संख्या 45, 1860**

(31) [2][* * * *]

(32) [2][* * * *]

(33) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके बनाये गये विनियम से है ;

[3][(34) किसी खण्ड के सम्बन्ध में संघटक ग्राम पंचायत का तात्पर्य उस ग्राम पंचायत से है जो उस खण्ड के भीतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो;]

(35) "सरकार" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या भारतीय संघ के किसी राज्य की सरकार से है ;

(36) "सरकार की सेवा में व्यक्ति" के अन्तर्गत जिला सरकारी अभिभाषक (डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल), अपर या सहायक जिला सरकारी अभिभाषक, कोई ऐसा अन्य अभिभाषक जिसे सरकार ने रखा हो परन्तु जिसे मासिक वेतन न दिया जाता हो, सरकारी कोषाध्यक्ष (गवर्नमेंट ट्रेजरर), पूर्णतया अवैतनिक पद धारण करने वाला व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जो सरकार की सेवा से निवृत्त हो गया हो, नही है ;

(37) "सार्वजनिक सड़क" का तात्पर्य उस सड़क, पुल, पुलिया, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है जिस पर होकर आने–जाने का जनसाधारण की विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो ;

(38) "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य उस स्थान से है जो निजी सम्पत्ति न हो और जन–साधारण के प्रयोग अथवा उपभोग के लिये खुला हो, चाहे वह स्थान स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो या न हो ;

(39) "स्थानीय प्राधिकारी" के अन्तर्गत [4][ग्राम सभा] भी है ।

[5][(40) "पंचायत क्षेत्र" का तात्पर्य, ––

(क) किसी क्षेत्र, पंचायत के संदर्भ में, किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है, और

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 15(ङ) द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 62 (च) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 62 (छ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 62 (ज) द्वारा बढ़ाया गया ।

(ख) किसी जिला पंचायत के संदर्भ में, किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है।]

अध्याय – 2

[1][क्षेत्र पंचायतें] तथा [1][जिला पंचायत]

[क्षेत्र पंचायतें]

ग्राम्य क्षेत्रों का खण्डों में विभाजन

3–राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रत्येक खण्ड का नाम और उसके क्षेत्र की सीमायें या उसके संघटक अंश निर्दिष्ट करते हुए प्रत्येक जिले के ग्राम्य क्षेत्र को खण्डों में विभाजित करेगी और इसी प्रकार वह नामों में परिवर्तन कर सकती है या खण्डों में क्षेत्र सम्मिलित करके या उनमें से क्षेत्र निकाल कर उनके क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नये खण्ड बना सकती है ।

खण्डों में परिवर्तन का प्रभाव

4–यदि धारा 3 के अधीन कोई क्षेत्र एक खण्ड से निकाल कर दूसरे में सम्मिलित किया जाय तो ऐसा क्षेत्र उस खण्ड की [1][क्षेत्र पंचायत] के क्षेत्राधिकार के अधीन न रहेगा जिसे वह निकाला गया हो और वह उस खण्ड की [1][क्षेत्र पंचायत] के, जिसमें वह सम्मिलित किया गया हो, क्षेत्राधिकार में, तथा उसमें प्रवृत्त नियमों, विज्ञप्तियों, आदेशों, निदेशों और नोटिसों के अधीन हो जायेगा तथा राज्य सरकार उस [1][क्षेत्र पंचायत] की, जिसके क्षेत्राधिकार से क्षेत्र निकाला गया हो, आस्तियों का ऐसा भाग जो वह उचित समझे उस दूसरी [1][क्षेत्र पंचायत] के सुपुर्द कर सकती है और ऐसे अस्थायी आदेश तथा निदेश दे सकती है जो वह परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि एक खण्ड से निकाला गया क्षेत्र किसी ऐसे नये खण्ड में सम्मिलित किया जाय जिसके लिये कोई [1][क्षेत्र पंचायत] संघटित न की गई हो तो [जब तक कि नये खण्ड के लिये [1][क्षेत्र पंचायत] संघटित न हो जाय][2] उस खण्ड को [1][क्षेत्र पंचायत], जिससे वह क्षेत्र निकाला गया हो, उस क्षेत्र के संबंध में की गई कोई बात अथवा कार्यवाही–जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गयी कोई नियुक्ति या प्रतिनिधान, जारी की गयी विज्ञप्ति, आदेश या निदेश, निर्मित नियम, विनियम, प्रपत्र, उपविधि या योजना, स्वीकृत अनुज्ञा–पत्र या लाइसेंस या किया गया रजिस्ट्रीकरण भी है – नये खण्ड के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नई [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा की गई समझी जायगी और तदनुसार वह तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी बात या कार्यवाही द्वारा अवकांत न कर दिया जाय ।

क्षेत्र पंचायत की संघठन और निगमन

[3][**5**–(1) प्रत्येक खण्ड के लिये एक क्षेत्र पंचायत होगी, जिसका नाम उस खण्ड के नाम पर होगा और जो एतदपश्चात् उपबंधित प्रकार से संघटित की जायगी ।

(2) क्षेत्र पंचायत एक निगमित निकाय होगी ।

(3) क्षेत्र पंचायात का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय, और जब तक इस प्रकार अवधारित न किया जाय तब तक उसी स्थान पर होगा जहां वह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व स्थित था ।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1973 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(4) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्ति से किसी क्षेत्र पंचायत के संघटन या पुनर्संघटन में कोई बाधा नही पड़ेगी।

(5) क्षेत्र पंचायत का संघटन गजट में अधिसूचित किया जायगा ।]

क्षेत्र पंचायत की रचना

[2]**[6**–(1) क्षेत्र पंचायत एक प्रमुख, जो इसका पीठासीन होगा, और निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, ––

(क) खण्ड में ग्राम पंचायतों के समस्त प्रधान ;

(ख) निर्वाचित सदस्य, जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए, पंचायत क्षेत्र ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यथासाध्य, दो हजार होगी :

[3][प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चमोली या उत्तरकाशी के पर्वतीय जिलों में उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट ग्राम के केन्द्र से एक किलोमीटर के अर्द्धव्यास (दो किलोमीटर के व्यास) के भीतर के क्षेत्र को, यद्यपि कि उस क्षेत्र की जनसंख्या दो हजार से कम हो, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर सकती है ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नही किया जायेगा ।]

(ग) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते है जिनमें पूर्णतः या भागतः खण्ड समाविष्ट है ;

(घ) राज्य सभा के सदस्य और राज्य की विधान परिषद् के सदस्य जो खण्ड के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) और (घ) में उल्लिखित क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को प्रमुख या उप प्रमुख के निर्वाचन और उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामलों को छोड़कर क्षेत्र पंचायत की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसकी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जायगा ।

[4][(4) जिला पंचायत का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो जो पूर्णतः या भागतः किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में पड़ता

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1904 की धारा 63 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 17क द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

हो, ऐसी क्षेत्र पंचायत की बैठकों में विशेष आमन्त्रित के रूप में भाग लेने और अपने विचार व्यक्त करने का हकदार होगा किन्तु ऐसी बैठकों में उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।][1]

स्थानों का आरक्षण

[2][**6–क–** (1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ें वर्गो के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, क्षेत्र पंचायत मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो उस खण्ड मे अनूसूचित जातियों की या उस खण्ड में अनुसूचित जनजातियों की या उस खण्ड में पिछड़ें वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस खण्ड की कुल जनसंख्या में है और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत में भिन्न–भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में, जैसा नियत किया जाय, आबंटित किये जा सकेंगे ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि क्षेत्र पंचायत में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नही होगा ।

[3][अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आंकड़ें उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़ें वर्गो की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3) स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान, जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे, और ऐसे स्थान किसी क्षेत्र पंचायत में भिन्न–भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाय, आबंटित किये जा सकेंगे ।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नही रहेगा ।

स्पष्टीकरण –– यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ें वर्गो के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों के लिए चुनाव लड़ने से निवारित नही करेगी ।

क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली

[2][**6–ख**–(1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक एक निर्वाचक नामावली होगी ।

(2) क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 9 के अधीन तैयार की गई ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनेगी जितने क्षेत्र पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट है और किसी क्षेत्र पंचायत में ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावली पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा ;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 63 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 18 द्वारा बढ़ाया गया ।

प्रतिबन्ध यह है कि क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचन के लिये नामांकन करने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार निष्कासन या परिवर्द्धन उस निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जायेगा ।

मत का अधिकार आदि

[1] [**6–ग–**]इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम तत्समय क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, उसके किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा और क्षेत्र पंयाचत की सदस्यता या किसी पद के निर्वाचन के लिए अर्ह होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो, किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप मे निर्वाचित होने के लिए अर्ह नही होगा ।

क्षेत्र पंचायत का प्रमुख और उप–प्रमुख

[1][**7**–](1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख और एक कनिष्ठ उप–प्रमुख चुने जायेंगे ।

(2) क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के किसी पद में रिक्ति के होते हुए भी प्रमुख और उप–प्रमुख के पद के लिए चुनाव किया जा सकेगा ।

[2][(3) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2007 के प्रारम्भ होने के पूर्व उप प्रमुख के पद पर निर्वाचित हुए व्यक्ति अपने कार्यकाल की समाप्ति तक इस रूप में पद को धारण किये रहेंगे मानो उक्त अधिनियम न बनाया गया हो।

प्रमुखों के पदों का आरक्षण

[1][**7–क**–](1) राज्य में क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ें वर्गो के लिए आरक्षित रहेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आरक्षित प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनूसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गो की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में है और ऐसे आरक्षित पद भिन्न–भिन्न क्षेत्र पंचायतों को चक्रानुक्रम से ऐसे, क्रम में जैसा नियत किया जाय, आबंटित किये जा सकेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण राज्य में प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नही होगा ।

[3][प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उसकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ें वर्गो की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 63 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 19 द्वारा बढ़ाया गया।

(3) प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद, जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे पदों को चक्रानुक्रम से राज्य में भिन्न–भिन्न क्षेत्र पंचायतों के लिए ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाय आवंटित किये जा सकेंगे ।

(4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमुखों के पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नही रहेगा ।

स्पष्टीकरण —— यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ें वर्गो के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित पदों के लिए चुनाव लड़ने से निवारित नही करेगी ।

क्षेत्र पंचायत और उसके सदस्यों का कार्यकाल

[1] **[8**–(1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत, यदि इस अधिनियम के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, अपने प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी ।

(2) किसी क्षेत्र पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल, यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाय तो, क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल के अवसान तक होगा ।

(3) किसी क्षेत्र पंचायत का संघटन करने के लिए निर्वाचन ——

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व,

(ख) उसके विघटन के दिनांक से छः मास की अवधि के अवसान के पूर्व, पूरा किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां विघटित क्षेत्र पंचायत की शेष अवधि, जिसके लिए वह बनी रहती, छः मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए क्षेत्र पंचायत का संघटन करने के लिए इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नही होगा ।

[2][(3–क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, जहां, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में किसी क्षेत्र पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नही है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासनिक समिति जिसमें क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के रूप से निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या प्रशासक, नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, पदधारण करेगा और क्षेत्र पंचायत, उसके प्रमुख और समितियों की समस्त शक्तियों, कृत्य और कर्तव्य, यथास्थिति, ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा ।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1944 की धारा 63 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2000 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

(4) किसी क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल के अवसान के पूर्व उसके विघटन पर संघटित की गयी क्षेत्र पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए ऐसी रहेगी, जिस अवधि तक विघटित क्षेत्र पंचायत उपधारा (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित न की जाती।

(5) कोई भी व्यक्ति जो धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) या (घ) के अधीन क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो उस पद पर, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य बना था, न रहने पर, सदस्य न रहेगा।][1]

8–क– [2][* * * *]

प्रमुख तथा [2क][उप–प्रमुख] का कार्यकाल

9–[2ख][(1)] इस अधिनियम में की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, किसी [3][क्षेत्र पंचायत] के प्रमुख या [2क][उप–प्रमुख] का कार्यकाल उसके निर्वाचित होते ही प्रारम्भ हो जायगा और [3][क्षेत्र पंचायत] के कार्यकाल तक रहेगा ;

[4][X X X X]

[5][(2) जब प्रमुख का पद रिक्त हो तब प्रमुख का निर्वाचन होने तक जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा प्रमुख के कृत्यों का निर्वाह करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसे वह ठीक समझे ।]

कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था

[6]**[9–क**–जब प्रमुख अनुपस्थित, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तब जिस दिनांक तक प्रमुख अपना पदभार फिर से न ग्रहण कर ले, उस दिनांक तक जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे व्यवस्था कर सकता है, जिसे वह ठीक समझे ।]

क्षेत्र पंचायतों का संघटन तथा पुनर्संघटन

10–(1) राज्य सरकार प्रत्येक खण्ड के लिये प्रथम [3][क्षेत्र पंचायत] के संघटन का और [7][उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अन्यथा अपेक्षित हो] उसके पुनर्संघटन का प्रबन्ध धारा 6 के उपबन्धों का ध्यान रखते हुए करेगी ।

(2) [8][* * * *]

(3) [8][* * * *]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 63 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 64 द्वारा निकाला गया ।
2ख. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1973 की धारा 21 द्वारा पुनर्संख्याकित।
2क. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा निकाला गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 38, 1978 की धारा 2 द्वारा निकाले गये और 15 जुलाई 1978 से निकाले गये समझें जायेंगे ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1973 की धारा 22 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 65 द्वारा निकाला गया ।

[2][* * *] या सदस्य का त्याग–पत्र

11– [1][(1) प्रमुख, उप–प्रमुख या क्षेत्र पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद–त्याग कर सकता है, जो प्रमुख की दशा में संबंधित जिला पंचायत के अध्यक्ष को और अन्य दशाओं में क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को सम्बोधित होगा ।]

(2) प्रमुख का त्याग–पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब त्याग–पत्र की अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति [3][क्षेत्र पंचायत] के कार्यालय में प्राप्त हो जाय [4][और यह समझा जायगा की ऐसे प्रमुख, उप–प्रमुख या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है] और उप–प्रमुख या सदस्य का त्याग–पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब [3][क्षेत्र पंचायत] के कार्यालय में उसका नोटिस प्राप्त हो जाय ।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

[5]**[12–** यदि किसी प्रमुख, उप–प्रमुख या क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचित सदस्य का स्थान मृत्यु या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाय, तो उस [6][रिक्ति की पूर्ति ऐसी रिक्ति के दिनांक सें छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व] उसके पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिए यथास्थिति, धारा 6 या 7 में उपबन्धित रीति से की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति होने के दिनांक को क्षेत्र पंचायत का शेष कार्यकाल छः मास से कम हो तो रिक्ति की पूर्ति नही की जायेगी ।]

क्षेत्र पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता

[5]**[13–** कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और उसका सदस्य होने के लिए अनर्हित होगा यदि ––

(क) उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नही होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ;

(ख) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 42 के अधीन स्थापित किसी न्याय पंचायत के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो ;

(ग) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी न्याय पंचायत या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी समिति की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 66(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 66(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 67 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाय, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, यह वह ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, या जिला पंचायत के अन्तर्गत कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में उसके द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो ;

(ङ) वह अनुमोचित दिवालिया हो ;

(च) वह किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो ;

(छ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन बनाए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो ;

(ज) उसे ऐसेंसियल सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 अथवा यू0 पी0 कन्ट्रोल ऑफ सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1947 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो ;

(झ) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन तीन मास से अधिक अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया गया हो ;

(ञ) उसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो ;

(ट) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो ;

(ठ) उसे संयुंक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो ;

(ड) उसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि–व्यवसायी के रूप में कार्य करने से विवर्जित कर दिया गया हो ;

(ढ) धारा 23 के अधीन यह घोषित कर दिया गया हो कि उसने उक्त धारा के अर्थ में कोई भ्रष्ट आचरण किया है और वह घोषणा प्रभावी बनी हो; या

(ण) उसे क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत न किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ग), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) या (ठ) के अधीन अनर्हता की अवधि ऐसे दिनांक से जिसे नियत किया जाय, पांच वर्ष होगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति, बकायों का भुगतान कर दिए जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिए जाने पर खण्ड (ङ) के अधीन अनर्हता न रह जाएगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किन्हीं खण्डों के अधीन कोई अनर्हता नियत रीति से राज्य सरकार द्वारा हटायी जा सकती है।][1]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 67 द्वारा प्रतिस्थापित।

सदस्यता या अनर्हता के सम्बन्ध में विवाद

14–(1) यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा 6 की उपधारा (1) के [1][खण्ड (क)] के अधीन [2][क्षेत्र पंचायत] का सदस्य है अथवा नहीं, तो वह विवाद राज्य सरकार की नियत रीति से अभिदिष्ट कर दिया जावेगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा ।

[3][(2) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का विधितः चुना गया सदस्य है अथवा नही या वह ऐसा सदस्य होने के लिए पात्र है अथवा नहीं, तो वह प्रश्न न्यायाधीश को नियत रीति से निर्दिष्ट कर दिया जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम तथा बन्धकारी होगा ।]

(3) यदि न्यायाधीश यह निर्णय करे कि सदस्य विधितः नहीं चुना गया था [4][* * *], या वह [2][क्षेत्र पंचायत] का सदस्य रहने का पात्र नहीं रह गया है तो वह सदस्य उस निर्णय के दिनांक से [2][क्षेत्र पंचायत] का सदस्य न रहेगा ।

प्रमुख या [6][x x x] में अविश्वास का प्रस्ताव

15–(1) निम्नलिखित उपधाराओं में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार [2][क्षेत्र पंचायत] के प्रमुख या किसी [6][x x x] में अविश्वास का प्रस्ताव किया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है ।

(2) प्रस्ताव करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस, जो नियत प्रपत्र में होगा तथा [5][क्षेत्र पंचायत के तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों] की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरकृत होगा, प्रस्तावित प्रस्ताव की एक प्रति के साथ, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस कलेक्टर को दिया जायेगा जिसका [2][क्षेत्र पंचायत] पर क्षेत्राधिकार हो ।

(3) तदुपरान्त कलेक्टर ––

(1) [2][क्षेत्र पंचायत] [2][क्षेत्र पंचायत] की एक बैठक उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिये [2][क्षेत्र पंचायत] के कार्यालय में अपने द्वारा निश्चित दिनांक को बुलायेगा और यह दिनांक उपधारा (2) के अधीन उसे नोटिस दिये जाने के दिनांक से तीस दिन के बाद का न होगा ; तथा

(2) [5][क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों] की ऐसी बैठक का कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस ऐसी रीति से देगा, जो नियत की जाय ।

स्पष्टीकरण –– इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की गणना करने में वह अवधि निकाल दी जायेगी जिसमें इस धारा के अधीन किये गये प्रस्ताव के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी याचिका पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश, यदि कोई हो, प्रचलित रहा हो और वह अतिरिक्त समय भी निकाल दिया जायेगा जो सदस्य को बैठक के नये नोटिस जारी करने के निमित्त अपेक्षित हो।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 68(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 68(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 68(ग) द्वारा निकाला गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 69 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा निकाला गया।

(4) ऐसी बैठक की अध्यक्षता उस परगने का परगना अधिकारी करेगा जिसमें [1][क्षेत्र पंचायत] क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि [1][क्षेत्र पंचायत] एक से अधिक परगनों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो अथवा परगना अधिकारी किसी कारणवश न कर सकता हो, तो कलेक्टर द्वारा नाम–निर्दिष्ट कोई वैतनिक अपर या सहायक कलेक्टर उक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

[(4–क) यदि बैठक के लिये निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर, ऐसा अधिकारी अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित न हो तो बैठक उस दिनांक और समय तक के लिये स्थगित हो जायेगी जिसे वह अधिकारी उपधारा (4–ख) के अधीन निश्चित करेगा ।

(4–ख) यदि उपधारा 4 में उल्लिखित अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्सम्बन्धी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे किसी अन्य दिनांक और समय के लिये स्थगित कर सकता है जिसे वह निश्चित करे, किन्तु यह दिनांक उपधारा (3) के अधीन बैठक के लिये निश्चित दिनांक से 25 दिन से अधिक न होगा। वह कलेक्टर को लिखित रूप में बैठक के स्थगन की सूचना अविलम्ब देगा । कलेक्टर सदस्यों को अगली बैठक की सूचना उपधारा (3) के अधीन नियत रीति से कम से कम दस दिन पहले देगा ।][2]

(5) [3][उपधारा (4–क) तथा (4–ख) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर] इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये बुलायी गई बैठक स्थगित न की जायेगी ।

(6) इस धारा के अधीन बुलायी गयी बैठक के प्रारम्भ होते ही, पीठासीन अधिकारी [1][क्षेत्र पंचायत] को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा, जिस पर विचार करने के लिये बैठक बुलायी गयी हो तथा यह घोषित करेगा कि उस पर वाद–विवाद किया जा सकता है ।

(7) इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर वाद–विवाद स्थगित न किया जायेगा ।

(8) यदि ऐसा वाद–विवाद बैठक आरम्भ होने के लिये निश्चित समय से दो घंटे बीतने के पहले ही समाप्त न हो गया हो, तो वह दो घंटे बीतते ही स्वतः समाप्त हो जायेगा। वाद–विवाद की समाप्ति पर अथवा उक्त दो घंटों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, वह प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायेगा [4][जो गुप्त मतदान द्वारा नियत रीति से होगा ।]

(9) पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण–दोषों पर नहीं बोलेगा और न वह उस पर मत देने का अधिकारी होगा ।

(10) पीठासीन अधिकारी बैठक समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त बैठक के कार्यवृत की एक प्रति तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुए मतदान का परिणाम

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1965 की धारा 5 (1) द्वारा जोड़ी गयी ।

3. उपर्युक्त की धारा 5 (2) द्वारा बढ़ाये गये ।

4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1965 की धारा 5 (3) द्वारा जोड़ी गयी ।

राज्य सरकार को तथा क्षेत्राधिकार युक्त [1][क्षेत्र पंचायत] को भेजेगा ।

(11) यदि प्रस्ताव क्षेंत्र समिति के तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या के [2][आधे से अधिक] समर्थन से पारित हो तो ––

(क) पीठासीन अधिकारी उक्त तथ्य का प्रकाशन [1][क्षेत्र पंचायत] के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकवा कर तथा गजट में उसे विज्ञापित करा कर भी, करायेगा ; और

(ख) यथास्थिति, प्रमुख या [3][x x x] उस दिनांक के, अब उक्त नोटिस [1][क्षेत्र पंचायत] के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया गया हो, अगले दिन से अपने पद पर न रहेगा और उसे रिक्त कर देगा ।

(12) यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित न हुआ हो अथवा यदि गणपूर्ति न होने के कारण बैठक न हो सकी हो, तो जब तक कि उक्त बैठक के दिनांक से [4][एक वर्ष] व्यतीत न हो जाय, तब तक उसी प्रमुख या [3][x x x] में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी अनुवर्ती प्रस्ताव का नोटिस ग्रहण नहीं किया जायेगा ।

(13) इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव का नोटिस यथास्थिति, प्रमुख या [3][x x x] के पद ग्रहण करने के लिये [4][एक वर्ष] के भीतर ग्रहण नहीं किया जायेगा ।

प्रमुख या [3][x x x] का हटाया जाना

[5]**[16–** (1) यदि राज्य सरकार की राय में किसी क्षेत्र पंचायत का प्रमुख या कोई [3][x x x] इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन जानबूझ कर नहीं करता या पालन करने से इन्कार करता है या अपने से में निहित अधिकारों का दुरूपयोग करता है अथवा अपने कर्तव्यों के पालन में अनाचार का दोषी पाया जाता है या मानसिक या शारीरिक रूप से अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो गया है, तो राज्य सरकार, यथास्थिति, प्रमुख या ऐसे [3][x x x] को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के पश्चात् और इस मामले में अध्यक्ष का परामर्श मांगने और यदि उसकी राय ऐसे परामर्श मांगने के पत्र के भेजे जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाय, तो इस राय पर विचार बार लेने के बाद, यथास्थिति, ऐसे प्रमुख या [3][x x x] को आदेश द्वारा पद से हटा सकती है और ऐसा आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि–न्यायालय मे आपत्ति न की जा सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे रूप में जैसा नियत किया जाय, किसी जांच में प्रथम दृष्ट्या यह पाया जाय कि किसी प्रमुख या [3][x x x] ने वित्तीय और अन्य अनियमिततायें की है तो ऐसा प्रमुख या [3][x x x] अन्तिम जांच में आरोपी से मुक्त होने तक वित्तीय और प्रशासनीक शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन नही करेगा, और तब उन शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन राज्य

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 2022 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा हटाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 13(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त क्षेत्र पंचायत के तीन निर्बाधित सदस्यों की समिति द्वारा किया जायेगा ।

(2) इस धारा के अधीन अपने पद से हटाया गया प्रमुख या [4][x x x] अपने पद से हटाए जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक प्रमुख या [4][x x x] के रूप मे पुनः निर्वाचन का पात्र न होगा ।]

[1][जिला पंचायत]

[1][जिला पंचायत] का संगठन और निगमन

17– [2][(1) प्रत्येक जिले के लिये एक जिला पंचायत होगी जिसका नाम उस जिले के नाम पर होगा और जो एतव् उपबंधित प्रकार से संगठित की जायेगी ।

(2) जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगी ।]

[3][(2–क) [1][जिला पंचायत] का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, किन्तु जब तक इस प्रकार निर्धारित न किया जाय तब तक उसी स्थान पर होगा, जहां पर वह उत्तर प्रदेश [1][क्षेत्र पंचायत] तथा [1][जिला पंचायत] (संशोधन) अध्यादेश, 1965 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व स्थित था ।]

(3) जब कोई नया जिला बनाया जाय तो नया जिला बनाने के ठीक पहले उसके किसी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाली [1][जिला पंचायत] उस क्षेत्राधिकार का तब तक प्रयोग करती रहेगी जब तक कि उस (नयें) जिले नयी [1][जिला पंचायत] की स्थापना न हो जाय, और नई [1][जिला पंचायत] की स्थापना पर ––

(1) उस [1][जिला पंचायत] की स्थापना के दिनांक के (जिसे आगे "उक्त दिनांक" कहा गया है) ठीक पूर्ववर्ती दिनांक पर नये जिले के क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाली [1][जिला पंचायत] द्वारा आरोपित उद्ग्रहीत सभी कर, शुल्क, अर्थ दण्ड अथवा शास्तियां और सभी स्वीकृत लाइसेन्स अथवा अनुज्ञा–पत्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार नयी [1][जिला पंचायत] द्वारा आरोपित, उद्ग्रहीत या स्वीकृत समझे जायेंगे और जब तक वे समाप्त, परिष्कृत अथवा परिवर्तित न कर दिये जाये तब तक इसी प्रकार वसूली योग्य अथवा प्रभावी बने रहेंगे ; और

(2) नये जिले के क्षेत्र में उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को क्षेत्राधिकार रखने वाली [1][जिला पंचायत] द्वारा की गयी कोई बात अथवा कार्यवाही जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या प्रतिनिधान, जारी की गई, विज्ञप्ति, आदेश या निदेश, निर्मित नियम, विनियम, प्रपत्र, उपविधि या योजना, स्वीकृत अनुज्ञा–पत्र या लाइसेन्स या किया गया रजिस्ट्रीकरण भी है–नये जिले के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नयी [1][जिला पंचायत्] द्वारा की गयी समझी जायेगी और तद्नुसार वह तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन की जानने वाली किसी बात या कार्यवाही द्वारा अवकांत न कर दिया जाय ।

(4) यदि किसी समय कोई नया क्षेत्र किसी वर्तमान जिले में समाविष्ट किया जाय और ऐसे समादेश के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को कोई [1][जिला पंचायत], उस क्षेत्र

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1965 की धारा 6 द्वारा बढ़ायी गयी ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा हटाया गया।

पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रही हो तो उपधारा (3) के उपबन्ध इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो नया समाविष्ट क्षेत्र कोई नया जिला हो और परिवर्धित जिले के लिये नयी जिले के नयी संघटित [1][जिला पंचायत] उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिये नयी [1][जिला पंचायत] हो।

[2][(5) धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्ति से किसी क्षेत्र पंचायत के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा नहीं पडेंगी।

(6) जिला पंचायत का संघटन गजट में अधिसूचित किया जायेगा ।]

[1][जिला पंचायत] की रचना

[3] **[18**–(1) जिला पंचायत एक अध्यक्ष, जो उसका पीठासीन होगा, और निम्न जिला पंचायत की रचना निम्नलिखित से मिलकर बनेगी ––

(क) जिले में समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख ;

(ख) निर्वाचित सदस्य, जो जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे, और इस प्रयोजन के लिए पंचायत क्षेत्र ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यथासाध्य, पचास हजार होगी ;

[4][प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चमोली या उत्तरकाशी के पर्वतीय जिलों में उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट ग्राम के केन्द्र से सात किलोमीटर के अर्द्धव्यास (चौदह किलोमीटर के व्यास) के भीतर के क्षेत्र को या उसके बराबर किसी क्षेत्र की जैसा नियत किया जाय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर सकती है यद्यपि कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या पचास हजार से कम हो।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक क्षेत्र पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नही किया जायेगा।]

(ग) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते है जिनमें पंचायत क्षेत्र का कोई भाग समावष्टि है ;

(घ) राज्य सभा के सदस्य और राज्य की विधान परिषद् के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) और (घ) में उल्लिखित जिला पंचायत के सदस्यों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन और उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामलों को छोड़कर जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसकी बैठकों मे मत देने का अधिकार होगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 9 द्वारा बढ़ायी गयी ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 21(क) प्रतिबन्ध द्वारा बढ़ायी गयी ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जायेगा ।

[1][(4) किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियत रीति से किया जा सकता है, और यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में नियत भूतलक्षी प्रभाव से, किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से नहीं बनाये जा सकते हैं।]

स्थानों का आरक्षण

[2] [**18–क**]–(1) प्रत्येक जिला पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात जिला पंचायत में प्रत्यक्ष द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संस्था में, यथाशक्य, वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जन–जातियों की या उस पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत में भिन्न–भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में, जैसा नियत किया जाय, आवंटित किए जा सकेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

[3][अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उसकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या के एक–तिहाई से अन्यून स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3) स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान, जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी जिला पंचायत में भिन्न–भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में, जैसा नियत किया जाय, आवंटित किए जा सकेंगे ।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

स्पष्टीकरण—यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों के लिए चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगी ।

जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली

[2][**18–ख**]–(1) प्रत्येक जिला पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जिला पंचायत की लिए एक निर्वाचक नामावली होगी ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 21(ख) द्वारा बढ़ायी गयी ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 22 द्वारा बढ़ाया गया ।

(2) जिला पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनेगी जितने जिला पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट हैं और किसी जिला पंचायत के ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन करने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन उस निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जायेगा ।

मत का अधिकार आदि

[1]**[18–ग]**–इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, उसके किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा और जिला पंचायत की सदस्यता किसी पद के निर्वाचन के लिए अर्ह होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो, किसी जिला पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा ।]

अध्यक्ष और [3][x x x]

[1]**[19**–(1) प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक [3]**[x x x]** चुने जायेंगे ।

(2) जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के पदों में किसी रिक्ति के होते हुए भी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव किया जा सकेगा ।

अध्यक्षों के पदों का आरक्षण

[1]**[19–क**–(1) राज्य में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से, यथाशक्य, वही होगा जो राज्य में अनुसूचित जातियों की, या राज्य में अनुसूचित जन–जातियों की या राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में है और ऐसे आरक्षित पद भिन्न–भिन्न जिला पंचायतों को चक्रानुक्रम से ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाय, आवंटित किए जा सकेंगे ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण राज्य में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नही होगा ।

[2][अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 23 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा हटाया गया।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या के एक–तिहाई से अन्यून स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों या पिछड़ें वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3) अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अन्यून पद जिसके अन्तर्गत उपधारा (2) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे पद चक्रानुक्रम से राज्य में भिन्न–भिन्न जिला पंचायतों के लिए ऐसे क्रम में जैसा नियत किया जाय, आवंटित किए जा सकेंगे ।

(4) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के लिए अध्यक्षों के पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नही रहेगा ।

स्पष्टीकरण–यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित पदों के लिए चुनाव लड़ने से निवारित नही करेगी।][1]

जिला पंचायत और उसके सदस्यों का कार्यकाल

[1][**20**– (1) प्रत्येक जिला पंचायत, यदि धारा 232 के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से पांच वर्ष तक की अवधि तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी ।

(2) किसी जिला पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाय तो जिला पंचायत के कार्यकाल के अवसान तक होगा ।

(3) किसी जिला पंचायत का संघटन करने के लिए निर्वाचन ––

(क) उपधारा (11) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व,

(ख) उसके विघटन के दिनांक से छः मास की अवधि के अवसान के पूर्व, पूरा किया जाएगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां शेष अवधि जिसके लिए वह बनी रहती छः मास से कम है, वहाँ ऐसी अवधि के लिए जिला पंचायत का संघटन करने के लिए इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नही होगा ।

[2][(3–क) इस अधिनियम के किन्ही अन्य उपबन्धों में किन्ही बात के होते हुये भी, जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में, किसी जिला पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासनिक समिति, जिसमें जिला पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छह मास से अनधिक ऐसी अवधि

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2000 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।

के लिये जैसी कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, पदधारण करेगा और जिला पंचायत, उसके अध्यक्ष और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, यथास्थिति, ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा।][1]

[(4) किसी जिला पंचायत के कार्यकाल के अवसान के पूर्व उसके विघटन पर संघटित की कई जिा पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिस अवधि तक विघटित जिला पंचायत उपधारा (1) के अधीन बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित नही की जाती ।

(5) कोई भी व्यक्ति जो धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) या (ध) के अधीन जिला पंचायत का सदस्य हो उस पद पर, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य बना था, न रहने पर सदस्य न रहेगाा।][2]

अध्यक्ष और [2क][x x x] का कार्यकाल

[2][**21**– इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय अध्यक्ष या [2क][x x x] का कार्यकाल उसके निर्वाचित होते ही प्रारम्भ हो जाएगा और जिला पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा ।]

कुछ मामलों की अस्थाई व्यवस्था

[3][**21–क**–जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तब जिस दिनांक तक अध्यक्ष अपना पदभार फिर से न ग्रहण कर लें, उस दिनांक तक राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह ठीक समझे ।]

जिला परिषदों का संघटन तथा पुनस्संघटन और निर्वाचन व्यय की वसूली

22–(1)[3क] [राज्य सरकार वर्तमान [4][जिला पंचायत] के यदि कोई हो, कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब कभी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अन्यथा अपेक्षित हो, [4][जिला पंचायत] के संघटन या पुनस्संघटन का प्रबन्ध करेगी।]

(2) [5][* * * *]

भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता

[23–(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन–विवादों का निर्णय करने के लिये सक्षम कोई प्राधिकारी किसी उम्मीद्वार को जिसके संबंध में यह पाया जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष से अनधिक किसी अवधि में [5][क्षेत्र पंचायत] या [4][जिला पंचायत] के सदस्य के रूप में चुन जाने [6][* * * *] या [5][क्षेत्र पंचायत] का प्रमुख या [5][जिला पंचायत] का अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो [4][क्षेत्र पंचायत] या [4][जिला पंचायत] दे सकती हो या जो उसके अधिकार में हो नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकता है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2000 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2क. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा निकाला गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3क. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1973 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 73 द्वारा निकाला गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 74 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने भ्रष्टाचार किया है, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ——

(1) किसी मतदाता को कपट, साशय मिथ्या–निरूपण, अथवा उत्पीड़न करके या हानि पहुंचाने की धमकी देकर, किसी उम्मीदवार के पक्ष मे मत देने अथवा मत न देने के लिये प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है ;

(2) किसी मतदाता को, किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने या मत न देने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को कोई धनराशि या मूल्यवान प्रतिफल या कोई स्थान या नियोजन देने का प्रस्ताव करता है अथवा देता है या किसी व्यक्तिगत सुविधा या लाभ का वचन देता है ;

(3) किसी ऐसे मतदाता के नाम से मत देता है या दिलवाता है, जो मत देने वाला व्यक्ति नहीं है ;

(4) खण्ड (1), (2) और (3) में निर्दिष्ट किसी कृत्य को करने के लिये (इंडियन पीनल कोड के अर्थ में) अभिप्रेरित करता है ;

(5) किसी उम्मीदवार को अथवा निर्वाचक को ऐसा विश्वास करने के लिये प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह, अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसमें वह अभिरूचि रखता है, दैवी प्रकोप अथवा आध्यात्मिक परिनिन्दा का भागी होगा या बना दिया जायेगा ;

(6) जाति, समुदाय, सम्प्रदाय या धर्म के आधार पर मतार्थना करता है ;

(7) कोई अन्य ऐसा कार्य करता है जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा भ्रष्टाचार नियत करे ।

स्पष्टीकरण —— किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत सुविधा या लाभ का वचन के अन्तर्गत स्वयं उस व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के, जिसमें वह अभिरूचि रखता हो, लाभ का वचन भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत [1][क्षेत्र पंचायत] या [1][जिला पंचायत] में किसी विशिष्ट बात के पक्ष या विरोध में मत देने का वचन नहीं है।][2]

अध्यक्ष, [4][x x x] या सदस्य का त्याग–पत्र

24– [3][(1) जिला पंचायत का अध्यक्ष, [4][x x x] या कोई निर्वाचित सदस्य स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग सकता है, जो अध्यक्ष की दशा में राज्य सरकार को और अन्य दशाओं में अध्यक्ष को सम्बोधित होगा और, जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी को दिया जाएगा ।

(2) अध्यक्ष का त्याग–पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब राज्य सरकार द्वारा त्याग–पत्र की स्वीकृति [1][जिला पंचायत] के कार्यालय में प्राप्त हो जाय और [4][x x x] या सदस्य का त्याग–पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब त्याग–पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हो जाये [5][और यह समझा जायेगा कि ऐसे अध्यक्ष, [4][x x x] या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है] ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1963 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 75(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा निकाला गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 75(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

[1][25–(1) यदि अध्यक्ष, [2][x x x] या जिला पंचायत के किसी निर्वाचित सदस्य का पद मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाय तो उस [3][रिक्ति की पूर्ति ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व] उसके पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिए, यथास्थिति, धारा 18 या 19 में उपबन्धित रीति से की जाएगी ;

आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा रिक्ति होने के दिनांक को जिला पंचायत की शेष अवधि छः माह से कम हो, तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जाएगी।]

[1][26–जो व्यक्ति धारा 13 मे उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त हो, धारा 18 के अधीन सदस्य के रूप में अथवा धारा 19 के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए अनर्ह होगा ।

सदस्य या अध्यक्ष होने के लिए अनर्हता

27–(1) यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा 18 की [5][खण्ड (क)] के अधीन [4][जिला पंचायत] का सदस्य है अथवा नहीं, तो वह विवाद राज्य सरकार को नियत रीति से अभिदिष्ट किया जायगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

सदस्यता या अनर्हता के सम्बन्ध में विवाद

(2) यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति ––

(क) धारा 18 के अधीन [4][जिला पंचायत] का सदस्य विधितः चुना गया [5][X X X] है या नहीं, या

(ख) धारा 20 के प्रयोजनों के लिये [4][जिला पंचायत] के सदस्य [6][X X X] के रूप में चुने जाने [7][X X X] का पात्र रह गया है या नही था ।

(ग) धारा 19 के प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिए अनर्हित हो गया है या नही,

तो वह विवाद न्यायाधीश को नियत रीति से अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

[**27–क**– (1) धारा 7, 19 और 27 में दी हुई किसी बात के होते हुए भी ––

[8][प्रमुख या अध्यक्ष] होने या बने रहने के लिए विधायकों तथा कतिपय पदधारियों पर रोक

(क) कोई भी व्यक्ति, [8][प्रमुख या अध्यक्ष] निर्वाचित किए जाने या होने के लिये अनर्हित होगा, यदि वह ––

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 76 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा निकाला गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 77(क) द्वारा निकाला गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 77ख(1) द्वारा निकाला गया।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1963 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो ; या

[1][प्रमुख या अध्यक्ष]

(2) किसी नगरमहापालिका का नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख हो ; या

(3) किसी नगरपालिका बोर्ड का प्रेसींडेट या वाइसस प्रेसीडेंट हों ; या

(4) किसी टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन या किसी नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेट हो ;

(ख) यदि कोई व्यक्ति, प्रमुख, [5][x x x], अध्यक्ष या [5][x x x] निर्वाचित हो जाने के पश्चात् बाद में खण्ड (क) के उपखण्ड (1) से (4) तक में उल्लिखित किसी पद पर, निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट हो जाए, तो वह अपने निर्वाचन या अपने नाम–निर्देशन की घोषणा के भारत या उत्तर प्रदेश के गजट चार प्रकाशित किए जाने के दिनांक की प्रमुख, [5][x x x], अध्यक्ष या [5][x x x] के, जैसी भी दशा हो, पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी ;

(ग) ऐसा कोई भी प्रश्न या विवाद कि क्या कोई व्यक्ति खण्ड (ख) के अधीन अध्यक्ष या [5][x x x] के पद पर है या नहीं, धारा 27 के अधीन न्यायाधीश को न तो अभिदिष्ट किया जायगा और न उसके समक्ष उठाया जाएगा ;

(घ) ऐसे किसी प्रश्न या विवाद के संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति खंड (ख) के अधीन प्रमुख, [5][x x x], अध्यक्ष या [5][x x x] के पद पर नहीं रहा है, कोई वाद किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।

(2) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति प्रमुख, [5][x x x], अध्यक्ष या [5][x x x] निर्वाचित हो जाने के पश्चात् बाद में, 30 अप्रैल, 1969 के पूर्व किसी समय उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) से (4) तक में उल्लिखित किसी पद पर, निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट हो जाए और उक्त दिनांक के ठीक पूर्व ऐसा पद धारण किये रहे, तो वह उक्त दिनांक को प्रमुख, [5][x x x], अध्यक्ष या [5][x x x] के पद पर न रह जायगा, और तदुपरान्त प्रमुख, [5][x x x], अध्यक्ष या [5][x x x] के, जैसी भी दशा हो पद में आकस्मिक रिक्ति हो जायगी और इस प्रकार पद पर न रह जाने के संबंध में उक्त उपधारा के खण्ड (ग) और (घ) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन पद पर न रह जाने के संबंध में लागू होते हों, और किसी ऐसे प्रश्न या विवाद के सम्बन्ध में उक्त दिनांक के ठीक पूर्व धारा 27 के अधीन न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन कोई अभिदेश या किसी दीवानी न्यायालय में विचाराधीन कोई वाद समाप्त हो जाएगा।][2]

एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध

[3] [**27–ख–** कोई व्यक्ति एक साथ एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ––

(क) [4][क्षेत्र पंचायत] का सदस्य न होगा, या

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 06, 1969 की धारा 20 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 24 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा निकाला गया।

(ख) [1][जिला पंचायत] का सदस्य न होगा,

और किसी क्षेत्र पंचायत या [1][जिला पंचायत] में एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थान के अतिरिक्त सभी स्थानों को रिक्त किये जाने की व्यवस्था नियमों द्वारा की जा सकती है ।]

एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रतर रोक

[2][**27–ग–** (1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित किसी पद पर निर्वाचन के लिये या पद धारण करने के लिये अनर्ह होगा ––

(क) किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य, प्रमुख या [3][x x x] यदि वह जिसा पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो, और

(ख) जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष या [3][x x x] यदि वह किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य, प्रमुख या उपप्रमुख हो ।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रमुख या [3][x x x] के पद के साथ–साथ, या वाद में, जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष या [3][x x x] के पद पर निर्वाचित होता है तो, यथास्थिति, जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष या [3][x x x] के पद पर ऐसे निर्वाचन के दिनांक से वह, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रमुख या [3][x x x] के पद पर नहीं रह जायगा ।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन), अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पश्चात् हुये प्रथम निर्वाचनों में यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पद के लिये चुना जाता है जिनको एक साथ धारण करने के लिये वह उपधारा (1) के अधीन अनर्ह है, तो वह निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर या यदि उक्त पदों के सम्बन्ध में निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा भिन्न–भिन्न दिनांकों को की गई है तो अन्तिम घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर एक पद को छोड़कर अन्य सभी पदों से अपना त्याग–पत्र प्रस्तुत करेगा और इस तरह से त्याग–पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में जिला पंचायत मे उसके पद को छोडकर अन्य सभी पद रिक्त समझे जायेंगे ।]

अध्यक्ष [3][xxx] में अविश्वास का प्रस्ताव

28–(1) निम्नलिखित उपधाराओं में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार [3][क्षेत्र पंचायत] के अध्यक्ष [3][x x x] में अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव किया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है ।

(2) प्रस्ताव करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस, जो नियत प्रपत्र में होगा और [3][जिला पंचायत] के तत्समय सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरकृत होगा, प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रतिलिपि के साथ, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले [4][निर्वाचित सदस्यों] में से किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसे कलेक्टर को दिया जायगा जिसका [3][जिला पंचायत] पर क्षेत्राधिकार हो ।

(3) तदुपरान्त कलेक्टर ––

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा निकाला गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(1) [1][जिला पंचायत] की एक बैठक उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिये [1][जिला पंचायत] के कार्यालय मे अपने द्वारा निश्चित दिनांक को बुलायेगा और यह दिनांक उपधारा (1) के अधीन उसे नोटिस दिये जाने के दिनांक से तीस दिन के बाद का न होगा; तथा

(2) [2][निर्वाचित सदस्यों] को ऐसी बैठक का कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस ऐसी रीति से देगा जो नियत की जाय ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की गणना करने में वह अवधि निकाल दी जायगी जिसमें इस धारा के अधीन दिये गये प्रस्ताव के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी याचिका पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश, यदि कोई हो, प्रचलित रहा हो और वह अतिरिक्त समय भी निकाल दिया जायगा जो [2][निर्वाचित सदस्यों] को बैठक के नये नोटिस जारी करने के निमित्त अपेक्षित हो ।

(4) कलेक्टर, जिले के जिला न्यायाधीश से ऐसी बैठक की अध्यक्षता की व्यवस्था करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला न्यायाधीश एवं स्वयं अध्यक्षता करने के बजाय अपने अधीनस्थ किसी दीवानी न्यायाधिकारी (सिविल जुडिशियल आफिसर) को, जो दीवानी न्यायाधीश (सिविल जज) से निम्न श्रेणी को न हो ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने का आदेश दे सकता है ।

[(4—क) यदि बैठक के लिये निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर, ऐसा अधिकारी अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित न हो तो बैठक उस दिनांक और समय तक के लिये स्थगित हो जाएगी जिसे वह अधिकारी उपधारा (4—ख) के अधीन निश्चित करेगा।

(4—ख) यदि उपधारा (4) में उल्लिखित अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्संबंधी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे किसी अन्य दिनांक और समय के लिये स्थगित कर सकता है जिसे वह निश्चित करे, किन्तु यह दिनांक उपधारा (3) के अधीन बैठक के लिये निश्चित दिनांक सें 25 दिन से अधिक न होगा । वह कलेक्टर को लिखित रूप में बैठक के स्थगन की सूचना अविलम्ब देगा । कलेक्टर सदस्यों की अगली बैठक की सूचना उपधारा (3) के अधीन नियत रीति से कम से कम दस दिन पहले देगा।][3]

(5) [4][(उपधारा (4—क) तथा (4—ख) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर] इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये बुलायी गई बैठक स्थगित न की जायगी।

(6) इस धारा के अधीन बुलायी गयी बैठक के प्रारम्भ होते ही पीठासीन अधिकारी [1][जिला पंचायत] को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा जिस पर विचार करने के लिये बैठक बुलायी गयी हो और यह घोषित करेगा कि उस प्रस्ताव पर वाद—विवाद किया जा सकता है।

(7) इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर वाद—विवाद स्थगित न किया जायगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1965 की धारा 7 (1) द्वारा बढ़ाया गया ।

4. उपर्युक्त की धारा 7 (2) द्वारा जोड़ दिया गया ।

(8) यदि ऐसा वाद–विवाद, बैठक आरम्भ होने के लिये निश्चित समय से दो घंटे बीतने के पहले ही समाप्त न हो गया हो तो दो घंटे बीतते ही स्वतः समाप्त हो जायेगा । वाद–विवाद की समाप्ति पर अथवा उक्त दो घंटों की समाप्ति पर जो भी पहले हो, वह प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायगा [जो गुप्त मतदान द्वारा नियत रीति से होगा।][1]

(9) पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण–दोषों पर नहीं बोलेगा और न वह उस पर मत देने का अधिकारी होगा।

(10) पीठासीन अधिकारी, बैठक समाप्त होने के पश्चात् तुरन्त बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुए मतदान का परिणाम राज्य सरकार को तथा कलेक्टर को भेजेगा ।

(11) यदि प्रस्ताव [4][जिला पंचायत] के तत्कालीन [3][निर्वाचित सदस्यों] की कुल संख्या के [2][आधे से अधिक] के समर्थन से पारित हुआ हो तो ––

(क) पीठासीन अधिकारी उक्त तथ्य का प्रकाशन, उसका नोटिस [2][जिला पंचायत] के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तुरन्त चिपकवा कर, तथा गजट में उसे विज्ञापित कराकर, भी करायेगा ; और

(ख) अध्यक्ष [5][x x x] उस दिनांक के, जब उक्त नोटिस [2][जिला पंचायत] के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया गया हो, अगले दिन से अपने पद पर न रहेगा और उसे रिक्त कर देगा ।

(12) यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित न हुआ हो, अथवा यदि गणपूर्ति न होने के कारण बैठक न हो सकी हो, तो जब तक कि उक्त बैठक के दिनांक से [6][एक वर्ष] व्यतीत न हो जाय तब तक अध्यक्ष [5][x x x] मे अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी अनुवर्ती प्रस्ताव का नोटिस ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(13) इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई नोटिस अध्यक्ष या [5][x x x] के पद ग्रहण करने के [6][एक वर्ष] के भीतर ग्रहण नहीं किया जायगा ।

अध्यक्ष या [5][x x x] का हटाया जाना

29–(1) यदि राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या [5][x x x] जब वह अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करता हो, अधिनियम के अधीन, अपने कर्त्तव्यों या कृत्यों का जान–बूझ कर पालन नहीं करता या पालन करने से इन्कार करता है या अपने में निहित अधिकारों का

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1965 की धारा 7 (3) द्वारा जोड़ा गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 16(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा हटाया गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 16(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

दुरुपयोग करता है या अपने कर्त्तव्यों के पालन में अनाचार का दोषी पाया जाय [1][या अपने कर्त्तव्यों के पालन में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए] तो राज्य सरकार, यथास्थिति, अध्यक्ष को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के पश्चात् उसको आदेश द्वारा पद से हटा सकती है [2][और ऐसा आदेश अन्तिम होगा तथा उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।]

[3][प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे रूप में जैसा नियत किया जाय, किसी जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया जाय कि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने वित्तीय और अन्य अनियमितताएं की है तो ऐसा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अन्तिम जांच में आरोपों से मुक्त होने तथा वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त जिला पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा ।]

(2) [4][* * * *]

(3) इस धारा के अधीन अपने पद से हटाया गया कोई अध्यक्ष [या उपाध्यक्ष] अपने पद से हटाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष तक अध्यक्ष [या उपाध्यक्ष] के रूप में निर्वाचित होने का पात्र न होगा ।

30– [5][X X X X]

अध्याय – 3

[6][क्षेत्र पंचायतों] तथा [6][जिला पंचायतों] के अधिकार और कृत्य

अधिनियम के अधीन अधिकारी का प्रयोग और कृत्यों का संपादन

31–(1) प्रत्येक [6][क्षेत्र पंचायत] तथा [6][जिला पंचायत] इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपने को प्रदत्त तथा सौंपे गये या प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगी ।

(2) इस अधिनियम या तत्समयय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी भी समय अपने किसी भी विभाग द्वारा जिले के या उससे नीचे के स्तर पर तत्समय संपादित किसी कृत्य को किसी [6][क्षेत्र पंचायत] अथवा समस्त [6][क्षेत्र पंचायतों] या किसी [6][जिला पंचायत] अथवा समस्त [6][जिला पंचायतों] को सौंप सकती है और इस प्रकार सौंपे गये कृत्य को वापस ले सकती है ।

[7][(3) जहां राज्य सरकार उपधारा (2) के अधीन कोई कृत्य जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत को सौंपती है तो वह निदेश दे सकती है कि संबद्ध विभाग का कोई कार्यक्रम

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 79(क)(i) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1963 की धारा 18 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 79(क)(ii) प्रतिबन्ध द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 79(ख) द्वारा निकाला गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 80 द्वारा निकाला गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 60 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 81 द्वारा बढ़ाया गया ।

योजना या परियोजना भी, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की अन्तरिम हो जाएगी और उसका कार्यान्वयन उसके नियंत्रण में या उसके अधीन किया जाएगा।][1]

[2][क्षेत्र पंचायतों] के सामान्य अधिकार और कृत्य

32–प्रत्येक [2][क्षेत्र पंचायतं], खण्ड के भीतर अनुसूची 1 में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी ।

[2][जिला पंचायतं] के सामान्य अधिकार और कृत्य

33–(1) प्रत्येक [2][जिला पंचायत] निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का संपादन करेगी ––

(1) जिन मेलों तथा उत्सवों का प्रबन्ध राज्य सरकार करती है या आगे करे उनसे भिन्न मेलों तथा उत्सवों का, [2][ग्राम पंचायतों], [2][क्षेत्र पंचायतों] तथा [2][जिला पंचायत] द्वारा प्रबन्ध और नियंत्रण के प्रयोजना के लिये क्रमशः [2][ग्राम पंचायत] के मेलों तथा उत्सवों, [2][क्षेत्र पंचायत] के मेलों तथा उत्सवों और [2][जिला पंचायत] के मेलों तथा उत्सवों के रूप में वर्गीकरण और जब ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय समझा जाय तो ऐसे वर्गीकरण को बदलना ;

(2) [2][ग्राम पंचायतों], [2][क्षेत्र पंचायतों] तथा [2][जिला पंचायत] द्वारा प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये सड़कों का क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तरग्राम सड़कों तथा जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण ;

(3) जिले की [2][ग्राम पंचायतों] तथा [2][क्षेत्र पंचायतों] के कार्यकलापों का तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार, सामान्य रूप से पर्यवेक्षण ;

(4) तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए एक और राज्य सरकार तथा दूसरी ओर [2][क्षेत्र पंचायतों] और [2][ग्राम पंचायतों] के बीच पत्र–व्यवहार के लिये मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना ;

(5) अनुसूची 2 के भाग–क में निर्दिष्ट अधिकार और कृत्य ;

(6) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो नियत किये जायें ।

(2) अनुसूची 2 में के भाग "ख" में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में [1]"जिला पंचायत" , जिसके भीतर समुचित व्यवस्था कर सकती है ।

जिला परिषद् या [2][क्षेत्र पंचायत] द्वारा अपने किसी कृत्य का अन्य स्थानीय प्राधिकारी को प्रतिनिधान

34–(1) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] किसी भी समय, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा जिले में विद्यमान किसी [ग्राम सभा], [2][ग्राम पंचायत] या भूमि प्रबन्धक समिति की सम्मति से, उक्त [2][ग्राम सभा], [2][ग्राम पंचायत] या भूमि प्रबन्धक समिति को उस क्षेत्र के संबंध में, जिसके अन्तर्गत वह [2][ग्राम सभा], [2][ग्राम पंचायत] या भूमि प्रबन्धक समिति क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हों, इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को प्रतिनिहित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत], किसी भी समय राज्य सरकार की स्वीकृति से इस प्रकार प्रतिनिहित किसी अधिकार या कृत्य को वापस ले सकती है ।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 81 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) [1][जिला पंचायत] [1][क्षेत्र पंचायत] को और [1][क्षेत्र पंचायत] [1][जिला पंचायत] को इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को इसी प्रकार प्रतिनिहित कर सकती है ।

(3) राज्य सरकार किसी समय निर्देश दे सकती है कि [1][जिला पंचायत] का कोई अधिकार या कृत्य जिले में [1][क्षेत्र पंचायतों] या [2][ग्राम पंचायतों] को संक्रामित किया जाय या [1][क्षेत्र पंचायतों] का कोई अधिकार या कृत्य [2][ग्राम पंचायतों] को संक्रामित किया जाय या [1][क्षेत्र पंचायतों] का कोई अधिकार या कृत्य [1][जिला पंचायत] को और [2][ग्राम पंचायतों] का [1][क्षेत्र पंचायतों] या [1][जिला पंचायत] को संक्रामित किया जाय ।

[3][ग्राम पंचायतों] के संबंध में कतिपय अधिकार

35–(1) जिले की समस्त [4][ग्राम पंचायतों] के संबंध मे अनुसूची 3 के दूसरे स्तम्भ में दिये गये अधिकारों, कर्तव्यों, और कृत्यों का प्रयोग तथा संपादन निश्चित दिनांक से [1][जिला पंचायत] अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] जिसकी वह संघटक [4][ग्राम पंचायत] हो, जैसा भी उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में उल्लिखित हो, द्वारा किया जायगा ।

यू0 पी0 ऐक्ट सं0 26, 1947 उ0 प्र0 अधिनियम सं0 1, 1951

(2) यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 या, "1950" ई0 का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई [1][जिला पंचायत] जिले की [5][किसी ग्राम पंचायत] से अपेक्षा कर सकती है कि वह अपने कार्यों में से किसी का समन्वय [1][क्षेत्र पंचायत] के उसी प्रकार के कार्यों से करे और तदुपरान्त [6][***] [1][ग्राम पंचायत] तथा भूमि प्रबन्धक समिति उस अपेक्षा की पूर्ति करेगी ।

[7][ग्राम पंचायतों] द्वारा बनाई गई उपविधियों तथा उनके कर संबंधी प्रस्तावों को स्वीकार करने का अधिकार यू0पी0 ऐक्ट संख्या 26, 1947

36–यूनाइटेड प्रॉविन्सेज पंचायत राज्य ऐक्ट, 1947 तथा तदन्तर्गत बनायी गई किसी नियमावली में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी ––

(क) जिले की किसी [7][ग्राम पंचायत] द्वारा उक्त ऐक्ट की धारा 37 में वर्णित कोई कर अथवा उपशुल्क (Rate) आरोपित करने के लिये प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को अनुमोदित और स्वीकृत करने का अधिकार तथा उक्त ऐक्ट की धारा 111 तथा 112 के अधीन जिले के भीतर किसी [7][ग्राम पंचायत] के निमित्त उपविधियां बनाने और स्वीकृत करने का अधिकार निश्चित दिनांक से जिले की [1][जिला पंचायत] में निहित होगा और उसी को प्राप्त होगा ; तथा

(ख) [8][X X X]

जिला परिषद् और [1][क्षेत्र पंचायतों] के क्षेत्राधिकार के संबंध में अपवाद

37–इस अधिनियम में कोई बात ––

(1) न तो किसी [1][क्षेत्र पंचायत] या [1][जिला पंचायत] को उसके नियन्त्रण के बाहर के किसी अभिकरण द्वारा संपादित और अनुरक्षित किसी कार्य या संस्था के संबंध में कोई अधिकार प्रदान करेगी ; और

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 82 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 83(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 83(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 83(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 83(ग)(पप) द्वारा निकाला गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 84(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 84(ख) द्वारा निकाला गया।

(2) न किसी [1][क्षेत्र पंचायतं] या [1][जिला पंचायत] को, किसी नगर महापालिका, नगरपालिका, नोटिफाइड एरिया, छावनी या टाउन एरिया के सीमाओं के भीतर किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देगी, जो यथास्थिति नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटिफाइड एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, जिला मैजिस्ट्रेट या किसी अन्य मैजिस्ट्रेट या टाउन एरिया कमेटी में निहित हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि [1][क्षेत्र पंचायत] या [1][जिला पंचायत] :––

(क) [2][* * * *]

(ख) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर किसी स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल, औषधालय, निर्धन–गृह, शरणालय, अनाथालय, निरीक्षण–गृह या ऐसे अन्य निर्माण या संस्था का, जो एक मात्र पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर रहने वालों के लाभार्थ अनुरक्षित न की जाती हो, निर्माण या अनुरक्षण कर सकती है और उस पर नियंत्रण रख सकती है ; और

(ग) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर कोई ऐसा कार्य कर सकती है जिसका करना इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिये आवश्यक हो ।

[1][क्षेत्र पंचायत] या [जिला पंचायत] का अन्य प्राधिकारीयों के साथ सहयोग करने तथा ऐसी संस्थाओं की, जिसका वह प्रबन्ध न करती हो, सहायता करने का अधिकार

38–इस सम्बन्ध में बनाये गये किन्ही नियमों के अधीन रहते हुये [1][क्षेत्र पंचायत] या [1][जिला पंचायत] ––

(क) किसी अन्य क्षेत्र समिति या [1][जिला पंचायत], जैसी भी दशा हो, या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ ऐसे कार्यों या उपक्रमों (undertakings) में सम्मिलित हो सकती है जिनसे उसके द्वारा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित समस्त क्षेत्रों को लाभ पहुंचता हो ; और

(ख) ऐसे किसी कार्य में या संस्था को अंशदान दे सकती है, जिससे, यथास्थिति, खण्ड या जिले को लाभ पहुंचता हो, भले ही वह कार्य खण्ड या जिले के बाहर किया जाय संस्था खण्ड या जिले के बाहर अनुरक्षित हो या वे किसी नगर महापालिका, नगर पालिका, छावनी नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया के क्षेत्र में हो ।

अध्याय – 4

[3][जिला पंचायतों] तथा [3][जिला पंचायतों] के अधिकारी तथा सेवक

[1][जिला पंचायत] के अधिकारों तथा सेवक

39– [4][(1) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये किन्हीं विशेष निदेशों के अधीन रहते हुये, जिला पंचायत में अधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगे ––

(1) मुख्य अधिकारी ;

(2) अपर मुख्य अधिकारी ;

(3) वित्त अधिकारी ;

(4) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ;

(5) पेयजल अभियन्ता ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1965 की धारा 9 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की शीर्षक द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(6) विकास अधिकारी ;

(7) कार्य अधिकारी ;

(8) अभियन्ता ;

(9) बेसिक शिक्षा अधिकारी ;

(10) कृषि अधिकारी ;

(11) सहकारिता अधिकारी ;

(12) पशुधन अधिकारी ;

(13) समाज कल्याण अधिकारी ;

(14) ग्रामीण अभियन्त्रण अभियन्ता ;

(15) युवा कल्याण अधिकारी ;

(16) भूमि संरक्षण अधिकारी ;

(17) उद्यान अधिकारी ;

(18) पंचायत राज अधिकारी ;

(19) लघु सिचांई अभियन्ता ;

(20) बाल विकास अधिकारी ;

(21) कर अधिकारी ;

(22) मत्स्य अधिकारी ;

(23) गन्ना अधिकारी ;

(24) दुग्ध अधिकारी ;

(25) माध्यमिक शिक्षा अधिकारी ;

(26) नलकूप अभियन्ता][1] ;

(2) [2][जिला पंचायतं], ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जो नियत की जाये, अपने कार्यों के सम्बन्ध में, ऐसे अन्य अधिकारियों (जिनके अन्तर्गत अतिरिक्त अभियन्ता तथा अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी भी है) तथा सेवकों के पद सृजित कर सकती है, जो नियमों द्वारा नियत किये जाये । [3][* * * *]

[3][* * * *]

[4][(3) राज्य सरकार के, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, और जहां किसी जिले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी तैनात न हों, वहाँ मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, द्वारा नाम–निर्दिष्ट उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधिषासी अभियन्ता जल निगम,

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 10(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1965 की धारा 10 (2) द्वारा निकाले गये।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 10ख द्वारा प्रतिस्थापित ।

जिला विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, (ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा), जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी जिला उद्यान अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता (लघु सिचांई), जिला कार्यक्रम अधिकारी, (बाल विकास परियोजना), यथास्थिति, सहायक निदेशक मत्स्य या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मत्स्य किसान विकास अभिकरण, जिला गन्ना विकास अधिकारी, उप दुग्ध विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, और अधिशासी अभियन्ता (नलकूप) क्रमशः उपधारा (1) के खण्ड (1), (4), (5), (6), (9) से (20) तक और (22) से (26) तक में उल्लिखित पद भी धारण करेंगे ।][1]

[4][(3–क) राज्य सरकार यह निदेश दे सकती है कि [2][उपधारा (1) के खण्ड (7), (8) और (21)] में उल्लिखित सभी या कोई पद ऐसे अधिकारी द्वारा तथा ऐसी शर्तों पर जो निर्दिष्ट की जाएं, पदेन धारण किये जायेंगे ।

(3–ख) राज्य सरकार, आदेश द्वारा [3][जिला पंचायत] में अधिकारी या सेवक का कोई अन्य पद सृजित कर सकती है और ––

(क) निदेश दे सकती है कि ऐसा पद राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा जो निर्दिष्ट किया जाय, पदेन धारण किया जायगा ; या

(ख) किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर सकती है ; या

(ग) ऐसे पद पर भर्ती को विनियमित कर सकती है, और ऐसी शर्तों को जिन पर वह पद धारण किया जायगा निर्दिष्ट कर सकती है ।

(3–ग) उपधारा (3–ख) के अधीन इस प्रकार सृजित कोई पद राज्य सरकार को स्वीकृति के बिना समाप्त नहीं किया जायेगा ।][4]

(4) [2]"जिला पंचायत" का कार्य विभागों में किया जायगा और विभागों तथा उन अधिकारियों के जो उनके अध्यक्ष होंगे, नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जायगा ।

अर्हतायें, सेवा की शर्तें आदि

40–(1) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन सृजित वित्त अधिकारी, कार्याधिकारी, अभियन्ता और कर अधिकारी के पदों पर तथा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन सृजित समस्त पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें वे होगी जो नियत की जाये।

(2) [3][जिला पंचायत] के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्ते वे होंगी जो नियत की जायें ।

जिला परिषद् के अधीन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति

41– (1) तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार ––

(क) [3][जिला पंचायत] की प्रार्थना पर तथा ऐसे समय के लिये और ऐसी शर्तों पर जो परस्तर तय हो जायं, अपने किसी कर्मचारी की सेवायें [3][जिला पंचायत] को सौंप सकती है ; तथा

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 10(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 10(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1965 की धारा 10 (4) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) ऐसी दशा में जब किसी सरकारी कार्यालय का कार्य किसी [1][जिला पंचायतों] क्रामित हो जाय, लिखित आदेश द्वारा [1][जिला पंचायत] से अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे सरकारी कार्यालय के सभी कर्मचारियों को या उसके ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें सरकार नामोदिष्ट या नाम निर्दिष्ट करे ऐसे पदों पर और ऐसी शर्तो पर जो उस आदेश में निर्दिष्ट है नियोजित करे और ऐसा करने पर उकत कर्मचारियों की सेवायें तत्समय [1][जिला पंचायत] को सौंपी गई समझी जायेगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि [1][जिला पंचायत] द्वारा इस प्रकार नियोजित सेवक किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा वापस बुलाया जा सकता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते जिलानिधि में से उसी प्रकार दिये जायेंगे मानों वे [1][जिला पंचायत] के सेवक हों ।

वित्त अधिकारी की नियुक्ति

42–[1][जिला पंचायत] का वित्त अधिकारी नियमों मे व्यवस्थित रीति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा ।

अभियन्ता तथा कुछ अन्य नियुक्तियों की प्रणाली

43–(1) कार्याधिकारी, अभियन्ता तथा कर अधिकारी के पदों पर तथा धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन सृजित ऐसे पदों पर, [2][जिनका वेतनमान ऐसा हो जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करें], नियुक्तियां [1][जिला पंचायत] द्वारा, राज्य लोक–सेवा आयोग, अथवा अन्य ऐसे आयोग अथवा चुनाव बोर्ड के, जिसे राज्य सरकार तदर्थ समस्त [1][जिला पंचायतों] के लिये अथवा किन्हीं [1][जिला पंचायतों] के समुदाय के लिये पृथक रूप से संघटित करें, (दोनों दशाओं मे इसे आगे "आयोग" कहा गया है) परामर्श से, नियत रीति से की जायेगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आयोग और [1][जिला पंचायत] के बीच कोई मतभेद हो तो विषय राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

(2) [3][ऐसे किसी अन्य] वर्ग के, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, पदों को छोड़कर, [1][जिला पंचायत] के नियमों द्वारा निर्दिष्ट किसी विभाग से सम्बद्ध ऐसे पदों पर [4][जिनका वेतनमान ऐसा हो जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे] नियुक्तियां मुख्य अधिकारी द्वारा की जायेंगी ।

[(3) इय अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, [1][जिला पंचायत] के अधीन उपधारा (1) तथा (2) में वर्णित पदों से भिन्न पदों पर नियुक्तियां ––

(क) [5][* * * *]

(ख) अन्य दशाओं में, धारा 45 के अधीन संघटित चुनाव समिति के परामर्श से, अध्यक्ष द्वारा की जायेंगी ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 86(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 34, 1972 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 86(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 34, 1972 की धारा 8 द्वारा निकाला गया।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दशा मे अध्यक्ष का यह मत हो कि [1][चुनाव समिति] की सलाह अनुचित या अन्यायपूर्ण है तो वह मामले को मण्डल के आयुक्त को अभिदिष्ट कर सकता है जिसका उस मामले में निर्णय अन्तिम और बन्धकारी होगा।][2]

(4) पूर्ववर्ती उपधारा में किसी बात के होते हुए भी ––

(क) यदि राज्य सरकार ने धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया हो, तो वह आदेश अभिभावी होगा, तथा

(ख) राज्य सरकार किसी भी समय किसी [3][जिला पंचायत] से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे सरकारी कर्मचारी को जिसकी सेवायें धारा 41 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन [3][जिला पंचायत] को सौंपी गई हों तथा जिसने एतदर्थ अपनी सहमति दे दी हो अपनी ही सेवा से कर ले और इस प्रकार [3][जिला पंचायत] की सेवा में कर लिये जाने पर वह सरकारी कर्मचारी न रह कर [3][जिला पंचायत] का सेवक हो जायगा ।

सेवकों के कुछ वर्गों का केन्द्रीय संक्राम्प संवर्ग

44–धारा 41, 42 तथा 43 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी समय कार्याधिकारियों, अभियन्ताओं, वित्त [4] [अधिकारियों और कर्मचारियों] तथा अन्य [4][अधिकारियों और कर्मचारियों] का एक केन्द्रीय, संक्राम्प संवर्ग बना सकती है और जब कोई ऐसा संवर्ग बना दिया गया हो तो कार्याधिकारियों, अभियन्ताओं, वित्त [4][अधिकारियों और कर्मचारियों] या अन्य उपर्युक्त [4][अधिकारियों और कर्मचारियों] के पदों पर, जैसी भी दशा हों नियुक्तियां उक्त संवर्ग के व्यक्तियों मे से ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों पर की जायगी जो नियमों द्वारा नियत की जायें तथा इस अधिनियम में अन्यत्र. किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी संवर्ग के लिये व्यक्तियों का चुनाव तथा संवर्ग के [4][अधिकारियों और कर्मचारियों] का स्थानान्तरण और दण्ड नियमों द्वारा विनियमित होंगे ।

चुनाव समिति

45–(1) एक चुनाव समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे ––

(क) अध्यक्ष–सभापति ।

(ख) कार्य–समिति का एक सदस्य जिसे कार्य समिति प्रति वर्ष निर्दिष्ट करेगी ।

(ग) उस विभाग का अध्यक्ष जिसमें नियुक्ति की जानी है . . . . . सचिव ।

(2) समिति परामर्श देने मे निर्णय बहुमत द्वारा करेगी और समिति के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा ।

इस अधिनियम के प्रचलित होने का वर्तमान अधिकारियों तथा सेवकों पर प्रभाव

46–(1) समस्त अधिकारी तथा सेवक, [5][जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व [जिला परिषद] के नियोजन में हो] धारा 39 तथा 43 में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 86(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1956 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।

रहते हुये, [1][जिला पंचायत] द्वारा नियोजित अधिकारी तथा सेवक हो जायेंगे और जब तक कि धारा 39 के अधीन सृजित पदों पर नियुक्ति न हो जायं, वे उन्हीं वेतनों तथा भत्तों के अधिकारी होंगे जिनके अधिकारी वे उक्त दिनांक के ठीक पहले थे और सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके अधीन वे उक्त दिनांक के ठीक पहले थे।

यू0 पी0 ऐक्ट सं0 10, 1922

(2) धारा 39 के अधीन सृजित पदों पर उपधारा (1) में उल्लिखित अधिकारियों तथा सेवकों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रतिक्रिया का अनुसरण किया जायगा : ––

(क) उन पदों पर नियुक्तियां, जिनके लिये धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है, उक्त उपधारा के उपबन्धों के अनुसार की जायेंगी ;

(ख) अन्य पदों पर नियुक्तियां तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार अध्यक्ष द्वारा की जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष द्वारा की गई किसी नियुक्ति से क्षुब्ध कोई अधिकारी या सेवक उस आदेश के दिनांक से जिसके द्वारा नियुक्ति की गई हो तीस दिन के भीतर मण्डल के आयुक्त को अभ्यावेदन दे सकता है और उस दशा में मण्डल के आयुक्त का निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा ;

(ग) यदि किसी पद के लिये पूर्वोक्त अधिकारियों तथा सेवकों में से कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो उस पद पर नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बारह से की जा सकती है । [ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों उपयुक्तता पर नियत रीति से विचार किया जायगा ;][2]

(घ) यदि उपर्युक्त कोई अधिकारी या सेवक उस पद को, जिस पर उसे नियुक्त किया जाय, इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि उस पद से सम्बद्ध वेतन का कालमान उसे वर्तमान वेतन या वेतन के कालमान से कम है, तो उसकी सेवा ऐसे नोटिस के पश्चात् तथा उन शर्तो पर समाप्त कर दी जायगी जिनका अधिकारी वह उस दशा में होता जब कि इस अधिनियम के पारित हुये बिना ही उसका पद समाप्त कर दिया जाता ;

(ङ) खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन नियुक्तियां करने में अधिकारियों तथा सेवकों के सेवाकाल तथा अनुभव का यथोचित ध्यान रखा जायगा ; और

(च) कोई अधिकारी अथवा सेवक जो ऐसे पद पर नियुक्त किया जाय जिसका वेतन या वेतन का कालमान उसके वर्तमान वेतन या वेतन के कालमान से कम हो, उस आदेश के दिनांक से जिसके द्वारा उसे उक्त पद पर नियुक्त किया जा रहा हो तीन दिन के भीतर राज्य सरकार को अभ्यावेदन दे सकता है और उस दशा में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

(3) पूर्वोक्त जिला बोर्ड या अन्तरिम [1][जिला पंचायत] के अधीन किसी अधिकारी या सेवक द्वारा दी गयी सेवा, छुट्टी, पेंशन और उपदान या भत्ता दिये जाने के प्रयोजनों

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1973 की धारा 20 द्वारा बढ़ाया गया ।

के लिये [1][जिला पंचायत] के अधीन की गई सेवा समझी जायगी ।

कुछ पदों पर स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियां

[47–(1) धारा 43, 44 और 46 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 43 की उपधारा (1) में उल्लिखित पदों पर स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियां धारा 43 में या धारा 44 के अधीन बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग से परामर्श किए बिना की जा सकती है, किन्तु उपधारा (2) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर, ऐसी कोई नियुक्ति आयोग से परामर्श किए बिना एक वर्ष से अधिक नहीं चलेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गयी नियुक्तियां, विशेष परिस्थितियों में, और यदि नियुक्ति प्राधिकारी [1][जिला पंचायत] हो तो राज्य सरकार के अनुमोदन से, आयोग से परामर्श किये बिना दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिये जारी रह सकती है।][2]

[1][क्षेत्र पंचायतों] के अधिकारी तथा सेवक

48–(1) अन्य उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक [1][क्षेत्र पंचायत] इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन कर सके। इस उद्देश्य से उसमें नियोजित किये जाने वाले अधिकारियों और सेवकों की अर्हतायें, वेतन–क्रम, संख्या तथा सेवा की शर्तें वहीं होगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करें।

(2) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के विकास खण्डों में तत्समय नियोजित अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवायें ऐसी शर्तो पर [1][क्षेत्र पंचायतों] के सुपुर्द कर दी जायगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी समय यह निदेश दे सकती है कि [1][जिला पंचायत] विकास खण्डों में तत्समय नियोजित सेवकों के किसी वर्ग के संबंध में जिला संवर्ग संघटित करे और उपधारा (3) में की गयी व्यवस्था के अनुसार उस संवर्ग के सदस्यों की सेवाएं [1][क्षेत्र पंचायतों] के सुपुर्द कर दे ।

(3) [1][जिला पंचायत] प्रत्येक [1][क्षेत्र पंचायत] के लिये उपधारा (2) में उल्लिखित कर्मचारियों के अतिरिक्त अपेक्षित सभी कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जिससे कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन कर सके और ऐसे सभी कर्मचारियों की सेवाएं क्षेत्र समिति के सुपुर्द ऐसी शर्तो पर की गयी समझी जायेंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करें ।

प्रत्येक [1][क्षेत्र पंचायत] के लिए खण्ड विकास अधिकारी

49–(1) प्रत्येक [1][क्षेत्र पंचायत] का एक खण्ड विकास अधिकारी होगा ।

(2) खण्ड विकास अधिकारी, जिसकी सेवायें तत्समय [1][क्षेत्र पंचायत] के सुपुर्द कर दी गयी हों, [1][क्षेत्र पंचायत] का खण्ड विकास अधिकारी होगा ।

जिला परिषदों तथा [1][क्षेत्र पंचायतों] के

50–(1) [1][जिला पंचायतों] तथा [1][क्षेत्र पंचायतों] के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के अधिकार, कृत्य और कर्त्तव्य वे होंगे जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन, किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन तथा नियमों द्वारा की जाय ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1965 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के अधिकार कृत्य और कर्त्तव्य

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, [1][जिला पंचायत] के विभागाध्यक्ष अपने–अपने विभागों में काम करने वाले अधिकारियों तथा अन्य सेवकों की दशा में, और मुख्य अधिकारी अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की दशा में, उन्हें अधिकार कृत्य तथा कर्त्तव्य सौंप सकता है, और खण्ड विकास अधिकारी उस [1][क्षेत्र पंचायत] में, जिसका कि वह खण्ड विकास अधिकारी हो, नियोजित अधिकारियों तथा अन्य सेवकों को अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य सौंप सकता है ।

जिला परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर नियंत्रण

51–(1) (क) [1][जिला पंचायत], मुख्य अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों पर ऐसा नियंत्रण रखेगी जो नियत किया जाय, ओर अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह प्रतिवर्ष मुख्य अधिकारी के कार्य तथा आचरण के बारे में अपनी समीक्षा के आधार पर अपनी अभ्युक्ति उस प्राधिकारी को भेजे, जिससे मुख्य अधिकारी के सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य और आचरण के विषय में नियतकालिक प्रतिष्टियां अभिलिखित करने की अपेक्षा की जाती है ।

(ख) पूर्वोक्त प्राधिकारी उक्त सरकारी कर्मचारी के कार्य ओर आचरण के विषय में कोई अन्य प्रविष्टि अभिलिखित करने के अतिरिक्त खण्ड (क) के अधीन अध्यक्ष द्वारा भेजी गयी अभ्युक्ति को भी अभिलिखित करेगा ।

(2) [1][जिला पंचायत] में नियोजित समस्त अधिकारियों एवं सेवकों पर, [2][* * *] मुख्य अधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण रहेगा और विशेष रूप से उसे यह अधिकार होगा कि वह प्रतिवर्ष ऐसे अधिकारियों एवं सेवकों के कार्य तथा आचरण के विषय में नियतकालिक प्रविष्टियां अभिलिखित करने की अपेक्षा की जाती हो । ऐसा प्राधिकारी, उक्त सरकारी कर्मचारियों के कार्य और आचरण के विषय में कोई प्रविष्टि अभिलिखित करने के अतिरिक्त, मुख्य अधिकारी द्वारा भेजी गयी अभ्युक्ति को भी अभिलिखित करेगा ।

(3) [3][* * * *]

(4) [1][जिला पंचायत] के विभागाध्यक्षों का अपने–अपने विभागों में काम करने वाले अधिकारियों तथा सेवकों पर सीधा नियंत्रण रहेगा ।

[1][क्षेत्र पंचायतों] के अधिकारियों तथा सेवकों पर नियंत्रण

52–(1) प्रमुख का खण्ड विकास अधिकारी पर सामान्य नियंत्रण रहेगा ।

(2) [1][क्षेत्र पंचायत] में नियोजित समस्त अन्य अधिकारी तथा सेवक, खंड विकास अधिकारी के सामान्य नियंत्रण के अधीन काम करेंगे ।

(3) [1][क्षेत्र पंचायत] के अधिकारी और अन्य सेवक ऐसे सीधे नियंत्रण के अधीन काम करेंगे जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 87(क) द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 87(ख) द्वारा निकाला गया।

(4) [1][क्षेत्र पंचायत] में नियोजित अधिकारियों तथा अन्य सेवकों का स्थानान्तरण तथा उनकी चरित्र–पुस्तिका में नियतकालिक प्रविष्टियों का अभिलेखन और उन्हें आकस्मिक अवकाश का दिया जाना राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ बनाये गये नियमों द्वारा शासित होगा।

जिला परिषद् तथा [1][क्षेत्र पंचायत] के सेवकों को दंड

53–[1][जिला पंचायत] या किसी क्षेत्र में नियोजित अधिकारियों तथा अन्य सेवकों को दण्ड –– जिसके अन्तर्गत दण्ड के आदेशों के विरूद्ध अपील, अपील, अपील में दिये गये आदेशों के पुनरीक्षण का अधिकार यदि कोई हो, और जाँच होने तक निलम्बन भी है –– नियमों द्वारा विनियमित होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि वह प्राधिकारी जिसे किसी अधिकारी या सेवक को पदच्युत करने, सेवा से हटाने या पंक्तिच्युत करने का अधिकार दिया जाय, ऐसे अधिकारी या सेवक के पद के नियुक्ति–प्राधिकारी से निम्न पद का न होगा :

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि उन कर्मचारियों की दशा में, जिनकी नियुक्ति राज्य लोक–सेवा आयोग के परामर्श से करना अपेक्षित हो, दण्ड देने वाले अधिकारी के लिये किसी ऐसे कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्युत करने का आदेश देने के पहले आयोग से नियत रीति से परामर्श करना आवश्यक होगा ।

राज्य सरकार का नियुक्ति आदि करने का अधिकार

54–(1) उपधारा 43 में निर्दिष्ट कोई प्राधिकारी, उचित समय के भीतर, धारा 39 में निर्दिष्ट या उसके अधीन सृजित किसी पद पर धारा 43 में व्यवस्थित रीति से या धारा 41 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में, नियुक्ति न करे, तो राज्य सरकार उस प्राधिकारी को नियुक्त करने तथा यदि आवश्यक हो तो, आयोग से परामर्श करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् स्वयं उस पर नियुक्त कर सकती है और ऐसी नियुक्ति इस अधिनियम के अनुसार की गई समझी जायगी ।

(2) यदि [1][जिला पंचायत], धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन किसी क्षेत्रसमिति के लिये कर्मचारी की व्यवस्था न करे तो राज्य सरकार [1][जिला पंचायत] के कर्मचारियों में से ऐसे कर्मचारियों की व्यवस्था कर सकती है, और ऐसे कर्मचारी उक्त उपधारा के अधीन क्षेत्र समिति में प्रतिनियुक्त (Placed on deption) समझें जायेंगे ।

परिषद् या [1][क्षेत्र पंचायत] के समस्त अधिकारी तथा सेवक लोक–सेवक होंगे
ऐक्ट सं0 45, 1860

55–[[1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] का प्रत्येक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप–प्रमुख, अधिकारी या सेवक][2] इंडियन पीनल कोड, 1860 के अर्थ में लोक सेवक (Public servants) समझा जायगा तथा उक्त कोड की धारा 161 में "legal remuneration" की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द "Government" में, इस धारा के प्रयोजनार्थ [1][जिला पंचायत] तथा [1][क्षेत्र पंचायत] भी सम्मिलित समझी जायगी ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1965 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अध्याय–5

जिला परिषदों तथा [1][क्षेत्र पंचायतों] के कार्य का संचालन

जिला परिषदों के अधिकारों का प्रयोग

56–(1) अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का, सिवाय उनके जिनके सामने उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में कोई प्रविष्टि की गई है, [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा अपनी बैठक में संकल्प पारित करके ही प्रयोग किया जा सकता है और संपादन किया जायेगा, अन्यथा नहीं ।

(2) [1][जिला पंचायत] के निम्नलिखित अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन [1][जिला पंचायत] के अध्यक्ष द्वारा किया जायगा, अर्थात् ––

(क) [1][जिला पंचायत] के उन सेवकों की, जिनकी धारा 43 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी [1][जिला पंचायत] है, सेवा, छुट्‌टी, वेतन, भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकार के विषय में उठने वाले प्रश्नों का इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदर्थ किन्हीं विनियमों के अनुसार समाधान ;

(ख) विवरण–पत्र, लेखे, प्रतिवेदन तथा लेख्यों की प्रतिलिपियां, [1][जिला पंचायत] अथवा उसकी किसी समिति द्वारा पारित संकल्पों की प्रतिलिपियों या इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित प्रस्ताव एवं आपत्तियां नियत प्राधिकारी, जिला मैजिस्ट्रेट या राज्य सरकार को प्रस्तुत करना ;

(ग) अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित वे अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य जिनका उस अनुसूची के तीसरे स्तम्भ के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयोग या सम्पादन अपेक्षित हों अथवा जो धारा 57 के अधीन [1][जिला पंचायत] द्वारा अध्यक्ष को प्रतिनिहित किये जायें;

(घ) [1][जिला पंचायत] के अन्य समस्त कर्त्तव्य, अधिकार तथा कृत्य जिनका संकल्प द्वारा प्रयोग या सम्पादन व्यक्त रूप से अपेक्षित न हो और जो अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ के निर्दिष्ट न किये गये हों तथा जो धारा 57 के अधीन [1][जिला पंचायत] द्वारा अध्यक्ष से भिन्न किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित न किये गये हों ।

(3) अनुसूची 5 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्त्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग या सम्पादन मुख्य अधिकारी द्वारा [1][जिला पंचायत] की ओर से किया जायगा ।

जिला परिषद् द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान

57– (1) [1][जिला पंचायत] किसी ऐसे अधिकार, कर्त्तव्य या कृत्य को छोड़कर जो––

(क) अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट हो और जिसके सामने या तो तीसरे स्तम्भ में कोई प्रविष्टि न हो या तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि द्वारा यह अपेक्षित हो कि उक्त अधिकार, कर्तव्य या कृत्य का प्रयोग या सम्पादन किसी विशिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जाय ;

(ख) धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा अथवा धारा 58 द्वारा अध्यक्ष के लिये रक्षित हो अथवा उसको सौंपा गया हो ; तथा

(ग) धारा 78 के अधीन [1][जिला पंचायत] के मुख्य अधिकारी के लिये रक्षित हों ;

समस्त अथवा किन्हीं अधिकारों, कर्त्तव्यों या कृत्यों को जो इस अधिनियम के अधीन उसे दिये गये हों, या उस पर आरोपित किये गये हों या उसकी सौंपे गये हो, विनियम द्वारा प्रतिनिहित कर सकती है ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट कोई अधिकार, कर्त्तव्य अथवा कृत्य उसे सामने तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि के अधीन किसी निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को ही प्रतिनिहित किया जा सकता हो तो ऐसा अधिकार, कर्त्तव्य अथवा कृत्य केवल उसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।

(2) उपधारा (3) की व्यवस्था के अधीन रहते हुए, [1][जिला पंचायत] किसी ऐसे अधिकार, कर्त्तव्य या कृत्य का, जिसे उसने उपधारा (1) के अधीन प्रतिनिहित किया हो, स्वयं प्रयोग या संपादन न करेगी और न उसके प्रयोग या संपादन में हस्तक्षेप करेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन [1][जिला पंचायत] द्वारा किसी अधिकार, कर्त्तव्य या कृत्य का प्रतिनिधान इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि ऐसे प्रतिनिधान के अनुसरण में दिये गये समस्त अथवा किन्हीं आदेशों के विरूद्ध अपील निर्दिष्ट अवधि के भीतर [1][जिला पंचायत] को की जा सकेगी या निर्दिष्ट अवधि के भीतर [1][जिला पंचायत] द्वारा उसका पुनरीक्षण किया जा सकेगा ।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह [1][जिला पंचायत] की किसी समिति के किसी संकल्प के, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा कार्यान्वयन पर कोई रोक लगाती है अथवा [1][जिला पंचायत] के किसी सेवक को उसके सेवा क्षेत्र के भीतर कार्य करने से रोकती है ।

अध्यक्ष के कर्त्तव्य

58– अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ––

(क) जब तक इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्थित न हो अथवा यथोचित कारण से वह ऐसा न कर सके ––

(1) [1][जिला पंचायत] तथा उसकी उन समितियों को, जो तदर्थ नियत की जाये, सभी बैठकों को बुलायें और उनकी अध्यक्षता करें ;

(2) [1][जिला पंचायत] की सभी बैठकों में कार्य के संपादन को तदर्थ बनाये गये किसी विनियम के अनुसार अन्यथा नियंत्रित करें ;

(ख) [1][जिला पंचायत] के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करे तथा यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसकी और [1][जिला पंचायत] का ध्यान आकृष्ट करें ; तथा

(ग) किन्हीं ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का संपादन करे जो इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उससे अपेक्षित हों अथवा उस पर आरोपित कियें जाये ।

अध्यक्ष द्वारा [2][x x x] मुख्य अधिकारी को प्रतिनिधि

59–(1) [1][जिला पंचायत] का अध्यक्ष, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, [2][x x x] अथवा मुख्य अधिकारी को अधिकार दे सकता है कि वह धारा 58 के खण्ड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों से भिन्न अध्यक्ष के अधिकारों, कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों में किसी एक या अधिक का, उसके सामान्य पथ–प्रदर्शन के अधीन, प्रयोग या संपादन करें ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश में किसी अधिकार के प्रयोग, कर्त्तव्य अथवा कृत्य के संपादन के संबंध में कोई शर्त नियत की जा सकती है तथा कोई निर्बन्धन लगाया जा सकता है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा निकाला गया।

60– [1] [X X X X]

बैठकें

[3][जिला पंचायतें] की बैठकें

61–[2][(1) कार्य सम्पादन के लिये, प्रति दो मास में जिला पंचायत की कम से कम एक बार बैठक होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी जिला पंचायत की प्रथम बैठक के लिये नियत किया जाने वाला दिनांक उसके संघटन के दिनांक से तीस दिन के भीतर होगा ।]

(2) अध्यक्ष, [4][***] जब कभी भी वह उचित समझें, [3][जिला पंचायत] की बैठक बुला सकता है तथा [3][जिला पंचायत] के सदस्यों के कम से कम पंचमांश के लिखित अधियाचन पर, जो अध्यक्ष पर तामील किया जा चुका हो अथवा प्राप्ति पत्र सहित रजिस्ट्री डाक (रजिस्टर्ड ए0 डी0) द्वारा [3][जिला पंचायत] को उसके कार्यालय के पते पर भेजा जा चुका हो, ऐसे अधियाचन की तामील या प्राप्ति के दिनांक से एक महीने के भीतर [3][जिला पंचायत] की बैठक अवश्य बुलायेगा ।

(3) कोई बैठक आगामी अथवा किसी वाद के दिन के लिये स्थगित की जा सकती है, तथा कोई स्थगनोपरान्त बैठक उसी रीति से फिर स्थगित की जा सकती है ।

(4) प्रत्येक बैठक [3][जिला पंचायत] के कार्यालय में अथवा किसी ऐसे अन्य सुविधापूर्ण स्थान में, जिसकी सम्यक् रूप से सूचना दे दी गयी हो, की जायगी ।

बैठकों की प्रक्रिया

62–[3][जिला पंचायत] की बैठकों से संबद्ध निम्नलिखित विषय नियम द्वारा शासित होंगे :––

(क) बैठकों में कार्य का संपादन ;

(ख) कार्य के संपादन के लिये गणपूर्ति ;

(ग) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता ;

(घ) सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछना ;

(ङ) बैठक की सूचना ;

(च) बैठक में व्यवस्था बनाये रखना ;

(छ) मतदान द्वारा निर्णय ;

(ज) वृत्त पुस्तिका तथा संकल्प ;

(झ) सरकारी कर्मचारियों, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों का चर्चाओं में उपस्थित होने तथा भाग लेने का अधिकार ;

(ञ) [3][जिला पंचायत] का राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपनी बैठकों में उपस्थित होने की अपेक्षा करने का अधिकार ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 17 द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2001 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 18 द्वारा निकाला गया ।

(ट) बैठकों के संबंध में [1][जिला पंचायत] अधिकारियों का अधिकार,

(ठ) [1][जिला पंचायत] का मुख्य अधिकारी से प्रतिवेदन, विवरणी आदि की अपेक्षा करने का अधिकार, तथा

(ड़) अन्य आनुषांगिक विषय जिनके नियत किये जाने की आवश्यकता हो या उन्हें नियत किया जाना चाहियें ।

जिला योजना तैयार करना

[2] **[63**–(1) जिला पंचायत जिले की क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् जिले के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी ।

(2) उपधारा (1) में, निर्दिष्ट योजना को जिला पंचायत की कार्य समिति द्वारा नियत रीति से तैयार किया जायेगा और मुख्य अधिकारी उस योजना को नियोजन समिति के समक्ष रखेगा जो उसके सम्बन्ध में ऐसी सिफारिशें कर सकती है जो वह उचित समझे ।

(3) अध्यक्ष योजना को नियोजन समिति की सिफारिशों सहित, यदि कोई हो, जिला पंचायत के समक्ष रखेगा, जो उसे ऐसे रूप में अनुमोदित कर सकती है जैसा वह उचित समझे और इसे संविधान के अनुच्छेद 243–घ में उल्लिखित जिला योजना समिति को उस दिनांक तक जो नियत किया जाय, प्रस्तुत करेगी ।]

जिला पंचायत की कमेटियां

64–(1) [1][जिला पंचायत] धारा 22 के अधीन संघटित या पुनस्संघटित हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, ऐसी रीति से तथा ऐसे कर्त्तव्यों के संपादन के निमित्त जिनकी व्यवस्था आगे की गई है, निम्नलिखित समितियां, नियुक्त करेगी ;

(क) कार्य समिति ;

(ख) वित्त समिति ;

[3]**[**(ग) शिक्षा एवं जन–स्वास्थ्य समिति ;

(घ) कृषि, उद्योग एवं निर्माण समिति, और

(ड़) समता समिति।]

(2) इस अधिनियम में निर्दिष्ट कृत्यों का संपादन करने के लिये [1]"जिला पंचायत" की एक नियोजन समिति भी होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे ––

(क) अध्यक्ष, जो सभापति होगा ;

(ख) [4][* * *]

(ग) मुख्य अधिकारी जो समिति का सचिव होगा, और

(घ) जिला स्तर के समस्त अधिकारी ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 88 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 89 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 19 द्वारा निकाला गया ।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी क्षेत्र पंचायत समितियों का संघटन

[1][**65**–(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, प्रत्येक जिला पंचायत, धारा 64 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं समितियों के स्थान पर, जिन्हें इस धारा में आगे पूर्व समिति कहा गया है, इस अधिनियम के अधीन पूर्व समिति की समनूदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों या कर्तव्यों के सम्पादन के लिये ऐसी अन्य समिति या समितियां संघठित करेगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायं ओर वह ऐसी समिति या समितियों को अपनी ऐसी अन्य शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती है जैसा वह उचित समझे और किसी पूर्व समिति की किसी विशिष्ट शक्ति, कृत्य या कर्तव्य के संबंध में इस धारा के अधीन पूर्व समिति के स्थान पर किसी समिति के संघटित हो जाने पर उस शक्ति, कृत्य या कर्त्तव्य के संबंध में पूर्व समिति समाप्त हो जायगी और इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में पूर्व समिति के प्रति कोई निर्देश इस धारा के अधीन संघटित समिति के प्रति निर्देश समझा जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन संघटित प्रत्येक समिति में एक सभापति और छः अन्य सदस्य होंगे जो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से, ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, निर्वाचित किये जायंगे :

प्रतिबंध यह है कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य और पिछड़े वर्गो का एक सदस्य होगा :

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा वह निदेश दे सकती है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जिला पंचायत का कोई अन्य सदस्य किसी ऐसी समिति का सभापति होगा ।]

कार्य समिति का संघटन

66– (1) कार्य समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे ––

(क) अध्यक्ष ;

(ख) [2][* * *]

(ग) धारा 64 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ड़) तक में निर्दिष्ट समितियों के सभापति ;

(घ) [3][जिला पंचायतं] के सदस्यों की संख्या चालीस तक होने पर तीन या चालीस से अधिक होने पर छः व्यक्ति जो उक्त सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे ।

[4][(2) अध्यक्ष कार्य समिति का सभापति होगा ।]

(3) [3]"जिला पंचायत" का मुख्य अधिकारी कार्य समिति का सचिव होगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 20(क) द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 20(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य समितियों का संघटन

67–(1) धारा 64 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (ङ) तक में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति में, [1][जिला पंचायतं] के सदस्यों की संख्या चालीस तक होने पर, छः या चालीस से अधिक होने पर, नौ सदस्य, होंगे, जिनका निर्वाचन [1][जिला पंचायत] के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जायगा ;

(2) अध्यक्ष, वित्त समिति [2][और शिक्षण एवं जन–स्वास्थ्य समिति] का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा।

धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों के कार्यकाल तथा उनके सदस्यों के निर्वाचन की रीति

68–(1) धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति द्वारा और नियत की जाने वाली रीति से होगा ।

(2) धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति का कार्यकाल [1][जिला पंचायत] के कार्यकाल तक होगा, किन्तु प्रत्येक समिति के निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई सदस्य प्रति वर्ष क्रम से निवृत्त होंगे, और क्रम से निवृत्त होने के कारण हुई रिक्तियों की पूर्ति उपधारा (1) में व्यवस्थित रीति से की जायगी ।

(3) उन सदस्यों का अवधारण जो अपने निर्वाचन के पश्चात् प्रथम वर्ष निवृत्त होंगे, और उन सदस्यों का अवधारण, जो अपने निर्वाचन के दो वर्ष पश्चात् निवृत्त होंगे, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से पर्चियां डालकर किया जायगा ।

(4) मृत्यु, त्याग–पत्र या अन्य कारण से किसी समिति के निर्वाचित सदस्य के पद में होने वाली रिक्ति की दशा में उसमें उस रिक्ति की पूर्ति, ऐसे सदस्य के शेष कार्य काल के लिये, उपधारा (1) में व्यवस्थित रीति से दूसरे सदस्य का निर्वाचन करके की जायगी ।

समितियों के सभापति तथा उप–सभापति और उनके कार्यकाल

69–(1) कार्य समिति तथा वित्त समिति से भिन्न धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति अपनी प्रथम बैठक में, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे, अपने सदस्यों में से एक को अपना सभापति तथा दूसरे को उप–सभापति निर्वाचित करेगी ।

(2) वित्त समिति अपनी प्रथम बैठक में संकल्प द्वारा अपने सदस्यों में से एक को अपना उप–सभापति निर्वाचित करेगी ।

(3) दोनों और मतों की संख्या समान होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, किन्तु अन्यथा उपधारा (1) के अधीन समिति की अध्यक्षता करते समय उसे कोई मत देने का अधिकार न होगा ।

(4) प्रत्येक निर्वाचन सभापति तथा उप–सभापति का कार्यकाल निर्वाचन के दिनांक में से एक वर्ष का होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित सभापति या उप–सभापति के पद में मृत्यु, त्याग–पत्र या अन्य कारण से रिक्ति होने की दशा में नया सभापति या उप–सभापति वहिर्गामी सभापति तथा उप–सभापति के शेष कार्यकाल के लिये निर्वाचित किया जायगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 90 द्वारा बढ़ाया गया

70– [1][X X X X]

71– [1][X X X X]

72–कार्य समिति उन अधिकारों का प्रयोग कर सकती है और उन कर्तव्यों तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी —— **कार्य समिति के अधिकार तथा कृत्य**

(1) जिसका प्रयोग या सम्पादन इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उससे (कार्य समिति से) अपेक्षित हो ;

(2) जो अनुसूची 4 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट हों तथा जिसके सामने अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में शब्द "कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायगा" लिखें हों ; और

(3) जो धारा 57 के अधीन [2][जिला पंचायत] द्वारा कार्य समिति को प्रतिनिहित किये गये हों :

प्रतिबन्ध यह है कि कार्य समिति अपने ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों अथवा कृत्यों को जो नियमों द्वारा नियत किये जाये, धारा 75 के अधीन स्थापित किसी उप–समिति को अथवा [3][जिला पंचायत] के किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकती है ।

73–(1) वित्त समिति निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग कर सकती है और कर्तव्यों तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी —— **वित्त समिति के अधिकार तथा कृत्य**

(क) वर्ष पर्यन्त आय तथा व्यय की प्रगति पर दृष्टि रखना तथा मुख्य अधिकारी को ऐसे निदेश जारी करना जो उक्त समिति आवश्यक समझे ;

(ख) अनुदानो के उचित विनियोग का पर्यवेक्षण करना ;

(ग) अधिकार, कृत्य तथा कर्तव्य, जो उसे प्रतिनिहित किये गये हों अथवा जिनका प्रयोग, अथवा सम्पादन अनुसूची 4 के तीसरे स्तम्भ के अधीन उससे अपेक्षित हों ।

(2) उपधारा (1) को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिये वित्त समिति को [3]"जिला पंचायत" के लेखे प्राप्य होंगे ।

74– [3][शिक्षा एंव जन–स्वास्थ्य समिति, कृषि, उद्योग एवं निर्माण समिति और समता समिति] के अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य वही होंगे जो इस अधिनियम तथा तदर्थ निर्मित नियमों में व्यवस्थित हों । **धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य समितियों के अधिकार तथा कृत्य**

75–(1) समिति, किसी ऐसे विषय की परीक्षा करने तथा प्रतिवेदन देने के लिये जिससे उसका सम्बन्ध हो, अथवा अपने किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिये एक या अधिक उप–समितियां नियुक्त कर सकती है । **उप–समितियां**

(2) उप–समिति का संघटन तथा कार्यकाल वे होंगे जो समिति द्वारा निश्चित किये जाये ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 13 द्वारा निकाला गया ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 91 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) यदि समिति उप–समिति का प्रतिवेदन या कार्य अनुमोदित कर दे तो वह समिति का प्रतिवेदन या कार्य समझा जायगा ।

समिति और उप समिति की बैठकें

76–(1) धारा 64 में निर्दिष्ट समितियों की बैठक मास में कम से कम एक बार होंगी ।

(2) समितियों तथा उप–समितियों की बैठकों के सम्बन्ध में धारा 62 में निर्दिष्ट विषय नियमों द्वारा शासित होंगे ।

संयुक्त समितियां

77–(1) कोई [1][जिला पंचायत] सहमत होने वाले एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों से इस बात के लिये संयुक्त हो सकती है कि वे किसी ऐसे कार्य के संयुक्त समितियां सम्पादन के लिये जिसमें उनका संयुक्त हित हो तथा एक ऐसे कारण द्वारा जिस पर सम्बद्ध प्राधिकारियों के तदर्थ हस्ताक्षर, हों, एक संयुक्त समिति नियुक्त करें और यदि राज्य सरकार अपेक्षा करे तो [1][जिला पंचायत] अवश्य ऐसा करेगी ।

(2) ऐसे प्रकरण में यह निश्चित कर दिया जायगा कि कौन स्थानीय प्राधिकारी संयुक्त समिति में अपने प्रतिनिधित्व के लिये कितने सदस्य चुनेगा, कौन व्यक्ति उस समिति का सभापति होगा, संयुक्त समिति सहमत होने वाले प्राधिकारियों में एक या अधिक के द्वारा प्रयोज्य अधिकारों में से किन अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी तथा उसके कार्य तथा पत्र–व्यवहार किस रीति से किये जायेंगे ।

(3) ऐसा कारण सभी सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये हुये दूसरे कारण द्वारा समय–समय पर परिवर्तित अथवा रद्द किया जा सकता है, तथा इस उपधारा के अधीन किसी करण के रद्द किये जाने की दशा में, उसके अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियां उस दिनांक से अप्रवर्ती समझी जायेंगी जो उस दूसरे कारण में निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान में दो या अधिक प्राधिकारियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी मतभेद का निर्णय धारा 256 के अधीन राज्य सरकार को अभिदिष्ट करके किया जायगा ।

मुख्य अधिकारी के अधिकार और उत्तरदायित्व

78–(1) मुख्य अधिकारी [1][जिला पंचायत] का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और [1][जिला पंचायत] के प्रति उत्तरदायी होगा तथा यह निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग करेंगा, अर्थात् ––

(क) [1][जिला पंचायत] को देय या उसे दी गई कोई धनराशि लेने, वसूल करने तथा उसे जिला निधि में जमा करने का अधिकार ;

(ख) इस अधिनियम की धाराओं तथा उपधाराओं द्वारा प्राप्त अधिकार तथा इन अधिकारों के प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार ;

(ग) अनुसूची 5 के पहले स्तम्भ में निर्दिष्ट धाराओं तथा उपधाराओं के अधीन [1][जिला पंचायत] की ओर से प्रयुक्त किये जाने वाले अधिकार तथा इन अधिकारों का प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार ;

(घ) अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसा कोई लाइसेन्स स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने, निलम्बित करने या वापस लेने का अधिकार जिसे स्वीकृत करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा उसे प्राप्त हो ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ङ) कोई अन्य अधिकार जो [1][जिला पंचायत] द्वारा मुख्य अधिकारी को प्रतिनिहित किया गया हो ; तथा

(च) उन सेवकों से भिन्न, जिनके लिये धारा 43 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी [1][जिला पंचायत] है, [1][जिला पंचायत] के समस्त सेवकों की सेवा, छुट्‌टी, वेतन, भत्ता तथा अन्य विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्नों का तदर्थ बनाये गये किन्हीं विनियमों के अनुसार समाधान करने का अधिकार :

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन मुख्य अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध उससे क्षुब्ध सेवक उस निर्णय की सूचना दिये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अध्यक्ष को अभ्यावेदन दे सकता है और उस दिशा में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) [1][जिला पंचायत] की ओर से समस्त कार्यो तथा संविदाओं के समुचित निष्पादन का उत्तरदायित्व मुख्य अधिकारी पर होगा ।

(3) मुख्य अधिकारी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा [2][अपर मुख्य अधिकारी] को अधिकार दे सकता है कि वह मुख्य अधिकारी के ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों में किसी एक या अधिक का, जो मुख्य अधिकारी को [1][जिला पंचायत] या अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिहित न किये गये हो, उसके सामान्य पथ–प्रदर्शन के अधीन रहते हुये प्रयोग या सम्पादन करे ।

[1][क्षेत्र पंचायतों] अधिकारों का प्रयोग

79– (1) अनुसूची 6 के दूसरे स्तम्भ मे निर्दिष्ट अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का, सिवाय उनके जिनके सामने उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में कोई प्रविष्टि की गई है, [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा बैठक मे संकल्प पारित करके ही प्रयोग किया जा सकता है और सम्पादन किया जायगा, अन्यथा नहीं ।

(2) प्रमुख, [1][क्षेत्र पंचायत] के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगा जो अनुसूची 6 के तीसरे स्तम्भ के अधीन प्रमुख द्वारा प्रयोग या सम्पादन किये जाने के लिये अपेक्षित है या जो प्रमुख की धारा 80 के अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा प्रतिनिहित किये जाये ।

(3) अनुसूची 7 के दूसरे स्तम्भ मे निर्दिष्ट अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग या सम्पादन [1][क्षेत्र पंचायत] की ओर से खण्ड विकास अधिकार द्वारा किया जायगा, अन्यथा नहीं, और वह उन समस्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन भी करेगा जिनके विषय में व्यस्त रूप से यह अपेक्षित नहीं है कि वे संकल्प द्वारा प्रयुक्त या सम्पादित हों और जो अनुसूची 6 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट नही है तथा जो [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा धारा 80 के अधीन खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी से भिन्न किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित नहीं किये गये है ।

क्षेत्र पंचायतों के अधिकारों का प्रतिनिधायन

80–(1) [1][क्षेत्र पंचायत] ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों या कृत्यों को ––

(क) अनुसूची 6 के दुसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट हों और जिनके सामने या तीसरे स्तम्भ

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 92 द्वारा प्रतिस्थापित ।

में कोई प्रविष्टि न हो या तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि द्वारा यह अपेक्षित हो कि उन अधिकारों, कर्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग या सम्पादन किसी विशिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जाय ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रमुख या खण्ड विकास अधिकारी के लिये रक्षित हो अथवा उसकी सौंपे गये हो ;

किन्हीं ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों या कृत्यों को जो इस अधिनियम के अधीन उसे दिये गये हो, या उस पर आरोपित किये गयें हों या उसको सौंपे गये हों, संकल्प द्वारा प्रतिनिहित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अनुसूची 6 के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट कोई अधिकार, कर्तव्य अथवा कृत्य उसके सामने तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि के अधीन किसी निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को ही प्रतिनिहित किया जा सकता हो तो ऐसा अधिकार, कर्तव्य अथवा कृत्य केवल उसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।

(2) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह [1][क्षेत्र पंचायत] की किसी समिति के किसी संकल्प के इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा कार्यान्वयन पर कोई रोक लगाती है अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] के किसी सेवक की उसके सेवा क्षेत्र के भीतर कार्य करने से रोकती है ।

प्रमुख के कर्त्तव्य

81–प्रमुख का यह कर्तव्य होगा कि वह ––

(क) जब कि इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्थित न हो अथवा यथोचित कारण से वह ऐसा न कर सकें ;

(1) [1][क्षेत्र पंचायत] तथा उनकी उन समितियों की, जो तदर्थ नियत की जाये, सभी बैठकों को बुलाये और उनकी अध्यक्षता करें ;

(2) [1][क्षेत्र पंचायत] की सभी बैठकों में कार्य सम्पादन को तदर्थ बनाये गये किसी विनियम के अनुसार अन्यथा नियंत्रित करें ;

(ख) [1][क्षेत्र पंचायत] के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करे [2][तथा उसमें किसी त्रुटि को क्षेत्र पंचायत की जानकारी में लाएं ; और]

(ग) किन्हीं ऐसे अन्य र्क्तव्यों का सम्पादन करे जो इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उससे अपेक्षित हों अथवा उस पर आरोपित किये जाये ।

82– [3][X X X X]

83– [3][X X X X]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 93 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 21 द्वारा निकाला गया ।

84– [2][(1) कार्य सम्पादन के लियें, प्रति दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बार बैठक होगी : **[1][क्षेत्र पंचायत] की बैठकें**

प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक के लिये नियत किया जाने वाला दिनांक उसके संघटन के दिनांक से तीस दिन के भीतर होगा ।]

(2) प्रमुख, [3][***] जब कभी भी वह उचित समझे, [4][खण्ड] समिति की बैठक बुला सकता है तथा [4][खण्ड] समिति के निर्वाचित सदस्यों के कम से कम पंचमांश के लिखित अधियाचन, पर जो प्रमुख पर तामील किया जा चुका हो, अथवा प्राप्ति–पत्र सहित रजिस्ट्री डाक (रजिस्टर्ड ए0 डी0) द्वारा [4][खण्ड] समिति को उसके कार्यालय के पते पर भेजा जा चुका हो, ऐसे अधियाचन के तामील या प्राप्ति के दिनांक से एक महीने के भीतर [4][खण्ड] समिति को बैठक अवश्य बुलायेगा ।

[5][(3) कोई बैठक आगामी या किसी पश्चात्वर्ती दिन तक स्थगित की जा सकती है और इस प्रकार स्थगित बैठक इसी प्रकार आगे भी स्थगित की जा सकती है ।

(4) प्रत्येक बैठक क्षेत्र पंचायत कार्यालय या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर, जिसकी सम्यक् रूप से सूचना दी जा चुकी हो, होगी।]

85–[1][क्षेत्र पंचायत] की बैठकों के संबंध में भी, धारा 62 में निर्दिष्ट प्रकार के विषय तदर्थ नियमों द्वारा शास्ति होंगे । **[1][क्षेत्र पंचायत] की बैठकों की प्रक्रिया, आदि**

[6] **[86–** (1) क्षेत्र पंचायत खण्ड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् खण्ड के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी । **क्षेत्र पंचायत द्वारा योजना तैयार करना**

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति खण्ड विकास अधिकारी, वित्त एवं विकास समिति और समता समिति की सहायता से नियत रीति से तैयार करेगी और इसे क्षेत्र पंचायत को प्रस्तुत करेगी ।

(3) क्षेत्र पंचायत योजना पर विचार करेगी और इसे किसी परिष्कार के साथ या बिना किसी परिष्कार के अनुमोदित कर सकती है ।

(4) खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत द्वारा यथा अनुमोदित योजना को जिला पंचायत को उस दिनांक से पहले जो नियत किया जाय, प्रस्तुत करेगा ।]

87–(1) [1][क्षेत्र पंचायत] धारा 10 के अधीन संघटित या पुनस्संघटित हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, ऐसी रीति से तथा ऐसे कर्तव्यों के सम्पादन के निमित्त जिसकी **[1][क्षेत्र पंचायत] की समितियां**

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2001 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 22 द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 95(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 95(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 96 द्वारा प्रतिस्थापित ।

व्यवस्था आगे को गई है, निम्नलिखित समितियां नियुक्त करेगी,–

[1][(क) कार्य समिति,

[1](ख) वित्त एवं विकास समिति,

[1](ग) शिक्षा समिति, और

[1](घ) समता समिति ।]

(2) तदर्थ नियत किन्हीं शर्तो के अधीन रहते हुए, [2][क्षेत्र पंचायत] समस्त खण्ड अथवा उसके किसी भाग में किन्हीं निर्दिष्ट कर्तव्यों अथवा कर्तव्यों के वर्ग के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये अन्य समितियां स्थापित कर सकती है [3][और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की राय तो अवश्य स्थापित करेगी] और ऐसी किसी समिति को अपने ऐसे समस्त अथवा कोई अधिकार प्रतिनिहित कर सकती है जो उक्त सहायता के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों ।

(3) पूर्ववर्ती उपधारायें उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त, [2][क्षेत्र पंचायत], समय–समय पर, किसी ऐसे विषय की, जिसके संबंध में इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन [2][क्षेत्र पंचायत] का निर्णय अपेक्षित हो, जांच करने अथवा उस पर प्रतिवेदन देने के प्रयोजन के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक परामर्श समितियां नियुक्त कर सकती है।

समितियों का संघटन

88– [4][(1) अन्य उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 87 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समितियों में खण्ड के भीतर प्रत्येक सर्किल से एक सदस्य होगा जिसे क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा।]

[5][(2) प्रमुख कार्यसमिति का पदेन सदस्य होगा और कार्यसमिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति का सभापति होगा।]

[6][(3) [* * * *]

(3–क) [* * * *]

(4) [* * * *]]

[7][(5) अपने गठन के पश्चात् यथाशीघ्र धारा 87 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य समिति से भिन्न प्रत्येक समिति अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति निर्वाचित करेगी ।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 97 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1963 की धारा 21 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 98क द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 23(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 23(ख) द्वारा निकाला गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 23(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(6) धारा 87 की उपधारा (2) तथा (3) में निर्दिष्ट समितियों का संघटन वह होगा जो नियत किया जाय ।

(7) किसी सदस्य के स्थान या सभापति अथवा उप–सभापति के पद की आकस्मिक रिक्ति होने की दशा में यथास्थिति, जो सदस्य, सभापति या उपसभापति निर्वाचित किया जाय, वह समिति के शेष कार्यकाल के लिये यथासंभव उसी रीति से निर्वाचित किया जायगा जिस रीति से उसका पूर्वाधिकारी निर्वाचित किया गया था ।

समितियों के निर्वाचन की रीति तथा उनका कार्यकाल

89–[1][(1) धारा 87 में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति के सदस्यों और अन्य पद धारकों का निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायगा जैसा कि विहित किया जाय ।]

(2) धारा 87 की उपधारा (1) तथा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति का कार्यक्रम समिति की पहली बैठक के दिनांक से एक वर्ष का होगा, किन्तु वह किसी भी दशा में [2][क्षेत्र पंचायत] के कार्यकाल के आगे न बढ़ेगा ।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई क्षेत्र पंचायत की समितियों का संघटन

[3]**[89–क–** (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत धारा 87 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं समितियों के स्थान पर जिन्हें इस धारा में आगे पूर्व समिति कहा गया है, इस अधिनियम के अधीन पूर्व समिति की समनुदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों या कर्तव्यों के संपादन के लिए ऐसी अन्य समिति या समितियां संघटित करेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय और वह ऐसी समिति या समितियों को अपनी ऐसी अन्य शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती है जैसा वह उचित समझे और किसी पूर्व समिति की किसी विशिष्ट शक्ति, कृत्य या कर्तव्य के संबंध में इस धारा के अधीन पूर्व समिति के स्थान पर किसी समिति के संघटित हो जाने पर उस शक्ति, कृत्य या कर्तव्य के संबंध में पूर्व समिति समाप्त हो जायेंगी और इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में, या उसके अधीन बनाये गए नियमों में पूर्व समिति के प्रति कोई निर्देश इस धारा के अधीन संघटित समिति के प्रति निर्देश समझा जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन संघटित प्रत्येक समिति में एक सभापति और छः अन्य सदस्य होंगे जो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, निर्वाचित किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य और पिछड़े वर्गों का एक सदस्य होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि प्रमुख, ज्येष्ठ उप–प्रमुख या कनिष्ठ उप–प्रमुख या क्षेत्र पंचायत का कोई अन्य सदस्य किसी ऐसी समिति का सभापति होगा ।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया।

उप समितियां

90–(1) [1][क्षेत्र पंचायत], संकल्प द्वारा, [2][वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति या समता समिति] के सदस्यों मे से एक या अधिक उपसभापतियां संघटित कर सकती है और ऐसी उप–समिति को, यथास्थिति, [2][वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति या समता समिति] के ऐसे कृत्य सौंप सकती है, जो वह उचित समझे ।

(2) धारा 87 में उल्लिखित कोई समिति अपने पर आरोपित किसी कर्तव्य या कर्त्तव्यों के वर्ग के निर्वहन में अपनी सहायता के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक उप–समितियां संघटित कर सकती है ।

(3) उपसमितियों की रचना ताकी उनका कार्यकाल और आकस्मिक रिक्तियों को पूर्ति करने की रीति वही होगी, जो, यथास्थिति, [1][क्षेत्र पंचायत] या समिति द्वारा निश्चित की जाय ।

धारा 87 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समितियों के कृत्य

91–(1) [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा वित्त, करारोपण [3][आर्थिक विकास] तथा सामान्य प्रशासन के संबंध में अपने कृत्यों का सम्पादन किये जाने मे [4][कार्य–समिति] उसकी सहायता करेगी और वह ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगी,–

(1) जिनका प्रयोग या सम्पादन इस अधिनियम के अधीन उससे अपेक्षित हों ; या

(2) जो धारा 86 के अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा उसे प्रतिनिहित किये गये हों ।

(2) कृषि, सहकारिता, पशुपालन, लघु सिंचाई–कार्य, ग्रामीण उद्योग और उत्पादन–कार्यों के क्षेत्र में सुधार करने से सम्बद्ध उसके अधिकारों के प्रयोग तथा उसके कर्त्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में और ऐसे अन्य अधिकारों के प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में [4][वित्त एवं विकास समिति] [1][क्षेत्र पंचायत] की सहायता करेगी,–

(1) जिनका प्रयोग या सम्पादन इस अधिनियम के अधीन उससे अपेक्षित हो ;

(2) जो धारा 80 के अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा [4][वित्त एवं विकास समिति] को प्रतिनिहित किये गये हों ।

(3) स्वास्थ्य, स्वच्छता, [5][सामाजिक न्याय], महिला–कल्याण, युवक–कल्याण तथा रचनात्मक कार्यक्रम के क्षेत्र में सुधार करने से संबद्ध अधिकारों के प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में और ऐसे अन्य अधिकारों के प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में [4][समता समिति] क्षेत्र की सहायता करेगी,–

(1) जिनका प्रयोग या सम्पादन इस अधिनियम के अधीन उससे अपेक्षित हों ; या

(2) जो धारा 80 के अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा [4][समता समिति] को प्रतिनिहित किये गये हों ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 100 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 101(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 101(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 101(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(3–क) शिक्षा समित शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायत को उसके अधिकारों के प्रयोग और उसके कर्त्तव्यों और कृत्यों के सम्पादन में सहायता करेगी।]

(4) ऊपर उल्लिखित कोई समिति नियमों द्वारा नियत रीति से और शर्तो के अधीन रहते हुये, [2][क्षेत्र पंचायत] द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों से भिन्न अपने किन्हीं अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों को [2][क्षेत्र पंचायत] के किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकती है ।

[(5) राज्य सरकार, किसी भी समय, यह निदेश दे सकती है कि [3][वित्त एवं विकास समिति] या [3][समता समिति] का कोई अधिकार, कर्तव्य या कृत्य धारा 87 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित किसी समिति को संक्रामित किया जाय ।][4]

खण्ड विकास अधिकारों के अधिकार तथा उत्तरदायित्व

92–(1) खण्ड विकास अधिकारी [2][क्षेत्र पंचायत] का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और [2][क्षेत्र पंचायत] तथा उसकी समितियों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी होगा तथा उन अधिकारों, कर्त्तव्यों ओर कृत्यों के अतिरिक्त जिनकी इस अधिनियम में उसके द्वारा प्रयोग तथा सम्पादन की अपेक्षा की गई है, और तदर्थ किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित अधिकारों, कर्त्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन करेगा, अर्थात् :–

(1) क्षेत्र निधि को देय या उसे दी गयी कोई धनराशि लेने, वसूल करने तथा उसे क्षेत्र निधि में जमा करने का अधिकार ;

(2) [5][* * * *]

(3) कोई वितरण, लेखे, प्रतिवेदन, लेख्यों की प्रतिलिपियां, [2][क्षेत्र पंचायतं] या उसकी किसी समिति द्वारा पारित संकल्पों की प्रतिलिपियां अथवा इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित प्रस्ताव तथा आपत्तियां नियत प्राधिकारी, जिला मैजिस्ट्रेट या राज्य सरकार को प्रस्तुत करना ;

(4) [2][ग्राम पंचायतों] को उनके विकास कार्य में –– जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार, [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] द्वारा निर्धारित मानकों तथा स्थूल नीति के अनुसार योजनायें बनाना, उनका निष्पादन और पूर्वोक्त योजनाओं के निष्पादन में पायी गयी किन्हीं त्रुटियों को [2][क्षेत्र पंचायत] के ध्यान में लाना भी है –– सहायता देना ;

(5) धारा 52 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए [2][क्षेत्र पंचायत] में नियोजित समस्त अधिकारियों तथा सेवकों की सेवा, अवकाश, वेतन, भत्ता तथा अन्य विशेषाधिकारों के संबंध में उठने वाले प्रश्नों का तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुसार समाधान करने का अधिकार ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 101घ द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 101(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1963 की धारा 22 द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 15 द्वारा निकाला गया ।

(6) इस धारा या किसी अन्य धारा के अधीन प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार ;

(7) ऐसे अधिकार, कर्तव्य और कृत्य जो राज्य सरकार [1][क्षेत्र पंचायत] की सम्मति से सौंपे ।

(2) [1][क्षेत्र पंचायत] की ओर से समस्त कार्यो तथा संविदास्त्रों के समुचित निष्पादन का उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी पर होगा ।

समितियों या उप–समितियों का अधीन रहना

93–(1) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] किसी भी समय, अपनी किसी समिति से, तथा उसी प्रकार समिति अपनी किसी उपसमिति से, यथास्थिति, ऐसी समिति अथवा उप–समिति की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण या कोई विवरणी मांग सकती है ।

(2) यथास्थिति, समिति अथवा उपसमिति, उपधारा (1) के अधीन की गई प्रार्थना का यथाशक्य शीघ्र अनुपालन करेंगें ।

जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत का प्रतिवेदन आदि की अपेक्षा और प्रश्न करने का अधिकार

94–(1) [1][जिला पंचायत] अध्यक्ष अथवा मुख्य अधिकारी से और [1][क्षेत्र पंचायत] प्रमुख या खण्ड विकास अधिकारी से अपनी किसी बैठक में निम्नलिखित देने या प्रंस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है :–

(क) यथास्थिति [1][जिला पंचायत], या क्षेत्रसमिति के प्रशासन से संबद्ध किसी विषय में कोई विवरणी, विवरण, अनुमान आंकड़ें या अन्य सूचना ;

(ख) किसी उपसमिति या प्रतिवेदन या स्पष्टीकरण ; तथा

(ग) कोई ऐसा प्रतिवेदन, पत्र–व्यवहार या योजना अथवा अन्य लेख्य या उसकी प्रतिलिपि जो उसके कब्जे या नियंत्रण में अध्यक्ष, प्रमुख, मुख्य अधिकारी, या खण्ड विकास अधिकारी के रूप में हो या जो, यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] के, या [1][जिला पंचायत] अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] के किसी सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या दाखिल हो ।

(2) यथास्थिति, अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी, प्रमुख या खण्ड विकास अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन की गयी प्रत्येक अपेक्षा का, अनुचित विलम्ब किये बिना, पालन करेगा ।

(3) इस धारा से या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के ऐसे उपबन्ध बनाने पर रोक लगाती है जिसमें उसकी बैठकों में, नियत शर्तो और निबंधनों के अधीन रहते हुए, सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाने का प्राधिकार दिया जाय ।

कतिपय सरकारी कर्मचारीयों से सहायता तथा

[2]**[95**–निम्नलिखित अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे जिला पंचायत को ऐसी सहायता और परामर्श, जहाँ तक उसका संबंध उनके विभाग से हो, दे जो आवश्यक या वांछनीय हो अथवा अपने जिला योजना कार्यक्रम तथा अन्य कार्य को कार्यान्वित करने

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 16 द्वारा निकाला गया ।

परामर्श लेने का जिला पंचायत का अधिकार

के लिये जिला पंचायत जिसकी अपेक्षा करे,–

(1) सम्बन्धित सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट अधिशासी अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग) ;

(2) सम्बन्धित सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट अधिशासी अभियन्ता (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत [1][जिला पंचायत] ;

(3) सम्बन्धित सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट अधिशासी अभियन्ता (नहर) ;

(4) मुख्य चिकित्सा अधिकारी ;

(5) जिले में क्षेत्राधिकार प्रयोग करने वाला मंडल वनाधिकारी (डिविजनल फारेस्ट आफीसर) ;

(6) जिला पूर्ति अधिकारी ;

(7) उप–क्षेत्रीय विपणन अधिकारी ;

(8) जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ;

(9) सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ;

(10) जिले के ऐसे अन्य अधिकारी जो अनुसूची – 2 के भाग–क में विनिर्दिष्ट जिाल पंचायत के किन्हीं कृत्यों के संबद्ध विभाग के प्रभारी है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इन अधिकारियों में से कोई धारा 39 की उपधारा (3–क) के अधीन जिला पंचायत के पदेन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाय, तो उस पर इस धारा के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं होंगे।][1]

करणों का रजिस्ट्रीकरण ऐक्ट 16, 1908

96–जब इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियत में यह अपेक्षा की गई हो कि किसी लेख्य के लिखने वाले अथवा उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसके सम्बन्ध में कोई कार्य किया जायगा, और यह लेख्य [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायतं] की ओर से लिखा गया हो अथवा वह ऐसा लेख्य हो जिसके अधीन [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] दावा करे, तो वह कार्य, उपर्युक्त अधिनियमिति अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, [2][जिला पंचायत] की दशा में मुख्य अधिकारी द्वारा अथवा [2][जिला पंचायत] के तदर्थ अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, और [2][क्षेत्र पंचायत] की दशा में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा या [2][क्षेत्र पंचायत] के तदर्थ अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है ।

अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों के प्रयोग तथा सम्पादन के संबंध में विवाद

97– (1) जब इस विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग, अथवा किसी कर्त्तव्य या कृत्य के सम्पादन के लिये [1][जिला पंचायत] अध्यक्ष, कार्य समिति, बिल समिति, मुख्य अधिकारी या [1][जिला पंचायत] की कोई

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

अन्य समिति अथवा अधिकारी उचित प्राधिकारी है या नहीं, तो मामला मुख्य अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ।

(2) जब इस विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार के प्रयोग अथवा किसी कर्त्तव्य या कृत्य के सम्पादन के लिये [1][क्षेत्र पंचायत], प्रमुख, [2][कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति] खण्ड विकास अधिकारी या [1][क्षेत्र पंचायत] की कोई अन्य समिति अथवा अधिकारी उचित प्राधिकारी है या नहीं, तो मामला जिला मैजिस्ट्रेट को अभिदिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। ऐसा कोई भी निर्णय देने में जिला मैजिस्ट्रेट उन सामान्य आदेशों से निर्देशित होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर एतदर्थ जारी किये जायें ।

कार्यो तथा कार्यवाहियों की वैधता

98–(1) [1][जिला पंचायत] में, या [1][जिला पंचायत] की किसी समिति में या कार्य समिति द्वारा नियुक्त किसी उपसमिति में वर्तमान किसी रिक्ति के कारण उसका कोई कार्य या कार्यवाही अमान्य न होगी ।

(2) यदि कार्य या कार्यवाही किये जाने के समय उपस्थित व्यक्तियों में बहुमत, यथास्थिति [1][जिला पंचायत], समिति या उपसमिति के ऐसे सदस्यों का रहा हो जिनमें कोई ऐसी अनर्हता अथवा दोष न हो, तो [1][जिला पंचायत] के अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति या उपसमिति के सदस्य के रूप में अथवा [1][जिला पंचायत] की या ऐसी समिति अथवा उपसमिति की बैठक में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की अनर्हता, या उसके निर्वाचन, अनुमेलन या नियुक्ति में त्रुटि के कारण यह न समझा जायेगा कि [1][जिला पंचायत], समिति या उपसमिति का कोई कार्य या कार्यवाही अमान्य हो गई है ।

(3) जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाय, तब तक प्रत्येक लेख्य या कार्यवृत्त (minutes) के विषय में, जो [1][जिला पंचायत] या समिति या उपसमिति की कार्यवाही का अभिलेख भावित हो–– यह समझा जायेगा कि वह यथाविधि संघटित ऐसी [1][जिला पंचायत], समिति या उपसमिति की यथाविधि संयोजित बैठक की कार्यवाही का शुद्ध अभिलेख है, जिसके सब सदस्यों यथाविधि अर्ह थे ।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं के उपबन्ध प्रत्येक [1][क्षेत्र पंचायत] या उसकी समिति अथवा उपसमिति के कार्यो तथा कार्यवाहियों पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 103 द्वारा प्रतिस्थापित

अध्याय – 6

निधि, सम्पत्ति तथा संविदायें

जिला–निधि तथा क्षेत्रनिधि

99–(1) प्रत्येक [1][जिला पंचायत] के लिये एक निधि की स्थापना की जायेगी जो जिला–निधि कहलायेगी और प्रत्येक क्षेत्रसमिति के लिये एक निधि की स्थापना की जायेगी जो क्षेत्रनिधि कहलायेगी । [1][जिला पंचायत] द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई सभी धनराशियां [2][राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान सहित] या लिये गये समस्त ऋण जिला–निधि में तथा क्षेत्रसमिति द्वारा या उसकी ओर से [2][राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान सहित] या लिये गये समस्त ऋण क्षेत्र–निधि में जमा किये जायेंगे ;

प्रतिबन्ध यह है कि [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] अपने द्वारा किसी प्रयोजन विशेष के लिये प्राप्त किये गये निधि के भागों को उसी प्रयोजन विशेष के लिये अलग रक्षित कर देगी और उन्हें उसी प्रयोजन को पूरा करने में व्यय करेंगी ।

(2) इस धारा में कोई बात [1][जिला पंचायत] या क्षेत्रसमिति के उन आधारों पर प्रभाव नही डालेगी, जो किसी ऐसे न्सास से उत्पन्न हों जो विधितः उस पर आरोपित किया गया हो या उसने स्वीकार किया हो ।

(3) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] नकद अथवा वस्तु के रूप में ऐसे अंशदान स्वीकार कर सकती है जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक उपयोगिता के किसी कार्य के लिये दे और तत्पश्चात् [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] उसे, जहां कहीं आवश्यक हो अपने अंशदान सहित, उस कार्य के निष्पादन में लगायेगी ।

जिला पंचायत, लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, 1914 के अधीन लोकल अथारिटी होगी ऐक्ट संख्या 9, 1934

100–(1) [1][जिला पंचायत], लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, 1914 में यथा परिभाषित "लोकल अथारिटी" समझी जायेगी तथा उस अधिनियम के अधीन रूपया उधार लेने के प्रयोजनार्थ उसके समस्त उपबन्धों तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के अधीन रहेगी ।

(2) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, 1934 की धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से [1][जिला पंचायत] ऐसी रीति से तथा उन उद्देश्यों के लिये और उन शर्तो के, जिनके अन्तर्गत निक्षेप निधि रखने की शर्त भी है और जो नियमों द्वारा नियत की जायेंगी, अधीन रहते हुए ऋण–पत्र जारी करके खुले बाजार में ऋण ले सकती है ।

निधि की अभिरक्षा या उसका लगाया जाना

"राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान सहित" जिला निधि या क्षेत्र निधि सरकारी खजाने या उप–खजाने में या ऐसे बैंक मे जिसे सरकारी खजानें का काम सौंपा गया हो जमा की जायगी या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से एक या अधिक अनुसूचित बैंकों या सहकारी बैंकों मे जमा की जायगी जिन्हें वह तदर्थ निर्दिष्ट करें ।

(2) उन स्थानों में जहां इस प्राकर का कोई खजाना या बैंक न हो, जिला निधि या क्षेत्र–निधि किसी महाजन की या महाजन के रूप मे काम करने वाले ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में रखी जा सकती है जिसने उस निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये तथा मांग करने पर भुगतान करने के लिये ऐसी प्रतिभूति दे दी हो जो राज्य सरकार उस विशेष मामले में पर्याप्त समझे ।

ऐक्ट संख्या 2, 1882

(3) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धो में किसी भी बात से यह न समझा जायेगा कि वह [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] को अपनी निधि के किसी ऐसे अंश को जिसकी तत्काल व्यय के लिये आवश्यकता न हो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से इण्डियन ट्रस्ट्स

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 104 द्वारा बढ़ाया गया।

ऐक्ट, 1882 की धारा 20 में वर्णित प्रतिभूतियों में से किसी में लगाने, अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया या अन्य किसी प्राधिकारी या संस्था के पास सावधि निक्षेप (fixed deposit) के रूप में जमा करने से रोकती है।

क्षेत्र पंचायत निधि से आहरण और वितरण

[1][**101–क–** क्षेत्र पंचायत निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण प्रमुख और खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।]

निधि का उपयोग

102–(1) जिला निधि तथा [2][जिला पंचायत] में निहित समस्त सम्पत्ति और क्षेत्र–निधि तथा [2][जिला पंचायत] में निहित समस्त सम्पत्ति उन व्यक्त या उपलक्षित प्रयोजनों के लिये उपयोग में लायी जायेगी जिनके लिये, इस अथवा अन्य किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन, यथास्थिति, [2][जिला पंचायत], या [2][क्षेत्र पंचायत] को अधिकार प्रदान किये गये हों या उस पर कर्तव्य या आभार आरोपित किये गये हों ।

(2) [2][जिला पंचायत] या क्षेत्र समिति, यथास्थिति, जिले या खण्ड की सीमाओं के बाहर भूमि अर्जित करने या किरायें पर लेने के लिये या ऐसी सीमाओं के बाहर कोई निर्माण–कार्य सम्पादित करने के निमित्ति कोई व्यय ––

(क) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अन्यथा, अथवा

(ख) ऐसे निबन्धनों और शर्तो से अन्यथा जो राज्य सरकार आरोपित करें,

नहीं करेगी ।

(3) धारा 99 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] की निधि और सम्पत्ति का उपयोग पूर्वता के निम्नांकित क्रम से किया जायेगा : ––

(क) विधितः [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] पर आरोपित अथवा उसके द्वारा स्वीकृत न्यास से उत्पन्न होने वाले दायित्व और आभार ;

(ख) अधिष्ठान व्यय का –– जिसके अन्तर्गत पेंशन, भविष्य–निधि तथा अवकाश भत्ते भी है –– भुगतान ;

(ग) सरकार को देय समस्त धनराशियां ;

(घ) लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, 1914 के उपबन्धों के अधीन लिया गया कोई ऋण चुकाना तथा उसके ब्याज का भुगतान ;

(ड़) कोई धनराशि जिसका धारा 109 की उपधारा (2), धारा 137 की उपधारा (3) धारा 229 की उपधारा (2), धारा 230 की उपधारा (3) तथा धारा 252 की उपधारा (3) के अधीन, यथास्थिति, जिला निधि या क्षेत्र निधि से भुगतान किये जाने का आदेश दिया गया हो ; तथा

(च) इस अधिनियम की धारा 31, 32, 33 और 34 के अथवा किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन [2][जिला पंचायत] पर आरोपित कर्त्तव्यों तथा आभारों का निर्वाहन।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 17 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परिषद् में निहित सम्पत्ति

103–(1) राज्य सरकार द्वारा निश्चित किसी आवृत्ति (reservation) के अधीन रहते हुए इस धारा में वर्जित प्रकार की ऐसी समस्त संपत्ति जो जिले के भीतर स्थित हो, [1][जिला पंचायत] में निहित होगी और उसकी सम्पत्ति होगी तथा अन्य ऐसी समस्त सम्पत्ति के साथ, जो [1][जिला पंचायत] में निहित हो जाय, उसके निदेश, प्रबन्ध और नियंत्रण के अधीन रहेगी ओर इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त अधिकार में रखी तथा उपयोग में लायी जायेगी, अर्थात्––

(क) प्रत्येक प्रकार की सब सार्वजनिक इमारतें, जो जिला–निधि से निर्मित की गई हों या उससे अनुरक्षित की जाती हों ;

(ख) समस्त सार्वजनिक मार्ग, जो जिला–निधि से निर्मित किये गये हों या उससे अनुरक्षित किये जातें हों, और उनके पत्थर तथा अन्य सामग्री और साथ ही ऐसे समस्त वृक्ष, निर्माण सामग्री उपकरण और वस्तुएं जिनकी व्यवस्था उक्त मार्गों के लिये की गई हों, तथा

(ग) समस्त भूमि तथा अन्य संपत्ति, जो सरकार द्वारा अथवा दान या विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से स्थानीय सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये [1][जिला पंचायत] को संक्रमित की गयी हो।

[1][क्षेत्र पंचायत] में निहित सम्पत्ति

104–राज्य सरकार द्वारा निश्चित किसी व्यावृत्ति के अधीन रहते हुए इस धारा में वर्णित प्रकार की ऐसी समस्त संपत्ति, जो खण्ड के भीतर स्थित हो, [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित होगी और उसकी संपत्ति होगी तथा अन्य ऐसी समस्त सम्पत्ति के साथ, जो [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित हो जाय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त उसके निदेश प्रबन्ध और नियंत्रण के अधीन रहेगी, अर्थात्

(क) प्रत्येक प्रकार की समस्त सार्वजनिक इमारतों जो क्षेत्र निधि से निर्मित की गई हो या उससे अनुरक्षित की जाती हों ;

(ख) समस्त सार्वजनिक मार्ग जो क्षेत्र–निधि से निर्मित किये गये हों, या उससे अनुरक्षित किये जाते हों, और उनके पत्थर तथा अन्य सामग्री, और साथ ही ऐसे समस्त वृक्ष, निर्माण–सामग्री, उपकरण और वस्तुयें जिनकी व्यवस्था उक्त मार्गों के लिये की गयी हो ;

(ग) समस्त भूमि तथा अन्य संम्पत्ति, जो सरकार द्वारा अथवा दान या विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से स्थानीय प्रयोजनों के लिये [1][क्षेत्र पंचायत] को संक्रामित की गयी हो ; तथा

(घ) खण्ड के भीतर स्थित सब तालाब और कुयें और समस्त जमीनें इमारतें, सामग्री तथा वस्तुयें, जो उनसे संबद्ध या संसक्त हों, जो निजी सम्पत्ति न हों और न किसी सरकार द्वारा या अन्तरिम [1][जिला पंचायत] से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित या नियंत्रित हों ।

भूमि का अनिवार्य अर्जन ऐक्ट संख्या 1, 1894

105–(1) जब [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियमिति के अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग अथवा अपने पर आरोपित किसी कर्त्तव्य के पालन के निमित्त, स्थायी या अस्थायी रूप से, कोई भूमि या भूमि–संबंधों कोई अधिकार अर्जित करना चाहे, तो वह राज्य सरकार से प्रार्थना कर सकती है कि वह उसे लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के या अन्य किसी वर्तमान निधि के उपबन्धों के अधीन उसके व्यय से अर्जित कर लें ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि या ऐसा अधिकार उपर्यूक्त उपबन्धों के अधीन अर्जित किये जाने पर तथा तदन्तर्गत दिलायें गये प्रतिकर का तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यवाहियों के संबंध में किये गये व्यय का भुगतान, यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत], द्वारा राज्य सरकार को कर दिये जाने पर, वह भूमि व, अधिकार, यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित हो जायेगा ।

106–(1) प्रत्येक सार्वजनिक संस्था का जिसका अनुरक्षण पूर्णतया जिला–निधि या क्षेत्र–निधि से होता है, प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन, यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित होगा । **सार्वजनिक संस्थायें**

(2) अन्य कोई सार्वजनिक संस्थान भी [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित की जा सकती है अथवा उसके प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन के अधीन की जा सकती है ;

प्रतिबन्ध यह है कि उनके संबंध में [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के प्राधिकार की आयति नियम द्वारा नियत की जा सकती है ।

(3) किसी भी सार्वजनिक संस्था की ऐसी समस्त संपत्ति, निबन्ध (endowment) और निधियां जो [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित हों अथवा उसके प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन के अधीन की गई हों, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा उन प्रयोजनों के निमित्त न्यास के रूप में अपने अधिकार में रखी जायेंगी जिनके लिये ऐसी संपत्ति, निबन्ध तथा निधियां उस समय विधितः उपयोग में लायी जा सकती थी जब कि संस्था इस प्रकार निहित हुई थी या इस प्रकार अधीन की गई थी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों मे किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह चैरिटेबल इनडाउमेंन्ट्स ऐक्ट, 1890 के अधीन किसी न्यास की संपत्ति को ट्रेजरार आफ चैरिटेबुल इनडाउमेंन्ट्स में निहित होने से रोकती है । **ऐक्ट संख्या 6, 1890**

107–(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आरोपित किसी निबन्धन के अधीन रहते हुए, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] अपने में निहित किसी संपत्ति को, जो ऐसी संपत्ति न हो, जो किसी ऐसे न्यास के रूप में उसके अधिकार में हो, जिसकी शर्तें उसके इस प्रकार संक्रामण के अधिकार से असंगत हों, विक्रय, बंधक, पट्टे, दान विनिमय द्वारा या अन्य किसी प्रकार से संक्रामित कर सकती है । **संपत्ति की संक्रामित करने का अधिकार**

(2) उपधारा (1) मे किसी बात के होते हुए भी [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत], राज्य सरकार की स्वीकृति से, अपने में निहित कोई संपत्ति सरकार को संक्रामित कर सकती है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे किसी ऐसे न्यास या सार्वजनिक अधिकारों पर प्रभाव पड़े जिनके अधीन वह संपत्ति हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक संक्रामण जो एक वर्ष से अनधिक की अवधि के पट्टे से भिन्न हो, एक करण द्वारा संपन्न होगा, जिस पर यथास्थिति [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] को सामान्य मुद्रा अंकित रहेगी तथा वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आरोपित संविदा संबंधी समस्त शर्तो का अनुपालन करेगा।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अतिक्रमण या अवरोध के लिये शास्ति

[1]**[107–क**–(1) जो कोई किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में उस जिला पंचायत की किसी भूमि पर, किसी सार्वजनिक सड़क में नाली के ऊपर की सीढ़ियों के निर्माण को छोड़कर, अतिक्रमण करता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो बीस हजार रूपये तक हो सकेगा दण्डनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध जमानतीय और संज्ञेय होगा।]

जिला निधि या [2][क्षेत्र पंचायत] प्रतिकर का भुगतान

108– [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] अपनी निधि में से किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर दे सकती है जिसे [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] द्वारा अथवा उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियमिति से या उसके अधीन प्राप्त अधिकार के प्रयोग से या आरोपित कर्त्तव्य के सम्पादन से क्षति पहुंची हो और ऐसा प्रतिकर तभी देगी जब कि स्वयं क्षति उठाने वाले व्यक्ति से कोई चूक न हुई हो ।

मेलों आदि में विशेष पुलिस संरक्षण के लिए परिषद् या [2][क्षेत्र पंचायत] द्वारा व्यय का दिया जाना

109–(1) जब [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] के प्रबन्ध में किये जाने वाले किसी मेले, कृषि प्रदर्शनी या औद्योगिक प्रदर्शनी के अवसर पर अथवा [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] द्वारा नियंत्रित और विनियमिति पशु बाजार या पशु मेले के अवसर पर यथा स्थिति [2][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] राज्य सरकार से विशेष पुलिस संरक्षण की मांग करे तो राज्य सरकार ऐसे संरक्षण की व्यवस्था कर सकती है और उक्त [2][जिला पंचायत] द्वारा न्याय रूप में देय समझे, अदा करेगी ।

(2) यदि देय व्यय की राशि अदा न की जाय तो नियत प्राधिकारी ऐसा आदेश दे सकता है जिसमें जिला–निधि या क्षेत्र निधि को अपनी अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को वह निदेश हो कि वह उक्त व्यय उस निधि से अदा कर दे और वह व्यक्ति तदनुसार उक्त धनराशि अदा करेगा ।

[2][जिला पंचायत] का बजट तैयार और पारित करना

110–(1) कार्य समिति [3][जिला पंचायत की] नियत रीति से वित्त समिति के परामर्श से तथा धारा 99 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों का समुचित ध्यान रखते हुए प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक के पूर्व जो नियत द्वारा तदर्थ निश्चित किया जाय आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के अपने वास्तविक तथा प्रत्याशित आय–व्यय का एक पूरा लेखा तथा आगामी 1 अप्रैल से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिये बजट अनुमान तैयार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बजट अनुमान तैयार करने में आय के अनुमान में राज्य सरकार से आयोजन और विकास के कार्यों के निमित्त प्राप्त अनुदानों को अलग प्रदर्शित किया जायेगा तथा व्यय के अनुमानों में यह अलग प्रदर्शित किया जायगा कि उन अनुदानों को किस प्रकार व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 18 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 105 द्वारा बढ़ाया गया।

(3) तदुपरान्त अध्यक्ष नियम द्वारा तदर्थ निश्चित किये जाने वाले दिनांक के पहले उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये लेखा तथा बजट अनुमान की [1][जिला पंचायत] की बैठक में प्रस्तुत करेगा ।

(4) [1][जिला पंचायत] उपधारा (3) में उल्लिखित बैठक में बजट पर चर्चा करेगी और फिर विशेष प्रस्ताव द्वारा ––

(क) पूरे बजट को पारित करेगी या

(ख) बजट को किन्हीं ऐसे परिष्कारों सहित पारित करेगी जो वह उचित समझे, या

(ग) बजट को फिर से तैयार करने के लिये उसे कार्य समिति को लौटा देंगी ।

(5) जब [1][जिला पंचायत] उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन बजट लौटा दे तो कार्य समिति नया बजट तैयार करेगी और अध्यक्ष उस बजट को [1][जिला पंचायत] के समक्ष रखेगा और [1][जिला पंचायत] उस पर चर्चा करेगी तथा विशेष संकल्प द्वारा या तो उसे पूर्णतः या उसमें ऐसे संशोधन करके, जो वह उचित समझे, पारित करेगी ।

(6) [2][* * * *]

(7) [1][जिला पंचायत] कार्य समिति के परामर्श से, समय–समय पर, जैसा परिस्थितियों के अनुसार वांछनीय है, [3][अपने द्वारा अन्तिम रूप से पारित] बजट में परिवर्तन कर सकती है ;

[4][* * * *]

[1][जिला पंचायत] के बजट का पुनरीक्षण

111–पहली अक्टूबर के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र वर्ष का पुनरीक्षित बजट तैयार किया जायेगा और यह पुनरीक्षित बजट, यथासंभव उन समस्त उपबन्धों के अधीन होगा जो धारा 110 के अधीन तैयार किये गये बजट पर प्रवृत्त होते है ।

[1][जिला पंचायत] के बजट में दिखाई गई न्यूनतम रोकड़ बाकी

112–यदि राज्य सरकार आदेश द्वारा कोई न्यूनतम रोकड़ बाकी नियत करे तो कार्य समिति बजट तैयार करने मे उस न्यूनतम रोकड़ बाकी के लिये व्यवस्था करेगी ।

[1][जिला पंचायत] के बजट की प्रतिलिपि का आयुक्त तथा राज्य सरकार को भेजा जाना

113–प्रत्येक [1][जिला पंचायत] अपने अंतिम रूप से पारित बजट की एक प्रतिलिपि मण्डल–आयुक्त को और दूसरी प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजेगी ।

बजट में व्यवस्थित धनराशि से अधिक व्यय करने का निषेध

114–(1) जब इस अधिनियम के अधीन किसी [1][जिला पंचायत] का बजट या पुनरीक्षित बजट अंतिम रूप से पारित किया जा चुका हो तो [1][जिला पंचायत] बजट के उस शीर्षक के अतिरिक्त जिसमें करों के लौटाये जाने की व्यवस्था हो, किसी भी शीर्षक के

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 19(क) द्वारा निकाला गया ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 19(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 19ख(2) प्रतिबन्ध द्वारा निकाला गया । (प्रतिबन्धात्मक खण्ड)

अन्तर्गत, उस शीर्षक के अधीन पारित धनराशि से अधिक व्यय जब तक न करेगी जब तक कि वह बजट में परिवर्तन करके उस अधिक व्यय के लिये व्यवस्था न कर ले ।

(2) जब किसी ऐसे शीर्षक के अन्तर्गत, जिसमें करों के लौटाये जाने की व्यवस्था हो, उस शीर्षक के अधीन अनुमोदित या स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया जाय तो बजट में परिवर्तन करके उस व्यय के लिये अविलम्ब व्यवस्था की जायेगी ।

[2][क्षेत्र पंचायत] का बजट तैयार और पारित करना

115–(1) [1][क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति के परामर्श से] और धारा 99 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों का समुचित ध्यान रखते हुये आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के अपने वास्तविक तथा प्रत्याशित आय–व्यय का एक पूरा लेखा तथा आगामी 1 अप्रैल से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिये अपने आय–व्यय का बजट उस दिनांक के पूर्व जो नियम द्वारा एतदर्थ निश्चित किया जाय तैयार करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि अनुमानित आय में राज्य सरकार से नियोजन और विकास के कार्यों के निमित्त प्राप्त अनुदानों को अलग प्रदर्शित किया जायेगा तथा व्यय के अनुमानों में यह अलग प्रदर्शित किया जायेगा कि उन अनुदानों के किस प्रकार व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ।

(2) [3][* * * *]

(3) [3][* * * *]

(4) [2][क्षेत्र पंचायत] इस सम्बन्ध में नियत द्वारा निश्चित दिनांक के पूर्व प्रत्येक वर्ष एक बैठक आयोजित करके उसमें [4][कार्य समिति] द्वारा तैयार किये गये लेखे और बजट [5][***] पर विचार–विमर्श करेगी और तब बिना किसी परिष्कार के या ऐसे परिष्कारों के सत्य, जिन्हें करना वह उचित समझें, संकल्प द्वारा बजट पारित करेगी ।

(5) यदि किसी [2][क्षेत्र पंचायत] का बजट उसके [6][कार्य समिति द्वारा तैयार किया गया बजट पारित किया गया समझा जायेगा] और यह तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि [2][क्षेत्र पंचायत] उपधारा (4) के अधीन बजट पारित करके उसे अप्रवर्ती न घोषित कर दे।

परिषद् के बजट के सम्बन्ध में कतिपय उपबन्ध [2][क्षेत्र पंचायत] के बजट पर प्रवृत्त होंगे

116– धारा 111, 112, 113, तथा 114 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ [2][क्षेत्र पंचायत] के बजट पर प्रवृत्त होंगे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 106(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 20(क) द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 106(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 20(ख) द्वारा निकाला गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 20(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][जिला पंचायत] तथा [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा संविदाएं

117–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, [1][जिला पंचायत] [1][क्षेत्र पंचायत], को ऐसी संविदाएं करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक या इष्टकर हों ।

(2) संविदाओं की स्वीकृति, निष्पादन, परिवर्तन तथा निर्वहन से सम्बद्ध समस्त विषय–– जिनके अन्तर्गत उनके लिये योजनाएं, अनुमान तथा परियोजनाएं तैयार करना तथा उनके लिये स्वीकृति देना भी है –– नियमों द्वारा विनियमति होंगे ।

(3) यदि किसी संविदा का निष्पादन इस अधिनियम के उपबन्धों के अथवा तदर्थ निर्मित किन्हीं नियमों के अनुसरण से अन्यथा किया जाय तो वह [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] पर बन्धनकारी न होगा ।

कतिपय विषय जो नियमों द्वारा शासित होंगे

118–(1) निम्नलिखित विषय नियमों द्वारा शासित होंगे अर्थात् ––

(क) अनुदान तथा ऋण देना ;

(ख) लेखे जो [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा रखे जायेंगे ;

[2][(ग) जिला पंचायत की कार्य समिति द्वारा उसकी वित्त समिति से और क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति द्वारा उसकी वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति से बजट के सम्बन्ध में परामर्श करने की रीति ;]

(घ) रीति जिससे ऐसे लेखों की परीक्षा की जायेगी ओर उन्हें प्रकाशित किया जायेगा तथा लेखा–परीक्षकों का व्यय को अस्वीकृत करने और किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक की अनबधाननता या अनाचार के कारण [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की किसी निधि या सम्पत्ति को हुई क्षति या उसके अपव्यय या दूरुपयोग के सम्बन्ध में [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के उक्त सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरूद्ध सिफारिश करने का अधिकार ;

(ङ) दिनांक जिसके पूर्व बजट स्वीकृत करने के लिये बैठक की जायेगी ;

(च) बजटों की तैयारी में अपनायी जाने वाली प्रणाली तथा प्रपत्र ;

(छ) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां, विवरण और प्रतिवेदन ; और

(ज) यात्रा–भत्ता, जिसके अन्तर्गत दैनिक–भत्ता भी है, जो किला [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत], [1][क्षेत्र पंचायतों] के अध्यक्षो, उपाध्यक्षों, प्रमुखों, उप–प्रमुखों तथा सदस्यों को दिया जा सकता है ।

अध्याय – 7

कराधान तथा शुल्कों और पथ करों का उदग्रहण

कर जो [1][जिला पंचायत] द्वारा आरोपित किये जा सकते है

119–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये [1][जिला पंचायत] निम्नलिखित कर आरोपित कर सकती है या उनका आरोपण जारी रख सकती है, अर्थात् ––

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 107 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) विभव तथा सम्पत्ति पर कर ;

(ख) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान–मण्डल को "भारत का संविधान" के अधीन, जिसके अन्तर्गत संविधान का अनुच्छेद 277 भी है, हो तथा जिसका [1][जिला पंचायत] द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो ।

(2) कर "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 285 के अधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम तथा तद्धीन निर्मित नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के अनुसार निर्धारित और उद्गृहीत किये जायेंगे ।

विभव तथा सम्पत्ति पर कर

विभव तथा सम्पत्ति कर का आरोपण जारी रहना यू0 पी0 ऐक्ट 10, 1922

120–(1) यदि निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व किसी जिले में विभव तथा सम्पत्ति पर कोई कर प्रचलित रहा हो जो यूनाइटेड प्राविंसेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922 के अधीन आरोपित किया गया हो या जारी रखा गया हो, तो ऐसा कर, जब तक कि वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समाप्त या परिवर्तित न कर दिया जाय, [1][जिला पंचायत] द्वारा उन्हीं दरों से और उन्हीं शर्तों पर, जिनसे और जिनके अधीन वह पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किया जा रहा था, उद्ग्रहीत किया जाता रहेगा, तथा धारा 121 में किसी बात के होते हुए भी, निश्चित दिनांक पर ऐसे करो के उद्ग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में प्रचलित समस्त नियम, विनियम और उपविधियां, समस्त आदेश तथा विज्ञप्तियां और समस्त नियुक्तियां उसी प्रकार प्रचलित रहेंगी मानो वे इस अधिनियम के अधीन बनायी गई, दिये गये या की गई हों और उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निरस्त, परिवर्तित या परिष्कृत किया जा सकेगा ।

(2) यदि निश्चित दिनांक से ठीक पूर्व, किसी जिले में विभव तथा सम्पत्ति पर कर पहले ही से प्रचलित न हो तो उस जिले की [1][जिला पंचायत] आगे दी गई रीति से ऐसा कर आरोपित कर सकती है ।

(3) विभव तथा सम्पत्ति पर कर का कोई बकाया [1][जिला पंचायत] द्वारा स्वमति से अध्याय 8 के अधीन या मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है ।

विभव तथा सम्पत्ति पर कर आरोपित करने की शर्त और निर्बन्धन

121–[1][जिला पंचायत] का विभव तथा सम्पत्ति पर कर आरोपित करने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात् ––

(क) किसी ऐसे व्यक्ति पर कर आरोपित किया जा सकता है जो ग्राम्य क्षेत्र में रहता या व्यवसाय करता हो, प्रतिबन्ध यह है कि निर्धारणाधीन वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम छः महीने तक वह व्यक्ति इस प्रकार रहा हो या उसने इस प्रकार व्यवसाय किया हो ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति पर कर नहीं लगाया जायेगा जिसकी कुल कर–योग्य आय [2][बारह हजार रूपये] वार्षिक से कम हो ;

(ग) कर की दर कुल कर–योग्य आय पर तीन नये पैसे प्रति रूपया से अधिक न होगी ; तथा

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 108 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि उस अधिकतम धनराशि से, यदि कोई हो, अधिक न होगी जो नियम द्वारा नियत की जाय ।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजन के लिये "कर–योग्य आय" से तात्पर्य अनुमानित आय से है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों की आय न होगी ––

(1) इण्डियन इनकम टैक्स ऐक्ट 1922 में यथा परिभाषित "एग्रीकल्चरल इनकम" (agricultural income) ; **ऐक्ट संख्या 11, 1922**

(2) आय जिस पर यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 128 के अधीन किसी नगरपालिका बोर्ड या नोटीफाइड एरिया कमेटी द्वारा पहले ही कोई कर आरोपित किया जा चुका हो ; **यू० पी० ऐक्ट सं० 2 1916**

(3) आय जिस पर धारा 119 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किसी दूसरी [1]"जिला पंचायतं" द्वारा पहले ही कर आरोपित किया जा चुका हो ;

(4) आय जिस पर युनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 की धारा 14 के अधीन पहले ही कोई कर आरोपित किया जा चुका हो ; **यू० पी० एक्ट सं० 2, 1914**

(5) आय जिस पर उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 172 के अधीन किसी नगर महापालिका द्वारा पहले ही कर आरोपित किया जा चुका हो । **उ० प्र० अधिनियम सं० 2, 1959**

विभव तथा सम्पत्ति कर की [2][ग्राम पंचायतों] के माध्यम से वसूली

122–यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 में किसी बात के होते हुए भी, [1][जिला पंचायत] ऐसा कमीशन देकर जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, किसी [2][ग्राम पंचायत] को उसके [2][पंचायत क्षेत्र के निवासियों] पर लगाये गये विभव तथा सम्पत्ति पर कर वसूल करने का कार्य सौंप सकती है और उस दशा में [2][ग्राम पंचायत] का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निवासियों से उक्त कर वसूल करे तथा उगाही हुई धनराशियों को जिला निधि में जमा करे ।

करारोपण

करारोपण के लिये प्रारम्भिक प्रस्तावों का तैयार किया जाना

123–(1) जब कोई [1][जिला पंचायत] कर आरोपित करना चाहे तो वह विशेष संकल्प द्वारा प्रस्ताव तैयार करेगी जिसमें निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट की जायेंगी ––

(क) कर, जो धारा 119 में वर्णित करों में से कोई होगा, जिसे वह आरोपित करना चाहें ;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन पर कर का दायित्व डाला जायगा तथा उस सम्पत्ति या अन्य कर–योग्य वस्तु या विभव का वर्णन जिसके सम्बन्ध में उन पर दायित्व डाला जायगा, किन्तु जब कोई ऐसा वर्ग या वर्णन खण्ड (क) के अधीन या इस अधिनियम द्वारा पहले ही से पर्याप्त रूप से परिभाषित हो, तो उसकी पुनरावृत्ति की अपेक्षा न होगी ;

(ग) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से उद्ग्राह्य कर की मात्रा या दर ;

(घ) धारा 140 में उल्लिखित कोई अन्य विषय जिसके निर्दिष्ट किये जाने की राज्य सरकार नियम द्वारा अपेक्षा करे ।

---

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 109 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) [1][जिला पंचायत] उन नियमों का एक प्रालेख भी तैयार करेगी जो वह धारा 140 मे उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से बनवाया चाहे ।

(3) तत्पश्चात् [1][जिला पंचायत] नियमों द्वारा नियत रीति से, उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये, प्रस्तावों, और उपधारा (2) के अधीन तैयार किये गये नियमों के प्रालेखों को, ऐसे रूप में नोटिस के सहित जो [1][जिला पंचायत] विनियम द्वारा नियत करे, प्रकाशित करेगी ।

प्रस्ताव तैयार हो जाने के बाद की प्रक्रिया

124–(1) कोई व्यक्ति जो सामान्यतया उस जिले में रहता हो या व्यवसाय करता हो, जिसके भीतर [1][जिला पंचायत] कर आरोपित करना चाहती हो, उक्त नोटिस के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर, पूर्वगामी धारा के अधीन तैयार किये गये सभी या किसी प्रस्ताव के विरूद्ध लिखित रूप से आपत्ति कर सकता है और [1][जिला पंचायत] इस प्रकार की गई किसी भी आपत्ति पर विचार करेगी और विशेष संकल्प द्वारा उस पर आदेश पारित करेगी ।

(2) यदि [1][जिला पंचायत] अपने प्रस्तावों को या उसमें से किसी प्रस्ताव को परिष्कृत करना चाहे तो वह परिष्कृत प्रस्तावों को और यदि आवश्यक हो तो पुनरीक्षित नियमों के प्रालेख को ऐसे नोटिस के सहित प्रकाशित करेगी जिससे यह व्यक्त हो कि वे प्रस्ताव तथा नियम, यदि कोई हो, आपत्तियों के लिये पूर्व प्रकाशित प्रस्तावों और नियमों का परिष्कार करके बनाये गये है ।

(3) परिष्कृत प्रस्तावों के सम्बन्ध में किन्हीं आपत्तियों पर उपधारा (1) में नियत रीति से कार्यवाही की जायेगी ।

राज्य सरकार का जिला परिषदों के प्रस्तावों को स्वीकार करने का अधिकार

125–(1) जब [1][जिला पंचायत] अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप से निश्चित कर ले तो वह उन्हें, उनके संबंध में की गई आपत्तियों सहित यदि कोई हो, नियत प्राधिकारी को भेजेगी और वह उन प्रस्तावों तथा आपत्तियों को, यदि कोई हों, राज्य सरकार को भेजेगा ।

(2) उक्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार, जैसा वह उचित समझे, उन प्रस्तावों को स्वीकार करने से इंकार कर सकती है या उन्हें और विचार के लिये [1][जिला पंचायत] के पास भेज सकती है या उन्हें बिना परिष्कार किये स्वीकार कर सकती है या ऐसे परिष्कारों सहित स्वीकार कर सकती है जिनसे आरोपित की जानी वाली धनराशि में कोई वृद्धि न हो ।

नियमों का राज्य सरकार द्वारा बनाया जाना

126–(1) जब राज्य सरकार ने धारा 125 की उपधारा (2) के अधीन [1][जिला पंचायत] के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया हो तो वह, [1][जिला पंचायत] द्वारा भेजे गये नियमों के प्रालेख पर विचार करने के बाद तुरन्त धारा 237 के अधीन कर के विषय में भेजे नियम बनाना प्रारम्भ करेगी जो वह उस समय आवश्यक समझे ।

(2) जब नियम बन जाये तो उनकी एक प्रति [1][जिला पंचायत] को भेजी जायगी।

जिला परिषद् का करारोपण निदेश देने का संकल्प

127–(1) पूर्वगामी धारा के अधीन भेजी गयी नियमों के प्रति प्राप्त होने पर [1][जिला पंचायत] विशेष प्रस्ताव द्वारा, संकल्प में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से करके आरोपण का निदेश देगी । उक्त दिनांक उस संकल्प के दिनांक से कम से कम छः सप्ताह वाद का होगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कारारोपण

128–(1) [1][जिला पंचायत] द्वारा धारा 127 के अधीन पारित संकल्प की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजी जायगी ।

(2) संकल्प की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, राज्य सरकार धारा 127 के अधीन निर्दिष्ट दिनांक से करारोपण को गजट में विज्ञापित करायेगी और सभी दशाओं में कारारोपण इस प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुए किया जायगा कि वह इस प्रकार विस्थापित किया जा चुका हो ।

(3) उपधारा (2) के अधीन करारोपण की विज्ञप्ति इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि कर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आरोपित किया गया है ।

करों में परिवर्तन की प्रक्रिया

129–कर को समाप्त या निलंबित करने की, या धारा 123 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में कर में परिवर्तन की प्रक्रिया यथासंभव वही होगी जो धारा 123 से 128 तक में करारोपण के लिये नियत है ।

कुछ करों के संबंध में परिवर्तित या परिष्कृत प्रक्रिया है

130–धारा 123 से 129 तक में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार नियम द्वारा, धारा 119 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी कर के आरोपण तथा उसमें परिवर्तन के संबंध में ऐसी अन्य या परिष्कृत प्रक्रिया नियत कर सकती है जो वह उचित समझे ।

विमुक्ति

131–(1) [1][जिला पंचायत], एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी राय में गरीबी के कारण कर का भुगतान करने में असमर्थ हो, इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकती है तथा इस विमुक्ति का, जितनी बार वह आवश्यक समझे, नवीकरण कर सकती है।

(2) [1][जिला पंचायत] नियत प्राधिकारी द्वारा पुष्टीकृत विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी संपत्ति को या संपत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकती है।

(3) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी संपत्ति को या संपत्ति के किसी प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकती है ।

क्षेत्र पंचायत द्वारा करारोपण

[2] **[131–क–** (1) कोई क्षेत्र पंचायत, ऐसी रीति से जैसी नियत की जाय, निम्नलिखित का आरोपण कर सकती है ––

(क) जलकर, जहां वह अपनी अधिकारिता, के अधीन पीने के लिए, सिचाई के लियें या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिये किसी योजना का निर्माण या अनुरक्षण करती है ;

(ख) विद्युत्कर जहां वह किसी सार्वजनिक मार्ग या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करती है और उसका अनुरक्षण करती है ; और

(ग) कोई ऐसा अन्य कर, जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, जिसके अन्तर्गत संविधान का अनुच्छेद 277 भी है, हो तथा जिसका क्षेत्र पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो ।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 110 द्वारा बढ़ाया गया ।

राज्य सरकार का किसी कर के दोषों को दूर करने या उसे समाप्त करने का अधिकार

132–(1) जब कभी राज्य सरकार को किसी भी शिकायत पर या अन्यथा यह प्रतीत हो कि [1][जिला पंचायत] द्वारा आरोपित किसी कर का उद्ग्रहण लोकहित के प्रतिकूल है या किसी कर का भार न्यायसंगत नहीं है तो राज्य सरकार [1][जिला पंचायत] के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा [1][जिला पंचायत] से अपेक्षा कर सकती है कि वह, आदेश में निर्दिष्ट किये जाने वाले समय के भीतर, किसी ऐसे दोष को दूर करने का उपाय करे जो उसके विचार से कर में या कर के निर्धारण या वसूली की रीति में विद्यमान हो ।

(2) यदि [1][जिला पंचायत] राज्य सरकार के संतोषानुसार उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश का अनुपालन न करे या उसमें असमर्थ रहे तो राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, कर का या उसके किसी भाग का उद्ग्रहण, उस समय तक के लिये जब तक कि उक्त दोष दूर न कर दिया जाय, निलम्बित कर सकती है अथवा कर को समाप्त कर सकती है या कम कर सकती है ।

दायित्व बतलाने का आभार

133–(1) [1][जिला पंचायत] लिखित आदेश द्वारा धारा 121 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना देने के लिये कह सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो कि ––

(क) वह व्यक्ति उस कर का देनदार है या नहीं जो उसके विभव या संपत्ति पर निर्धारित किया गया है ;

(ख) उस पर कितनी धनराशि निर्धारित की जानी चाहिये ; तथा

(ग) उस भूमि या इमारत का, जो उसके अध्यासन में हो, वार्षिक मूल्य क्या है तथा स्वामी का नाम और पता क्या है ।

(2) किसी अन्य कर के संबंध में [1]"जिला पंचायतं" ॖ लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस कर का देनदार प्रतीत हो, ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकती है जो नियम द्वारा नियत की जाय ।

(3) यदि वह व्यक्ति जिससे इस प्रकार सूचना देने के लिये कहा गया हो वह, सूचना न दे या ऐसी सूचना दे जो असत्य हो तो दोषी पाये जाने पर उस पर जुर्माना किया जा सकेगा जो [2][एक हजार रूपये] तक हो सकता है ।

निरीक्षण का अधिकार

134–धारा 222 में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, [1][जिला पंचायत] का अध्यक्ष तथा मूल्य अधिकारों और, यदि संकल्प द्वारा वह तदर्थ प्राधिकृत हो तो [1][जिला पंचायत] का अन्य कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ किसी इमारत में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी माप कर सकता है ।

कर के सम्बन्ध में अपील

135–(1) विभव तथा संपत्ति पर कर के निर्धारण या उसके निर्धारण में किये गये परिवर्तन के विरूद्ध अपील, नियत प्राधिकारी को उस रीति मे ंकी जा सकती है और उसके द्वारा उस रीति में निर्णीत की जायगी जो नियमों द्वारा नियत की जाय ।

(2) धारा 119 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्राप्त अधिकार के अधीन [1][जिला पंचायत] द्वारा आरोपित कर के विषय में राज्य सरकार, नियमों द्वारा ऐसे प्राधिकारी की व्यवस्था करेगी जिसे कर के निर्धारण या उसके निर्धारण में किये गये

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 111 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परिवर्तन के विरूद्ध अपील की जा सकेगी तथा उस रीति की व्यवस्था करेगी जिसके अनुसार ऐसी अपील प्रस्तुत तथा निर्णीत की जायगी ।

कालावधि तथा अभ्यर्वित कर का प्राथमिक रूप में जमा किया जाना

136–(1) ऐसी कोई अपील तब तक न सुनी जायगी और न उस पर निर्णय दिया जायगा जब तक कि ––

(क) वह निर्धारण के या निर्धारण में किये गये परिवर्तन के नोटिस की प्राप्ति के दिनांक के तीस दिन के भीतर, या यदि कोई नोटिस न दिया गया हो तो निर्धारण के या निर्धारण में किये गये परिवर्तन के अधीन की गयी पहली मांग के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न की गयी हो ; और

(ख) यदि अपीलकर्त्ता से अभ्यर्थित धनराशि पचीस रूपयें से अधिक हो तो ऐसी धनराशि का आधा भाग उसके द्वारा [1][जिला पंचायत] के कार्यालय में जमा न कर दिया गया हो।

व्यय

137–(1) धारा 135 के अधीन की गयी किस भी अपील में व्यय दिलाना, अपील का निर्णय करने वाले अधिकारी की स्वमति पर निर्भर होगा ।

(2) इस धारा के अधीन [1][जिला पंचायत] को दिलाया गया व्यय [1][जिला पंचायत] द्वारा अध्याय 8 मे व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा ।

(3) यदि [1][जिला पंचायत] अपीलकर्ता को दिलाया गया व्यय, व्यय दिलाने वाले आदेश की सूचना [1][जिला पंचायत] को दिये जाने के दिनांक के बाद दस दिन के भीतर अदा न करे तो व्यय दिलाने वाला अधिकारी जिला–निधि की अवशिष्ट वह राशि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को व्यय की उक्त धनराशि अदा करने का आदेश दे सकता है और वह व्यक्ति तदनुसार उक्त धनराशि अदा करेगा ।

कराधान के विषय में दीवानी और दण्ड न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक

138–(1) उस रीति या प्राधिकारी से, जिसकी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन व्यवस्था की गयी हो, भिन्न किसी रीति से या प्राधिकारी द्वारा किसी मूल्यांकन या निर्धारण के संबंध में या किसी व्यक्ति पर कर निर्धारित किये या लगाये जाने के दायित्व के संबंध में आपत्ति न की जायगी ।

(2) अपीलीय प्राधिकारी का ऐसा आदेश जिसके द्वारा गणना या निर्धारण या निर्धारण के दायित्व या कराधान के संबंध में कोई आदेश पुष्टीकृत रद्द या परिष्कृत किया गया हो, अंतिम होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अपीलीय प्राधिकारी के लिये वह वैध होगा कि वह आवेदन–पत्र दिये जाने पर या स्वतः अपने द्वारा अपील में दिये गये आदेश का, अपने मूल आदेश के दिनांक से तीन महीने के भीतर एक और आदेश पारित करके पुनविलोकन करें।

व्यावृतियां

139–कोई भी निर्धारण–सूची या अन्य सूची, नोटिस, बिल या अन्य ऐसा लेख्य जो किसी कर, परिव्यय, किरायें या शुल्क के संबंध में किसी व्यक्ति, संपत्ति, वस्तु या विभव को निर्दिष्ट करता हो या निर्दिष्ट करता भावित हो, केवल इसी कारण कि किसी व्यक्ति के नाम, निवास–स्थान, व्यवसाय या पेशे के स्थान में अथवा संपत्ति, वस्तु या विभव के वर्णन में कोई त्रुटि रह गई हो, या केवल इस कारण कि उसमें कोई लिपिक अशुद्धि है या उसे आकार में कोई दोष है अमान्य नही होगा और यह पर्याप्त होगा कि संबद्ध व्यक्ति, संपत्ति, वस्तु या विभव, की पहिचान के प्रयोजन के निमित्त पर्याप्त वर्णन कर दिया गया है और किसी ऐसी संपत्ति के, जिस पर कर का दायित्व हो, स्वामी या अध्यासी का नाम देना आवश्यक न होगा ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

निर्धारण, वसूली अथवा अन्य विषयों के संबंध में नियम

140–इस अधिनियम द्वारा तदर्थ की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, निम्नांकित विषय नियमों द्वारा शासित होंगे, अर्थात् : ––

(क) करों का निर्धारण और वसूली ;

(ख) करापर्वचन की रोकथाम ;

(ग) पद्धती जिसके अनुसार कर लौटने की अनुज्ञा दी जायगी और उनका भुगतान किया जायगा ;

(घ) विभव तथा संपत्ति पर करों के मध्य भुगतानों की मांग के नोटिस के लिये तथा अभिहरण के अधिपत्र (वारंट) के निष्पादन के लिये शुल्क ;

(ङ) अभिहत पशुधन के पोषण के निमित्त लिये जाने वाले व्यय की दरें ; तथा

(च) करों से संबद्ध अन्य कोई विषय जिसके बारे में इस अधिनियम में कोई व्यवस्था न की गयी हो या अपर्याप्त व्यवस्था की गयी हो और राज्य सरकार की राय में जिसके लिये व्यवस्था करना आवश्यक हो ।

करों में [2][ग्राम पंचायतों] का अर्थ

141–[1][जिला पंचायत] विभव तथा संपत्ति पर कर से होने वाले अपनी शुद्ध आय (net proceeds) से जिले की [2][ग्राम पंचायत] की निधियों में ऐसी धनराशियां देंगी जो वह ऐसी प्रत्येक [2][ग्राम पंचायत] की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अवधारित करें ।

शुल्क और पथकर

जिला परिषद् या [1][क्षेत्र पंचायत] की संपत्ति की पट्टे के अधीनता से भिन्न किसी रूप में प्रयोग करने के लिये शुल्क

142–(1) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत], यथा समिति, अपने में निहित या अपने प्रबन्ध में सौपी गयी किसी अचल संपत्ति के–– जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा सार्वजनिक मार्ग या स्थान भी है जिसके प्रयोग या अध्यासन की वह, उसमें प्रक्षेप (projections) की अनुज्ञा देकर या अन्यथा, अनुमति देती है (पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में) प्रयोग या अध्यासन के लिये शुल्क ले सकती है, जो उपविधि या सार्वजनिक नीलाम द्वारा या अनुबन्ध द्वारा निश्चित किया जायगा ।

(2) ऐसे शुल्क या तो उन शुल्कों के साथ उद्ग्रहीत किये जा सकते है जो धारा 143 के अधीन स्वीकृत, लाइसेंस या अनुमति के निमित्त लिये जाते है या अध्याय 8 में नियत रीति से वसूल किये जा सकते है ।

लाइसेंस शुल्क आदि

143–[1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] किसी ऐसे लाइसेंस, स्वीकृति या अनुमति के लिये जिसे स्वीकृत करने का उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन हक हो या जिसे स्वीकृत कराना उससे अपेक्षित हो, शुल्क ले सकती है जो उपविधि द्वारा निशचित किया जायगा ।

कुछ अन्य शुल्क

144–राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] विद्यालय शुल्क, पुस्तकालयों, सरायों या पड़ावों के प्रयोग के लिये शुल्क, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा निर्मित तथा अनुरक्षित निर्माण–कार्यों या संस्थाओं में से किसी या किन्हीं ऐसे कार्यो के जो मूलतः दुर्भिक्ष–निवारण या सहायता–कार्यों के रूप में प्रारम्भ किये गये हों, प्रयोग के लिये या उनसे होने वाले लाभों के लिये शुल्क, सांड़ों तथा बीजाश्वों की सेवा और पशुओं की रजिस्ट्री के लिये शुल्क, ऐसे मेलों, बाजारों,

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 112 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कृषि–प्रदर्शनों और औद्योगिक प्रदर्शनियों के लिये शुल्क––चाहे वे उसके प्राधिकार के अधीन की जाती हो या अन्यथा–– जिनमें जन–साधारण को सम्मिलित होने की अनुमति हो और जिन में [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] सर्वसाधारण के लिये सफाई संबंधी तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती हो, तथा [1][जिला पंचायत] का या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा निमित, मरम्मत किये गये या अनुरक्षित पुलों के प्रयोग के लिये पथकर निश्चित कर सकती है और उन्हें उद्ग्रहीत कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] उन पड़ावों के प्रयोग के लिये शुल्क निश्चित या उद्गृहीत न करेगी जो उसमें निहित न हों ।

बाजारों के सम्बन्ध में लाइसेन्स शुल्क और पथ कर

145–राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] किसी ऐसे बाजार में जो उसके द्वारा स्थापित किया गया हो या जिसका वह अनुरक्षण या प्रबन्ध करती हो, निम्नलिखित शुल्कों या पथ–करों में से एक या अधिक आरोपित कर सकती है : ––

(क) ऐसे बाजारों में अपना व्यवसाय करने वाले दलालों, आढ़तियों, तौलों या मापकों पर लाइसेन्स शुल्क ;

(ख) बिक्री के लिए ऐसे बाजार में माल लाने वाले वाहनों, लद्दू पशुओं या कुलियों पर पथ–कर ;

(ग) ऐसे बाजार में बिक्री के लिये माल प्रदर्शित करने के अधिकार के लिये या उसमें किसी इमारत या संरचना का प्रयोग करने के लिये बाजार शुल्क ;

(घ) ऐसे बाजार मे बेचे जाने वाले पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क ।

धारा 144 तथा 145 के अधीन लगाये गये शुल्कों तथा पथकरों की वसूली की रीति

146–धारा 144 तथा 145 में उल्लिखित जिन शुल्कों और पथ–करों का भुगतान न किया गया हो वे अध्याय 3 में नियत रीति से वसूल किये जा सकते है ।

अध्याय–8

करों तथा कुछ अन्य देयों की वसूली

करों तथा अन्य देयों की वसूली की रीति

147–जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो धारा 148 में उल्लिखित कर तथा अन्य देय [1][जिला पंचायत] द्वारा आगे व्यवस्थित रीति से बाकीदार की चल सम्पत्ति का अभिहरण (distraint) तथा बिक्री–कर के वसूल किये जा सकते है।

बिल का प्रस्तुत किया जाना

148–(1) जैसे ही कोई व्यक्ति ––

(क) [1][जिला पंचायत] द्वारा आरोपित किसी कर के मध्य किसी धनराशि का, अथवा

ऐक्ट संख्या 17, 1878

(ख) किसी अन्य धनराशि का, जो इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन अथवा नार्दर्न इण्डिया फेरीज ऐक्ट, 1878 के अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि द्वारा इस अध्याय में व्यवस्थित रीति के अनुसार वसूल करने योग्य घोषित की गई हो, देनदार हो जाय, [1][क्षेत्र पंचायत] यथाशीघ्र, ऐसे देनदार व्यक्ति को एक बिल प्रस्तुत करा देगी,

(2) जब तक कि नियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, कोई व्यक्ति प्रत्येक कर और लाइसेंन्स शुल्क का देनदार उस अवधि के आरम्भ होने पर समझा जायगा जिसके सम्बन्ध में ऐसा कर या शुल्क देय हो ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

149– प्रत्येक ऐसे बिल में निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट होंगी —— **बिल में निर्दिष्ट की जाने वाली बातें**

(क) अवधि जिसके लिये, तथा सम्पत्ति, व्यवसाय, विभव अथवा वस्तु जिसके सम्बन्ध में धनराशि मांगी गयी हो ,

(ख) शास्ति जो भुगतान न किये जाने की दशा में आरोपित की जा सकेगी, और

(ग) धारा 136 की व्यवस्था के अनुसार समय जिसके भीतर अपील, यदि कोई हो, की जा सकती हो ।

150–(1) यदि वह धनराशि, जिसके लिये पूर्वोक्त रीति से बिल प्रस्तुत किया जा चुका हो, बिल प्रस्तुत किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर [1][जिला पंचायत] के कार्यालय में अथवा उस व्यक्ति को, जो विनियम द्वारा ऐसे भुगतान प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया गया हो अदा न की जाय, तो [1][जिला पंचायत] उक्त धनराशि के लिये देनदार व्यक्ति पर ऐसे आकार में जो [1][जिला पंचायत] विनियम द्वारा नियत करे, मांग का एक नोटिस तामील करवा सकती है । **मांग की नोटिस**

151–(1) यदि उक्त धनराशि का देनदार व्यक्ति मांग के ऐसे नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर —— **अधिपत्र का जारी किया जाना**

(क) नोटिस में मांगी गई धनराशि अदा न करे, या

(ख) [1][जिला पंचायत] के या ऐसे अधिकारी के, जिसे [1][जिला पंचायत] इस सम्बन्ध में विनियम द्वारा नियुक्त करे, संतोषानुसार इस बात का कारण न बतायें कि वह धनराशि क्यों अदा न करे,

तो ऐसी धनराशि, वसूली के सम्पूर्ण व्यय सहित [1][जिला पंचायत] द्वारा ऐसे आकार में, जो [1][जिला पंचायत] विनियम द्वारा नियत करे, जारी करवाये गये अधिपत्र (वारन्ट) के अधीन बाकीदार की चल सम्पत्ति के अभिहरण और विक्रय द्वारा वसूल की जा सकती है ।

(2) इस धारा के अधीन जारी किये गये प्रत्येक अधिपत्र में अध्यक्ष के अथवा किसी ऐसे अधिकारों के हस्ताक्षर होंगे जिसे [1][जिला पंचायत] ने विनियम द्वारा यह अधिकार प्रतिनिहित किया हो।

152–[1][जिला पंचायत] के किसी ऐसे अधिकारी के लिये, जिसे धारा 151 के अधीन जारी किया गया अधिपत्र सम्बोधित हो, यह वैध होगा कि वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अधिपत्र में आदिष्ट अभिहरण करने के निमित्त किसी इमारत के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की की केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में तोड़कर खोले अन्यथा नहीं —— **अधिपत्र के निष्पादन के लिये बलात प्रवेश**

(क) यदि अधिपत्र में कोई ऐसा विशेष आदेश हो जिसके द्वारा उसे तदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, तथा

(ख) यदि उसके पास यह विश्वास करने के उचित कारण हों कि उक्त इमारत में ऐसी सम्पत्ति है जो अधिपत्र के अधीन अभिग्रहीत (seize) की जा सकती है, तथा

(ग) यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने और प्रवेश के लिये यथाविधि अनुमति मांगने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश न कर सके :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अधिकारी स्त्रियों के रहने के लिये प्रयुक्त कक्ष में तब

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

तक प्रवेश नही करेगा और न उसके दरवाजे को तोड़ेगा जब तक कि उसने किसी स्त्री को, जो उसके भीतर हों, वहां से हट जाने का अवसर न दे दिया हो ।

153–(1) धारा 152 में उल्लिखित अधिकारी के लिये यह वैध होगा कि वह किसी बाकीदार की चल सम्पत्ति का, ग्राम्य क्षेत्र के भीतर जहां कहीं भी वह पाई जाय, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अभिहरण करे ।

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति का अभिहरण नहीं किया जायगा ––

(क) बाकीदार, उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र तथा बिस्तरे, और उसके खाना बनाने के आवश्यक बर्तन,

(ख) कारीगरों के औजार,

(ग) लेखा पुस्तकें

(घ) जब बाकीदार खेतिहर हो तो उसके खेती के उपकरण, बीज, अनाज तथा ऐसे पशु जो उसके जीविकोपार्जन के लिये आवश्यक हों ।

(3) अभिहरण अत्यधिक न होगा अर्थात् अभिहरण की गई सम्पत्ति मूल्य में यथासम्भव उस धनराशि के बराबर होगी जो अधिपत्र के अधीन वसूल की जाती है, और यदि किन्हीं ऐसी वस्तुओं का अभिहरण किया गया हो जिसका धारा 151 की उपधारा (2) द्वारा उसके अधीन अधिपत्र मे हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति की राय में इस प्रकार अभिहरण नहीं किया जाना चाहियें था तो वे सभी वस्तुएं तुरन्त लौटा दी जायेंगी ।

(4) सम्पत्ति का अभिग्रहण करके अधिकारी उस सम्पत्ति की तुरन्त एक सूची बनायेगा और उसे हटाने के पूर्व, अधिहरण के समय उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को, उक्त सूची की अपने द्वारा हस्ताक्षरकृत एक प्रतिलिपि तथा इस आशय का एक लिखित नोटिस कि उक्त सम्पत्ति उस नोटिस के उल्लेख के अनुसार बेच दी जायगी ऐसे आकार में, जो [1][जिला पंचायत] विनियम द्वारा नियत करे, देगा ।

अधिपत्र के अधीन वस्तुओं का विक्रय तथ विक्रय धन की प्रयुक्ति

154–(1) यदि अभिग्रहीत सम्पत्ति शीघ्र और स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाने वाली हो अथवा यदि वसूल की जाने वाली धनराशि से मिलकर उसकी अभिरक्षा के व्यय के उसके मूल्य से बढ़ जाने की सम्भावना हो, तो अध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारी जिसने अधिपत्र पर हस्ताक्षर कियें हों, उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से सम्पत्ति अभिग्रहीत की गई थी, परन्तु इस आशय का नोटिस देगा कि उक्त सम्पत्ति तुरन्त बेच दी जायगी और वह तदनुसार उसे बेच देगा, जब तक कि अधिपत्र में निर्दिष्ट धनराशि अविलम्ब अदा न कर दी जाय।

(2) यदि अभिग्रहीत सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन तुरन्त न बेच दी गई हो, तो वह या उसका पर्याप्त अंश, अधिपत्र निष्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा तामील किये गये नोटिस में निर्दिष्ट समय के समाप्त होने पर [1][जिला पंचायत] के आदेशानुसार सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेचा जा सकता है ; जब तक कि अधिपत्र उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसमें हस्ताक्षर किये थे निलम्बित न कर दिया जाय या बाकीदार द्वारा देय धनराशि नोटिस, अधिपत्र और अभिहरण तथा सम्पत्ति के निरोध सम्बन्धी सभी आनुषंगिक व्ययों सहित अदा न कर दी जाय ।

(3) शेष धनराशि, यदि कोई हो, डाक का कमीशन काटकर धनादेश (money order) द्वारा तुरन्त उस व्यक्ति को भेज दी जायगी जिसके कब्जे से सम्पत्ति ली गई थी।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

यदि इस प्रकार भेजी गई धनराशि डाक–घर द्वारा [1][जिला पंचायत] को लौटा दी जाय, तो उसे जिला निधि में जमा कर दिया जायगा और साथ ही धनराशि के इस प्रकार जमा किये जाने का नोटिस उस व्यक्ति को दे दिया जायगा, तथा यदि नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर [1][जिला पंचायत] को आवेदन–पत्र देकर उक्त धनराशि की मांग की जाय तो वह धनराशि उस व्यक्ति को लौटा दी जायगी। कोई धनराशि जिसके लिये उक्त नोटिस के तामील के दिनांक से एक वर्ष के भीतर मांग न की जाय, [1][जिला पंचायत] की सम्पत्ति हो जायेगी।

ग्राम्य क्षेत्र के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिपत्र के निष्पादन की दशा में प्रक्रिया

155–(1) यदि किसी बाकीदार की पर्याप्त चल सम्पत्ति ग्राम्य क्षेत्र के भीतर न मिल सके तो जिला मैजिस्ट्रेट जिला परिषद् के आवेदन–पत्र पर निम्नलिखित प्रयोजन के लिये अपने न्यायालय के किसी अधिकारी को अपना अधिपत्र जारी कर सकता है ––

(क) मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य भाग में स्थित बाकीदार की किसी चल सम्पत्ति या सामान का अभिहरण तथा बिक्री, अथवा

(ख) उत्तर प्रदेश के भीतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी अन्य मैजिस्ट्रेट के अधिकार–क्षेत्र के भीतर स्थित बाकीदार की किसी चल सम्पत्ति का अभिहरण तथा बिक्री ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कार्यवाही की जाने की दशा में, वह अन्य मैजिस्ट्रेट इस प्रकार जारी किये गये अधिपत्र को पृष्ठांकित करेगा और उसे निष्पादित करवायेंगा तथा वसूल की गई धनराशि को अधिपत्र जारी करने वाले मैजिस्ट्रेट को भिजवायेगा जो कि उसे [1][जिला पंचायत] को भेज देगा ।

शुल्क और व्यय

156–धारा 150 के अधीन जारी किये गये प्रत्येक नोटिस तथा धारा 153 या 155 के अधीन किये गये अभिहरण का आदेशिका शुल्क तथा उक्त धाराओं के अधीन अभिग्रहीत किसी पशु के संधारण का व्यय, उन दरों से लिये जायेंगे जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये तत्सम्बन्धी नियमों मे उल्लिखित हों और उन्हें धारा 151 के अधीन उद्ग्राहय वसूली के व्यय में सम्मिलित कर लिया जायगा ।

ब्यावृत्ति

157–बिल, नोटिस, अभिहरण–अधिपत्र, सूची अथवा उससे सम्बद्ध किसी अन्य कार्यवाही में कोई त्रुटि या दोष या उसके ठीक आकार में न होने के कारण इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अभिहरण या विक्रय अवैध नहीं समझा जायगा न उसे करने वाला व्यक्ति अनाधिकार प्रवेशक समझा जायगा ।

वाद चलाने या मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने का वैकल्पिक अधिकार

158–(1) अभिहरण और विक्रय की कार्यवाही करने के बदले अथवा मांगी गई सम्पूर्ण धनराशि या उसका कोई अंश अभिहरण और विक्रय द्वारा वसूल न कर सकने की दशा में, [1][जिला पंचायत] उस धनराशि के देनदार व्यक्ति के विरूद्ध किसी क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय में वाद ला सकती है ।

(2) विभव तथा सम्पत्ति पर कर के बकाये की दशा में [1][जिला पंचायत] धारा 148 के या इस धारा की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने के अतिरिक्त तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार तथा अधीन रहते हुए, उसे मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल कर सकती है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

159–यदि [1][जिला पंचायत] में निहित या उसके प्रबन्ध मे सौंपी गयी भूमि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा [1][जिला पंचायत] को लगान या किराये के मध्य कोई धनराशि देय हो, तो [1][जिला पंचायत] तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार तथा अधीन रहते हुए ऐसे किसी बकाये को मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल कर सकती है ।

भूमि के किराये की वसूली

160–[1][जिला पंचायत] में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी भूमि से भिन्न किसी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा [1][जिला पंचायत] को लगान या किराये के मध्य देय कोई बकाया धारा 148 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जायगा ।

अन्य अचल सम्पत्ति के लिये लगान या किराये की वसूली

161–इस अधिनियम के अधीन या तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम या उपविधि के अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] को देय कोई धनराशि, जो इस अधिनियम या ऐसे नियम अथवा उपविधि द्वारा इस अध्याय में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकने योग्य घोषित की गयी हो, आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अध्याय की व्यवस्था के अनुसार वसूल की जायगी ।

[1][क्षेत्र पंचायत] को देय धनराशियों की वसूली

अध्याय – 9

इमारतों, सार्वजनिक नालियों तथा सड़कों आदि के सम्बन्ध में अधिकार और शास्ति

इमारतों का विनियमन

162– इस अध्याय के प्रयोजनों लिये ––

परिभाषा

(क) "समुपयुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य क्षेत्रसमिति से होगा यदि विषय [1][क्षेत्र पंचायत] के कृत्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो तथा अन्य दशाओं में [1][जिला पंचायत] से होगा।

(ख) क्षेत्र के किसी भाग के संबंध में, जिसके अन्तर्गत नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र भी है [1][क्षेत्र पंचायत] का तात्पर्य उस भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली [1][क्षेत्र पंचायत] से होगा ।

163–(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, इस अध्याय की धारा 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 187, 209, 213 और 216 के उपबन्ध ग्राम्य क्षेत्र के केवल उन्हीं भागों में प्रवृत्त होंगे जो [1][जिला पंचायत] द्वारा इस धारा के अधीन निर्दिष्ट किये गये हों ।

इस अध्याय की कुछ धाराओं की प्रवृत्ति की परिसीमा

(2) [1][जिला पंचायत] संकल्प द्वारा घोषित कर सकती है कि उपधारा (1) में उल्लिखित धाराओं के या उनमें से किसी एक या अधिक धाराओं के उपबन्ध जिले के ग्राम्य क्षेत्र के उस भाग में प्रवृत्त होंगे जो संकल्प में निर्दिष्ट किया गया हो और तत्पश्चात् संकल्प में वर्णित धाराओं के उपबन्ध इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे और वह क्षेत्र "नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र" कहलायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र के निवासियों को संकल्प के सार्वजनिक नोटिस उस रीति से दिया जा चुका हो जो नियमों द्वारा नियत की जाय ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

164–(1) नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान अथवा सरकार [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित सम्पत्ति से लगी हुई या उसके पार्श्वस्थ किसी इमारत का निर्माण या पुनर्निर्माण या किसी विद्यमान इमारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन या किसी कुएं को बनाने या उसे बड़ा करने का कार्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम या [1][जिला पंचायत] द्वारा बनाई गई उपविधि के निदेशों के अनुसरण से अन्यथा नहीं किया जायेगा और उसका आरम्भ तब तक न किया जायगा जब तक कि क्षेत्रसमिति को प्रस्तावित निर्माण या परिवर्तन का ऐसे ब्योरो सहित, जिनका उक्त नोटिस के साथ प्रस्तुत किया जाना उपविधि द्वारा अपेक्षित हो, कम से कम एक महीने का अग्रिम नोटिस लिखित रूप में न दे दिया गया हो ।

इमारत का निर्माण या उसमें परिवर्तन नोटिस के पश्चात् तथा उपविधियों के अनुसार होगा

(2) किसी इमारत में कोई परिवर्तन इस अध्याय के तथा किसी नियम या उपविधि के प्रयोजन के लिये महत्वपूर्ण समझा जायेगा यदि ––

(क) उससे इमारत के स्थायित्व या सुरक्षा पर या जल–निस्तारण संवातन (ventilatic) स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से इमारत की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो ; या

(ख) उससे किसी इमारत की ऊँचाई, क्षेत्रफल या घन धारित बढ़ती या घटती हो या इमारत के किसी कमरे की धन–धारिता किसी उपविधि द्वारा नियत न्यूनतम मात्रा से कम हो जाती हो ; या

(ग) उससे कोई ऐसी इमारत या उसका भाग, जो मूलतः अन्य प्रयोजनों के लिये बनाया गया हो, मनुष्यों के रहने के स्थान में परिवर्तित हो जाय ; या

(घ) वह ऐसा परिवर्तन हो, जो तदर्थ बनाई गई किसी उपविधि द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन घोषित किया गया हो ।

निमार्ण–कार्य की [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति

165– (1) किसी उपविधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, [1][क्षेत्र पंचायत] किसी ऐसे निर्माण–कार्य के लिये, जिसके संबंध मे धारा 164 के अधीन नोटिस दिया गया हो, स्वीकृति देने से इंकार कर सकती है या उसे पूर्ण रूप से अथवा निम्नांकित के अधीन रहते हुए स्वीकार कर सकती है ––

[1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा निर्माणकार्य की स्वीकृति

(क) ऐसा लिखित निदेश, जिसे [1][क्षेत्र पंचायत] धारा 239 की उपधारा (2) के शीर्षक "क" के उपशीर्षक (च) में उल्लिखित सभी या किसी विषय के संबंध में देना उचित समझे, या

(ख) ऐसा लिखित निदेश, जिसमें किसी इमारत या इमारत के भाग की धारा 191 के अधीन नियत सड़क की नियमित निर्माण रेखा तक या ऐसी रेखा के नियत न होने की दशा में किसी पास की इमारत या इमारतों के अग्रभाग की रेखा तक पीछे हटाना अपेक्षित हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वीकृति देने से इनकार करने की दशा में, [1][क्षेत्र पंचायत] धारा 164 के अधीन नोटिस देने वाले व्यक्ति को उक्त अस्वीकृति के कारणों की लिखित रूप से सूचना देगी ।

(3) यदि [1][क्षेत्र पंचायत] धारा 164 के अधीन वैध नोटिस प्राप्त होने के बाद एक मास तक उस नोटिस के संबंध में उपधारा (1) में उल्लिखित प्रकार का आदेश देने और

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

उसे उस व्यक्ति के पास, जिसने उक्त नोटिस दिया हो, पहुंचाने में उपेक्षा या चूक करे तो उक्त व्यक्ति लिखित पत्र द्वारा [1][जिला पंचायत] का ध्यान उस उपेक्षा या चूक की आरे आकृष्ट कर सकता है, और यदि, ऐसी उपेक्षा या चूक एक मास तक और जारी रहे तो यह समझा जायेगा कि क्षेत्रसमिति ने प्रस्तावित निर्माण–कार्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है ।

स्वीकृति की अवधि

166–(1) क्षेत्रसमिति द्वारा धारा 165 के अधीन दी गयी या दी गयी समझी जाने वाली स्वीकृति तीन वर्ष तक या उससे कम ऐसी अवधि के लिये, जो उपविधि द्वारा नियत की जाय, मान्य रहेगी ।

(2) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तावित निर्माण–कार्य पूर्वगामी धारा के अधीन स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा ।

ऐसे निर्माण–कार्यों का निरीक्षण जिनके लिये स्वीकृति अपेक्षित हो

167–प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी और, यदि [1][क्षेत्र पंचायत] के संकल्प द्वारा तदर्थ प्राधिकृत हो तो क्षेत्र समिति का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक किसी भी समय, और बिना किसी चेतावनी के किसी ऐसे निर्माण–कार्य का, जिसके संबंध में धारा 164 के अधीन नोटिस अपेक्षित हो ––

(क) जब निर्माण कार्य हो रहा हो, या

(ख) उसके पूर्ण हो जाने के प्रतिवेदन की प्राप्ति को एक महीने के भीतर, या ऐसा प्रतिवेदन न मिलने की दशा में उस निर्माण–कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी समय, निरीक्षण कर सकता है ।

धारा 165 के अधीन दिये गये आदेश के कारण हुई क्षति के लिये प्रतिकर

168–धारा 108 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 164 के अधीन नोटिस देने वाला कोई व्यक्ति, क्षेत्रसमिति द्वारा धारा 165 के अधीन दिये गये किसी आदेश के कारण हुई क्षति या हानि के लिये कोई प्रतिकर पाने का अधिकारी न होगा, जब तक कि ––

(क) उक्त आदेश इस कारण से भिन्न किसी कारण से न दिया गया हो कि प्रस्तावित निर्माण–कार्य किसी उपविधि का उल्लंघन करेगा या जन–साधारण या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिये हानिकर होगा, या

(ख) उक्त आदेश में धारा 165 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रकार का कोई निदेश न हो, या

(ग) उक्त आदेश में किसी इमारत के पुननिर्माण की स्वीकृति इस आधार पर देने से इंकार न किया गया हो कि उसकी योजना या रचना उस स्थान के लिये अनुपयुक्त है या वह अपने प्रयोजनों के लिये अभिप्रेत हैं जो उस स्थान के लिये अनुपयुक्त है या उससे धारा 239 की उपधारा (2) के शीर्षक "क" के उपशीर्षक (घ) के अधीन किसी उपविधि का उल्लंघन होता है ।

धारा 165 के अधीन स्वीकृति का प्रभाव

169–(1) धारा 165 के अधीन दी गई या दी गई समझी जाने वाली स्वीकृति उस व्यक्ति को, जिसे स्वीकृति दी गई हो या दी गई समझी जाय, किसी ऐसे शास्ति या फल से विमुक्त करने के अतिरिक्त जिसका वह धारा 170, 171 या 191 के अधीन अन्यथा भागी होता, कोई अधिकार या असमर्थता प्रदान या समाप्त न करेगी, न प्रतिष्टम्भ अथवा स्वीकरण के रूप में प्रवर्तित होगी, न सम्पत्ति में किसी आगम को प्रभावित करेगी और न उसका किसी अन्य प्रकार का कोई विधिक प्रभाव ही होगा ।

(2) विशेषतः ऐसी स्वीकृति किसी व्यक्ति को धारा 181 द्वारा आरोपित इस आभार से मुक्त नहीं करेगी कि वह उस धारा में उल्लिखित किसी संरचना के लिए अलग स्वीकृति प्राप्त करे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

इमारत का अवैध निर्माण या परिवर्तन

170–जो व्यक्ति धारा 164 द्वारा अपेक्षित नोटिस दिए बिना या धारा 165 के उपबन्धों का, या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा स्वीकृति देने से इनकार करने के आदेश का, या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा धारा 165 के अधीन दिए गए किन्हीं लिखित निदेशों का या किसी उपविधि का उल्लंघन कर के इमारत या इमारत के किसी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण या उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन, या कोई कुआं बनाना या उसे बड़ा करना आरम्भ करे, जारी रखे या उसे पूरा करे, तो वह दोषी पाए जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा, जो पांच सौ रूपए तक हो सकता है ।

निर्माण रोकने तथा निर्मित इमारत को गिराने के [1]"क्षेत्र पंचायतं" के अधिकार

171–[1][क्षेत्र पंचायत], किसी भी समय, लिखित नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी उस भूमि पर किसी इमारत या इमारत के भाग का निर्माण, पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन करने से या उसमें कोई कुआं बनाने या उसे बड़ा करने से रोकने का निदेश दे सकती है, जब वह यह समझे कि ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन, बनाया जाना या बड़ा किया जाना धारा 170 के अधीन अपराध है और उसी प्रकार वह, यथास्थिति, इमारत या इमारत के भाग या कुएं में परिवर्तन करने या उसे गिराने का, जैसा भी वह आवश्यक समझे, निदेश दे सकती है ।

सार्वजनिक नालियां

सार्वजनिक नालियां

172–[1][क्षेत्र पंचायत] नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र के भीतर ऐसी नालियां बना सकती है जिन्हें वह किसी बने हुए क्षेत्र को समुचित रूप से स्वच्छ रखने तथा जलोत्सारित करने के लिये आवश्यक समझे और ऐसी नालियों को किसी सड़क या स्थान के बीच से या, उसके आर–पार या उसके नीचे से ले जा सकती है, तथा स्वामी या अध्यासी को यथोचित लिखित नोटिस देने के बाद उन्हें किन्हीं इमारतों या भूमि में या उसमें होकर या उसके नीचे से ले जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि नियमों द्वारा व्यवस्थित रीति से आकलित प्रतिकर उक्त स्वामी या अध्यासी को अदा कर दिया जायगा ।

सार्वजनिक नालियों में परिवर्तन

173–(1) क्षेत्रसमिति समय–समय पर किसी सार्वजनिक नाली को बड़ा या छोटा कर सकती है, या उसके मार्ग को बदल सकती है, उसे ढक सकती है या उसमें अन्य सुधार कर सकती है और ऐसी किसी नाली को रोक सकती है, बन्द कर सकती है या हटा सकती है ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग इस शर्त के अधीन होगा कि जब [1][क्षेत्र पंचायत] उक्त अधिकार का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को किसी वर्तमान सार्वजनिक नाली के उपयोग से वंचित करे तो वह उसके बदले एक दूसरी तथा उतनी ही उपयोगी नाली की व्यवस्था करेगी ।

सार्वजनिक नाली उपयोग स्वामियों द्वारा

174–(1) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी इमारत या भूमि के स्वामी या अध्यासी को अपनी नालियां [1][क्षेत्र पंचायत] की नालियों मे गिराने का अधिकार होगा, कितु प्रतिबन्ध यह है कि वह पहले [1][क्षेत्र पंचायत] की लिखित अनुमति प्राप्त कर लें, और किसी उपविधि से सुसंगत ऐसी शर्तों का अनुपालन करें जिन्हें क्षेत्र समिति उस रीति तथा उस अधीक्षण के संबंध में नियत करे जिसमें या जिसके अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित न हुई नालियों के प्रवाह को इस प्रकार निहित हुई नालियों से मिलाया जायेगा ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) जो व्यक्ति [1][क्षेत्र पंचायत] की लिखित अनुमति के बिना या किसी उप–विधि या उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी निदेश अथवा लगायी गयी किसी शर्त का उल्लंघन करके अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की नाली को [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित किसी नाली से जोड़े या जुड़वायें या ऐसे किसी जोड़ में परिवर्तन करे या करवायें, तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ–दंड का भागी होगा जो पचास रूपये तक हो सकता है, तथा [1][क्षेत्र पंचायत] लिखित नोटिस द्वारा उक्त व्यक्ति से ऐसे जोड़ को बन्द करने, तोड़ देने, परवर्तित करने, पुनर्निमित करने या उस सम्बन्ध में ऐसी अन्य कोई कार्यवाही करने का अपेक्षा कर सकती है जो वह उचित समझे ।

सड़क संबंधी विनियम

ऐसे स्थल पर जो किसी सार्वजनिक या निजी सड़क से लगा हुआ न हो इमारत का निर्माण करने के पहले सड़क का विन्यास करने तथा बनाने का उपबन्ध

175–उस दशा को छोड़कर जब कोई स्थल किसी सार्वजनिक या निजी सड़क से लगा हुआ हो, यदि कोई व्यक्ति जो किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी ऐसी भूमि का स्वामी हो या उस पर कब्जा रखता हो जो उस समय तक इमारतें बनाने के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त न की गई हों, उक्त भूमि या उसके किसी भाग को इमारत बनाने के स्थल के रूप में प्रयुक्त करना, बेचना, पट्टे पर देना या देने या अन्यथा संक्रामित करने के पूर्व एक ऐसी सड़क का विन्यास और निर्माण करेगा जो उक्त स्थल की किसी वर्तमान सार्वजनिक या निजी सड़क से मिलाये ।

सड़क के विन्यास तथा निर्माण की अनुमति

176–(1) किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र मे किसी नई निजी सड़क का विन्यास या निर्माण आरम्भ करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सड़क के विन्यास अथवा निर्माण अनुमति प्राप्त करने के लिये [1][क्षेत्र पंचायत] को एक प्रार्थना–पत्र देगा और उसके साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत करेगा : ––

(क) सड़क की प्रस्तावित सतह, दिशा तथा चौड़ाई,

(ख) सड़क का समरेखाकरण (alignment) और उसकी निर्माण–रेखा,

तथा प्रार्थना–पत्र में इस बात का भी उल्लेख करेगा कि सड़क को समतल करने, उसमें खड़ंजा लगाने, उसे पक्का करने, उसमें पत्थर लगाने तथा मोरियां और नालियां बनाने के लिये क्या प्रबंध किया जायेगा।

(2) किसी सार्वजनिक सड़क की सतह और चौड़ाई तथा उससे लगी हुई किसी इमारत की ऊचाई के संबंध में इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या उपविधियों के उपबन्ध, उपधारा (1) में उल्लिखित सड़क के विषय में भी प्रवृत्त होंगे तथा उस उपधारा में उल्लिखित अन्य समस्त विवरण क्षेत्र समिति के अनुमोदन के अधीन होंगे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना–पत्र की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर [1][क्षेत्र पंचायत] सड़क के विन्यास अथवा निर्माण की स्वीकृति ऐसी शर्तो के अधीन देगी समुचित समय के भीतर उसके संबंध में अतिरिक्त सूचना मांगेगी ।

(4) ऐसी स्वीकृति देने से इनकार किया जा सकता है यदि ––

(1) प्रस्तावित सड़क से किन्हीं ऐसे प्रबन्धों में बाधा पड़े जो सड़क में सुधार करने की किसी सामान्य योजना को कार्यान्वित करने के लिये, किये गये हों या [1][क्षेत्र पंचायत] की राय मे जिसके किये जाने की संभावना हो, अथवा

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) प्रस्तावित सड़क उपधारा (2) में उल्लिखित अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुरूप न हो, अथवा,

(3) प्रस्तावित सड़क की प्ररचना ऐसी न हो जिसका कम से कम छोर एक सार्वजनिक सड़क से मिले ।

(5) कोई व्यक्ति, [1][क्षेत्र पंचायत] के आदेशों के बिना अथवा उसके आदेशों के अनुरूप किसी नई निजी सड़क अथवा मार्ग का विन्यास या निर्माण नहीं करेगा । यदि उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त सूचना मांगी गई हो, तो उक्त सड़क का विन्यास अथवा निर्माण तब तक आरम्भ नहीं किया जायगा जब तक कि उक्त सूचना की प्राप्ति के पश्चात् प्रार्थना–पत्र पर आदेश न दे दिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि [1][क्षेत्र पंचायत] को ऐसी समस्त सूचना मिलने के पश्चात् जिसे वह प्रार्थना–पत्र के अंतिम निस्तारण के लिये आवश्यक समझे, ऐसे आदेश देने में किसी भी दशा में तीस दिन से अधिक का विलम्ब नहीं किया जायगा ।

कुछ दशाओं में सड़क के विन्यास अथवा निर्माण के लिये [1][क्षेत्र पंचायत] की स्वीकृति का मान लिया जाना

177–यदि [1][क्षेत्र पंचायत], धारा 176 के अधीन प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिन तक स्वीकृत प्रदान करने में उपेक्षा या चूक करे अथवा यदि अतिरिक्त सूचना मांगने के निमित्त उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन आदेश दिया गया हो तो, उस आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उस व्यक्ति को, जिसने प्रार्थना–पत्र दिया हो, [1][क्षेत्र पंचायत] अपेक्षित सूचना के ब्यौरे भेजने में असफल रहे, तो ऐसा व्यक्ति लिखित–पत्र द्वारा समिति का ध्यान उक्त उपेक्षा, चूक अथवा असफलता की ओर आकृष्ट कर सकता है और यदि तीस दिन तक ऐसी उपेक्षा चूक या असफलता जारी रहे तो यह समझा जायगा कि [1][क्षेत्र पंचायत] ने प्रस्तावित सड़क के विन्यास तथा निर्माण के लिये पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी है :

प्रतिबन्ध यह है कि इसमें दी हुई किसी बात से यह अर्थ न निकाला जायगा कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा किन्हीं उपविधियों का उल्लंघन करके कोई कार्य करने का अधिकार दिया गया है ।

स्वीकृति की अवधि

178–(1) [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा धारा 176 तथा 177 के अधीन दी गयी अथवा दी गई समझी जाने वाली स्वीकृति एक वर्ष तक मान्य रहेगी ।

(2) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तावित सड़क पूर्वगामी धारा के अधीन स्वीकृति बिना आरम्भ नहीं की जायगी ।

सड़क का अवैध निर्माण

179–जो व्यक्ति धारा 176 द्वारा अपेक्षित नोटिस दिये बिना अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा धारा 177 या किसी उपविधि या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन दिये गये लिखित निदेश का उल्लंघन करके किसी सड़क का विन्यास अथवा निर्माण आरम्भ करे, उसे जारी रखे अथवा पूरा करे, तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है ।

अस्वीकृत सड़क को परिवर्तित करने तथा उसे

180–(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 176 में उल्लिखित किसी सड़क के विन्यास अथवा निर्माण, [1][क्षेत्र पंचायत] के आदेशों के बिना अथवा उनके अनुरूप करता है, तो क्षेत्र

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

तोड़ देने के संबंध में [1][क्षेत्र पंचायत] के अधिकार

समिति, इस बात के होते हुए भी की दोषी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अभियोग चलाया गया हो, लिखित नोटिस द्वारा ––

(क) दोषी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, [1][क्षेत्र पंचायत] के पास लिखित एवं अपने द्वारा हस्ताक्षरकृत उत्तर भेजकर, इस बात का पर्याप्त कारण बताये कि उस सड़क को [1][क्षेत्र पंचायत] के संतोषानुसार क्यों न परिवर्तित कर दिया जाय, अथवा यदि ऐसा परिवर्तन अव्यवहार्य हो तो वह सड़क क्यों न तोड़ दी जाय, अथवा

(ख) दोषी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकती है कि वह या तो स्वयं या किसी यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, ऐसे दिन, समय और स्थान पर, जो नोटिस मे निर्दिष्ट किये जायें, [1][क्षेत्र पंचायत] के सम्मुख उपस्थित हो और यथा पूर्वोक्त कारण बताये ;

(2) यदि कोई व्यक्ति जिस पर ऐसा नोटिस तामील किया गया हो [1][क्षेत्र पंचायत] के संतोषानुसार पर्याप्त कारण न बता सके, तो [1][क्षेत्र पंचायत] सड़क को परिवर्तित करने अथवा तोड़ देने के लिये, जो भी वह उचित समझे, आदेश दे सकती है ।

सड़कों तथा नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के लिये [1][क्षेत्र पंचायत] की स्वीकृति

181–(1) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जिनमें किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र मे सड़कों या नालियों कें ऊपर प्रक्षेपों के लिये [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा स्वीकृति की शर्तें नियत की गई हों, [1][क्षेत्र पंचायत] उस दशा में जब अनुमति दी जाने की किसी उपविधि द्वारा व्यवस्था की गयी हो ––

(क) सड़कों मे या उन पर स्थित इमारतों के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित अनुमति दे सकती है कि वह खुले बरामदों, छज्जों, या कमरों का निर्माण या पुनर्निर्माण इस प्रकार करे कि उनकी किसी ऊपरी मंजिल से उनका प्रक्षेप सड़क की सतह से उतनी ऊंचाई पर रहे और इमारत की कुर्सी या नींव (basement) की दीवार की रेखा से उतना आगे रहे जितना उक्त उपविधियों मे नियत किया गया हो ;

(ख) किसी इमारत या भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित अनुमति दे सकती है कि वह किसी प्रक्षेप या संरचना का निर्माण या पुनर्निर्माण इस प्राकर करे कि वह किसी सड़क की नाली के ऊपर उस आयति तक तथा उन शर्तो के अनुसार, जो उसी प्रकार नियत की गयी हों, लटके, बढ़े या उस पर अतिक्रमण करें ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अनुमति देते समय [1][क्षेत्र पंचायत] वह आयति ओर शर्तें नियत कर सकती है जिस तक और जिनके अधीन, उक्त सड़क के ऊपर कोई छतों, औलतियों, जल–फलकों (weather boards), दूकानों के तख्तों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं को सड़क पर बढ़ने की अनुमति हो ।

बिना अनुमति के सड़कों अथवा नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के निर्माण के लिये शास्ति

182–जो व्यक्ति धारा 181 में उल्लिखित किसी प्रवेश अथवा संरचना का निर्माण या पुर्ननिर्माण उक्त धारा द्वारा अपेक्षित अनुमति के बिना अथवा उसके अधीन दी गई किसी अनुमति का उल्लंघन कर के करे, वह दोषी पाए जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकता है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सड़कों तथा नालियों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले मार्गों तथा प्रक्षेपों को हटाने का अधिकार

183– [1][क्षेत्र पंचायत] किसी इमारत के स्वामी अथवा अध्यासी से नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह किसी सड़क पर व लटकने वाले, उस पर बढ़े हुए या उस पर अतिक्रमण करने वाले अथवा उस पर की किसी नाली, मल नाले अथवा जल–प्रणाली में, या उस पर या उसके ऊपर, बने हुए किसी प्रक्षेप अथवा संरचना को हटा दे अथवा उसमें परिवर्तन करे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर अथवा इसके पूर्व विधितः विद्यमान किसी प्रक्षेप अथक संरचना की दशा में, [1][क्षेत्र पंचायत] उसे हटाने अथवा उसमें परिवर्तन करने के फलस्वरूप होने वाली किसी क्षति के लिये प्रतिकर देगी जो निर्माण करने तथा गिराने के व्यय के तिगुने से अधिक न होगा ।

सड़कों के संमतल किये जाने तथा उनमें खडंजा लगाये जाने आदि की अपेक्षा करने का अधिकार

184– (1) यदि नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में कोई निजी सड़क अथवा उसका कोई भाग [1][क्षेत्र पंचायत] के संतोषानुसार समतल न किया गया हो या उसमें खडंजा न गलाया गया हो या उसको पक्का न किया गया हो या उसमें पत्थर न लगाये गये हों या मोरियों या नालियों की व्यवस्था न की गयी हो तो क्षेत्र समिति उन भुगृहादि के, जिनके अग्रभाग उक्त सड़क या भाग की ओर हों या जो उससे लगे हुए हों, स्वामियों अथवा अध्यासियों को नोटिस देकर उनसे अपेक्षा कर सकती है कि वे उस कार्य को, जो उसकी राय में आवश्यक हो, उस समय के भीतर जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, संपादित करें ।

(2) यदि उक्त कार्य नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर सम्पादित न किया जाय तो [1][क्षेत्र पंचायत], यदि वह उचित समझे, उसे संपादित कर सकती है, तथा उसमें किया गया व्यय उक्त नोटिस की अवहेलना करने वाले स्वामियों अथवा अध्यासियों से अध्याय 8 के अधीन उनके अपने–अपने भू–गृहादि के अग्रभागों के अनुसार और ऐसे अनुपात में, जो [1][क्षेत्र पंचायत] निश्चित करे, वसूल किया जायगा ।

(3) यदि पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन कोई सड़क समतल की गयी हो या उसमें खडंजा लगाया गया हो या वह पक्की की गयी हो या उसमें पत्थर लगाये गये हो या मोरियां तथा नालियां बनाई गयी हों तो ऐसी सड़क उसके स्वामियों के कम से कम तीन चौथाई की अध्यर्थना पर सार्वजनिक सड़क घोषित कर दी जायगी ।

इमारत आदि बनाने के समय सड़क के संरक्षणकी अपेक्षा करने का अधिकार

185–(1) [1][क्षेत्र पंचायत] की लिखित अनुमति पहले प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति कोई पेड़ या उसकी कोई शाखा नहीं काटेगा न किसी इमारत या उसके भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण करेगा, या उसे गिरायेगा, न किसी इमारत के बाहरी भाग में परिवर्तन अथवा उसकी मरम्मत करेगा, यदि ऐसा कार्य इस प्रकार का हो कि उससे सड़क का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के लिये अवरोध, खतरा या क्लेश अथवा अवरोध, खतरे या क्लेश का संकट पैदा हो ।

(2) [1][क्षेत्र पंचायत] किसी भी समय नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि उप धारा (1) में उल्लिखित कार्यो में से कोई कार्य करने वाला अथवा करने का प्रस्ताव करने वाला कोई व्यक्ति तब तक उक्त कार्य को आरम्भ न करे अथवा उसे जारी रखने से रूका रहे जब तक कि यह सूर्यास्त से सूर्योदय तक पर्याप्त प्रकाश के साथ ऐसी बाड़ा पर्दा, जो नोटिस में उल्लिखित या वर्णित हो, न लगाये, उनका अनुरक्षण न करे तथा उनकी व्यवस्था न करे और वह किसी भी समय नोटिस द्वारा यह भी अपेक्षा कर सकती है कि उक्त कार्यो में से किसी कार्य की प्रत्याशा से अथवा उसके अनुसरण में निर्मित किसी पर्दे अथवा बाड़ें की नोटिस में नियत समय के भीतर, हटा दे ।

(3) जो व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करे वह दोषी पाये जाने पर

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अर्थ–दण्ड का भागी होगा, जो पचास रूपया तक हो सकता है तथा प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उक्त उल्लंघन जारी रहे, अतिरिक्त अर्थदण्ड का भागी होगा जो पांच रूपया तक हो सकता है ।

झाड़ियों और पेड़ों को छांटने की अपेक्षा करने का अधिकार

186– [1] [क्षेत्र पंचायत], नियंत्रित ग्राम्य क्षपेत्र में किसी भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी से नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह उस पर उगी हुई ओर सड़क के पास की झाड़ियों को या उस पर उगे हुए पेड़ों की ऐसी शाखाओं को, जो सड़क के ऊपर लटकती हों और उसे अवरूद्ध करती हों, या खतरा पैदा करती हों, काटे या छांटे ।

आकस्मिक अवरोधों को हटाने का अधिकार

187–जब कोई जिनी मकान, दीवार या अनय निर्माण या उससे जुड़ी हुई कोई अन्य वस्तु या कोई पेड़ गिर पड़े और सार्वजनिक नाली की अवरूद्ध करे या सड़क को रोक ले, तो [1][क्षेत्र पंचायत] ऐसे अवरोध या रोक को उसके स्वामी के व्यय से आ सकती है और उस व्यय को अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल कर सकती है या नोटिस द्वारा स्वामी से अपेक्षा कर सकती है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उसे हटा दे ।

किसी सड़क को प्रभावित करने वाली जल प्रणालियों तथा नाली के पाली के निकास के लिये बने पाइपों का विनियमन

188–[1][क्षेत्र पंचायत], नोटिस द्वारा सड़क से लगी हुई किसी इमारत अथवा भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी से अपेक्षा कर सकती है कि वह इमारत अथवा भूमि के पानी को ग्रहण करने तथा उसे बाहर ले जाने और उसकी ऐसी रीति से जिसे [1][क्षेत्र पंचायत] ठीक समझे, निकासी के लियें, जल प्रणालियों तथा पाइयों की व्यवस्था करे और उन्हें अच्छी दशा मे रखें जिससे की सड़क पर चले वाले व्यक्तियों को असुविधा न हो ।

सार्वजनिक सड़कें

सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण, उनका सुधार तथा स्थलों की व्यवस्था करने का अधिकार

189– [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] ––

(क) किसी नई सार्वजनिक सड़क का विन्यास तथा निर्माण कर सकती है और सुरंगे तथा उसके सहायक अन्य निर्माण बना सकती है ,

(ख) किसी वर्तमान सार्वजनिक सड़क को, यदि वह, यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित हो, चौड़ी, लम्बी, विस्तृत या परिवर्धित कर सकती है अथवा उसमें अन्य सुधार कर सकती है,

(ग) इस प्रकार निहित किसी सार्वजनिक सड़क को ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो नियत की जायं, मोड़, बदल या रोक सकती है अथवा उसे बन्द कर सकती है ,

(घ) स्वमति से उतनी लम्बाई–चौड़ाई के जो वह उचित समझे निर्माण–स्थलों की व्यवस्था कर सकती है जो किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क से लगे हुए या उसके पार्श्वस्थ हो, जो [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा निर्मित अथवा चौड़ी, लम्बी, विस्तृत अथवा परिवर्धित की गई हो अथवा सुधारी गई हो,

ऐक्ट सं0 1, 1894

(ङ) किसी ऐसे नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिसमें वे शर्ते नियत की गयी हों, जिन पर [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा संपत्ति अर्जित की जा सकती हों, किसी ऐसी भूमि को, उस पर स्थित इमारतों सहित जिसे वह पूर्ववर्ती खण्डों द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके हाथ मे ली गई अथवा प्रस्तावित किसी योजना अथवा कार्य के प्रयोजन के लिये आवश्यक समझे, उसके स्वामी के साथ कोई अनुबन्ध करके अथवा लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 या अन्य किसी विधि के अधीन अर्जित कर सकती है, तथा

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(च) किसी ऐसे नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिसमें वे शर्ते नियत की गयी हों, जिन पर [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित संपत्ति संक्रामित की जा सकती हो, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा खण्ड (ड़) के अधीन अर्जित किसी संपत्ति को अथवा [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा सार्वजनिक सड़क के रूप में प्रयुक्त किसी ऐसी भूमि को, जिसकी उस प्रयोजन के लिये आवश्यकता न रह गयी हो, पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है अथवा अन्य प्रकार से उसका निस्तारण कर सकती है, और ऐसा करने में वह उस पर विद्यमान किसी इमारत को हटाने, उस पर बनायी जाने वाली किसी नयी इमारत के रूप, अवधि जिसके भीतर ऐसी नयी इमारत पूरी की जायगी तथा किसी अन्य ऐसे विषय के संबंध में जो वह उचित समझे, कोई शर्त लगा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कार्य हाथ में लेने में [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] या किसी भी दशा में, उपासना अथवा धार्मिक पवित्रता के किसी स्थान में हस्तक्षेप या उसका अतिक्रमण नहीं करेगी ।

किसी सड़क का सार्वजनिक सड़क घोषित किया जाना

190–(1) [1][क्षेत्र पंचायत], किसी भी समय, किसी सडक पर, जो सार्वजनिक सड़क न हो अथवा ऐसी सड़क के किसी भाग पर, सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है और धारा 184 की उपधारा (3) के अधीन अभ्यर्थना द्वारा अपेक्षित होने पर अवश्य ऐसा करेगा । उक्त नोटिस के इस प्रकार लगाये जाने के दो मास के भीतर उस सड़क के, अथवा सड़क के उक्त भाग के, अथवा उसके अधिकांश भाग के स्वामी उक्त नोटिस के विरूद्ध [1][क्षेत्र पंचायत] को संबोधित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते है। [1][क्षेत्र पंचायत] प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचार करेगी और यदि वह उन्हें अस्वीकार कर दे तो वह सड़क या उस भाग पर एक और सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित सार्वजनिक नोटिस सड़क पर लगाये जाने के अतिरिक्त, किसी स्थानीय, समाचार–पत्र में, यदि कोई हो, अथवा ऐसी अन्य रीति से जो [1][क्षेत्र पंचायत] उचित समझें, प्रकाशित किया जायगा ।

(3) [1][जिला पंचायत] भी इस धारा के अधिकारों का प्रयोग किसी ऐसी सड़क या सड़कों के भाग के संबंध में कर सकती है जिसे वह जिला सड़कों में सम्मिलित करना चाहती हों।

सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण रेखा विनियमित करने का अधिकार

191–(1) जब कभी समुपयुक्त प्राधिकारी किसी वर्तमान अथवा प्रस्तावित सार्वजनिक सड़क के दोनों अथवा किसी और इमारतों के लिये सामान्य निर्माण रेखा निर्धारित करना इष्टकर समझें, तो वह ऐसा करने के अपने आशय का सार्वजनिक नोटिस देगा ।

(2) प्रत्येक ऐसे नोटिस में वह अवधि निर्दिष्ट की जायगी जिसके भीतर आपत्तियां ली जायेंगी ।

(3) समुपयुक्त प्राधिकारी निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त सब आपत्तियों पर विचार करेगा और तत्पश्चात् उक्त रेखा को परिभाषित करते हुए संकल्प पारित कर सकता है तथा इस प्रकार परिभाषित की हुई रेखा "सड़क की नियमित निर्माण रेखा" कहलायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार परिभाषित सामान्य निर्माण रेखा तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों की अपेक्षाओं के समनुरूप होगी ।

(4) उसके बाद किसी व्यक्ति के लिये किसी इमारत या इमारत के भाग का पुनर्निर्माण या परिवर्तन इस प्रकार करना वैध न होगा, कि वह सड़क की नियमित निर्माण

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

रेखा के आगे बढ़ जायें, जब तक कि उस धारा 165 के अधीन स्वीकृति द्वारा या लिखित अनुमति द्वारा ऐसा करने का प्राधिकार न दे दिया हो, और समुपयुक्त प्राधिकारी को इस धारा के अधीन ऐसी अनुमति प्रदान करने का अधिकार दिया जाता है ।

(5) भूमि का कोई ऐसा स्वामी जिसे इस धारा के उपबन्धों द्वारा किसी भूमि पर किसी इमारत का निर्माण, पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन करने से रोक दिया गया हो, समुपयुक्त प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस क्षति के लिये प्रतिकर दे जो इस प्रकार रोके जाने के कारण उसे पहुचे तथा सड़क की नियमित निर्माण रेखा के भीतर स्थित किसी भूमि के संबंध में प्रतिकर का भुगतान हो जाने पर वह भूमि समुपयुक्त प्राधिकारी में निहित हो जायगी ।

(6) समुपयुक्त प्राधिकारी नोटिस द्वारा किसी ऐसी इमारत या उसके भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा कर सकता है, जिसका निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन उपधारा (4) का उल्लंघन करके लिया गया हो ।

सार्वजनिक सड़कों आदि का निर्माण करते समय समुपयुक्त प्राधिकारी के कर्त्तव्य

192–(1) समुपयुक्त प्राधिकारी किसी सार्वजनिक सड़क या अपने में किसी निहित जल–मार्ग, नाली या भू–गृहादि के निर्माण या मरम्मत के दौरान में या जब कभी उसमें निहित कोई सार्वजनिक सड़क, जल–मार्ग या भू–गृहादि, मरम्मत न होने के कारण या अन्यथा जनसाधारण द्वारा उपयोग के लिये अनुरक्षित हो गये हों, तो दुर्घटना से बचाव के लिये सभी आवश्यक पूर्वोपाय निम्नांकित रूप से करेगा ––

(क) पार्श्वस्थ इमारतों में थूनी लगाकर और उनकी रक्षा करके,

(ख) ऐसे निर्माण या मरम्मत के समय यातायात को रोकने या उसे दूसरी और मोड़ने के प्रयोजन से किसी सड़क में या उसके आर–पार आड़, जंजीरे या खंभे लगाकर, तथा

(ग) किसी कार्य की, जो रहा हो, रक्षा करके तथा उसके लिये सूर्यास्त से सूर्योदय तक पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करके ।

(2) जो व्यक्ति समुपयुक्त प्राधिकारी के प्राधिकार या सम्मति के बिना, समुपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निर्माण के सम्बन्ध में या दुर्घटना से बचाव के लियें किये गये किसी प्रबन्ध में हस्तक्षेप करेगा, वह दोषी पाये जाने पर अर्थदण्ड का भागी होगा जो पचास रूपये तक हो सकता है ।

जलसंभरण स्त्रोतों की रक्षा

निजी जल–मार्ग आदि साफ किये जाने अथवा बन्द किये जाने की अपेक्षा करने का अधिकार

193– (1) [1][क्षेत्र पंचायत] ऐसे किसी निजी जल–मार्ग, सोते, तालाब, कुएं या अन्य स्थान के, जिसका पानी पीने के काम मे लाया जाता हो, स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है और जब [1][जिला पंचायत] ऐसा करने के लिये कहे तो उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह उसे अच्छी हालत में बनाये रखे और समय–समय पर उस में से तलछट, कूड़ा–करकट या सड़ने वाली वनस्पति निकाल कर उसकी सफाई करे, तथा [1][क्षेत्र पंचायत] उससे यह भी अपेक्षा कर सकती है कि वह उसे दूषित होने से उस रीति से बचाये जो [1][क्षेत्र पंचायत] उचित समझे ।

(2) जब किसी ऐसे जल–मार्ग, सोते, तालाब, कुएं या अन्य स्थान का पानी [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के संतोषानुसार पीने के लिये अनुपयुक्त सिद्ध हो तो

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उस पानी को न स्वयं पीने के उपयोग में लाये और न दूसरों को पीने के लिये उसका उपयोग करने दे और यदि ऐसे नोटिस के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा वह पानी पीने के लिये उपयोग में लाया जाय तो यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत], उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति, से नोटिस द्वारा उस कुएं को स्थायी रूप से बन्द करने की या ऐसे जल–मार्ग, सोते, तालाब, कुएं या अन्य स्थान को ऐसी रीति से घेर देने या उसके चारों ओर बाड़ लगा देने की अपेक्षा कर सकती है जिसका वह निर्देश दे जिससे कि उसका पानी इस प्रकार उपयोग में न लाया जा सके ।

महामारी फैलने पर आपातिक अधिकार

194–जिले के ग्राम्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में है जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विज्ञापित अन्य संक्रामक रोग फैल जाने की दशा में, [1][जिला पंचायत] का अध्यक्ष या [1][क्षेत्र पंचायत] का प्रमुख या उनमें से किसी के द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति, महामारी के फैले रहने की अवधि में, बिना नोटिस के और किसी भी समय किसी कुएं, तालाब या अन्य स्थान का, जिसमें से पानी पीने के लिये लिया जाता हो या लिये जाने की सम्भावना हो, निरीक्षण कर सकता है और उसे कीटाणु रहित कर सकता है और इसके अतिरिक्त उसमें से पानी का निकाला जाना रोकने के लिये ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जो वह उचित समझे ।

जलसम्भरण के किसी स्त्रोत के निकट से शौचालयों आदि का हटाया जाना

195–[1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] किसी ऐसे स्वामी या अध्यासी से जिनकी भूमि पर किसी स्त्रोत, कुएं, तालाब, जलाशय या अन्य स्त्रोत जिसमें से सार्वजनिक प्रयोग के लिये पानी निकाला जाता हो या निकाला जा सकता हो के पचास फीट के भीतर स्थित कोई नाली, सण्डास, शौचालय, मूत्रालय, नलकूप या गलीज या कूड़ा–करकट का अन्य पात्र हो, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे नोटिस की तामील के एक सप्ताह के भीतर उसे हटा दे या बन्द कर दे ।

नाली या जलकार्य के ऊपर अनधिकृत निर्माण आदि

196–(1) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् यथास्थिति [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की लिखित अनुमति के बिना, किसी सार्वजनिक नाली या पुलिया या [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित किसी जल–कार्य के ऊपर कोई सड़क बनायी गयी हो अथवा किसी इमारत, दीवार या अन्य संरचना का निर्माण किया गया हो या कोई पेड़ लगाया गया हो तो यथास्थिति [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत]––

(क) नोटिस द्वारा उस व्यक्ति से जिसने उक्त सड़क बनायी हो संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो अथवा उस भूमि के स्वामी या अध्यासी से जिस पर सड़क बनायी गयी हो सरंचना का निर्माण किया गया हो, या पेड़ लगाया गया हो, यह अपेक्षा कर सकती है कि वह सड़क, सरंचना या पेड़ को हटा दे या उसके संबंध में कोई ऐसी अन्य कार्यवाही करे जो, यथास्थिति [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] उचित समझे, अथवा

(ख) सड़क, संरचना या पेड़ को स्वयं हटा सकती है या उसके संबंध में कोई ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जो वह उचित समझे ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन की गई कार्यवाही के ऊपर [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा किया गया कोई व्यय अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से उस

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

व्यक्ति से वसूल किया जा सकेगा जिसने सड़क बनायी हो, संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो ।

197–[2][X X X X]

[1][बाज़ार], भोजन की बिक्री आदि

198–जब कभी सार्वजनिक शान्ति या व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मैजिस्ट्रेट की यह आवश्यक प्रतीत हो तो वह मण्डल के आयुक्त के नियंत्रण में रहते हुए सार्वजनिक नोटिस द्वारा ग्राम्य क्षेत्र के भीतर बिक्री से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किसी निर्दिष्ट प्रकार के पशु या पशुओं के वध का निषेध या विनियमन कर सकती है तथा वह रीति जिससे और वह मार्ग जिससे होकर ऐसे पशु वध–स्थान में लाये जायेंगे तथा वहां से मांस बाहर ले जाया जायगा, नियत कर सकता है ।

ऐसे पशुओं के सम्बन्ध में जिनका [3][धार्मिक प्रयोजनार्थ वध] किया जायगा जिला मैजिस्ट्रेट का अधिकार

199–जो व्यक्ति ग्राम्य क्षेत्र में किसी ऐसे पशु को, जो दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखा गया हो अथवा जिसे भोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता हों, गन्दे हानिकर पदार्थ खिलाये या खिलायें जाने दे वह दोषी पायें जाने पर अर्थदण्ड का भागी होगा जो पचास रूपये तक हो सकता है ।

दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखे गये अथवा भोजन के लिये उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं को अनुपयुक्त भोजन देना

स्पष्टीकरण— गन्दे अथवा हानिकर भोजन का तात्पर्य उस भोजन से होगा जो नियमों में नियत किसी प्राधिकारी द्वारा तथा रीति के अनुसार गन्दा अथवा हानिकारक भोजन निर्दिष्ट किया गया हो ।

200–अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी तथा संकल्प द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर, [4][जिला पंचायत] का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी और इसी प्रकार प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत [4][क्षेत्र पंचायत] का कोई अन्य अधिकारी बिना नोटिस के दिन या रात में किसी भी समय, किसी ऐसे बाजर, दुकान, स्टाल अथवा स्थान में जो मनुष्य के भोजन अथवा पेय की बिक्री के लिये, अथवा वधशाला के रूप में, अथवा भेषजों की बिक्री के लिये प्रयुक्त होता हो, प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है तथा किसी भोज्य अथवा पेय पदार्थ का अथवा किसी पशु अथवा भेषज का, जो उसके भीतर हो, निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है ।

भोजन, पेय तथा भेषजों की बिक्री के स्थानों का निरीक्षण

201–(1) यदि पूर्वगामी धारा के अधीन किसी स्थान का निरीक्षण करने में कोई भोज्य अथवा पेय पदार्थ अथवा कोई पशु मनुष्य के उपभोग के लिये अभिप्रेत किन्तु तदर्थ अनुपयुक्त प्रतीत हो, तो इस प्रकार निरीक्षण करने वाला व्यक्ति उसका अभिग्रहण कर सकता है और उसे हटा सकता है, या उसे नष्ट करवा सकता है या उसके इस प्रकार निस्तारण करना सकता है कि वह बिक्री के लिये या इस प्रकार उपभोग के लिये प्रदर्शित न किया जा सके ।

अस्वस्थ्यकर वस्तुओं का अभिग्रहण तथा हानिकर और गत प्रभाव भेषजों का हटाया जाना

(2) यदि समुचित रूप से यह सन्देह हो कि किसी भेषज में अपमिश्रण किया गया है या पुरानी हो जाने अथवा जलवायु के प्रभाव के कारण वह गत प्रभाव या अस्वास्थ्यकर

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 2018 की धारा 3 द्वारा निकाला गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 2018 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित। (पार्श्वांकित शीर्षक)
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

हो गया है या अन्यथा इस प्रकार खराब हो गया है कि उसकी उपयोगिता कम हो गई है या उसकी प्रभाव बदल गया है या वह अनिष्टकर हो गया है, तो निरीक्षण करने वाला व्यक्ति उसके लिये एक रसीद देकर उसे हटा सकता है, और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

(3) यदि उस मजिस्ट्रेट को जिसके समक्ष उपधारा (2) के अधीन भेषज प्रस्तुत किया हो यह प्रतीत हो कि उसमें अपमिश्रण किया गया है या वह पूर्वोक्त रूप से गतप्रभाव अस्वास्थयकर या खराब हो गया है, तो वह उसके नष्ट किये जाने अथवा इस प्रकार निस्तारित किये जाने का जो वह ठीक समझे आदेश दे सकता है और यदि वह प्रकट हो कि कोई अपराध किया गया है तो वह उसका संज्ञान करने के लिये कार्यवाही कर सकता है ।

कुछ व्यापारों तथा व्यवसायों से पैदा होने वाले कंटक

क्षोभकर व्यापारों का विनियमन

202–(1) यदि [1][जिला पंचायत] के संतोषानुसार यह दिखाया जाय कि ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी इमारत या स्थान से, जिसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु के निर्माण संग्रह, किया निस्तारण के प्रयोजनार्थ फैक्टरी या कारोबार के अन्य स्थान के रूप में प्रयोग करता है या प्रयोग करने का आशय रखता है और ऐसे प्रयोग के कारण अथवा ऐसे आशयगत प्रयोग के कारण, कोई लोक कंटक पैदा होता है या उसके पैदा होने की संभावना है, तो [1][जिला पंचायत] अपने विकल्प से उस इमारत या स्थान के स्वामी या अध्यासी से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ––

(क) उक्त इमारत या स्थान का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये प्रयोग न करे या न करने दें, या

(ख) उक्त इमारत या स्थान का केवल ऐसे प्रयोजन के लिये, केवल ऐसी शर्तों पर या ऐसे संरचनात्मक परिवर्तनों के पश्चात् प्रयोग करे या प्रयोग करने दे जो [1][जिला पंचायत] ऐसे प्रयोजन के लिये उक्त इमारत या स्थान के प्रयोग को आपत्ति–मुक्त करने के उद्देश्य से नोटिस में नियत करे ।

(2) जो व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दिया गया नोटिस मिलने के पश्चात् किसी इमारत अथवा स्थान का नोटिस का उल्लंघन करके प्रयोग करे अथवा प्रयोग करने दे वह दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो दो सौ रूपये तक हो सकता है तथा प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें वह उक्त इमारत अथवा स्थान का इस प्रकार प्रयोग करे अथवा प्रयोग करने दे, अतिरिक्त अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो चालीस रूपये तक हो सकता है ।

पथ नियम की उपेक्षा

203–जो व्यक्ति ग्राम्य क्षेत्र में, सड़क पर कोई वाहन हांकने, ले जाने अथवा चलाने मे वास्तविक आवश्यकता की दशा से अन्यथा ––

(क) बायीं ओर न रहे, अथवा

(ख) उसी दिशा में जाने वाले वाहन से आगे निकलने में उसके दाहिनी और न रहे,

वह दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो दस रूपये तक हो सकता है।

अपवाद––यह धारा कुमायूं तथा उत्तराखण्ड मण्डलों के जिलों में प्रवृत्त न होगी न उस दशा में प्रवृत्त होगी जब पूर्वोक्त व्यतिक्रम मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट, 1939 ई0 की धारा 112 के अधीन दण्डनीय अपराध हो ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्राधिकृत परिमाण से अधिक परिणाम में रखे गये ज्वलनशील पदार्थो की तलाशी लेने का अधिकार

204–(1) जब जीवन या सम्पत्ति के लिये खतरे के निवारणार्थ ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, तो [1][क्षेत्र पंचायत] सार्वजनिक नोटिस द्वारा समस्त व्यक्तियों को किसी मकान, इमारत, या स्थान में जो नोटिस मे निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर हो, लकड़ी, सूखी घास, भूसा अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थो का संग्रह रखने या करने का अथवा किसी निर्दिष्ट परिमाण से अधिक अन्य ज्वलनशील पदार्थों का संग्रह रखने या करने का अथवा किसी निर्दिष्ट परिणाम से अधिक परिमाण में उनके रखने या संग्रह करने का अथवा चटाइयां या फूस की झोपड़ियां रखने या आग जलाने का निषेध कर सकती है ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन निषेध का उल्लघंन करके या उपधारा (1) के या किसी उपविधि के उपबन्धों के अधीन ऐसे मकान, इमारत अथवा स्थान में रखे जाने के अनुज्ञात परिमाण से अधिक परिमाण में, सूखी लकड़ी, घास, भूसा या अन्य ज्वलनशील पदार्थ का संग्रह रखे जाने या किये जाने का सन्देह हो तो मुख्य अधिकारी अथवा मुख्य अधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत [1][जिला पंचायत] का कोई अधिकारी अथवा सेवक बिना नोटिस तथा दिन अथवा रात में किसी भी समय, ऐसे मकान या इमारत या स्थान में प्रवेश कर सकता है तथा उसका निरीक्षण कर सकता है ।

(3) यदि ऐसा पदार्थ किसी परिणाम में या प्राधिकृत परिमाण से अधिक परिमाण में पाया जाय तो, ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो मजिस्ट्रेट इसके सम्बन्ध में दे, उसका अभिग्रहण किया जा सकता है और उसे कब्जे में लिया जा सकता है ।

(4) यदि मजिस्ट्रेट यह निर्णय करे कि अभिग्रहीत पदार्थ उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी निषेध के प्रतिकूल मकान, इमारत अथवा स्थान में जमा किया गया था, तो वह उसे जब्त करने का आदेश दे सकता है ।

(5) इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अथवा तद्धीन बनाये गये किसी उपबन्ध के अधीन रहते हुए इस प्रकार जब्त किया गया पदार्थ मजिस्ट्रेट के आदेश से बेचा जा सकता है तथा उससे होने वाली आय ऐसी बिक्री के सम्बन्ध में हुए व्यय की अदायगी के बाद जिला निधि मे जमा की जायगी ।

205–धारा 204 के अधीन जब्ती का कोई आदेश किसी अन्य ऐसी दीवानी अथवा फौजदारी की कार्यवाही में बाधक न होगा जो पदार्थ का संग्रह रखने या करने वाले अथवा अनुज्ञात परिमाण से अधिक परिमाण में संग्रह रखने या करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध की जा सकती हों ।

अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में अपवाद

206–(1) जो व्यक्ति सार्वजनिक सड़क के खड़ंजे नाली के पत्थर या अन्य सामग्री या उसकी मेड़ों, दीवारों या खम्भो या जिला परषिद् या [1][क्षेत्र पंचायत] की वहीं स्थित ऐसी अन्य सम्पत्ति को, यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] या अन्य विधिसंगत प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना हटाता है, लेता है या उसमें परिवर्तन करता है अथवा अन्य किसी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करता है, तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो एक सौ रूपयें तक हो सकता है ।

खड़ंजों आदि को हटाना

(2) उपधारा (1) में वर्णित प्रकार के किसी कार्य के लिये जाने के कारण [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा किया गया व्यय अपराधी से अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकता है ।

आग्नेयास्त्र आदि छोड़ना

207–जो व्यक्ति ऐसी रीति से आग्नेयास्त्र छोड़े अथवा आतिशबाजी या आग के गुब्बारे छोड़े या कोई ऐसा खेल खेले जिससे पास से निकलने वाले या पास–पड़ोस में रहने

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

या काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन के लिये संकट उत्पन्न हो, या उत्पन्न होने की सम्भावना हो या जिससे सम्पत्ति को क्षति पहुंचने का डर हो, तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो बीस रूपये तक हो सकता है ।

ध्वस्त इमारतों, आरक्षित कुओं आदि से होने वाले खतरे को रोकने का अधिकार

208–(1) [1][क्षेत्र पंचायत], नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा इमारत के स्वामी अथवा अध्यासी से अपेक्षा कर सकती है कि ––

(क) वह किसी ऐसी इमारत, दीवार, कगार अथवा अन्य संरचना या उससे संलग्न किसी वस्तु को गिरा दे, अथवा उसकी ऐसी रीति से मरम्मत करे जो [1][जिला पंचायत] आवश्यक समझे अथवा किसी ऐसे पेड़ को हटा दे, जो उक्त स्वामी का हो, या उक्त अध्यासी के कब्जे में हो, जिसके विषय में [1][जिला पंचायत] को यह प्रतीत हो कि वह ध्वस्त दशा में है या व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति के लिये खतरनाक है, अथवा

(ख) वह किसी ऐसे कुएं, तालाब, जलाशय, पोखरे अथवा खोदे हुए स्थान की, जो उक्त स्वामी का हो या उक्त अध्यासी के कब्जे में हो और जो उसकी स्थिति मरम्मत के अभाव या अन्य ऐसी ही परिस्थितियों के कारण [1][जिला पंचायत] को खतरनाक प्रतीत हो, ऐसी रीति से मरम्मत करे, रक्षा करे या उसे घेर दे जिससे वह ([1][जिला पंचायत]) आवश्यक समझे ।

(2) यदि [1][जिला पंचायत] को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के लिये आसन्न संकट को रोकने के प्रयोजन के लिये तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो [1][जिला पंचायत] का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं तुरन्त ऐसी कार्यवाही करे, तथा ऐसी दशा में, धारा 222 के उपबन्धों के बावजूद [1][जिला पंचायत] के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह नोटिस दे, यदि [1][जिला पंचायत] को यह प्रतीत हो कि नोटिस देने के फलस्वरूप होने वाले विलम्ब से इस प्रकार की तुरन्त कार्यवाही करने का उद्देश्य हो विफल हो जायगा।

सड़क का अवरोध

209–(1) जो व्यक्ति [1][जिला पंचायत] की लिखित अनुमति के बिना ––

(क) किसी वाहन को, उसमें जोते हुए पशु सहित अथवा उसके बिना, उस समय से, जो उसमें माल लादने या उसमें से माल उतारने या उस पर यात्रियों को चढ़ाने या उसमें से यात्रियों को उतारने के लिये आवश्यक हो, अधिक समय तक इस प्रकार खड़ा रखे या खड़ा रहने दे जिससे किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र की किसी सार्वजनिक सड़क में अवरोध उत्पन्न हो, अथवा

(ख) किसी वाहन या पशु को इस प्रकार छोड़ दे अथवा बांध दे कि उससे किसी ऐसी सड़क में अवरोध उत्पन्न हो, अथवा

(ग) किसी वस्तु को, विक्रय के निमित्त स्टाल में या कपड़ा या लकड़ी की बनी दुकान में अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार प्रदर्शित करे कि उससे किसी ऐसी सड़क में अवरोध उत्पन्न हो, अथवा

(घ) किसी ऐसी सड़क में कोई इमारती सामान, बक्स, गांठ, बण्डल या व्यापारिक सामान जमा करे या जमा करने दे, अथवा

(ङ) किसी ऐसी सड़क में कोई मेड़, कठघरा, खम्भा, स्टाल या पाड़ या ऐसा ही कोई अन्य स्थाय (Fixture) खड़ा करे या बनाये, अथवा

(च) सड़क के निर्बाध आवागमन को जान–बूझ कर किसी रीति से अवरूद्ध करे या कराये,

वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दण्ड का भागी होगा, जो पचास रूपये हो सकता है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) [1][क्षेत्र पंचायत] की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी अवरोध को हटाने का अधिकार होगा तथा उसे इस प्रकार हटाने का व्यय अपराधी से अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सड़कों से अवरोधो को हटाने का [1][जिला पंचायत] द्वारा प्रयोज्य अधिकार, [1][जिला पंचायत] द्वारा किसी ऐसे खुले स्थान से, चाहे वह [1][जिला पंचायत] में निहित हो या न हो, जो निजी सम्पत्ति न हो, अवरोधो को हटाने के लिये भी प्रयोग में लाया जा सकेगा ।

(4) इस धारा में दी हुई कोई बात सड़क के किसी ऐसे अवरोध पर प्रवृत्त न होगी जिसकी अनुज्ञा इस अधिनियम की किसी धारा अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि अथवा तदन्तर्गत दिये गये किसी लाइसेन्स के अधीन [1][जिला पंचायत] द्वारा दी गयी हो।

रोग की रोकथाम तथा स्वच्छता

फैक्टरियों, स्कुलो तथा अन्य सार्वजनिक समागम के स्थानों के लिये शौचालय

210–[1][जिला पंचायत] ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसने बीस से अधिक श्रमिक या मजदूर नियोजित किये हों या जो किसी बाजार, स्कूल या नाट्यशाला या अन्य सार्वजनिक समागम स्थान का स्वामी हो या उसका प्रबन्ध करता हो या उस पर नियंत्रण रखता हो, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसी शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था करे जो [1][जिला पंचायत] उचित समझे उन्हें ठीक ढंग से बनाये रखे और उनकी प्रतिदिन सफाई कराये :

ऐक्ट संख्या 63, 1948

प्रतिबन्ध यह है कि फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 द्वारा विनियमित फैक्टरी पर इस धारा की कोई बात प्रवृत्त न होगी ।

तालाबों, आदि से उत्पन्न होने वाले कंटक को हटाने की अपेक्षा करने का अधिकार

211–[1][जिला पंचायत] किसी भूमि या इमारत के स्वामी या अध्यासी से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उसमें स्थित किसी निजी कुएं, तालाब, जलाशय, पोखरे, गड्ढे या खोदे हुये स्थान को, जो [1][जिला पंचायत] को पास–पड़ोस में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद या क्षोभकर प्रतीत हो, साफ कराये या उसकी मरम्मत कराये या उसे ढ़के, भरवाये या जलोत्सारित करवाये :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त स्वामी या अध्यासी पूर्वगामी उपबन्ध के अधीन आदिष्ट जलोत्सारण के प्रयोजनार्थ आवश्यक कोई भूमि अथवा भुम्यधिकार [1][जिला पंचायत] के व्यय से अर्जित करने या अन्यथा उसकी व्यवस्था करने की [1][जिला पंचायत] से अपेक्षा कर सकता है ।

गन्दी भूमि की सफाई

212–यदि कोई भूमि, गन्दी या अस्वास्थ्यकर दशा में हो तो [1][जिला पंचायत] उसके स्वामी और उचित दशा मे रखने की अपेक्षा कर सकती है ।

कूड़ा–करकट, विष्ठा आदि के निस्तारण का विनियमन

213–(1) [1][जिला पंचायत] किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में ––

(क) लोभकर पदार्थ तथा कूड़ा–करकट को अस्थायी रूप से जमा करने के लिये पात्रों तथा स्थानों की व्यवस्था कर सकती है ;

(ख) विष्ठा तथा अन्य क्षोभकर पदार्थो और कूड़ा–करकट के निस्तारण के लिये स्थान निश्चित कर सकती है ; तथा

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसे समय, रीति और शर्तों के सम्बन्ध में निदेश जारी कर सकती है जिस पर या जिनके अनुसार या जिसके अधीन रहते हुए खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट क्षोभकर पदार्थ या कूड़ा–करकट सड़क पर से ले जाया या जमा किया जाय या अन्यथा उसका निस्तारण किया जाय ।

(2) निश्चित स्थान पर या उसके निकट उक्त निश्चय को व्यक्त करने वाला सूचना पट्ट प्रदर्शित कर देना उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन स्थान निश्चित करने की पर्याप्त सूचना माना जायगा ।

कूड़ा–करकट विष्ठा आदि के अनुचित निस्तारण के लिये शास्ति

214–किसी ऐसी इमारत अथवा भूमि का अध्यासी जिससे कोई क्षोभकर पदार्थ, कूड़ा करकट या विष्ठा धारा 213 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निश्चित स्थान से या उक्त उपधारा के खण्ड (क) के अधीन व्यवस्थित पात्र या स्थान से अन्यत्र किसी सार्वजनिक नाली के किसी भाग मे ंया सार्वजनिक नालों से मिलने वाली किसी नाली में, फेंका जाय या जमा किया जाय, तथा कोई व्यक्ति जो उक्त उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन जारी किये गये [1][क्षेत्र पंचायत] के किसी निदेश का उल्लंघन करे, दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा, जो बीस रूपये से अधिक न होगा ।

सार्वजनिक सड़क आदि पर मलादि के उत्सर्जन के लिये शास्ति

215– निर्दिष्ट क्षेत्रों में, जब कभी किसी गन्दे पानी की मोरी या गड्ढे, मल नाले या नलकूप का पानी, या कोई अन्य क्षोभकर पदार्थ, [1][जिला पंचायत] को लिखित अनुमति से बिना या ऐसी अनुमति में नियत किसी शर्त का उल्लंघन करके, किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान में या किसी ऐसे मलनाले या नाली में, जो तदर्थ पृथक् न की गयी हो, बहने या निकलने दिया जाय या रखा जाय तो जिस भूमि या इमारत से ऐसा पानी या क्षोभकर पदार्थ बहे, निकले या निकाल कर रखा जाय उसका स्वामी दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा, जो बीस रूपये तक हो सकता है ।

मनुष्यों के रहने के अयोग्य भवन

216– (1) किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में यदि कोई इमारत, या उसका कोई कमरा, [1][जिला पंचायत] की राय में, जलोत्सारण या संवातन के उचित साधनों के अभाव के परिणाम स्वरूप या अन्यथा, मनुष्यों के रहने के लिये अनुपयुक्त हो, तो [1][जिला पंचायत] उसके स्वामी या अध्यासी को नोटिस द्वारा, उस इमारत अथवा कमरे को मनुष्यों के रहने के काम में लाने अथवा लाने देने का या तो पूर्ण रूप से या तब तक के लिये निषेध कर सकती हे जब तक कि उक्त नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, उसमें ऐसा परिवर्तन न कर दे कर दे जो कि उस नोटिस में नियत किया गया हो ।

(2) जिस व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन नोटिस दिया गया हो, यदि वह उसका अनुपालन न करे तो [1][क्षेत्र पंचायत] के लिये यह वैध होगा कि वह एक और नोटिस द्वारा उस इमारत या कमरे के गिराये जाने की अपेक्षा करे ।

कुछ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किये गये कार्यों के लिये दण्ड

217– जो व्यक्ति किसी संक्रामक, सांसर्गिक या घृणित रोग से पीड़ित होते हुए ––

(क) मानव उपयोग के लिये कोई भोज्य या पेय पदार्थ अथवा कोई औषधि या भेषज बिक्री के लिये तैयार या प्रस्तुत करता है, या

(ख) उक्त किसी पदार्थ, औषधि या भेषज को जब वह दूसरे व्यक्तियों द्वारा बिक्री के लिय प्रदर्शित किया गया हो जानबूझ कर छूता है, या

(ग) गन्दे कपड़े धोने या उन्हें ले जाने का किसी व्यापार में भाग लेता है, बहुदोषी

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो बीस रूपये तक हो सकता है ।

स्वास्थ्य के लिये हानिकर खेती, खाद के प्रयोग अथवा सिंचाई का निषेध

218–यदि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक (Director of medical and health services) यह प्रमाणित करे कि किसी प्रकार की फसल की खेती या किसी प्रकार की खाद का प्रयोग या किसी भूमि की किसी विशिष्ट रीति से सिंचाई ––

(क) जो किसी ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में की जाती है पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थय के लिये हानिकर है, या ऐसे कार्यों को सरल बना देती है जो उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकर हैं, या

(ख) जो उक्त ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी निर्दिष्ट स्थान में की जाती है, के द्वारा उक्त निर्दिष्ट स्थान के जल सम्भरण के दूषित हो जाने या उसके अन्यथा पीने के लिये अनुपयुक्त हो जाने की सम्भावना है, तो [1][जिला पंचायत] सार्वजनिक नोटिस द्वारा उस फसल की खेती, उस खाद का प्रयोग या सिंचाई की रीति के प्रयोग का जो इस प्रकार हानिकर बताया गया हो, निषेध कर सकती है या उसके सम्बन्ध में ऐसी शर्तें लगा सकती है जिनसे उक्त हानि अथवा प्रदूषण रूक जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी ऐसी भूमि पर, जिसके संबंध में ऐसा नोटिस जारी किया जा चुका हो, निषिद्ध कार्य निषेध के दिनांक से पूर्व पांच वर्ष तक लगातार खेती के साधारण क्रम में किया जाता रहा हो तो भूमि में हित रखने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को जिन्हें उक्त निषेध द्वारा क्षति पहुंची हो जिला निधि से प्रतिकर का भुगतान किया जायगा ।

हानिकर वनस्पतियों को साफ करने की स्वामियों से अपेक्षा करने का अधिकार

219–[1][जिला पंचायत], नोटिस द्वारा, किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से किसी ऐसी वनस्पति या झाड़ी की साफ करने या हटाने की अपेक्षा कर सकती है जो स्वास्थय के लिय हानिकर या पड़ोसियों के लिये क्षोभकर हो ।

खोदी हुई भूमि को भरने या जलात्सारित करने की अपेक्षा करने का अधिकार

220–किसी ग्राम्य क्षेत्र में, जिसके लिये धारा 239 की उपधारा (2) के शीर्षक "छ" के उपशीर्षक (घ) के अधीन उपविधियाँ बनाई गई हों, [1][जिला पंचायत] किसी ऐसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से जिस पर कोई खुदाई–कार्य, मलकूप, तालाब या गड्ढ़ा उक्त उपविधियों का उल्लंघन करके या उस शर्त का, जिसके अधीन रहते हुए वह खुदाई कार्य करने या मलकूप, तालाब या गड्ढा बनाने की अनुमति दी गयी हो, उल्लंघन करके लिया या बनाया गया हो, नोटिस द्वारा अपेंक्षा कर सकती है कि वह ऐसे खुदे हुए स्थान, मलकूप, तालाब या गड्ढे को उक्त नोटिस से निर्दिष्ट अवधि के भीतर भर दे या उसे जलोत्सारित कर दे ।

कब्रिस्तान या शमशान के सम्बन्ध में अधिकार

221–(1) [1][जिला पंचायत], सार्वजनिक नोटिस द्वारा, ऐसे कब्रिस्तान या श्मशान को जिनके संबंध में सिविल सर्जन या स्वास्थ्य अधिकारी ने यह प्रमाणित किया हो कि वह पास–पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिये हानिकर है या उसे हानिकर होने की संभावना है, उस दिनांक से जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, बन्द करने का आदेश दे सकती है तथा यदि समुचित दूरी के भीतर शवों को दफनाने या जलाने का कोई उपयुक्त स्थान न हो तो वह इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगी ।

(2) ऐसे कब्रिस्तानों में शव को दफनाने का निजी स्थान, ऐसी शर्तों के अधीन जो [1][जिला पंचायत] तदर्थ लगाये, उक्त नोटिस की व्याप्ति से मुक्त किया जा सकता है :

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्रतिबन्ध यह है कि दफनाने के ऐसे स्थानों की सीमायें पर्याप्त रूप से परिभाषित हो, तथा वे स्थान केवल उनके स्वामियों के परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिये ही प्रयुक्त किये जायेंगे ।

(3) [1][जिला पंचायत] की लिखित अनुमति के बिना कोई नया कब्रिस्तान या श्मशान, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, नहीं बनाया जायगा ।

(4) कोई व्यक्ति [1][जिला पंचायत] की लिखित अनुमति से अन्यथा किसी शव को किसी ऐसे कब्रिस्तान या श्मशान में जो उपधारा (1) के अधीन बन्द कर दिया गया हो या उपधारा (3) के उपबन्धों का उल्लंघन करके बनाया गया हो, न तो दफनाये या जलायेगा और न दफनवाये या जलवायेगा ।

(5) जो व्यक्ति किसी शव की इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल दफनाता या जलाता है या दफनवाता या जलवाता है या दफनाने या जलाने देता है, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो पचास रूपये तक हो सकता है ।

निरीक्षण, प्रवेश, तलाशी आदि

निरीक्षण का अधिकार

222–अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी तथा संकल्प द्वारा तदर्थ प्राधिकृत होने पर [1][जिला पंचायत] का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी और इसी प्रकार प्रमुख खण्ड विकास अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत [1][क्षेत्र पंचायत] का कोई अन्य अधिकारी किसी इमारत में या भूमि पर, निरीक्षण या सर्वेक्षण करने या किसी ऐसे निर्माण कार्य को निष्पादित करने के उद्देश्य से जिसे निष्पादित करने के लिये यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] इस अधिनियम द्वारा या नियमों या उपविधियों द्वारा प्राधिकृत हो, अथवा जिसे निष्पादित करना [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के लिये इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या नियमों या उपविधियों के प्रयोजनों के लिये अथवा उनके अनुसरण में आवश्यक हो, सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना प्रवेश कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ––

(क) जब तक कि इस अधिनियम में या नियमों या उपविधियों में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्थित न हो, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच प्रवेश नहीं किया जायगा, तथा

(ख) जब कि इस अधिनियम में या नियमों, या उपविधियों में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्थित न हो, मनुष्यों के रहने के लिये प्रयुक्त किसी इमारत में सिवाय उस दशा के जब अध्यासी ने सम्मति दे दी हो –– अध्यासी को अपने ऐसे प्रवेश के अभिप्राय का कम से कम चार घंटे पूर्व लिखित नोटिस दिये बिना प्रवेश नहीं किया जायगा, तथा

(ग) प्रत्येक अवस्था में, और उस दशा में भी जब किसी भू–गृहादि में अन्यथा बिना नोटिस के प्रवेश किया जा सकता हो, पर्याप्त नोटिस दिया जायगा, जिससे किसी ऐसे कक्ष में, जो स्त्रियों के लिये हो रहने वाली स्त्रियां वहां से हट कर भू–गृहादि के किसी ऐसे दूसरे भाग में चली जायें जहां उनकी गोपनीयता में बाधा डालने का आवश्यकता न हो, तथा

(घ) प्रवेश किये गये भू–गृहादि के अध्यासियों को सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं का सदैव यथोचित ध्यान रखा जायगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

223–धारा 222 के उपबन्धों के अधीन निरीक्षण करने के, या तलाशी लेने के प्रयोजन के निमित्त प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिये यह वैध होगा कि वह किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध को खोले या खुलवायें –– **प्रवेश का अधिकार**

(क) यदि वह ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए उसका खोलना आवश्यक समझे, तथा

(ख) यदि स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो, या उपस्थित होने पर वह ऐसे दरवाजे, फाटक या अवरोध को खोलने से इनकार करे ।

[1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा नियोजित व्यक्तियों को रूकावट

224–जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा या [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के साथ हुई किसी संविदा के अधीन नियोजित हो, उसके कर्त्तव्यों के पालन करने में या संविदा को पूरा करने में रूकावट डाले या व्यथित करे या इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी निर्माण–कार्य के निष्पादन के लिये आवश्यक सतह या दिशा को बतलाने के प्रयोजन से लगाये गये किसी चिन्ह को हटाये, वह दोषी पाये जाने पर तीन मास तक का कारावास या पांच सौ रूपये तक अर्थदण्ड दोनो का भागी होगा । **परिषद् या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा नियोजित व्यक्तियों को रूकावट के लिये दण्ड**

अध्याय – 10

वाहृय नियंत्रण

225–(1) नियत प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट, यथास्थिति, अपने अधिकार क्षेत्र या अपने जिले का सीमाओं के भीतर –– **परिषद् पर नियत प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के निरीक्षण आदि के अधिकार**

(क) [1][जिला पंचायत] या उसका किसी सम्पत्ति या संयुक्त समिति द्वारा प्रयुक्त अथवा अध्यासात किसी चल सम्पत्ति का, अथवा उनमें से किसी के निदेशाधीन किये जाने वाले किसी कार्य का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है ;

(ख) लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसी पुस्तक या लेख्य को जो [1][जिला पंचायत] या उसका किसी समिति या संयुक्त समिति के अधिकार अथवा नियंत्रण में हों, मंगा सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है ;

(ग) लिखित आदेश द्वारा [1][जिला पंचायत] या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति से उसकी कार्यवाहियों या कर्त्तव्यों से संबद्ध ऐसे विवरण, लेखें या प्रतिवेदन (जिसके अन्तर्गत मासिक प्रगति के प्रतिवेदन भी है) या लेख्यों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है जिन्हें मंगाना वह उचित समझें ; और

(घ) [1][जिला पंचायत] या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के विचारार्थ, उसकी कार्यवाहियां अथवा कर्त्तव्य के संबंध में कोई विचार हो, जो वह उचित समझे, लेखबद्ध कर सकता है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्रत्येक अधिकारी अपने अधिकार–क्षेत्र की सीमाओं के भीतर नियत प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट को उपधारा (1) द्वारा प्राप्त

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अधिकारों का प्रयोग अपने विभाग पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय में कर सकता है और ऐसे विषयों के संबंध में [1][जिला पंचायत] के शासन का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है ।

जिला मैजिस्ट्रेट के कुछ अन्य अधिकार और कर्त्तव्य

226–(1) जिला मैजिस्ट्रेट, समय–समय पर, समुचित नोटिस के पश्चात् [1][जिला पंचायत] के नियोजन तथा विकास विषयक बजट अनुदान से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिये एक बैठक बुला सकता है जिसमें वह स्वयं, अध्यक्ष तथा मूख्य अधिकारी और, यदि आवश्यक समझा जाय तो, वित्त अधिकारी सम्मिलित हों ।

(2) जिला मैजिस्ट्रेट राज्य सरकार को विकास कार्य की प्रगति का एक त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजेगा ।

सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यो तथा संस्थाओं का निरीक्षण

227–[1][जिला पंचायत] के व्यय से पूर्णतः या अंशतः निर्मित या अनुरक्षित निर्माण–कार्य या संस्था का तथा तत्संबंधी समस्त रजिस्टरों, पुस्तकों, लेखा या लेख्यों का सभी समयों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा, जो राज्य सरकार तदर्थ नियुक्त करे, निरीक्षण किया जा सकेगा ।

नियत प्राधिकारी का अधिनियम के अधीन कार्यवाही निलम्बित करने का अधिकार

228–(1) नियत प्राधिकारी अपने अधिकार–क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लिखित आदेश द्वारा, किसी [1][जिला पंचायत] या [1][जिला पंचायत] की समिति, या संयुक्त समिति, अथवा [1][जिला पंचायत] या संयुक्त समिति के सेवक द्वारा इस या अन्य किसी अधिनियमिति के अधीन पारित या दिये गये किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश स्पष्टतः अवैध हो या शक्ति–बाह्य (ultravires) हो या इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश से असंगत हो या इस प्रकार का हो कि उससे जन–साधारण के लिये या विधि के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय के लिये खतरा या दंगा या हंगामा उत्पन्न हो, या उत्पन्न होने का संभावना हो, और किसी व्यक्ति द्वारा उक्त संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसका आश्रय लेकर किसी काम के किये जाने या उसे जारी रखे जाने का निषेध कर सकता है ।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश दिया जाय, तो उसे दिये जाने के कारणों के विवरण सहित, उसका एक प्रतिलिपि नियत प्राधिकारी द्वारा तुरन्त राज्य सरकार को भेजा जायगा, जो [1][जिला पंचायत] से स्पष्टीकरण मांगने तथा उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उसे आदेश को रद्द, परिष्कृत या पुष्ट कर सकती है ।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा किसी संकल्प या आदेश का निष्पादन या आगे निष्पादन निषिद्ध कर दिया जाय और वह निषेधकारी आदेश तब भी प्रचलित हो तो [1][जिला पंचायत] या [1][जिला पंचायत] की समिति या संयुक्त समिति, अथवा [1][जिला पंचायत] या [1][जिला पंचायत] की समिति या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या कर्मचारी का, उक्त उपधारा के अधीन आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर, यह कर्त्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जिसे करने का उसे उस दशा में अधिकार होता जब वह संकल्प या आदेश पारित ही न किया गया होता या दिया ही न गया होता और जो किसी व्यक्ति की उन संकल्प या आदेश का जिसका आगे निष्पादन निषिद्ध कर दिया गया हो आश्रय लेकर किसी काम को करने या उसका करना जारी रखते से रोकने के लिये आवश्यक हो ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

आपात के समय जिला मैजिस्ट्रेट के असाधारण अधिकार

229–(1) आपात की दशा में जिला मैजिस्ट्रेट किसी ऐसे निर्माण–कार्य के निष्पादन का, अथवा ऐसे कार्य के संपादन की व्यवस्था कर सकता है, जिसके निष्पादन या संपादन या [1][जिला पंचायत] या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति की अधिकार हो और जिसका तुरन्त निष्पादन अथवा संपादन, उसकी राय में, जन–साधारण की सुरक्षा अथवा संरक्षण के लिये आवश्यक हो और वह यह निदेश दे सकता है कि निर्माण–कार्य की निष्पादित करने अथवा उस कार्य को संपादित करने के व्यय का भुगतान [1][जिला पंचायत] द्वारा तुरन्त किया जाय ।

(2) यदि उक्त व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाय तो जिला मैजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है, जिसमें जिला–निधि को अपनी अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति के लिये उस निधि में से उक्त व्यय के भुगतान करने का निदेश हो और उक्त व्यक्ति ऐसे निदेश का पालन करेगा ।

(3) जिला मैजिस्ट्रेट [1][जिला पंचायत] या नियत अधिकारी को तुरन्त ऐसे प्रत्येक मामले का प्रतिवेदन भेजेगा जिसमें वह इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करें ।

परिषद् के चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार

230–(1) यदि किसी समय, अभ्यावेदन किये जाने पर अथवा अन्यथा, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि [1][जिला पंचायत] या उसकी संयुक्त समिति, या अन्य समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा उसके अधीन उस पर आरोपित कर्त्तव्य का संपादन करने में चूक की है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा उस कर्तव्य का पालन किये जाने के लिये एक अवधि निश्चित कर सकती है ।

(2) यदि इस प्रकार निश्चित अवधि के भीतर उस कर्त्तव्य का संपादन न किया जाय तो राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को, या किसी अन्य व्यक्ति को, उसका संपादन करने के लिये नियुक्त कर सकती है, और निदेश दे सकती है कि उक्त कर्त्तव्य का संपादन करने के व्यय का, यदि कोई हो, ऐसे समय के भीतर, जो जिला मैजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति निश्चित करे, [1][जिला पंचायत] द्वारा चुकाया जाय ।

(3) यदि उक्त व्यय इस प्रकार चुकाया न जाय तो जिला मैजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसा आदेश दे सकता है जिसमें जिला–निधि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति के लिये उस निधि में से उक्त व्यय के भुगतान का निदेश हो ।

सदस्यों का हटाया जाना

231–(1) राज्य सरकार जिला परिषद् के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकती है : ––

(क) उसने किसी ऐसे विषय पर जिसमें प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, उसका कोई निजी हित हो अथवा जिसमें वह किसी वादार्थी (client) प्रतिनियोक्ता (Principal) अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से व्यवसायिक हित रखता हो मत देकर अथवा उसकी चर्चा में भाग लेकर [1][जिला पंचायत] के सदस्य या किसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया हो।

(ख) वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का संपादन करने में शारीरिक या मानसिक दृष्टि से असमर्थ हो गया हो ;

(ग) वह उक्त सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्य–संपादन में अपनी वर्तमान या पांच वर्ष के भीतर की किसी पूर्ववर्ती पदावधि में अनाचार का दोषी हो या उसने इस अधिनियम के

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया हो या [1][जिला पंचायत] की निधि या सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुँचाई हो और राज्य सरकार की राय में ऐसे अनाचार, उल्लंघन अथवा हानि या क्षति पहुंचाने के कारण वह सदस्य के रूप मे ंबने रहने के लिये अनुपयुक्त हो गया हो ;

[2][(गग) उसमें स्वहस्ताक्षरित किसी मिथ्या घोषणा के आधार पर जिसमें वह कथन किया गया हो कि वह, यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ें वर्गो का सदस्य है, धारा 18–क के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त किया हो ;

(गगग) वह धारा 26 में निर्दिष्ट किसी अनर्हता से ग्रस्त हो ।]

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन हटाये जाने का आदेश राज्य सरकार द्वारा तब तक न दिया जायगा जब तक कि संबद्ध सदस्य को इस बात का कारण प्रकट करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरूद्ध ऐसा आदेश क्यों न दिया जाय ।

(2) यह हटाया जाना गजट में विज्ञप्ति द्वारा संपन्न होगा तथा उस विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा ।

(3) किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 18 की उपधारा (1) के [3][खण्ड (क)] में निर्दिष्ट कोई सदस्य इस धारा के अधीन सदस्यता से हटाया गया हो तो वह उपधारा (2) के अधीन हटाये जाने की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से, [प्रमुख] [4][X X X] के पद पर न रहेगा और यह समझा जायगी कि उसका उक्त पद रिक्त हो गया है ।

(4) [5][* * * *]

(5) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के अधीन [1][जिला पंचायत] की सदस्यता से हटाया गया हो, अपने हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्ष तक [1][जिला पंचायत] के सदस्य के रूप में चुने जाने [6][* * *] [7][* * *] तथा [1][क्षेत्र पंचायत] का प्रमुख [7][* * *] निर्वाचित होने के लिये अनर्हित होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय आदेश देकर इस अनर्हता को हटा सकती है ।

राज्य सरकार का परिषद् का विघटित [8][***]

232– (1) यदि किसी भी समय, अभ्यावेदन किये जाने पर अथवा अन्यथा राज्य सरकार को यह प्रतीत हो, कि [1][जिला पंचायत] इस अधिनियम में या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अपने पर आरोपित किसी कर्त्तव्य का संपादन करने में

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 21 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 113(क)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 113(क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 113 ख द्वारा निकाला गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1963 की धारा 24 द्वारा निकाले गये।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 113 (ग) द्वारा निकाले गये।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 114 (क) द्वारा निकाले गये।

चूक करती है अथवा अपने अधिकारों का अतिक्रमण या दुरूपयोग करती है तो राज्य सरकार, [1][जिला पंचायत] से स्पष्टीकरण मांगने ताकि इस धारा के अधीन कार्यवाही की जाने के विरूद्ध उसके द्वारा की गयी किसी आपत्ति पर विचार करने के पश्चात् और अपना यह समाधान होने पर कि ऐसी कार्यवाही वांछनीय है, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा जिसमें कार्यवाही के कारण भी दिये होंगे [2][जिला पंचायत को विघटित कर सकती है]। **करने का अधिकार**

233–धारा 232 के अधीन [1][जिला पंचायत] के विघटित कर दिये जाने से निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे :– **परिषद् के विघटन का परिणाम**

(क) अध्यक्ष सहित [1][जिला पंचायत] के समस्त सदस्य, आदेश में निर्दिष्ट दिनांक पर अपने पदों को रिक्त कर देंगे ; किन्तु इसके कारण [3][इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिये उनकी पात्रता पर] कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ख) तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र [1][जिला पंचायत] इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुर्नसंघटित की जायगी ।]

(ग) ऐसे एक या अधिक व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार तदर्थ नियुक्त करे, उस समय तक जब तक कि [1][जिला पंचायत] पुर्नसंघटित न हो जाय, [1][जिला पंचायत] के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का संपादन यथासंभव करेंगे तथा सभी प्रयोजनों के लिये उसे या उन्हें [1][जिला पंचायत] समझा जायगा ।

234– [4][X X X X]

235– [4][X X X X]

236– (1) [5][धारा 225 से 233] तक के उपबन्ध [1][क्षेत्र पंचायतों] पर यथाशक्य प्रवृत्त होंगे मानों पदावलि [1][जिला पंचायत] "अध्यक्ष", "मुख्य अधिकारी" तथा "जिला–निधि" को पदावली "क्षेत्र–समिति", "प्रमुख", "खण्ड विकास अधिकारी" तथा "क्षेत्र–निधि" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हो : **[1][क्षेत्र पंचायतों] का वाहय नियंत्रण**

प्रतिबंध यह है कि जिला मैजिस्ट्रेट उक्त धाराओं के अधीन अपने किन्हीं या सभी अधिकारों का संपूर्ण खण्ड या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले परगना अधिकारी (सब डिविजनल आफिसर) को प्रतिनिहित कर सकता है ।

(2) [6][* * * *]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 114 ख द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 115 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 116 द्वारा निकाले गये ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 117क द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 117ख द्वारा निकाले गये ।

(3) [1][* * * *]

(4) [1][* * * *]

अध्याय – 12

नियम, विनियम तथा उपविधियां

राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार

237–(1) राज्य सरकार किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध मे जिसके लिये नियम बनाने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा स्पष्टतः या उपलक्षित रूप में प्रदान किया गया है इस अधिनियम से सुसंगत [2][गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है] तथा ऐसे नियम भी बना सकती है जो अन्यथा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाया गया कोई नियम सामान्य रूप से समस्त [3][जिला पंचायतों] या समस्त [3][क्षेत्र पंचायतों] के लिये अथवा निर्दिष्ट किये जाने वाली किसी एक या अधिक [3][जिला पंचायतों] या [3][क्षेत्र पंचायतों] के लिये विशेष रूप से हो सकता है । [4][* * *]

[5][(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित, कुल तीस दिनों की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।]

कार्य–संचालन आदि के लिये विनियम बनाने का अधिकार

238–(1) [3][जिला पंचायत] विशेष संकल्प द्वारा, इस अधिनियम तथा किसी नियम और राज्य सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन बनाये गये किसी विनियम से सुसंगत विनियम निम्नलिखित विषयों में सभी या किसी के लिये बना सकता है ––

(क) उसकी बैठकों का समय तथा स्थान,

(ख) बैठकें बुलाने तथा उसके सम्बन्ध में नोटिस देने की रीति ;

(ग) कार्यवाहियों का संचालन, जिसके अन्तर्गत बैठकों में सदस्यों द्वारा प्रश्नों का पूछा जाना भी है, तथा बैठकों का स्थगन है ;

(घ) किसी भी प्रयोजन के लिये परामर्श समितियों से भिन्न समितियों की स्थापना, तथा ऐसी समितियों के संघटन तथा उनकी प्रक्रिया से सम्बद्ध समस्त विषयों का अवधारण;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 117(ख) द्वारा निकाले गये ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1973 की धारा 28 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1973 की धारा 28 (2) द्वारा निकाले गये ।
5. उपर्युक्त की धारा 28 (3) द्वारा रखी गयी ।

(ङ) निम्नलिखित को अधिकारों, कर्तव्यों या कृत्यों का प्रतिनिधान ––

(1) [1][जिला पंचायतों] का अध्यक्ष या [1][क्षेत्र पंचायत] का प्रमुख ;

(2) खण्ड (घ) के अधीन संघटित समिति,

(3) उक्त समिति का सभापति,

(4) मुख्य अधिकारी या [1][जिला पंचायत] का अन्य कोई सेवक ;

(च) [1][जिला पंचायत] द्वारा नियोजित सेवकों के, जिनके अन्तर्गत [1][क्षेत्र पंचायतों] के अधिकार में रखे गये सेवक भी है, अनुपस्थिति के भत्ते या अन्य भत्ते ;

(छ) [1][जिला पंचायत] के ऐसे सेवक द्वारा–जिसके अन्तर्गत किसी [1][क्षेत्र पंचायत] के अधिकार में रखा गया कोई सेवक भी है–जिससे प्रतिभूति की अपेक्षा करना इष्टकर समझा जाय, दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि तथा उसका प्रकार ;

(ज) [1][क्षेत्र पंचायत] के सेवकों को छुट्टी स्वीकृत करना तथा उनके छुट्टी पर रहने की अवधि में उनके स्थान पर कार्य करने के लिये नियुक्त व्यक्तियों को (यदि कोई हों), दिया जाने वाला पारिश्रमिक ;

(झ) [1][जिला पंचायत] के समस्त सेवकों की, जिनके अन्तर्गत किसी [1][क्षेत्र पंचायत] के अधिकार में रखे गये सेवक भी है–– सेवा की शर्तें, जिनके अन्तर्गत सेवा की अवधि भी है, तथा जिनके अधीन उक्त सेवकों को या उनमें से किसी को सेवा निवृत्ति होने पर या अपने कर्तव्य का पालन करने के कारण असमर्थ हो जाने पर उपवान, वार्षिकी या कारूण्य अधिदेय दिया जायगा तथा उक्त उपदान, वार्षिकी या कारूण्य अभिदेय की धनराशि ; और शर्तें जिनके अधीन कोई उपदान, वार्षिकी या कारूण्य अभिदेय उक्त किन्हीं ऐसे सेवकों के, जिनकी मृत्यु अपने कर्तव्यों का पालन करने में हुई हो, उत्तरजीवी सम्बन्धियों को दिया जा सकता हो ;

(ञ) [1][जिला पंचायत] द्वारा, या [1][जिला पंचायत] के अनुमोदन से उक्त सेवकों द्वारा स्थापित पेंशन–निधि या भविष्य–निधि में ऐसी दरों तथा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो उक्त विनियमों में नियत की जायं, अंशदान देना ।

(ट) [1][जिला पंचायत] के सेवकों को–– जिनके अन्तर्गत किसी [1][क्षेत्र पंचायत] के अधिकार में रखे गये सेवक भी है–– भर्ती के सिद्धान्त तथा रीति ;

(ठ) लेखा–परीक्षा के निमित्त वित्त अधिकारी को कागज–पत्र प्राप्त कराने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उसके द्वारा की गयी आलोचनाओं के सम्बन्ध मे ंकी जाने वाली कार्यवाही ;

(ड़) अधिकारियों तथा सेवकों के पदों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ढ) रीति, जिसके अनुसार धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन [1][जिला पंचायत] की सौपे गये कृत्यों का सम्पादन किया जायगा :

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन बनाये गये विनियम राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों अथवा अनुदेशों के समनुरूप होंगे ;

(ण) शर्तो जिनके अधीन [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] को देय धनराशियां अप्राप्य धनराशियों के रूप में बट्टे खाते डाली जा सके, और शर्ते जिनके अधीन अभिहरण के निमित्त लिये जाने वाले सम्पूर्ण शुल्क या उसके किसी भाग में छूट दी जा सकें ;

(त) खण्ड (ङ) से (ण) तक वर्णित विषयों के सदृश्य समस्त विषय या ऐसे विषय जिनके सम्बन्ध में विनियम बनाने का अधिकार इस अधिनियम में स्पष्टतः या उपलक्षित रूप से प्रदान किया गया है पर जिनके लिये इस उपधारा में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गयी है ; और

(थ) खण्ड (क) से (घ) तक वर्णित विषयों से सदृश्य ऐसे समस्त विषय जिनके लिये इस उपधारा में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गई है ।

(2) यदि राज्य सरकार उचित समझे, तो वह उपधारा (1) के खण्ड (ड़) से (ड) तथा (ण) से (थ) तक निर्दिष्ट विषयों में से किसी के सम्बन्ध मे इस अधिनियम से सुसंगत विनियम बना सकती है और इस प्रकार बनाये गये विनियम का प्रभाव यह होगा कि उससे [1][जिला पंचायत] द्वारा उक्त उपधारा के अधीन उसी विषय पर बनाया गया कोई विनियम या कोई ऐसा विनियम जो उससे असंगत हो, रद्द हो जायगा ।

परिषद् को उपविधियां बनाने का अधिकार

239–(1) [1][जिला पंचायत] अपने प्रयोजनों के लिये और [1][क्षेत्र पंचायतों] के प्रयोजनों के लिये ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जिनका उपविधियों द्वारा शासित होना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है तथा जिले के ग्राम्य क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सुविधा की समुन्नति या अनुरक्षण के प्रयोजन से और खण्ड तथा जिले में इस अधिनियम के प्रशासन को आगे बढ़ाने के निमित्त, इस अधिनियम और किसी नियम के सुसंगत, उपविधियां बना सकती है जो जिले के सम्पूर्ण ग्राम्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर प्रवृत्त हों और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाने पर वह अवश्य ऐसी उपविधियां बनायेगी ।

(2) विशेषतः तथा उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, [1][जिला पंचायत] उक्त अधिकार का प्रयोग करके निम्नांकित सूची में वर्णित कोई उपविधियां बना सकती है : ––

क –– निर्माण

(क) धारा 164 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के सन्दर्भ में किसी विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन को "महत्वपूर्ण परिवर्तन" घोषित करना ;

(ख) यह नियत करना कि तदर्थ निर्दिष्ट की गई दर से शुल्क देने पर, [1][क्षेत्र पंचायत] से नक्शे तथा विनिर्दिष्टियां (Specifications) प्राप्त की जा सकेगा ;

(ग) धारा 166 के सन्दर्भ मे वह अवधि निश्चित करना जिसमें स्वीकृति मान्य रहेगी;

(घ) नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी नियत क्षेत्र या क्षेत्रों में उन इमारतों के, जो बनाई या न बनाई जा सकती हों, प्रकार और विवरण तथा वे प्रयोजन, जिनके लिये

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कोई इमारत बनाई या न बनाई जा सके, नियत करना ;

(ङ) वे परिस्थितियां नियत करना जिनमें नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में कोई मन्दिर, मस्जिद, गिरजा या अन्य पवित्र इमारत निर्मित पुनर्निमित या परिवर्तित की जा सके या न की जा सके ।

(च) इमारतों के या उनके किसी वर्ग के निर्माण, पुननिर्माण या परिवर्तन के सम्बन्ध में निम्नांकित विषयों मे सब या कोई नियत करना ——

(1) बाहरी और विभाजक दीवारों, छतों तथा फर्श के निर्माण में प्रयुक्त किये जाने वाला सामान और उनके निर्माण की रीति ;

(2) अग्नि–स्थानों, चिमनियों, नालियों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों और मलकूपों की स्थिति तथा उनके निर्माण में प्रयुक्त किया जाने वाला सामान और उनके निर्माण की रीति ;

(3) ऐसी सबसे ऊपरीं मंजिल की, जो मनुष्यों के रहने या भोजन पकाने के कामों के लिये, अभिप्रेत हो, छत की ऊँचाई तथा ढाल ;

(4) संवातन तथा स्थान जो इमारत के चारों ओर वायु के निर्बाध संचालन तथा घर की सफाई को सुन्दर बनाने तथा आग लगने की रोक थाम के निमित्त छोड़ा जायगा ;

(5) नीव की सतह तथा चौथाई, सबसे निचली मंजिल की सतह और निर्माण की स्थायित्व ;

(6) इमारत में बनाई जाने वाली मजिलों की संख्या और ऊँचाई ;

(7) आग लग जाने पर इमारत से बाहर निकलने के साधनों की व्यवस्था ;

(8) कोई ऐसा अन्य विषय, जिसका इमारत के संचालन या स्वच्छता पर प्रभाव पड़े, और

(9) जल को कलुषित होने से बचाने या कुंए का उपयोग करने वाली किसी व्यक्ति के लिये पैदा होने वाले संकट का निराकरण करने के उद्देश्य से ऐसी शर्ते, जिनके अधीन रहते हुए किसी कुएं के निर्माण या उसमें परिवर्तन करने के लिये स्वीकृति दी जा सके या न दी जा सके ।

(छ) नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी भूमि पर किसी घेरे, दीवार, मेड़, तम्बू, तिरपाल या अन्य संरचना का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, निर्माण किसी ऐसी रीति से विनियमित करना जिसकी इस अधिनियम में विशेष रूप से व्यवस्था न की गयी हो ।

ख —— नालियां, संडास, मलकूप आदि

(क) किसी ऐसी रीति से जिसकी इस अधिनियम में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गई है, नालियों संवातन (ventilation) की नलिकाओं (shafts) तथा पाइपों, संडासों, जल प्रक्षालित तथा अन्य शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूपों तथा अन्य जलोत्सारण कार्यो के निर्माण, परिवर्तन, अनुरक्षण, सफाई और मरम्मत का विनियमन ;

(ख) नालियों में मल, कूड़ा–करकट, गन्दा पानी तथा अन्य क्षोभकर या अवरोधक पदार्थो के फेंके या जमा किये जाने का विनियमन या निषेध ।

ग –– सड़कें

(क) धारा 176 के अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] को दी जाने वाली सूचनाएं तथा नक्शों को अवधारित करना ;

(ख) फेरी लगाने वाले विक्रेताओं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वस्तुएं बेचने या कोई व्यापार करने अथवा कोई कपड़ें या लकड़ी की बनाई हुई दुकान या कोई स्टाल स्थापित करने के लिये किसी या समस्त सार्वजनिक सड़कों या स्थानों के प्रयोग या अध्यासीन की अनुमति देना या उसका निषेध या विनियमन तथा ऐसे प्रयोग या अध्यासन के निमित्त शुल्क उपग्रहीत करने की व्यवस्था करना ;

(ग) वे शर्ते विनियमित करना जिस पर धारा 181 के अधीन [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा सड़कों और नालियों के ऊपर प्रक्षेप बनाने तथा धारा 209 के अधीन [1][जिला पंचायत] द्वारा अस्थायी रूप से सड़कों के अध्यासन की अनुमति दी जा सके ।

घ –– बाजार, वधशालायें, भोजन–विक्रय आदि

(क) [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा स्वीकृत लाइसेन्स के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेन्स की शर्तो के अनुसरण से अन्यथा किसी स्थान को वधशाला के रूप में अथवा मानव भोजन के लिये अभिप्रेत पशुओं या मांस या मछली के विक्रय के लिये बाजार या दुकान के रूप में प्रयोग करने का निषेध ;

(ख) शर्ते जिनके अधीन तथा परिस्थितियां जिनमें और क्षेत्र या स्थान जिनके संबंध में ऐसे प्रयोग के लिये लाइसेंस स्वीकृत, अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकते है या वापस लिये जा सकते है, नियत करना ;

(ग) पूर्वोक्त रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान के निरीक्षण तथा उसमें व्यापार के संचालन के विनियमन की व्यवस्था करना जिससे उसमें स्वच्छता बनी रहे या कोई ऐसा हानिप्रद क्षोभकर या भयप्रद प्रभाव जो वहां से उत्पन्न होता हो या जिसके वहां से उत्पन्न होने की संभावना हो कम हो जाय ;

(घ) बाजारों तथा वधशालाओं, अश्वशालाओं, शिविर–भूमियों सरायों, आटा चक्कियों, नानबाई की दुकानों, निर्दिष्ट खाद्य या पेय पदार्थो की तैयारी या विक्रय के लिये स्थानों अथवा विक्रय या किरायें के लिये पशुओं को, अथ्वा ऐसे पशुओं को जिनसे प्राप्त पदार्थ बेचे जाते हों, रखने या प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थानों की तथा सार्वजनिक मनोरंजन या समागम के स्थानों की स्थापना के लिये और उनके विनियमन तथा निरीक्षण के लिये तथा उनमें समुचित रूप से तथा स्वच्छता से व्यापार के संचालन के लिये व्यवस्था करना ; और

(ङ) शर्ते, जिनके अधीन तथा परिस्थितियों जिनमें और क्षेत्र तथा स्थान जिनके संबंध में उपशीर्षक (घ) के प्रयोजनों के लिये लाइसेन्स स्वीकृत अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकें या वापस लिये जा सकें, नियत करना तथा ऐसे लाइसेंन्सों के लिये देय शुल्क निश्चित करना तथा [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा स्वीकृत लाइसेन्स के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेन्स की शर्तो के अनुसरण से अन्यथा उपशीर्षक (घ) में उल्लिखित व्यापार के स्थानों की स्थापना का निषेध करना।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

ङ —— क्षोभकर व्यवसाय

(क) सिवाय जब और जहां तक कोई बात पेट्रोलियम ऐक्ट, 1934 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों की किसी बात से असंगत हो, [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा स्वीकृत लाइसेन्स के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेनस की शर्तो के अनुसरण से अन्यथा किसी स्थान का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये फैक्ट्री के या व्यापार के अन्य स्थानों के रूप में प्रयोग करने का निषेध करना —— ऐक्ट संख्या 30, 1934

(1) मांसोच्छिष्ट (offal) रक्त, हड्डियों, अंतड़ियों या चिथडों का उबालना या उनका संग्रह करना ;

(2) चमड़ा या चमड़े की वस्तुओं का निर्माण,

(3) चरबी या गन्धक पिघलाना ,

(4) ईट, खपरैल या चौके, मिट्टी के बर्तन या चूना जलाना या पकाना ;

(5) साबुन बनाना ,

(6) तेल उबालना ,

(7) सूखी घास, भूसा, पुआल, लकड़ी, कोयला या अन्य भयानक रूप से ज्वलनशील वस्तुओं का संग्रह रखना,

(8) पेट्रोलियम या किसी अन्य ज्वलनशील तेल या स्प्रिट का संग्रह रखना ;

(9) रूई या रूई के क्षेष (repuse) का संग्रह रखना या उसे दबाना,

(10) कोई अन्य प्रयोजन, यदि ऐसे प्रयोग से लोक कंटक पैदा होने या आग लगने का भय हो ;

(ख) वे परिस्थितियां, जिनमें, और क्षेत्र या स्थान जिनके संबंध में लाइसेन्स स्वीकृत, अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकें या वापस लिये या सकें, नियत करना (किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे धारा 202 द्वारा [1][जिला पंचायत] को प्राप्त किसी अधिकार का अल्पीकरण हो) ; और

(ग) पूर्वोक्त रूप में प्रयोग किये जाने वाले स्थान में व्यापार के संचालन के निरीक्षण तथा विनियम की व्यवस्था करना जिससे उसमें स्वच्छता बनी रहे या कोई ऐसा हानिप्रद, क्षोभकर या भयप्रद प्रभाव, जो वहां से उत्पन्न होता या जिसके वहां से उत्पन्न होने की संभावना हो कम हो जाय ।

च —— सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा

(क) [2][* * * *]

(ख) जिले के ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किराये पर दिये जाने के लिये रखे गये अथवा किराये पर चलने वाले वाहनों (मोटर गाड़ियों को छोड़कर) नावों, या पशुओं के स्वामियों या चालकों पर अथवा बोझा ले जाने की मजदूरी करने वाले व्यक्तियों पर लाइसेन्सों के लिये देय शुल्क और वे शर्ते निश्चित करना जिन पर वे स्वीकृत किये जायें, और वापस लिये जायें ;

(ग) ऐसे स्थान निश्चित करना जहां पर नावें बांधी जा सकें या भारयुक्त तथा भारमुक्त की जा सकें, और उसके प्रयोग को विनियमित करना, और ऐसे स्थानों को छोड़कर जो [1][जिला पंचायत] द्वारा नियत किये जायं और कहीं नाव बांधने या भारयुक्त करने का निषेध करना ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2001 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।

(घ) जिले के ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर घूमने वाले लावारिस पशुओं को पकड़ने और उनके जब्त किये जाने की व्यवस्था करना ;

(ङ) सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की वृद्धि के उद्देश्य से किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियम, जिससे लोक कंटक पैदा होता हो या पैदा होने की संभावना हो, और जिसके निषेध या विनियमन के लिये इस शीर्षक के अधीन कोई व्यवस्था न की गई हो ;

(च) पेय जल सम्भरण की व्यवस्था तथा विनियमन ।

छ —— रोग की रोकथाम तथा स्वच्छता

(क) कब्रिस्तानों तथा श्मशानों के प्रयोग तथा प्रबन्ध का नियंत्रण तथा विनियमन, और यदि ऐसे स्थानों की व्यवस्था [1][जिला पंचायत] ने की हो तथा उनके निमित्त लिये जोन वाले शुल्क निश्चित करना और शवों को कब्रिस्तान या श्मशान ले जाने के लिये मार्ग नियत या निषिद्ध करना ;

(ख) स्वच्छता, तथा स्वच्छता संरक्षण का विनियमन ;

(ग) पूर्वगामी उप शीर्षक के अधीन तदर्थ कोई उपविधि न बनायी जाने की दशा में, वास–गृहों की रजिस्ट्री तथा उनके निरीक्षण और अति भीड़ होने की रोकथाम की व्यवस्था करना, उनमें किसी सांक्रामिक या सांसर्कि रोग फैलने की दशा में दिये जाने वाले नोटिस नियत करना तथा सामान्यता वास–गृहों के समुचित विनियमन की व्यवस्था करना ;

(घ) रोगो की रोकथाम या व्यच्छता के उद्देश्य से किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियमन जिससे लोक कंटक पैदा हो या होने की संभावना हो और जिसके निषेध या विनियमन के लिये इस शीर्षक के अधीन कोई व्यवस्था न की गई हो ।

ज —— प्रकीर्ण

(क) किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियमन जिससे लोक कंटक पैदा हो या होने की संभावना हो ओर जिसके निषेध या विनियमन के लिये इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यत्र कोई व्यवसीा न की गई हो ;

(ख) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर जन्म, मरण तथा विवाहों की रजिस्ट्री और जन–गणना करने और ऐसी सूचना जो उक्त रजिस्ट्री या जन–गणना को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों, अनिवार्यतः दिये जाने की व्यवस्था करना ;

(ग) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर, किसी भी वस्तु को, जो सरकारी हो या [1]"जिला पंचायतं" या [1][क्षेत्र पंचायत] को हो अथवा [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के नियंत्रण में हो, क्षति या हस्तक्षेप से बचाना;

(घ) जिले के ग्राम्य क्षेत्र के भीतर तथा [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के नियंत्रण में मेलों और औद्योगिक प्रदर्शनियों के आयोजन की व्यवस्था करना तथा उनमें उद्ग्रहीत किये जाने वाले शुल्क निश्चित करना ;

(ङ) जिले के ग्राम्य क्षेत्र. में इमारतों और भूमियों के स्वामियों द्वारा, इस अधिनियम या किसी नियम अथवा उपविधि के सभी या किसी प्रयोजन के लिये, उनके अभिकर्ता के

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

रूप में काम करने के निमित्त ऐसे व्यक्तियो की जो उक्त क्षेत्र में या उसके निकट रहते हों, नियुक्ति की अपेक्षा करना तथा उसका विनियमन ;

(च) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के या [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के कब्जे के ऐसे अभिलेखों तथा लेख्यों को निर्दिष्ट करना जिनका निरीक्षण किया जा सकता हो या जिनकी प्रतिलिपियां दी जा सकती हों तथा ऐसे अभिलेखों अथवा लेख्यों के निरीक्षण या प्रतिलिपियों के निमित्त लिये जाने वाले शुल्क निर्दिष्ट करना तथा निरीक्षण और प्रतिलिपियों का दिया जाना विनियमित करना ;

(छ) औषधीय भेषजों के विक्रय तथा औषधयोजन के लिये लाइसेंन्स देने की व्यवस्था करना ;

(ज) सार्वजनिक रूप से अपना व्यवसाय करने वाली दाइयों की रजिस्ट्री तथा उनके नियंत्रण की व्यवस्था करना ;

(झ) प्रसूति–केन्द्रो तथा शिशु कल्याण–गृहों की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण के लिये व्यवस्था करना ;

(ञ) शरीर–संर्वधन संस्थाओं की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण तथा सहायक अनुदान की व्यवस्था करना ;

(ट) निर्धन–गृह, अनाथालय, पुस्तकालय, शरणालय, पशु–चिकित्सालय, बाजार, निरीक्षण गृह, सार्वजनिक पार्क और उद्यान तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाएं विनियमित करना;

(ठ) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के प्राधिकार के अधीन या अन्यथा लगने वाले ऐसे मेले, पशु–बाजार, कृषि प्रदर्शन तथा औद्योगिक प्रदर्शनियां, जिनमें सर्वसाधारण की प्रवेश करने का अधिकार हो, विनियमित करना ;

(ड) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के नियंत्रणाधीन किन्हीं स्त्रोंतो, जल–मार्गो या नालियां के अवरोध ाक निषेध करना तथा किसी ऐसे अवरोध को हटाने की व्यवस्था करना ;

(ढ) खतरनाक इमारतों, पेड़ों या स्थानों को हटाना, गिराना या उन्हें निरापद बनाना ;

(ण) लावारिस, रोग ग्रस्त या पागल कुत्तों तथा हानिकर पशुओं के विनाश की व्यवस्था करना ;

(त) [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की वृत्त–पुस्तिकाओं तथा [1][जिला पंचायत] की निर्धारण–सूचियों के निरीक्षण के लिये शर्तें नियत करना ;

(थ) किसी गन्दे पानी के गड्ढे, नाली स्टीम इंजिन या ब्वायलर के पानी के अथवा किसी गन्दे क्षोभकर अथवा हानिप्रद पदार्थ के किसी नही, तालाब या जल–संभरण के अन्य स्त्रोत या उसके किसी ऐसे निर्दिष्ट भाग में, जिसका पानी साधारणतया पीने या स्नान करने के प्रयोजनों के लिये उपयोग मे लाया जाता हो, डाले जाने का निषेध करना ।

नियमों तथा उपविधियों का उल्लंघन

240–नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से [1][जिला पंचायत] निदेश दे सकती है कि उसका उल्लंघन अर्थ–दण्ड से

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

दण्ड्य होगा जो [1][एक हजार रूपये] तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ–दण्ड से दण्ड्य होगा जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, [1][पचास रूपये] तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थ–दण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्ड्य होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा ।

राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों का पूर्व प्रकाशन आदि

241–(1) राज्य सरकार का इस अध्याय के अधीन विनियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन रहते हुए कि विनियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही बनाये जाये और वे तब तक प्रभावी न हों जब तक कि वे गजट में प्रकाशित न हो जाये ।

(2) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई विनियम समस्त मण्डलों या जिलो के लिये अथवा ऐसे समस्त मण्डलों या जिलों के लिये, जिन्हें स्पष्ट रूप से उसके प्रवर्तन से अपवर्जित न किया गया हो, सामान्य रूप से ही सकता है अथवा किसी एक या अधिक मण्डलों या जिलों के संपूर्ण क्षेत्र या किसी एक भाग के लिये विशेष रूप से हो सकता है, जैसा भी राज्य सरकार निदेश दें ।

परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों तथा उपविधियों की पुष्टि आदि

242–(1) [2][जिला पंचायत] का धारा 238 की उपधारा (1) के खण्ड (ड़) से (थ) तक के अधीन विनियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसे विनियम तब तक प्रभावी न होंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उनकी पुष्टि न हो जाय ।

(2) [2][जिला पंचायत] का उपविधि बनाने का अधिकार इन शर्तो के अधीन होगा कि ऐसी उपविधियां पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही बनायी जायेगी और वे तब तक प्रभावी में होंगी जब तक कि नियत प्राधिकारी द्वारा उनकी पुष्टि न हो जाय और वे गजट में प्रकाशित न हो जाय ।

(3) उपविधि की पुष्टि करने में नियत प्राधिकारी अथवा विनियम की पुष्टि करने में राज्य सरकार उसके स्वरूप में कोई ऐसा परिवर्तन कर सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(4) धारा 238 की उपधारा (1) के खण्ड (ड़) से (थ) तक के अधीन बनाये गये विनियमों में किया गया कोई परिवर्तन या उसका रद्द किया जाना तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाय और इसी प्रकार से [2][जिला पंचायत] द्वारा बनायी गयी उपविधि में कोई परिवर्तन या उसका रद्द किया जाना तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि नियत प्राधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाय ।

(5) राज्य सरकार अपने आशय के पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, किसी ऐसे विनियम को जिसकी उसने पुष्टि की हो, अथवा उसी प्रकार नियत प्राधिकारी किसी ऐसी उपविधि को जिसकी उसने पुष्टि की हो, रद्द कर सकता है और तदुपरान्त वह विनियम या उपविधि प्रभावी न रह जायेगी ।

अध्याय —– 12

प्रक्रिया

अनुपालन के लिये उचित समय का निश्चित किया जाना

243–जब इस अधिनियम को किसी धारा के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस द्वारा द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाना अपेक्षित हो, जिसके लिये उपधारा, नियम या उपविधि में कोई समय निश्चित न हो, तो वह

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 118 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कार्य करने के लिये उस नोटिस में उचित समय निर्दिष्ट कर दिया जायगा और यह निर्णय करना न्यायालय के हाथ में होगा कि इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया समय इस धारा के अर्थ में उचित समय है या नहीं।

नोटिस की तामील

244–(1) इस अधिनियम की किसी धारा के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी या तैयार किया गया प्रत्येक नोटिस या बिल, जब तक कि उस धारा, नियम या उपविधि में स्पष्टतया अन्यथा व्यवस्थित न हो, निम्नलिखित प्रकार से तामील या प्रस्तुत किया जायगा ––

(क) ऐसा नोटिस या बिल उस व्यक्ति को, जिसे वह सम्बोधित हो, देकर या प्रस्तुत करके, या उसके पास डाक द्वारा भेजकर, अथवा

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले तो नोटिस या बिल उसके अन्तिम ज्ञात निवास–स्थान पर, यदि वह [1][जिला पंचायत] या सम्बद्ध [1][क्षेत्र पंचायत], जैसी भी दशा हो, के अधिकार क्षेत्र देकर या प्रस्तुत करके, अथवा नोटिस या बिल को उस इमारत या भूमि के, यदि कोई हो, जिससे उस नोटिस या बिल का सम्बन्ध हो, किसी प्रमुख भाग पर लगवा कर लिया जायगा ।

(2) जब इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन कोई नोटिस किसी इमारत या भूमि के स्वामी या अध्यासी पर तामील किया जाना, इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात हो, तो उसकी तामील उन दशाओं में जिनके लियेंइ स अधिनियम में अन्यथा विशेष रूप से व्यवस्था न की गयी हो ––

(क) नोटिस स्वामी या अध्यासी को देकर या प्रस्तुत करके या उसके पास डाक द्वारा भेजकर, अथवा यदि एक से अधिक स्वामी या अध्यासी हों तो, उनमें से किसी एक को देकर या प्रस्तुत करके या उसके पास डाक द्वारा भेजकर, या

(ख) यदि ऐसा स्वामी या अध्यासी न मिले तो उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरूष, सदस्य या सेवक को देकर या प्रस्तुत करके या नोटिस को उस इमारत या भूमि के, जिससे उसका सम्बन्ध हो, किसी प्रमुख भाग पर लगवा कर दी जायगी ।

(3) यदि वह व्यक्ति, जिस पर नोटिस या बिल तामील किया जाना हो, अवयस्क हो तो उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरूष, सदस्य या सेवक पर उसका तामील किया जाना उस अवयस्क पर उसकी तामील समझी जायगी ।

दोषपूर्ण आकार

245–कोई नोटिस या बिल आकार में दोष होने के कारण अमान्य नहीं होगा ।

व्यक्ति विशेष को जारी किये नये नोटिस की अवज्ञा

246–यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा किसी नियम या विधि के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस दिया गया हो जिसके द्वारा उससे, किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, चाहे वह चल हो या अचल, सार्वजनिक हो या निजी, नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, किसी कार्य के निष्पादन की, अथवा किसी वस्तु की व्यवस्था करने की या कोई कार्य करने या न करने की अपेक्षा की गयी हो, और यदि वह व्यक्ति उस नोटिस का अनुपालन न करे तो ––

(क) यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या सम्बद्ध [1][क्षेत्र पंचायत] ऐसे कार्य को निष्पादित करवा सकती है या ऐसी वस्तु की व्यवस्था कर सकती है या उस कार्य को करवा सकती है और इस मद में अपने द्वारा किये गये समस्त व्यय को उक्त व्यक्ति से अध्याय 8 में व्यवस्थित रीति से वसूल कर सकती है, तथा इसके अतिरिक्त –;

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) उक्त व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी पाये जाने पर अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो एक सौ रूपये तक हो सकता है, और उल्लंघन जारी रखे जाने की दशा में अतिरिक्त अर्थ–दण्ड का भागी होगा जो प्रथम दोष–सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, पांच रूपये तक हो सकता है ।

अभियोजन के लिये प्राधिकार

247–जब तक स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्थित न हो, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन दण्डनीय अपराधों में से किसी अपराध का तब तक संज्ञान न करेगा जब तक कि [1][जिला पंचायत] या सम्बद्ध [1][क्षेत्र पंचायत] या [1][जिला पंचायत] अथवा सम्बद्ध [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभियोग प्रस्तुत न करे या [1][जिला पंचायत] या उकत व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त न हो।

अपराधों में समझौता का अधिकार

248–(1) [1][जिला पंचायत] या अध्यक्ष या [1][क्षेत्र पंचायत] का प्रमुख कार्यवाहियों के प्रारम्भ के पहले या पीछे, इस अधिनियम या किसी नियम या उपविधि के विरूद्ध किये गये सिकी अपराध में समझौता कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे अपराध में जो [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा या [1][जिला पंचायत] या क्षेत्र. समिति की ओर से जारी किये गये लिखित नोटिस का अनुपालन न करने के कारण हुआ हो, तब तक समझौता न किया जायगा जब तक कि उस नोटिस का यथासम्भव अनुपालन न कर दिया गया हो ।

(2) जब किसी अपराध में समझौता हो चुका हो तो अपराधी को, यदि वह अभिरक्षा में हो, छोड़ दिया जायगा तथा इस प्रकार समझौता किये गये अपराध के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही न की जायगी ।

(3) इस धारा के अधीन समझौते के रूप में दी गई धनराशियां, जिला निधि या क्षेत्र निधि, जैसी भी दशा हो, में जमा की जायेगी ।

परिषद् में निहित सम्पत्ति की क्षति के लिये प्रतिकर

249–यदि किसी ऐसे कार्य, उपेक्षा या चूक से, जिसके कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आरोपित शास्ति का भागी हो गया हो, [1][जिला पंचायत] या किसी [1][क्षेत्र पंचायत] की किसी सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंची हो तो ऐसी शास्ति का भागी व्यक्ति उस क्षति को पूरा करने का तथा उस शास्ति के भुगतान करने का उत्तरदायी होगा और विवाद की दशा में, क्षतिपूरक की मात्रा उस मैजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जायगी जिसके द्वारा उक्त शास्ति का व्यक्ति दण्डित किया जाय तथा मांग की जाने पर ऐसी धनराशि का भुगतान न किये जाने पर वह अभिहरण द्वारा वसूल की जायगी तथा उक्त मैजिस्ट्रेट तदर्थ अपना अधिपत्र जारी करेगा ।

अपराधों के तथा परिषद् तथा [1][क्षेत्र पंचायत] के प्राधिकारियों की सहायता के सम्बन्ध में पुलिस के अधिकार तथा कर्तव्य

250– प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपनी जानकारी मे आने वाले किसी ऐसे अपराध की, जो इस अधिनियम के विरूद्ध या किसी ऐसे अधिनियम के विरूद्ध किया गया हो जिसमें या जिसके अधीन अर्थ दण्ड के जिला निधि या क्षेत्र निधि में जमा किये जाने की व्यवस्था हो, या उक्त अधिनियमो मे से किसी के अधीन बनाये गये किसी नियम के विरूद्ध किया गया हो, सूचना तुरन्त, यथास्थिति [1][जिला पंचायत] या सम्बद्ध [1][क्षेत्र पंचायत], को देगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी [1][जिला पंचायत] के या किसी [1][क्षेत्र पंचायत] के समस्त सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों को उनके विधिसंगत अधिकार के प्रयोग मे सहायता देने के लिये बाध्य होगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परिषद् के आदेश के विरूद्ध अपील

251–(1) कोई व्यक्ति, जो यथास्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की धारा 165 (1), 171, 184, 191 (6), 193, 202, 216, 218, 221 के अधीन या धारा 239 की उपधारा (2) के शीर्षक "घ" के उपशीर्षक (क) तथा शीर्षक "ड़" के अधीन बनाई गई उपविधि के अन्तर्गत प्रा्प्त अधिकारों के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये किसी आदेश या निदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, जसमें वह वह समय निकाल दिया जायगा जो उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये अपेक्षित हो, ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें राज्य सरकार ऐसी अपीलें या उसमें सें किसी अपील को सुनने के प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, अथवा यदि ऐसे कोई पदाधिकार नियुक्त न किये जाये तो जिला मैजिस्ट्रेट को, अपील कर सकता है ।

(2) यदि अपीलीय प्राधिकारी उचित समझे तो वह अपील करने के लिये उपधारा (1) द्वारा अनुज्ञात अवधि को बढ़ा सकता है ।

(3) कोई अपील तब तक पूर्णतः या अंशतः खारिज या स्वीकृत न की जायगी जब तक कि संबद्ध पक्षों को करण बताने या सुने जाने का उचित अवसर न दे दिया गया हो ।

व्यय

252–(1) अपील का निर्णय करने वाले न्यायालय को स्वमति से व्यय दिलाने का अधिकार होगा ।

(2) इस धारा के अधीन [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] को दिलाया गया व्यय [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानों वह अपीलकर्ता से प्राप्त किसी कर बकाया हो ।

(3) यदि [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] इस धारा के अधीन किसी अपीलकर्ता को दिलायें गये किसी व्यय का भुगतान उस दिनांक के, जिस पर उसका भुगतान करने के लिये दिये गये आदेश की सूचना उसे दी गयी हो, दस दिन के भीतर न करे तो व्यय दिलाने वाला न्यायालय, यथास्थिति, जिला निधि या क्षेत्र निधि की अवशिष्ट धनराशि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को उक्त व्यय की धनराशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

अपीलीय अधिकारी के आदेश का अन्तिम होना

253–(1) धारा 251 में उल्लिखित किसी आदेश या निदेश पर उसमें व्यवस्थित रीति या अधिकारी से अन्यथा आपत्ति न की जायेगी ।

(2) अपीलीय प्राधिकारी का ऐसा आदेश, जिसके द्वारा वह उक्त आदेश या निदेश की पुष्टि करे, उसे रद्द करे या उसका परिष्कार करे, अन्तिम होगा :

प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि अपीलीय प्राधिकारी के लिये यह वैध होगा कि प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर तथा दूसरे पक्ष को नोटिस देने के बाद, यह अपने द्वारा अपील में दिये गये किसी आदेश का पुनर्विलोकन एक ऐसे अतिरिक्त आदेश द्वारा करे जो उसके मूल आदेश के दिनांक से तीन महीने के भीतर दिया जाय :

द्वितीय प्रतिबन्ध यह हे कि यदि धारा 251 में उल्लिखित कोई आदेश या निदेश किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकार का अतिलंघन करता हो तो उसे तद्विषयक क्षेत्राधिकारयुक्त किसी दीवानी न्यायालय में उक्त आदेश या निदेश पर आपत्ति करने का अधिकार होगा ।

कुछ मामलों में निलम्बन या अभियोजन

254–यदि धारा 251 में निर्दिष्ट प्रकार के किसी आदेश या निदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती हो और उसके विरूद्ध अपील की गयी हो, या धारा 251 के अधीन

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

दिये गये किसी आदेश या निदेश की विषय–वस्तु के सम्बन्ध में दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया हो तो ऐसे आदेश निदेश को प्रवर्तित करने की समस्त कार्यवाहियां तथा उसके उल्लंघन के लिये किये गये समस्त अभियोजन, यथास्थिति, अपीलीय प्राधिकारी के अथवा दीवानी न्यायालय के आदेश द्वारा अपील या वाद का निर्णय होने तक के लिये निलम्बित किये जा सकते है, और यदि अपील में या दीवानी न्यायालय के निर्णय द्वारा ऐसा आदेश या निदेश रद्द कर दिया जाय तो उसका उल्लंघन कोई अपराध नहीं समझा जायगा ।

परिषद् या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा देय प्रतिकर के सम्बन्ध में विवाद

255–(1) यदि प्रतिकर की उस धनराशि के सम्बन्ध में, जिनका भुगतान करना इस अधिनियम द्वारा [1][जिला पंचायत] या [1][जिला पंचायत] से अपेक्षित है, कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निबटारा ऐसी रीति से किया जायगा जिसके विषय में संबद्ध पक्ष सहमत हों, या कोई सहमति न हो सके तो, [1][जिला पंचायत] या क्षेत्र समिति द्वारा या प्रतिकर पाने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा कलेक्टर को प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा उसका निबटारा किया जायगा ।

ऐक्ट संख्या 1, 1894

(2) कलेक्टर का प्रतिकर दिलाने का कोई निर्णय, प्रतिकर पाने का दावा करने वाले व्यक्ति के इस अधिकार के अधीन होगा कि वह उसे लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 की धारा 18 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जिला न्यायाधीश को अभिदिष्ट करवायें ।

(3) ऐसे मामलों में, जिनमें भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया जाय, कलेक्टर द्वारा जिला न्यायाधीश, यथा सम्भव उस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो उक्त अधिनियम द्वारा सार्वजनकि प्रयोजनों के निमित्त अर्जित की जाने वाली भूमि के अर्जन के लिये प्रतिकर देने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाहीयों के लिये नियत की गयी है ।

स्थानीय प्राधिकारी के बीच विवादों का निर्णय

256–(1) यदि [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] तथा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के बीच किसी ऐसे मामले मे जिसमें वे संयुक्त रूप से हित रखते हों, विवाद उत्पन्न हो तो विवाद राज्य सरकार को अभिदिष्ट कर दिया जायगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

(2) राज्य सरकार [1][जिला पंचायतों] तथा [1][जिला पंचायतों] और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच किसी ऐसे मामले में जिसमें वे संयुक्त रूप से स्वत्व रखते हों, रहने वाले सम्बन्धों को नियम द्वारा विनियमित कर सकती है ।

परिषद् या [1][क्षेत्र पंचायत] के अधिकार या सेवक आदि के विरूद्ध वादे

257–(1) किसी [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के विरूद्ध या [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद, जो उसके द्वारा अधिकारिक स्थिति से किये गये अथवा किये गये भाषित होने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में हो, तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक कि एक लिखित नोटिस [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की दशा में उसके कार्यालय में छोड़ें जाने और सदस्य, अधिकारी या सेवक की दशा में उसे या उसके कार्यालय या निवास स्थान में दिये जाने के पश्चात् दो महीने की अवधि व्यतीत न हो गई हो और उक्त नोटिस में वाद के कारण प्रार्थित अनुतोष के स्वरूप, अभ्यर्थित प्रतिकर की धनराशि तथा वादेच्छुवादी के नाम और निवास स्थान का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा तथा वाद–पत्र में यह प्राकथन भी होगा कि ऐसा नोटिस दे दिया या कार्यालय में छोड़ दिया गया है ।

(2) यदि [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] या उक्त सदस्य, अधिकारी या सेवक ने कार्यवाही आरम्भ की जाने के पूर्व वादी की भूल–सुधार स्वरूप पर्याप्त धनराशि

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्रस्तुत कर दी हो तो वादी इस प्रकार प्रस्तुत की गयी धनराशि से अधिक कोई धनराशि वसूल नहीं करेंगे तथा ऐसी धनराशि प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रतिवादी द्वारा किये गये समस्त व्ययों का भी भुगतान करेगा ।

(3) उपधारा (1) में वर्णित प्रकार की कोई कार्यवाही, जब तक कि वह अचल सम्पत्ति की प्राप्ति या उसके आगम की घोषणा के लिये की गयी कार्यवाही न हो, वाद–कारण उत्पन्न होने के छः महीने के पश्चात् प्रारम्भ न की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे वाद पर प्रवृत्त होती है जिसमें प्रार्थित अनुतोष केवल व्यादेश हो जिसका कि उद्देश्य नोटिस दिये जाने से या वाद अथवा कार्यवाही का प्रारम्भ स्थगित किये जाने से विफल हो जायगा ।

दीवानी न्यायालयों द्वारा परिषद् [1][क्षेत्र पंचायत] या उनके अधिकारियों के विरूद्ध अस्थायी आदेश का निर्देश

258– किसी वाद के दौरान में कोई दीवानी न्यायालय ––

(क) किसी व्यक्ति को [1][जिला पंचायत] या प्रस्तुत कर की किसी समिति या उप–समिति के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या सेवक के अधिकारों का प्रयोग करने या कृत्यों य कर्तव्यों का सम्पादन करने से इस आधार पर रोकने के लिये कि वह व्यक्ति यथोचित रूप से सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या सेवक के रूप में निर्वाचित, अनुमेलित या नियुक्त नहीं हुआ है ; या

(ख) किसी व्यक्ति को, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] की किसी समिति या उप–समिति के सदस्य, प्रमुख, उपप्रमुख, अधिकारी या सेवक के अधिकारों का प्रयोग या कृत्यों तथा कर्तव्यों का संपादन करने से इस आधार पर रोकने के लिए के रूप में निर्वाचित, अनुमेलित या नियुक्त नहीं हुआ है ; या

(ग) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, या किसी प्रस्तुत कर या [1][क्षेत्र पंचायत] या प्रस्तुत कर या [1][क्षेत्र पंचायत] की किसी समिति या उपसमिति को कोई निर्वाचित करने या किसी विशेष रीति से कोई निर्वाचित करने से रोकने के लिए कोई अस्थायी व्यादेश या अन्तरिम आदेश न देगा ।

अध्याय –– 13

प्रकीर्ण

राज्य सरकार द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान

259–राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत प्राधिकारी को किसी निर्दिष्ट प्रस्तुत कर या [1][जिला पंचायत] अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा अपने में निहित किसी एक या अधिक अधिकारों को प्रतिनिहित कर सकती है ।

वृत्त–पुस्तिकाओं तथा कर निर्धारण सूचियों के निरीक्षण की सुविधा

260– प्रस्तुत कर या प्रत्येक [1][क्षेत्र पंचायत] की वृत्त–7 पुस्तिकओं तथा प्रस्तुत कर की कर निर्धारण–सूचियों का निरीक्षण किसी भी कर दाता या निर्वाचक द्वारा तदर्थ प्रविधि द्वारा नियत शर्तों के अधीन निःशुल्क किया जा सकेगा ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के प्रचार की व्यवस्था

261–पुस्तकें, जिनमें प्रत्येक नियम, विनियम तथा उपविधि हो, तथा स्थिति, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत], के कार्यालय में रखी जायेगी तथा कार्य के साधारण घंटों में किसी भी व्यक्ति द्वारा उनका निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकेगा तथा वे तदर्थ उपविधि द्वारा निर्दिष्ट उचित मूल्य पर जनसाधारण के हाथ विक्रय के लिए ऐसे कार्यालयों में रखी रहेंगी।

परिषद् या [1][क्षेत्र पंचायत] के अधिलेखों के सिद्धि की रीति

262–प्रस्तुत कर या [1][क्षेत्र पंचायत] के कब्जे की कोई रसीद, प्रार्थना–पत्र, नक्शा, नोटिस, आदेश, रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह उसके विधिक पालक या तदर्थ प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा यथावत प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या लेख्य के विद्यमान होने के प्रथम दृष्टया *(Prima facie)* साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी ओर उसमें अभिलिखित विषयों तथा व्यवहारों के लिए ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस आपत्ति तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी जिसमें और जहां त कमूल प्रविष्टि या लेख्य, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिए ग्राहय होता ।

परिषद् या [1][क्षेत्र पंचायत] के कर्मचारियों को लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाएं जाने पर निर्बन्धन

263–प्रस्तुत कर या [1][क्षेत्र पंचायत] के किसी अधिकारी या कर्मचारी से, किसी ऐसे विधिक कार्यवाही में जिसमें प्रस्तुत कर या [1][क्षेत्र पंचायत] एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसकी अन्तर्वस्तु पूर्वगामी धारा के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध की जा सकती हो अथवा उसमें अभिलिखित विषयों तथा व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा नहीं की जायगी जब तक कि विशेष कारण से न्यायालय ने ऐसा आदेश न दिया हो ।

सदस्यों द्वारा परिषदों या [1][क्षेत्र पंचायतों] के निर्माण कार्यों तथा रजिस्टरों का निरीक्षण

264– प्रस्तुत कर या [1][क्षेत्र पंचायत] का कोई सदस्य किसी ऐसे निर्माण–कार्य या संस्था का, जो यथास्थिति, पूर्णतः प्रस्तुत कर या [1][क्षेत्र पंचायत] के व्यय से निर्मित या अनुरक्षित हो तथा अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से, यथास्थिति, प्रस्तुत कर या [1][क्षेत्र पंचायत] के कार्यालय के किसी रजिस्टर, पुस्तक, लेखे या अन्य लेख्यों का निरीक्षण कर सकता है ।

मानदेय और भत्ते

[2]**[264–क–** (1) जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और [3][x x x] ऐसे मानदेय और ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसा नियत किया जाय ।

(2) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से भिन्न जिला पंचायत के सदस्य और प्रमुख और [3][x x x] से भिन्न क्षेत्र पंचायत के सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसा नियत किया जाय।]

निर्वाचन की रीति और संचालन

[2]**[264–ख–** (1) जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, उप–प्रमुख या किसी सदस्य के पद पर निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा नियमों में दी गई रीति से किया जायगा, जिनमें ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख और उप प्रमुख के निर्वाचन से सम्बन्धित शंकाओं और विवादों के समाधान की भी व्यवस्था होगी ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 119 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा निकाला गया ।

(2) जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख [1][x x x] या किसी सदस्य के पद पर निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।][1]

[2][(3) उपधारा (4) में यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष या [1][x x x] या सदस्यों या किसी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, [1][x x x], [1][x x x] या सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के लिये दिनांक या दिनांकों को नियत करेगी ।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष, [1][x x x] या, सदस्यों या किसी क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, [1][x x x] [1][x x x] या सदस्यों के उप निर्वाचन के लिये दिनांक या दिनांकों को नियुक्त करेगा।]

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण आदि के कर्मचारी वृन्द को निर्वाचन कार्य के लिये उपलब्ध किया जायेगा

[3]**[264–ग–** (1) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुये जिला मजिस्ट्रेट जिले मे इस अधिनियम के अधीन सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा ।

(2) जिले में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार से सहायक अनुदान प्रान्त करने वाले प्रत्येक शिक्षा संस्था का प्रबन्धाधिकरण, जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, उेस अथवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन अधिकारी के रूप मे नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब करेगा जो ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हों ।

(3) इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से और उपर्युक्त संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरणों से उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करने की अपेक्षा कर सकता है जो ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हों और वे प्रत्येक ऐसी अधिचायना का पालन करेंगे ।

(4) यदि उपधारा (2) या उपधारा (3) में अभिदिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण या संस्था का कोई कर्मचारी ऐसे निर्वाचनों के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाय तो वह ऐसे कर्तव्य का पालन करने के लिये बाध्य होगा ।]

परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिये अधिग्रहण

[3]**[264–घ–** (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि जिले के भीतर इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में ——

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 22 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

(क) इस प्रयोजन के लिए कि उसका मतदान स्थल के रूप में या मतदान होने के पश्चात् मतपेटियां के रखने के लिए उपयोग किया जाये, किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, अथवा

(ख) किसी मतदान स्थल से या को मतपेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिये या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्बाधन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन के लिये किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिये किसी यान, जलयान या जीवजन्तु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, तो वह ऐसे परिसर, या यथास्थिति, ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा, और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा, जैसे कि अधिग्रहण के संबंध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई यान, जलयान या जीवजन्तु, जिसे उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता ऐसे उम्मीदवार के निर्वाचन के संसक्त किसी प्रयोजन के लिये विधिपूर्णतः उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिगृहीत न किया जायेगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाए ।

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को सम्बोधित लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा जिसकी बाबत जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि वह उस संपत्ति का स्वामी है या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश की उस व्यक्ति पर तामील, जिसे वह सम्बोधित है, विहित रीति में की जायगी ।

(3) जब कभी कोई संपत्ति उपधारा (1) के अधीन अधिगृहीत की जाये तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि के परे विस्तृत न होगी जिसके लिए ऐसी सम्पत्ति उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिये अपेक्षित है ।

(4) इस धारा में ——

(क) "परिसर" से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है और झोपड़ी, रोड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अन्तर्गत आता है,

(ख) "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिये उपयोग में आता है या उपायों में लाये जाने योग्य है भले ही वह यांत्रिक शक्ति से नोदित हो या न हो ।]

प्रतिकर का संदाय

[1] **[264–ङ–** (1) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट किसी परिसर को धारा 264–घ के अनुसरण में अधिगृहीत करे तब हितबद्ध व्यक्तियों का संदाय को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जिसकी रकम का अवधारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जायेगा, अर्थात् : ——

(i) परिसर की बाबत देय भाटक या यदि कोई भाटक ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिए देय भाटक :

(ii) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अपने निवास स्थान या कारबार के स्थान को बदलने के लिये विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो) ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

परन्तु जहां कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुये जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के अन्दर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जाय वहां दिये जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करें :

परन्तु यह और भी कि जहां प्रतिकर पाने हक की बाबत या प्रतिकर की रकम के प्रभाजन की बाबत कोई विवाद है जहां अवधारण के लिये उसे जिला मजिस्ट्रेट अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगा और वह विवाद ऐसे मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण –– इस उपधारा में "हितबद्ध व्यक्ति" पद से वह व्यक्ति, जो धारा 264–घ के अधीन अधिगृहीत परिसर पर अधिग्रहण के अव्यवहितपूर्व वास्तविक कब्जा रखता था या जहां कि कोई व्यक्ति ऐसा वास्तिविक कब्जा नहीं रखता था जहां ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है ।

(2) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट कोई यान, जलयान या जीवजन्तु धारा 264–घ के अनुसरण में अधिगृहीत करें तब उसके स्वामी को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जिसकी रकम का अवधारण जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु की भाड़े पर लेने के लिए उस परिक्षेत्र में प्रचलित भाड़े या दरों के आधार पर करेगा :

परन्तु जहां कि ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का स्वामी ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुये जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के भीतर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया जाये वहां दिये जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और भी कि जहां अधिगृहीत किये जाने से अव्यवहितपूर्व यान या जलयान स्वामी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में अवक्रय करार के आधार पर था वहां अधिग्रहण के बारे में संदेय कुल प्रतिकर के रूप में इस उपधारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच में ऐसी रीति में, जिसके लिए वे सहमत हो जायें, और ऐसी सहमति के अभाव में, ऐसी रीति में, जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ विनिश्चित करें, प्रभाजित की जाएगी ।]

जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति

[1][**264–च–** जिला मजिस्ट्रेट किसी संपत्ति को धारा 264–ध के अधीन अधिगृहीत करने की या धारा 264–ड़ के अधीन संदेय प्रतिकर की अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति से आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सम्पत्ति संबंधी अपने कब्जे की ऐसी जानकारी, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे प्राधिकारी को दे जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाये ।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

किसी परिसर आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्तियां

[1][**264–छ–** (1) यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी परिषद् किसी यान, जलयान, या जीवजन्तु के संबंध में धारा 264–घ के अधीन आदेश किया जाए और यदि किया जायए तो किस रीति में किया जाये या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किए गए, किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय कोई व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे परिसर और उनमें के किसी यान, जलयान या जीवजन्तु का निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) इस धारा में "परिसर" तथा "यान" पदों के वहीं अर्थ हैं जो धारा 264–घ में है।]

अधिगृहीत परिसर से बेदखली

[2][**264–ज–** (1) जो कोई व्यक्ति किसी अधिगृहीत परिसर पर धारा 264–घ के अधीन किये गये किसी आदेश के उल्लंघन में कब्जा किए रहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वरा इस निमित्त सशक्त कोई प्राधिकारी उस परिसर में से संक्षेपतः बेदखल कर सकेगा ।

(2) ऐसे सशक्त कोई अधिकारी ऐसी किसी स्त्री को, जो लोक समक्ष नहीं आती, युक्तियुक्त चेतावनी और हट जाने के लिये सुविधा देकर किसी भवन के किसी ताले या चटखनी की हटा या खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा या ऐसी बेदखली के प्रयोजन के लिये कोई अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा ।]

अधिग्रहण से परिसर की विमुक्ति

[3] [**264–झ–** (1) जब कि धारा 264–घ के अधीन अधिगृहीत कोई परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त किये जाने हों, तब उनका कब्जा उस व्यक्ति को, जिससे परिसर के अधिगृहीत किये जाने के समय कब्जा लिया गया था, या यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था तो उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि वह ऐसे परिसर का स्वामी है परिदत्त किया जायेगा, और कब्जे का ऐसे परिदान जिला मजिस्ट्रेट को उन सब दायित्वों से, जो ऐसे किन्ही अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसे परिसर का कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है, विधि को सम्यक् प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिये हकदार हो ।

(2) जहां कि वह व्यक्ति, जिसे धारा 264–घ के अधीन अधिगृहीत किसी परिसर का कब्जा उपधारा (1) के अधीन दिया जाना है, पाया नहीं जा सकता या जिसका आसानी से अभिनिश्चय नहीं हो पाता या उसकी ओर से परिदान प्रतिगृहीत करने के लिये सशक्त कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नही है, वहां जिला मजिस्ट्रेट या घोषणा करने वाली सूचना कि ऐसे परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिये गये हैं ऐसे परिसर के किसी सहज दृश्य भाग में लगवायेगा और सूचना को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगा ।

(3) जबकि उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है तब ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर ऐसे अधिग्रहण के अध्यधीन ऐसे प्रकाशन की तारीख की और से न रहेंगे, और उनकी बाबत यह समझा जायगा कि वे उस व्यक्ति को परिदत्त कर दिये गये हैं, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है, और जिला मजिस्ट्रेट उक्त तारीख के पश्चात् किसी कालावधि के लिये ऐसे परिसर के संबंध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिये दायित्वाधीन न होगा ।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

[1][**264–ञ–** यदि कोई व्यक्ति धारा 264–च के अधीन किये गये आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हा सकेगी, या जुर्माने से या दोनो से, दण्डनीय होगा ।]

अधिग्रहण सम्बन्धी किसी आदेश के उल्लंघन के लिये शास्ति

265– इस अधिनियम की कोई बात इण्डियन रेलवेज ऐक्ट, 1890 के, या यूनाइटेड प्राविन्सेज विलेज सेनीटेशन ऐक्ट, 1892 के किसी उपबन्ध पर अथवा उन ऐक्टों के अधीन बनाए गए किसी नियम पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

इंडियन रेलवे ऐक्ट, 1890 तथा यूनाइटेड प्राविन्सेज विलेज सनीटेशन ऐक्ट, 1892 के सम्बन्ध में व्यावृत्ति, ऐक्ट सं0 9, 1890 यू0 पी0 ऐक्ट सं0 2, 1992

अध्याय – 14

संक्रमणकालीन उपबन्ध, निरसन तथा संशोधन

266– (1) यू0 पी0 डिस्ट्रिक्ट बोर्डस ऐक्ट, 1922 या उत्तर प्रदेश अन्तरिम [1][जिला परिषद] अधिनियम, 1958 से भिन्न किसी अधिनियमिति में, जो किसी जिले में [2][इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक] से ठीक पूर्व दिनांक पर प्रचलित हो या तद्धीन निर्मित या जारी किए गए किसी नियम, आदेश या विज्ञप्ति में, जो ऐसे दिनांक पर उक्त जिले में प्रचलित हो, जब तक कि अन्य आशय प्रतीत न हो ––

अन्य अधिनिमितियों में उल्लेख का अर्थ

यू0 पी0 ऐक्ट, सं0 10, 1922

यू0 पी0 ऐक्ट सं0 22, 1958

(क) किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उल्लेख का यह अर्थ किया जायगा कि वह जिले की [3][जिला पंचायत] का उल्लेख है और वह अधिनियमिति, नियम, आदेश अथवा विज्ञप्ति तद्नुसार उक्त [3][जिला पंचायत] के सम्बन्ध में प्रवृत्त होगी ;

(ख) किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेन्ट अथवा वाइस–प्रेसीडेंट के उल्लेखो का अर्थ, यह किया जायेगा कि वे इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के उल्लेख है ;

(ग) किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों के उल्लेख का यह अर्थ किया जायगा कि वह इस अधिनियम के अधीन उस जिले के लिए संघटित [3][जिला पंचायत] के सदस्यों का उल्लेख है ;

(घ) यू0 पी0 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922 में किसी अध्याय या किसी धारा के प्रति उल्लेख या यथासंभव यह अर्थ किया जायेगा कि वह इस अधिनियम या इसके तत्स्थानीय अध्याय या धारा का उल्लेख है ।

यू0 पी0 ऐक्ट सं0 10, 1922

[4][(2) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, किन्हीं नियमों, विनियमों, उप विधियों, परिनियत लिखतों में या तत्समय प्रवृत्त

1 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 120 द्वारा बढ़ाया गया ।

किसी अन्य विधि में, या किसी लेख या कार्यवाही में [2][जिला पंचायत] क्षेत्र समिति के उल्लेख का अर्थ यह किया जायेगा कि वह क्रमशः जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत का उल्लेख है।]

कुछ दशाओं में संपत्ति आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों तथा आभारों का उत्तराधिकार

[1]**[267**– (1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, धारा 102 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये ––

(क) समस्त सम्पत्ति, संपत्ति में हित और आस्तियां जिनके अन्तर्गत रोकड़ बाकी भी है, जहां कहीं भी वे स्थित हों, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित थी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, जिला पंचायत का क्षेत्र पंचायत में निहित हो जायेंगी और इसके अधिकार में रहेंगी, तथा

(ख) पूर्वोक्त [1][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] के ऐसे समस्त अधिकार, दायित्व और आभार चाहे थे वे किसी संविदा से उत्पन्न हुए हों, या अन्यथा जो उक्त दिनांक से ठीक पहले विद्यमान हों, यथास्थिति, उस जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के अधिकार, दायित्व और आभार हो जायेंगे ।

(2) यदि कोई सन्देह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति, हित या आस्ति उपधारा (1) के अधीन जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत में निहित हो गई हैं, या नहीं, अथवा कोई अधिकार, दायित्व या आभार जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत का अधिकार, दायित्व या आभार हो गया है या नहीं तो ऐसा संदेह या विवाद यथास्थिति मुख्य अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय जब तक कि वह किसी विधि न्यायालय के किसी निर्णय से अवकान्त न हो जाय अन्तिम होगा ।

देय धनराशियां

[1]**[268**–किसी [1][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] को देय समस्त धनराशियां, चाहे वे किसी कर के मद में देय हों, या किसी अन्य खातें में, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा वसूल की जायेंगी और, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिए सक्षम होंगी या कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगी, जिसे उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवृत्त न होने की दशा में उक्त [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] करने या प्रारम्भ करने का अधिकारी होती ।]

ऋण आभार, संविदाएं तथा विचाराधीन कार्यवाहियां

[1]**[269**– (1) किसी [1][जिला पंचायत] या [2][क्षेत्र पंचायत] द्वारा या उसकी ओर से धारा 267 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उपगत सभी ऋणों और आभारों और की गई सभी संविदाओं के सम्बन्ध में, जो उक्त दिनांक को विद्यमान हो, यह समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, यथा–स्थिति जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत द्वारा हुए अथवा किए गए और तद्नुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 121 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) उक्त [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के समक्ष प्रारम्भ किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत को संक्रमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां भी, यथासम्भव, उस प्राधिकारी को संक्रमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, प्रारम्भ या सम्पन्न की जाती ।

(3) उक्त [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन समस्त अपीलें, यथा व्यवहार्य इस प्रकार निस्तारित की जायेंगी मानों उसके प्रारम्भ किए जाने के समय, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत विद्यमान थी।

(4) उक्त [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा या उसकी ओर से चलाए गए सभी अभियोजन और उक्त [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा या उसके विरूद्ध या उक्त [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] के किसी अधिकारी द्वारा या उसके विरूद्ध चलाए गए सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो उक्त दिनांक को विचाराधीन हों, यथास्थिति, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या अधिकारी द्वारा या उसके विरूद्ध उसी प्रकार जारी रहेंगी मानो ऐसे अभियोजन, वाद या कार्यवाही चलाए जाने के समय जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत संघटित की जा चुकी हो ।][2]

नियुक्तियों, करों, बजट के तखमीनो तथा निर्धारणों का जारी रहना आदि

270– इस अध्याय के उपबन्धों द्वारा की गई स्पष्ट व्यवस्था के अधीन रहते हुए –

(क) निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व यू0 पी0 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922 या उत्तर प्रदेश अन्तरिम [1][जिला पंचायत] अधिनियम, 1958 [3][या इस अधिनियम, जैसा कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा उसके सशोधन के पूर्व था] अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन की या बनायी गयी, जारी की गई, आरोपित या स्वीकृत कोई नियुक्ति, प्रतिनिधान, विज्ञप्ति, नोटिस, कर, आदेश, निदेश, योजना, लाइसेन्स, अनुज्ञा, रजिस्ट्री, नियम, उपविधि, विनियम तथा प्रपत्र, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, तब तक प्रचलित बना रहेगा जब तक कि वह, यथास्थिति, इस अधिनियम [2][उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम] अथवा पूर्वोक्त किसी विधि के अधीन की या बनाई गई, जारी की गई, आरोपित अथवा स्वीकृत किसी नियुक्ति, प्रतिनिधान, विज्ञप्ति, नोटिस, कर आदेश, निदेश, योजना, लाइसेन्स, अनुज्ञा, रजिस्ट्री, नियम, उप–विधि, विनियम या प्रपत्र द्वारा अवकांत न कर दिया जाय ; तथा

यू0 पी0 ऐक्ट सं0 10, 1922

यू0 पी0 ऐक्ट सं0 22, 1958

(ख) यू0 पी0 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922 या उत्तर प्रदेश अन्तरिम [1][जिला पंचायत] अधिनियम, 1958, के अधीन निश्चित दिनांक के पहले तैयार किए गए समस्त बजट के तखमीनें, [4][इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक] माप तथा विभाजन जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत हों, इस अधिनियम के अधीन तैयार किए गए समझे जायेंगे ।

यू0 पी0 ऐक्ट सं0 X, 1922

यू0 पी0 ऐक्ट सं0 XXII, 1958

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 121 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 28(क) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 28(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के संघटन तक के लिए व्यवस्था

[1][**271**– इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, ––

(क) [2][उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के अधीन प्रथम जिला पंचायत] के संघटन तक की अवधि के दौरान, [5][जिला पंचायत] और उसके अध्यक्ष, [3][x x x] और स्वस्थ क्रमशः जिला पंचायत और उसके अध्यक्ष, [3][x x x] और सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और, जिला पंचायत और उसके अध्यक्ष, [3][x x x] और सदस्य समझ जायेंगे ;

(ख) [4][उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन प्रथम क्षेत्र पंचायत] के संघटन तक की अवधि के दोरान, [5][क्षेत्र पंचायत] और उसके प्रमुख [3][x x x] और सदस्य क्रमशः क्षेत्र पंचायत और उसके प्रमुख, [3][x x x] और सदस्य के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और क्षेत्र पंचायत और उसके प्रमुख, उप–प्रमुख और सदस्य समझे जायेंगे ।]

कठिनाइयां दूर करने का अधिकार

272–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को, या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रचलित किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, [6][अधिसूचित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम] ऐसे अनुकूलनलों के अधीन रहते हुए, चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, प्रभावी होगा जिन्हें वह आवश्यक तथा इष्टकर समझे ।

[7][(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति, के पश्चात् नहीं दिया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाए गए उपबन्ध प्रभावी होंगे, मानों इस अधिनियम में अधिनियमित किए गए हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से, किन्तु जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।]

संशोधन

273–अनुसूची 8 में दी गई अधिनियमितियों का संशोधन उक्त अनुसूची में उल्लिखित रूप से तथा सीमा तक किया जायेगा ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 122 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 29 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा निकाला गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 29ख द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 123(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 123(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्रतिबन्ध यह है कि यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 37 का संशोधन उस दिनांक से प्रभावी होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे तथा विभिन्न जिलों के लिये विभिन्न दिनांक निर्दिष्ट किये जा सकते हैं। **यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 26, 1947**

274– (1) उस दिनांक से जब कि जिले में [1][क्षेत्र पंचायतों] की स्थापना का कार्य पूरा हो जाय, यूनाइटेड प्राविन्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्डस ऐक्ट, 1922 तथा यूनाइटेड प्राविन्सेज लोकल रेट्स ऐक्ट, 1914 उस जिले के संबंध में निरस्त हो जायेंगे ; **निरसन** **यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 10, 1922**

[2][प्रतिबन्ध यह है कि उन क्षेत्रों के संबंध में जिनमें आस्थान जमींदारी विनाश से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन राज्य में निहित न हुए हों, उक्त ऐक्टों के उपबन्ध उस सीमा तक, जहां तक उनका सम्बन्ध स्थानिक कर आरोपित तथा वसूल करने से है, इस प्रकार निहित होने के दिनांक तक प्रचलित रहे समझे जायेंगे ।] **यू0 पी ऐक्ट संख्या 1, 1914**

[3][(2) उस दिनांक से जब धारा 17 के अधीन किसी जिले में [1][जिला पंचायतों] स्थापित हो जाये, उस जिले के संबंध में उत्तर प्रदेश अन्तरिम [1][जिला पंचायत] अधिनियम, 1958 निरस्त हो जायेगा और निरस्त रहेगा ।] **उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1958**

[4][अनुसूची — 1

[धारा 32 देखिये]

क्षेत्र पंचायतों के अधिकार तथा कृत्य

(1) कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि प्रसार भी है ;

(क) कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास ।

(ख) सब्जियों, फलों और पुष्पों की खेती और विपणन की प्रोन्नति ।

(2) भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण ;

सरकार के भूमि, सुधार, भूमि संरक्षण और चकबन्दी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना ।

(3) लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जलाच्छादन निकास ;

(क) लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण और अनुरक्षण में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना ;

(ख) सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई कार्यों का कार्यान्वयन ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 1963 की धारा 29 द्वारा बढ़ाया गया ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1965 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया ।

4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124 द्वारा प्रतिस्थापित

[1][(4) पशुपालन दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन ——

(क) पशु सेवाओं का अनुरक्षण ;

(ख) पशु, कुक्कुट और अन्य पशुधन की नस्लों का सुधार ।

(ग) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन की प्रोन्नति ।

(5) मत्स्य पालन ;

मत्स्य पालन के विकास की प्रोन्नति ।

(6) सामाजिक और फार्म वानिश ;

(क) सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण ।

(ख) सामाजिक वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति ।

(7) लघु वन उत्पाद ;

लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास ।

(8) लघु उद्योग ;

(क) ग्रामीण उद्योग के विकास में सहायता करना ।

(ख) कृषि उद्योगों के विकास की सामान्य जानकारी का सृजन ।

(9) कुटीर और ग्राम उद्योग ;

कुटींर उद्योग के उत्पादों का विपणन ।

(10) ग्रामीण आवास ;

ग्रामीण आवास कार्यक्रम में सहायता देना और उसका कार्यान्वयन ।

(11) पेयजल ;

(क) पेयजल की व्यवस्था करना तथा उसके विकास में सहायता देना ।

(ख) कलुषित जल को पीने से बचाना ।

(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना और अनुश्रवण करना ।

(12) ईंधन और चारा भूमि ;

(क) ईंधन और चारा से सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रोन्नति ।

(ख) पंचायत क्षेत्र में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण ।

(13) सड़क, पुलिया, पूलों, नौका घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन ;

(क) नांवों के बाहर सड़कों, पुलियों का निर्माण और उनका अनुरक्षण ।

(ख) पुलों का निर्माण ।

(ग) नौका घाटों और जलमार्गों के प्रबन्ध में सहायता ।

(14) ग्रामीण विद्युतीकरण ;

ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रोन्नति ।]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 124 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(15) गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोंतो ;

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोंतो के प्रयोग को बढ़ावा देना और उसकी प्रोन्नति।

(16) गरीबी उपशमन कार्यक्रम ;

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(17) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं ;

(क) प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का विकास ।

(ख) प्रारम्भिक और सामाजिक शिक्षा की प्रोन्नति ।

(18) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा ;

ग्रामीण शिल्पकारों और व्यावसायिक शिक्षा की प्रोन्नति ।

(19) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा ;

प्रौढ़ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो का पर्यवेक्षण ।

(20) पुस्तकालय ;

ग्रामीण पुस्तकालयों की प्रोन्नति और पर्यवेक्षण ।

(21) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य ;

(क) सांस्कृतिक कार्यो का पर्यवेक्षण ।

(ख) क्षेत्रीय लोक गीतों, नृत्यों और ग्रामीण खेलकूद की प्रोन्नति और आयोजन ।

(ग) सांस्कृतिक केन्द्रो का विकास और प्रोन्नति ।

(22) बाज़ार और मेले ;

ग्राम पंचायत के बाहर मेलों और बाजारों (जिसमें पशु मेला भी सम्मिलित है) की प्रोन्नति पर्यवेक्षण और प्रबन्ध ।

(23) चिकित्सा और स्वच्छता ;

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालयों की स्थापना और अनुरक्षण ।

(ख) महामारियों का नियंत्रण ।

(ग) ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।

(24) परिवार कल्याण ;

परिवार कल्याण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रोन्नति ।

(25) प्रसूति और बाल विकास ;

(क) महिलाओं और बाल स्वास्थ्य, विकास स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में संगठनों की सहभागिता के लिये कार्यक्रमों की प्रोन्नति ।,

(26) समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है ––

(क) समाज कल्याण कार्यक्रमों, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है, में भाग लेना।][1]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 124 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(ख) वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं का अनुश्रवण करना ।

(27) कमजोर वर्गों और विशिष्ट तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण ;

(क) अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति ।

(ख) सामाजिक न्याय के लिये योजनायें तैयार करना और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।

(28) सार्वजनिक वितरण प्रणाली ––

आवश्यक वस्तुओं का वितरण ।

(29) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ;

समुदायिक आस्तियों के परिरक्षण और अनुरक्षण का अनुश्रवण और मार्गदर्शन करना ।

(30) नियोजन और आंकड़ें ;

(क) आर्थिक विकास के लिये योजनायें तैयार करना ।

(ख) ग्राम पंचायतों की योजनाओं का पुनर्विलोकन, समन्वय तथा एकीकरण ।

(ग) खण्ड तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना।

(घ) सफलताओं तथा लक्ष्यों की नियतकालिक समीक्षा ।

(ङ) खण्ड योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में सामग्री एकत्र करना तथा आंकड़े रखना ।

(31) ग्राम पंचायतों पर पर्यवेक्षण ;

(क) नियत प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदानों की विवरण ।

(ख) ग्राम पंचायत के क्रिया–कलाप के ऊपर नियमों के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षण।

(32) प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना ।][1]

अनुसूची –– 2

[1][भाग –– क

(1) कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि प्रसार भी है ;

(क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपायों की अभिवृद्धि ।

(ख) गोदामों की स्थापना और उसका अनुरक्षण ।][1]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(2) भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबन्दी तथा भूमि संरक्षण ;

सरकार द्वारा सौंपे गये भूमि सुधार, भूमि संरक्षण तथा चकबन्दी कार्यक्रमों की योजनाओं का कार्यान्वयन ।

(3) लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध तथा जल विकास ;

(क) लघु सिंचाई और अन्तर खण्ड जल परियोजनाओं का निर्माण और अनुरक्षण ।

(ख) जल वितरण का प्रबन्ध करना ।

(ग) भूमिगत जल का विकास ।

(घ) जलाच्छादन विकास ।

(4) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन ;

(क) पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थापना और अनुरक्षण ।

(ख) नस्लों का सुधार ।

(ग) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन तथा सुअर पालन की प्रोन्नति ।

(5) मत्स्य पालन ;

(क) सिंचाई कार्यो में मत्स्य पालन का विकास ।

(ख) मछुआरा कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।

(6) सामाजिक और फार्म वानिकी ;

(क) सामाजिक और फार्म वानिकी, ईधन वृक्षारोपण और रेशम उत्पादन की प्रोन्नति।

(ख) बंजर भूमि का विकास ।

(7) लघु वन उत्पाद ;

लघु वन उत्पाद के कार्यक्रमों की प्रोन्नति और उनका क्रियान्वयन ।

(8) लघु उद्योग ;

लघु उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण इकाई की प्रोन्नति ।

(9) कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग ;

(क) ग्रामीण और कुटीर उद्योग में प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना और अनुरक्षण ।

(ख) जिला स्तर पर पंचायत उद्योगो की स्थापना ।

(10) ग्रामीण आवास ;

(क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों की प्रोन्नति और विकास ।

(ख) अनावासीय क्षेत्र में ग्रामीण आवास का कार्यान्वयन ।

(ग) सामुदायिक केन्द्रों और विश्रामगृहों का निर्माण ।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 124(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(घ) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा किये गये ग्रामीण आवास कार्य का अनुश्रवण ।

(11) पेय जल ;

(क) सार्वजनिक प्रयोग के लिये पीने के पानी का अनुरक्षण ।

(ख) जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण ।

(12) ईधन और चारा भूमि ;

(क) ईधन और चारा कार्यक्रमों का अनुश्रवण और विकास ।

(ख) ईधन और चारा क्षेत्र के लिये पौधों का अनुरक्षण और विकास ।

(ग) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा विनियमित किये गये कार्यक्रमों का अनुश्रवण ।

(13) सड़क, पुलिया, पुल, नौकाघाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन ;

(क) जिले की ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों और जलमार्गो का विकास और अनुरक्षण ।

(ख) नदी के किनारों का अनुरक्षण ।

(ग) सड़कों पर दिशाओं और चिन्हों का अंकित करना ।

(घ) सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाने में मदद करना ।

(14) ग्रामीण विद्युतीकरण ;

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण मे ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों की सहायता करना ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश के वितरण में मदद करना ।

(15) गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत ––

(क) गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत का विकास ।

(ख) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के कार्यक्रमों में सहायता करना ।

(16) गरीबी उपशमन कार्यक्रम ;

(क) गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की योजना, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करना ।

(ख) अन्य विभागों के साथ कार्यक्रमों का समन्वय ।

(17) शिक्षा जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी है ;

(क) प्रारम्भिक, सामाजिक और माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण, अनुरक्षण और पर्यवेक्षण ।

(ख) जिलें में सभी के लिये शिक्षा उपलब्ध कराना ।

(ग) जिले में प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण ।][1]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 124ख द्वारा प्रतिस्थापित।

1[(18) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा ;

(क) तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना और उनका अनुश्रवण।

(19) प्रोढ़ और अनौपचारिक शिक्षा ;

प्रोढ़ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का नियोजन और कार्यान्वयन ।

(20) पुस्तकालय ;

(क) खण्ड स्तर और जिले में पुस्तकालयों और वाचनालयों का निर्माण और अनुरक्षण।

(ख) कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।

(21) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य ;

(क) सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रोन्नति ।

(ख) क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद क्रियाकलापों की प्रोन्नति और पर्यवेक्षण ।

(ग) विशेष अवसरों पर लोक सांस्कृतिक क्रियाकलापों की व्यवस्था ।

(22) बाज़ार और मेले ;

(क) ग्रामीण बाजारों, मेलों (जिसके अन्तर्गत पशु मेले भी है) का पर्यवेक्षण और अनुरक्षण।

(ख) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा किये गये बाजारों और मेलों से सम्बन्धित कार्यो का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण ।

(23) चिकित्सा और स्वच्छता ;

(क) महामारियों के रोकथाम और नियन्त्रण में क्षेत्र पंचायतों की सहायता करना और उपयुक्त रूप से वित्त पोषण करना ।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो और औषधालयों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबंध ।

(ग) पेय जल की सुविधायें उपलब्ध कराना ।

(24) परिवार कल्याण ;

परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण ।

(25) प्रसूति और बाल विकास ;

(क) प्रसूति और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ;

(ख) विद्यालय स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति ।

(26) समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगो और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है ;

(क) समाज कल्याण कार्यक्रमों, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है, में भाग लेना ।

(ख) वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं के समाज कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति ।]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 124(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

[1] [(27) कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण : ––

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति ।

(ख) ऐसी जातियों का सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण ।

(ग) छात्रावासों की स्थापना और प्रबन्ध ।

(घ) सामाजिक न्याय के लिये योजनायें तैयार करना और उनका कार्यान्वयन ।

(28) सार्वजनिक वितरण प्रणाली ;

ग्रामीण वस्तुओं के वितरण का नियोजन और अनुश्रवण ।

(29) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ;

(क) विकास योजनाओं का समन्वय और एकीकरण ;

(ख) सामुदायिक आस्तियों का परीक्षण और अनुरक्षण ।

(30) नियोजन और आंकड़े ;

(क) आर्थिक विकास के लिये योजना तैयार करना ।

(ख) क्षेत्र पंचायतों की योजनाओं का पुनर्विलोकन, समन्वय और एकीकरण ।

(ग) खण्ड और ग्राम स्तर पर योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना ।

(घ) सफलताओं और लक्ष्यों की नियतकालिक समीक्षा ।

(ड़) जिले के भीतर योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समस्त विषयों पर सामग्री संग्रह करना और आंकड़ों का अनुरक्षण ।

(31) सहायता कार्य ;

(क) दुर्भिक्ष निवारणार्थ निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सहायता कार्यों और सहायता गृहों की स्थापना और उनका अनुरक्षण और दुर्भिक्ष और दुष्प्राप्यता के समय ऐसी सहायता की व्यवस्था करना जो आवश्यक समझी जाय ।

(ख) निर्धन गृहों, शरणालयों, अनाथालयों, बाजारों और विश्राम गृहों की स्थापना, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निरीक्षण।][1]

---

[1][भाग –– ख

(1) पूर्व निर्मित अथवा अनिर्मित क्षेत्रों में नई सार्वजनिक सड़कों का विन्यास तथा तदर्थ एवं उक्त सड़कों से लगे हुए भवनों और उनके अहातों के निर्माणार्थ भूमि अर्जित करना,

(2) अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों का सुधार,

(3) स्कुलों की स्थापना तथा अनुरक्षण से भिन्न उपायों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना,

(4) जनगणना करना और ऐसी सूचना के लिये पारितोषिक देना जिससे जन्म–मरण के आंकड़ों की ठीक–ठीक प्रविष्टि हो सके,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 124 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) ट्राम–पथों, हवाई राज–पथों तथा यातायात के अन्य साधनों का निर्माण, उन्हें आर्थिक सहायता देना या उनके विषय में प्रत्याभूति देना,

(6) कोई क्षोभकर, खतरनाक या घृणित व्यापार, व्यवसाय या कार्य करने के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करना अथवा प्राप्त करने में सहायता देना,

(7) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर नदियों और जल संभरण के अन्य स्त्रोंतो का संरक्षण तथा उन्हें क्षति पहुंचाये जाने या दूषित अथवा कुलषित होने से बचाना,

(8) पर्यटन की उन्नति,

(9) जिले के भीतर अथवा बाहर कोई ऐसा कार्य करना जिस पर होने वाला व्यय, राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार की स्वीकृति से [1][जिला पंचायत] द्वारा, जिला निधि पथ उपयुक्त रीति से भारित व्यय घोषित किया गया है ।

अनुसूची – 3

(धारा 35 देखिए)

यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य जो [1][जिला पंचायत] अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] जैसा कि तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित है, द्वारा प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जायेंगे ;

यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा	अधिकार, कर्तव्य या कृत्य	प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रयुक्त या संपादित्त किये जायेंगे
9	[2][* * * * *]	[2][* * * * *]
11 (1)	[2][* * * * *]	[2][* * * * *]
12–ई	[3][ग्राम पंचायत] के प्रधान तथा न्याय पंचायतों के पंचों, सरपंचों और सहायक सरपंचों के पद की शपथ दिलाना	[4][क्षेत्र पंचायत]
12–एफ	[3][ग्राम पंचायतों] के प्रधान, [5][उप–प्रधान] तथा सदस्यों के त्याग–पत्रों को ग्रहण करना	[4][क्षेत्र पंचायत]
17 (ई)	सिचाईं की छोटी योजनाओं को हाथ में लेने के [4][ग्राम पंचायतों] के प्रस्तावों को स्वीकृत करना	[4][क्षेत्र पंचायत]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 124(ग) द्वारा निकाला गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की 124ग (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 9 द्वारा हटाया गया।

यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा	अधिकार, कर्तव्य या कृत्य	प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रयुक्त या संपादित किये जायेंगे
20	(1) प्राइमरी स्कूल अथवा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अथवा यूनानी अस्पताल या औषधालय स्थापित तथा अनुरक्षित करने के लिये खण्ड में स्थित पास–पड़ोस की [1][ग्राम पंचायतों] के किसी समूह को परस्पर सम्मिलित होने का निदेश देना।	[2][क्षेत्र पंचायत]
	(2) प्राइमरी स्कूल अथवा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अथवा यूनानी अस्पताल या औषधालय स्थापित तथा अनुरक्षित करने के लिये अंतर–खण्ड पास पड़ोस की [2][ग्राम सभाओं] के किसी समूह को परस्पर सम्मिलित होने का निदेश देना।	[2][जिला पंचायत]
25 (1)	पंचायत द्वारा किसी ऐसे पद के सृजन का अनुमोदन करना जिसके लिये उसके बजट में व्यवस्था न हो।	[2][क्षेत्र पंचायत]
25 (4)	(1) पंचायत कर्मचारियों का खण्ड के अन्दर स्थानान्तरण करना।	[2][क्षेत्र पंचायत]
	(2) पंचायत कर्मचारियों का खण्ड से बाहर स्थानान्तरण करना।	[2][जिला पंचायत]
25 (5)	न्याय पंचायत के अधीन सेवकों की नियुक्तियां स्वीकृत करना तथा उनके संबंध में स्थानान्तरण, दण्ड, पर मुक्ति तथा पदच्युत के अधिकारों का प्रयोग करना।	[2][क्षेत्र पंचायत]
25–ए	(1) पंचायत सेक्रेटरियों की नियुक्ति करना तथा उन पर पदोन्नति, पदच्युत तथा हटाये जाने संबंधी प्रशासकीय नियंत्रण के अधिकार।	[2][जिला पंचायत]
	(2) पंचायत सेक्रेटरियों पर छुट्टी, स्थानान्तरण तथा अन्य अनुशासन संबंधी अधिकार जिनमें नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति तथा हटाये जाने संबंधी अधिकार सम्मिलित नहीं हैं।	[2][क्षेत्र पंचायत]
27	गांव पंचायत के किसी धन अथवा संपत्ति की क्षति, बरबादी अथवा दुरुपयोग के लिये [2][ग्राम पंचायतों], संयुक्त समिति या अन्य समिति के किसी सदस्य के विरूद्ध दीवानी वाद चलाने की स्वीकृति देना ।	[2][जिला पंचायत]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124 अनुसूची– 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा	अधिकार, कर्तव्य या कृत्य	प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रयुक्त या संपादित किये जायेंगे
30 (2)	(1) खण्ड के अन्दर स्थित संयुक्त समिति की संघटक इकाइयों के बीच विवादों को तय करना।	[1][क्षेत्र पंचायत]
	(2) संयुक्त समिति की अन्तर खण्ड संघटक इकाइयों के बीच विवादों को तय करना।	[1][जिला पंचायत]
36	[2][* * * * *]	[2][* * * * *]
37–ए (2)	गलती से छोड़े गये किसी व्यक्ति पर कर या उप शुल्क लगाने के लिये [3][ग्राम पंचायतों] को निदेश देना।	[1][क्षेत्र पंचायत]
37–बी	यदि [1][ग्राम सभा] अपने आदयों की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए तीन महीने के भीतर संकल्प पारित न करें तो पंचायत करों का मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जाना प्राधिकृत करना।	
37–सी (2)	सरकार द्वारा नियत की गई परिस्थितियों में किसी कर या उप शुल्क के पूर्णतः या अंशतः छूट देना।	
37–सी (3)	किसी कर या उप शुल्क में पूर्णतः या अंशतः छूट देने के [1][ग्राम सभा] के निर्णय को अनुमोदित करना।	
39 (1)	उस अनुपात को निर्धारित करना जिसमें न्याय पंचायत के व्यय सर्किल में सम्मिलित [1][ग्राम सभाओं] की गांव निधियों (Gaon funds) पर भारित होंगे।	
41 (3)	[2][* * * * *]	[2][* * * * *]
41 (4)	[2][* * * * *]	[2][* * * * *]
41 (5)	[2][* * * * *]	[2][* * * * *]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की अनुसूची– 3 द्वारा हटाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की अनुसूची– 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा	अधिकार, कर्तव्य या कृत्य	प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रयुक्त या संपादित किये जायेंगे
96	किसी [1][ग्राम सभा], [1][ग्राम पंचायत], या संयुक्त समिति या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प या दिये गये आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध करना, यदि उसकी (नियत प्राधिकारी की) राय में ऐसा संकल्प अथवा आदेश इस प्रकार का हो कि उससे जनसाधारण या विधितः नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय के लिये अवरोध, क्लेश अथवा क्षति उत्पन्न हो अथवा होने की संभावना हो अथवा उससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिये खतरा हो या होने की संभावना हो अथवा दंगा या हंगामा उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की संभावना हो ।	[2][क्षेत्र पंचायत]
98	पंचायत उप विधियों के शास्ति खण्ड की स्वीकृति देना ।	[2][जिला पंचायत]
112 (1) (जी)	[1][ग्राम सभा] द्वारा कोई अन्य कर्त्तव्य या कृत्य किए जाने का निदेश देना।	[2][क्षेत्र पंचायत]
114	पंचायत राज ऐक्ट के अधीन संघटित किसी निकाय में हुई किसी रिक्ति को, यदि वह 6 मास से अधिक के लिये न हो, न भरने का निदेश देना।	[2][जिला पंचायत]

अनुसूची – 4

(धारा 56 देखिए)

जिला परिषद् के अधिकार तथा कृत्य

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की अनुसूची– 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित

34 (1)	इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को जिले के भीतर किसी गांव सभा, गांव पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति, को प्रतिनिहित करना या इस प्रकार प्रतिनिहित किसी अधिकार को वापस लेना।	
34 (2)	इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को [1][क्षेत्र पंचायत] को प्रतिनिहित करना अथवा [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा कोई अधिकार या कृत्य [1][जिला पंचायत] को प्रतिनिहित किये जाने के संबंध में सम्मति देना।	
35 (1)	[2] [ग्राम पंचायत] के संबंध में अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करना।	कार्य समिति, अध्यक्ष या मुख्य अधिकारियों को पूर्णतः अथवा अंशतः एक को और अंशतः अन्य को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
35 (2)	जिले की किसी गांव सभा से अपेक्षा करना कि वह अपनी कार्यवाहियों में से किसी का समन्वय [1][क्षेत्र पंचायत] की उसी प्रकार की कार्यवाहियों से करें।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
36 (क)	कोई कर अथवा उप–शुल्क आरोपित करने के किसी [2][ग्राम पंचायत] के प्रस्ताव को अनुमोदित करना और उसे स्वीकृत करना तथा किसी [2][ग्राम पंचायत] के निमित्त उपविधियां बनाना और उन्हें स्वीकृत करना	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
36 (ख)	[3][* * * * *]	[3][* * * * *]
38 (क)	यह निर्णय करना कि किसी अन्य [1][जिला पंचायत] या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ ऐसे कार्यों या उपक्रमों (undertakings) में सम्मिलित हुआ जाय या नहीं जिनसे उसके द्वारा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित समस्त क्षेत्रों को लाभ पहुंचता हो ।	
38 (ख)	यह निर्णय करना कि ऐसे किसी कार्य में या संस्था को अंशदान दिया जाय या नहीं जिससे	

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124 (घ) (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124(घ) द्वारा हटाया गया ।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
	जिले को लाभ पहुंचाता हो, भले ही वह कार्य जिले के बाहर किया जाय या संस्था जिले के बाहर अनुरक्षित हो या वह किसी नगर महापालिका, नगरपालिका, छावनी, नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया के क्षेत्र में हो।	
39 (2)	धारा 39 (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों के पदों से भिन्न पदों का सृजन करना या ऐसे पद का सृजन करना जिसके सृजन का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया गया हो।	
39 (2) प्रतिबन्धात्मक खण्ड	राज्य सरकार के विशिष्ट आदेश पर सृजित पद को समाप्त करने के लिये सरकार की स्वीकृति लेना।	अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा ।
39 (2) प्रतिबन्धात्मक खण्ड	राज्य सरकार के विशिष्ट निदेश पर सृजित किसी ऐसे पद को समाप्त करना जिसके समाप्त करने के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी हो।	
41 (1) (क)	राज्य सरकार से प्रार्थना करना कि वह अपने किसी कर्मचारियों की सेवायें [1] "जिला पंचायत" को सौप दें।	
43 (1)	कार्याधिकारी, अभियन्ता और कर अधिकारी के पदों पर तथा ऐसे पदों पर नियुक्तियां करना [2] [जिनका वेतनमान ऐसा हो जैसा सरकार निर्धारित करें]।	
43 (4) (ख)	राज्य सरकार के अपेक्षानुसार किसी सरकारी कर्मचारी को [1][जिला पंचायत] की सेवा में कर लेना।	
46 (2) (घ)	किसी अधिकारी या सेवक की सेवा समाप्त करना।	कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
48 (2) प्रतिबन्धात्मक खण्ड	सरकार द्वारा निदेश दिये जाने पर [1][क्षेत्र पंचायतों] में नियोजित सेवकों के किसी वर्ग के सम्बन्ध में जिला संवर्ग संघटित करना।	कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124(घ)(तीन) द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
48 (3)	प्रत्येक [1][क्षेत्र पंचायत] के लिये कर्मचारियों की व्यवस्था करना।	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
51 (1)	मुख्य अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों पर नियंत्रण रखना।	[1][जिला पंचायत] के सामान्य पथ–प्रदर्शन के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
57 (3)	2[* * * * *]	2[* * * * *]
57 (1)	[1][जिला पंचायत] के किन्हीं अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों को प्रतिनिहित करना।	. .
57 (3)	[1][जिला पंचायत] द्वारा प्रतिनिहित अधिकार का प्रयोग करके किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध अपील का निर्णय करना या उस आदेश का पुनरीक्षण करना।	. .
64 (1)	समितियाँ नियुक्त करना।	. .
65 (1)	विनियम द्वारा अन्य समितियाँ नियुक्त करना।	. .
65 (2)	संकल्प द्वारा परामर्श समितियाँ नियुक्त करना।	. .
77 (1)	संयुक्त समिति नियुक्त करने के लिये सहमति देने वाले एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के साथ संयुक्त होना।	. .
86 (7)	2[* * * * *]	2[* * * * *]
93 (1)	समिति की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण या कोई विवरणी माँगना।	अध्यक्ष को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124(घ) द्वारा निकाला गया।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
94 (1)	अध्यक्ष अथवा मुख्य अधिकारी से कोई विवरणियाँ आदि देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।	. .
95	कतिपय सरकारी कर्मचारियों से सहायता तथा परामर्श देने की अपेक्षा करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
100 (2)	खुलेबाजार में ऋण लेना।	. .
101 (3)	जिला निधि से धनराशि कतिपय प्रतिभूतियों मे लगाना अथवा निधियों को सावधि निक्षेप (fixed deposit) में रखना।	. .
105 (1)	अपने प्रयोजनों के निमित्त भूमि के अर्जन के लिये राज्य सरकार से प्रार्थना करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
107	[1][जिला पंचायत] में निहित किसी संपत्ति को संक्रामित करना।	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
108	जिला–निधि से प्रतिकर देना।	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
110 (7)	बजट में परिवर्तन करना।	
115 (2)	[1][क्षेत्र पंचायत] के बजट को नियोजन समिति के समक्ष रखना।	अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा ।
115 (6)	बजट के बारे में [1][क्षेत्र पंचायत] तथा नियोजन समिति के बीच मतभेद पर निर्णय करना।	. .
122	कर की वसूली [1][ग्राम सभा] को सौंपना कर–सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर निर्णय करना या उसे परिष्कृत करना।	. .
124	कर–सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर निर्णय करना या उसे परिष्कृत करना	. .
131	कर के भुगतान से विमुक्त करना।	. .

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
132	राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना और कर के दोष को दूर करना।	. .
141	[1][ग्राम पंचायतों] की निधियों में अंशदान देना।	. .
142	[2][जिला पंचायत] में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी अचल सम्पत्ति के प्रयोग या अध्यासन के लिये शुल्क लेना तथा ऐसे शुल्कों को उद्ग्रहीत तथा वसूल करना।	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
143	लाइसेन्सों, स्वीकृतियों या अनुमतियों के लिये शुल्क लेना।	. .
144	इस धारा में वर्णित शुल्क तथा पथकर निश्चित करना तथा उद्ग्रहीत करना।	. .
145	[3] [जिला पंचायत] द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या प्रबन्ध किये गये बाजारों में शुल्क या पथकर आरोपित करना	. .
189	नई सार्वजनिक सड़कों का विन्यास तथा निर्माण करना और किसी वर्तमान सार्वजनिक सड़क को चौड़ी तथा लम्बी आदि करना तथा उनसे संलग्न निर्माण–स्थलों की व्यवस्था करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
190	किसी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
191 (1) से (3) तक	आशय को विज्ञापित करने तथा आपत्तियों को तय करने के पश्चात् सार्वजनिक सड़क के दोनों ओर इमारतों के लिये सामान्य निर्माण–रेखा परिभाषित करना।	[3][कृषि उद्योग एवं निर्माण समिति] को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
191 (4)	किसी ऐसी इमारत के निर्माण की स्वीकृति देना जो सड़क की नियमित निर्माण–रेखा के समनरूप न हो।	[3][कृषि उद्योग एवं निर्माण समिति] द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
191 (5)	किसी व्यक्ति के निर्माण आदि करने से रोके जाने से होने वाली क्षति के लिये प्रतिकर देना।	कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
191 (6)	किसी ऐसी इमारत आदि में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा करना जो किसी सड़क की नियमित निर्माण–रेखा का उल्लंघन करती हो।	[1] [कृषि उद्योग एवं निर्माण समिति] द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
192 (2)	किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात करने की सहमति देना जो अन्यथा धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन [2][जिला पंचायत] द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में किये गये प्रबन्ध में हस्तक्षेप करना हो।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
195	नाली, सन्डास आदि को हटाने या उसे बन्द करने आदि की अपेक्षा करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
196	[2][जिला पंचायत] में निहित किसी सार्वजनिक नाली, पुलिया या जल–कार्य के ऊपर किसी इमारत, दीवार या अन्य संरचना के निर्माण या पेड़ लगाने की अनुमति देने तथा उसे हटाने का आदेश देना, और ऐसा न करने पर स्वयं किसी अनधिकृत संरचना या पेड़ को हटाना तथा सम्बन्धित व्यक्ति से व्यय वसूल करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
202	क्षोभकर व्यापारों को विनियमित करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
211	धारा 211 के अधीन आदिष्ट जलोत्सारण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक कोई भूमि या भूम्याधिकार अर्जित करना या अन्यथा उसकी व्यवस्था करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
231 (1) (क) तथा (ख)	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में क्षोभकर पदार्थो को अस्थायी रूप से जमा करने के लिये पात्रों तथा स्थानों की व्यवस्था करना।	जन–स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
213 (1) (ग)	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में क्षोभकर पदार्थो को हटाने के समय, रीति तथा शर्तो के सम्बन्ध में निदेश जारी करना।	[1][शिक्षा एवं जन–स्वास्थ्य समिति] द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
216	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में मनुष्यों के रहने के लिये अनुपयुक्त किसी इमारत के उपयोग का तब तक के लिये निषेध करना जब तक कि उसमें उपयुक्त परिवर्तन न कर दिये जाये और इसका अनुपालन न करने पर उसके गिराये जाने की अपेक्षा करना ।	कार्य–समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
218	स्वास्थ्य के लिये हानिकर किसी प्रकार की फसल की खेती या किसी प्रकार भी खाद का प्रयोग या सिंचाई की किसी रीति का निषेध करना ।	. .
221	किसी निर्दिष्ट कब्रिस्तान या श्मशान को बन्द करने का आदेश देना और यदि समुचित दूरी के भीतर कोई उपयुक्त स्थान न हो तो इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना, किसी सार्वजनिक नोटिस की व्याप्ति से निजी कब्रिस्तान को मुक्त करना तथा अनुभिज्ञात कब्रिस्तान या श्मशान के उपयोग की अनुमति देना।	[1][शिक्षा एवं जन–स्वास्थ्य समिति] को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
228 (2)	नियत प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश के सम्बन्ध में जिसमे किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध किया गया हो, स्पष्टीकरण देना।	. .
232	[2][जिला पंचायत] के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण देना।	. .
239	उपविधियाँ बनाना।	. .
246	यदि [2][जिला पंचायत] के नोटिस की अवज्ञा करके किसी कार्य के निष्पादन अथवा किसी वस्तु की व्यवस्था अथवा कोई कार्य करने में कोई चूक की गई हो।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124 (घ) (4) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
	तो ऐसे कार्य को निष्पादित करवाना, और इस सम्बन्ध में किया गया कुल व्यय वसूल करना।	. .
सामान्य	कोई अधिकार, कर्त्तव्य या कृत्य जिसका [1][जिला पंचायत] द्वारा प्रयोग या संपादन किसी नियम द्वारा अपेक्षित हो।	. .

अनुसूची – 5

(धारा 56 देखिए)

मुख्य अधिकारी के अनुसूचित अधिकार तथा कृत्य

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
34 (1)	[1][जिला पंचायत] द्वारा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति में से किसी को अपने कोई अधिकार या कृत्य प्रतिनिहित करने के लिये संबद्ध निकाय की सम्मति प्राप्त करना।	. .
34 (2)	ऐसा अधिकार या कृत्य ग्रहण करने के लिये [1][क्षेत्र पंचायत] की सम्मति प्राप्त करना जिसे [1][क्षेत्र पंचायत] को प्रतिनिहित करने का [1][जिला पंचायत] का प्रस्ताव हो।	. .
43 (1)	ऐसे पदों पर, [2][जिनका वेतनमान ऐसा हो जैसा राज्य सरकार निर्धारित करें [1][जिला पंचायत], नियुक्ति के सम्बन्ध में परामर्श के लिये आयोग को लिखना।	. .
86 (4)	खण्ड की योजना का प्रालेख प्राप्त करना।	. .
86 (5)	[3][* * * * *]	
101 (3)	कतिपय प्रतिभूतियों में जिला निधि की धनराशि लगाने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना।	. .

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124 (ङ) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124 (ङ) (दो) द्वारा निकाला गया ।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
102 (2)	जिले की सीमाओं के बाहर भूमि अर्जित करने या किराये पर लेने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना।	. .
113	अंतिम रूप से पारित बजट की एक प्रतिलिपि मण्डल आयुक्त तथा राज्य सरकार को भेजना।	. .
115 (3)	[1][क्षेत्र पंचायत] के बजट के सम्बन्ध में नियोजन समिति का अनुमोदन या सिफारिश [1][क्षेत्र पंचायत] को संसूचित करना।	. .
123 (3)	कर सम्बन्धी प्रस्तावों तथा नियमों के प्रालेख को नोटिस सहित प्रकाशित करना।	. .
124 (2)	क्र सम्बन्धी परिष्कृत प्रस्तावों और नियमों के पुनरीक्षित प्रालेख को नोटिस सहित प्रकाशित करना।	. .
128	उस संकल्प की प्रतिलिपि भेजना जिसमें करारोपण का निदेश दिया गया हो।	. .
148	माँग का बिल जारी करना।	. .
150	माँग का नोटिस जारी करना।	. .
155	जिला मैजिस्ट्रेट को इस आशय का प्रार्थना–पत्र देना कि वह ग्राम्य क्षेत्र के बाहर या अन्य मैजिस्ट्रेट के अधिकार–क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित संपत्ति के अभिहरण के लिये किसी अन्य मैजिस्ट्रेट को अधिपत्र जारी करे।	. .
158	[1][जिला पंचायत] को देय धनराशियों की वसूली के लिये वाद प्रस्तुत करना।	. .
159	लगान या किराये के किसी बकाये को मालगुजारी के बकाये के रूप मे वसूल करने की अपेक्षा करना।	. .
206	[1][जिला पंचायत] के खड़ंजे, गन्दी नाली आदि को किसी व्यक्ति द्वारा हटाये या परिवर्तित किये जाने के लिये लिखित स्वीकृति देना तथा [1][जिला पंचायत] द्वारा किये गये व्यय को अपराधियों से वसूल करना।	. .

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
208	कोई इमारत, कुआं आदि गिराने या हटाने आदि की अपेक्षा करना तथा आवश्यक कार्यवाही करना ।	अपील की जा सकती है ।
209	ऐसी वस्तुओं के लिए अनुमति देना जिनसे अन्यथा किसी निर्धारित ग्राम्य क्षेत्र की किसी सार्वजनिक सड़क में अवरोध पैदा होता हो, किसी अवरोध को हटाना ओर उस पर होने वाला व्यय वसूल करना ।	. .
210	फैक्टिरियों, स्कूलों आदि में शौचालयों और मूत्रालयों का व्यवस्था की अपेक्षा करना ।	. .
211	किसी जिनी कुए, तालाब आदि को साफ कराने, उसकी मरम्मत कराने, उसे ढकने, भरवाने या जलोत्सारित कराने की अपेक्षा करना ।	अपील की जा सकती है ।
212	किसी गन्दा भूमि या इमारत को साफ कराने तथा उसे उचित दशा में करने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है ।
215	किसी गन्दे पानी को भारी या गड्ढे या मल के नाले या नलकूप (cesspool) या अन्य किसी क्षोभकर पदार्थ को किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान पर बहने देने, जलोत्सारित करने या रखे जाने की स्वीकृति देना तथा उसके सम्बन्ध में कोई शर्त आरोपित करना ।	. .
219	हानिकर वनस्पति को साफ करने का आदेश देना ।	अपील की जा सकती है ।
220	खोदे गये स्थान आदि को भरने या जलोत्सारित करने की अपेक्षा करना ।	अपील की जा सकती है ।

अनुसूची – 6

(धारा 79 देखिए)

[1]"क्षेत्र पंचायत" के अधिकार तथा कृत्य

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
11 (1)	[2][***], उप–प्रमुख या सदस्य से पद–त्याग का नोटिस लेना ।	खण्ड विकास अधिकारी या उसके किसी नामांकिती द्वारा किया जाय ।
34 (1)	इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को [1][ग्राम सभा], [1][ग्राम पंचायत] या भूमि प्रबन्धक समिति को प्रतिनिहित करना या उनसे इस प्रकार प्रतिनिहित किये गये किसी अधिकार आदि को वापस लेना ।	. .
34 (2)	इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार या कृत्य को जिला परिषद को प्रतिनिहित करना अथवा [1][ग्राम पंचायत] द्वारा कोई अधिकार या कृत्य [1][क्षेत्र पंचायत] को प्रतिनिहित किये जाने की सम्मति देना ।	. .
35 (1)	[3][ग्राम पंचायतों] के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करना ।	[4][कार्य–समिति] या प्रमुख को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
173	किसी सार्वजनिक नाली में परिवर्तन करना, उसे रोकना, बन्द करना या हटाना ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
38 (क)	यह निर्णय करना कि किसी अन्य [1][क्षेत्र पंचायत] या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ ऐसे कार्यों या उपक्रमों में सम्मिलित हुआ जाय या नहीं जिनसे [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा नियंत्रित समस्त क्षेत्रों को लाभ पहुंचता हो ।	. .

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124 (च) (एक) द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124 च(दो) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124 च(तीन) द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
38 (ख)	यह निर्णय करना कि ऐसे किसी कार्य में या संस्था को अंशदान दिया जाय या नहीं जिससे खण्ड को लाभ पहुंचता हो, भले ही वह कार्य खण्ड के बाहर अनुरक्षित हो या किसी नगर महापालिका, नगर पालिका, छावनी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया के क्षेत्र में हों।	. .
86	खण्ड की योजना के प्रालेख पर विचार करना तथा उसे अनुमोदित करना।	. .
87 (1) तथा (2)	समितियां स्थापित करना।	. .
87 (3)	परामर्श समितियां नियुक्त करना।	. .
93 (1)	समिति की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण आदि मांगना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
101 (3)	क्षेत्र–निधि में से धनराशि कतिपय प्रतिभूतियों में लगाना या सावधि निक्षेप (fixed deposit) में रखना।	खण्ड विकास अधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
105 (1)	अपने प्रयोजनों के निमित्त भूमि का अर्जन करने के लिए राज्य सरकार से प्रार्थना करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
107 (1)	[1] [क्षेत्र पंचायत] में निहित किसी संपत्ति को संक्रामित करना।	[2][कार्य–समितिं] को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
108	क्षेत्र–निधि में से प्रतिकर देना।	[2][कार्य–समिति] को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
115 (4)	बजट के सम्बन्ध में नियोजन समिति की सिफारिशों पर विचार करना।	. .
142	[1][क्षेत्र पंचायत] में निहित या उसके प्रबंध में सौंपी गई किसी अचल संपत्ति के प्रयोग या अध्यासन के लिये शुल्क लेना तथा शुल्क को उद्ग्रहीत या वसूल करना।	. .

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124 (च) द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
143	लाइसेंसों, स्वीकृतियों या अनुमतियों के लिये शुल्क लेना।	. .
144	इस धारा में वर्णित कुछ अन्य शुल्क तथा पथकर निश्चित करना तथा उद्ग्रहीत करना :	. .
145	[1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या प्रबंध किये गये बाजारों में शुल्क या पथ कर आरोपित करना।	. .
165 (1)	किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान अथवा सरकार, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित संपत्ति से लगी हुई या उसके पार्श्वस्थ किसी इमारत के निर्माण अथवा कुएं की खुदाई आदि की स्वीकृति देना या देने से इंकार करना इत्यादि।	खण्ड विकास अधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
171	किसी भूमि के स्थायी या अस्थायी को (किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान अथवा सरकार, [1][जिला पंचायत] या [1][क्षेत्र पंचायत] में निहित संपत्ति के पार्श्वस्थ किसी इमारत के निर्माण आदि या कोई कुआं बनाने आदि से रोकने के लिये निदेश देना तथा किसी इमारत या कुएं में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने के लिये निदेश देना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
184 (1) तथा (2)	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी निजी सड़क को समतल करने, उसमें खड़ंजा लगाने, उसे पक्का करने या उसमें पत्थर लगाने आदि की अपेक्षा करना तथा ऐसा न किये जाने पर उसे कार्य को सम्पादित करवाना और संबद्ध व्यक्ति से उसका व्यय वसूल करना ।	खण्ड विकास अधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
184 (3)	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी निजी सड़क की सार्वजनिक सड़क घोषित करना ।	. .
189	नई सार्वजनिक सड़कों का विन्यास करना तथा उनका निर्माण करना और किसी वर्तमान सार्वजनिक सड़क को चौड़ा, लम्बा आदि करना तथा उनसे संलग्न निर्माण–स्थलों की व्यवस्था करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
190	किसी निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना।	. .

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
191 (1) से (3) तक	आशय का विज्ञप्ति करने तथा आपत्तियों को तय करने के पश्चात् सार्वजनिक सड़क के दोनों ओर इमारतों के लिये सामान्य निर्माण रेखा परिभाषित करना ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
191 (4)	किसी ऐसी इमारत के निर्माण की स्वीकृति देना जो सड़क की नियमित निर्माण रेखा के समान रूप न हो ।	[1][कार्य–समिति] द्वारा प्रयुक्त किया जायगा।
191 (5)	किसी सड़क का नियमित निर्माण रेखा से किया निजी भूमि के अपवर्जन के लिये प्रतिकर के भुगतान की स्वीकृति देना ।	[1][कार्य–समिति] द्वारा प्रयुक्त किया जायगा।
191 (6)	किसी ऐसी इमारत आदि में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा करना, जो किसी सड़क का नियमित निर्माण–रेखा का उल्लंघन करता हो ।	[1][कार्य–समिति] द्वारा प्रयुक्त किया जायगा।
192 (2)	किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात करने की अनुमति देना जो अन्यथा धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन [2][जिला पंचायत] द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में किये गये प्रबंध में हस्तक्षेप हो ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
193	किसी जलमार्ग आदि का सफाई करने तथा उसे अच्छी हालत में बनाये रखने की अपेक्षा करना, और पानी पीने के प्रयोजन के लिये किसी जलमार्ग, आदि के उपयोग का निषेध करना या उसे बन्द करने का आदेश देना ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
194	नाली, संडास आदि को हटाने या बन्द करने की अपेक्षा करना ।	[1][कार्य–समिति] या खण्ड विकास अधिकारी को प्रतिनिहित किया जायगा ।
196	[2][क्षेत्र पंचायत] में निहित किसी सार्वजनिक नाली, पुलिया या जलकार्य के ऊपर किसी इमारत, दीवार या अन्य संरचना के निर्माण या पेड़ लगाने की अनुमति देना तथा उसे हटाने	. .

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124(च) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
	का आदेश देना, और ऐसा न किये जाने पर किसी अनधिकृत संरचना या पेड़ को स्वयं हटाना ताकि सम्बन्धित व्यक्ति से व्यय वसूल करना ।	
228 (2) (धारा 236 के साथ पठित)	नियत प्राधिकारी के उस आदेश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना जिसमें उसमें संकल्प या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध किया हो ।	. .
236 (4) (क)	2[* * * * *]	. .
246	यदि 2 [क्षेत्र पंचायत] की नोटिस की अवज्ञा करके किसी कार्य के निष्पादन अथवा किसी वस्तु की व्यवस्था अथवा कोई कार्य के करने में कोई चूक की गई हो तो ऐसे कार्य को निष्पादित करवाना, या उस वस्तु की व्यवस्था या वह कार्य करवाना, और इस सम्बन्ध में किया गया कुल व्यय वसूल करना ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
सामान्य	कोई अधिकार, कर्तव्य या कृत्य जिसका 1[क्षेत्र पंचायत] द्वारा प्रयोग या संपादन किसी नियम द्वारा अपेक्षित हो ।	. .

अनुसूची – 7

[धारा 79 (3) देखिए]

खण्ड विकास अधिकारी के अनुसूचित अधिकार तथा कृत्य

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
34 (1)	इस अधिनियम के अधीन 2[क्षेत्र पंचायत] के किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को 2[ग्राम सभा], 2[ग्राम पंचायत] या भूमि प्रबंधक समिति को प्रतिनिहित करने के लिये उसकी सम्मति प्राप्त करना ।	. .

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 124 (छ) (iv) (1) द्वारा निकाला गया ।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
34 (2)	[1] [क्षेत्र पंचायत] का कोई अधिकार या कृत्य [1][जिला पंचायत] को प्रतिनिहित करने के लिये उसकी ([1][जिला पंचायत] की) सम्मति प्राप्त करना।	. .
101 (3)	क्षेत्र–निधि का रूपया कतिपय प्रतिभूतियों में लगाने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना।	. .
102 (2)	खण्ड की सीमाओं के बाहर भूमि अर्जित करने या किराये पर लेने के लिये व्यय के निमित्त सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना।	. .
148 (धारा 161 के साथ पठित)	मांग का बिल जारी करना ।	. .
150 (धारा 161 के साथ पठित)	मांग का नोटिस जारी करना ।	. .
155 (धारा 161 के साथ पठित)	जिला मैजिस्ट्रेट को इस आशय का प्रार्थना–पत्र देना कि वह खण्ड के बाहर या अन्य मैजिस्ट्रेट के अधिकार–क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित संपत्ति के अभिहरण के लिये किसी अन्य मैजिस्ट्रेट को अधिपत्र जारी करे ।	. .
158 (धारा 161 के साथ पठित)	क्षेत्र समिति को देय धनराशियों की वसूली के लिये वाद प्रस्तुत करना ।	. .
159 (धारा 161 के साथ पठित)	लगान या किराये के किसी बकाये को मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने की अपेक्षा करना ।	. .
172	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी भूमि या इमारत के स्वामी या अध्यासी को इस आशय का नोटिस देना कि [1][क्षेत्र पंचायत] की नाली या उस इमारत या भूमि में, या उसमें होकर, या उसके नीचे से निकाली जायेगी ।	अपील की जा सकती है ।
174 (1)	किसी निजी नाली को [1][क्षेत्र पंचायत] की नाली में गिराने की अनुमति देना ।	. .

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
174 (2)	किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह [1][क्षेत्र पंचायत] की नाली से अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की नाली के जोड़ को बन्द करे, तोड़ दे आदि।	अपील की जा सकती है।
176	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में निजी सड़क के विन्यास की अनुमति देना ।	अपील की जा सकती है।
180	दोषी व्यक्ति से कारण बताने या उपस्थित होने की अपेक्षा करना तथा किसी अनुमति निजी सड़क को परिवर्तित करने या तोड़ देने का आदेश देना ।	अपील की जा सकती है।
181	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में सड़कों तथा नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के निर्माण की स्वीकृति देना ।	अपील की जा सकती है।
183	सड़कों तथा नालियों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले भागों तथा प्रक्षेपों को हटाने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है।
185	किसी ऐसे पेड़ को हटने या किसी ऐसी इमारत आदि के निर्माण या उसके गिराये जाने की अनुमति देना, जो सड़क या उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के लिये अवरोध, खतरा या क्लेश पैदा करती हो ।	अपील की जा सकती है।
186	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में सड़क के किनारे की भूमि में उगी हुई झाड़ियों आदि के काटने या छांटने की अपेक्षा करना ।	अपील की जा सकती है।
187	किसी मकान या पेड़ के गिरने से सड़क पर आकस्मिक अवरोध उत्पन्न हो जाने पर उसे हटाना तथा स्वामी से उसका व्यय वसूल करना।	
188	सड़क से लगी हुई इमारतों या भूमियों के स्वामियों अथवा अध्यासियों से यह अपेक्षा करना कि वे नाली का पानी निकालने के लिये पाइपों और जल प्रणालियों की व्यवस्था करें और उन्हें अच्छी दशा में रखे ।	अपील की जा सकती है।
195	किसी कुयें, तालाब आदि के पचास फीट के भीतर स्थित किसी मलपात्र को हटाने या बन्द करने की अपेक्षा करना ।	अपील की जा सकती है।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धारा	अधिकार या कृत्य	अभ्युक्ति
1	2	3
197	नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में पशुओं के वध के लिये भूगृहादि निश्चित करना तथा ऐसे भूगृहादि के प्रयोग के लिये लाइसेंस देना तथा वापस लेना।	. .
201	मानव उपभोग के लिये अभिप्रेत किसी भोज्य या पेय पदार्थ या पशु को जो ऐसे उपभोग के लिये अनुपयुक्त हो, अभिग्रहीत करना तथा हटाना या नष्ट करना और इसी प्रकार कोई गतप्रभाव भेषज मैजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना ।	. .
206	[1][क्षेत्र पंचायत] के खड़ंजें, गंदी नाली आदि के किसी व्यक्ति द्वारा हटाये या परिवर्तित किये जाने के लिये लिखित स्वीकृति देना तथा [1][क्षेत्र पंचायत] द्वारा किये गये व्यय को अपराधियों से वसूल करना ।	. .

अनुसूची – 8

(धारा 273 देखिए)

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

धारा आदि जिसका संशोधन अभिप्रेत है ।

संशोधन

1– यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914

धारा 3 खण्ड (16) के पश्चात्

नए खण्ड (17) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय : ––

"(17) [1][Zila Panchayat] means a Zila Panchayat constituted under the Uttar Pradesh Kshettra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961."

धारा 7–ए की उपधारा (1)

खण्ड (बी) के पश्चात् नये खण्ड (सी) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :–

"(c) has become disqualified for being a member under section 6-K."

धारा 8–ए

वर्तमान उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :–

"Notwithstanding anything in the preceding sub-sections, the District Magistrate or any officer nominated by him in this behalf shall,

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

till a committee is elected, perform the functions of the committee and the Chairman thereof and shall for all purposes be deemed to be the committee or the Chairman, as the case may be."

2–यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947

धारा 2 खण्ड (एफ)

वर्तमान खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : ––

"(f) [1][Zila Panchayat] and 'Panchayat' shall have the meanings assigned to them under clause (II) of section 2 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961."

खण्ड (क्यू)

वर्तमान खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : ––

"(q) 'prescribed authority' means —

(i) for the purposes of the provisions of this Act mentioned in Schedule III of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, the Zila Parishad or the Kshettra Samiti as may be specified in column 3 of that Schedule ; and

(ii) in respect of any other provisions of this Act, the authority notified as such by the State Government whether generally or for any particular purpose."

खण्ड (डब्ल्यू) के पश्चात्

नयें खण्ड (एक्स) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय ––

"(x) 'Bhumi Prabandhak Samiti" means a Bhumi Prabandhak Samiti established or deemed to be established under section 28-A."

धारा 16 के पश्चात्

निम्नलिखित को एक नई धारा 16–ए के रूप में रख दिया जाय : ––

"16-A — A Gram Panchayat may contribute such amounts for such organizations, institutions and functions outside the jurisdiction of the Gram Sabha as the State Government may be general or special order permit."

धारा 19 के पश्चात्

निम्नलिखित को एक नई धारा 16–ए के रूप में रख दिया जाय : ––

"19-A. (1) A Gram Panchayat may by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of its members for the time being direct in respect of any work of any general public utility prescribed by rule and meant exclusively for the benefit of the Gram Sabha which the Gram Panchayat proposes to undertake, that such work shall be done or constructed with manual labour of the male members of the Gram Sabha not above the age of 45 years, each such member being required to render such labour in relation to the work for such number of days as the Gram Panchayat may determine :

Provided that such compulsory labour shall not —

(a) exceed 96 hours in a year.

(b) extend to more than 48 days in a year or eight hours on any day.

(2) The Gram Panchayat may recover as arrears of land revenue from any member of the Gram Sabha who has not rendered in whole or

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

part the manual labour required of him under sub-section (1), the monetary equivalent thereof on the basis of the rate of wages prevalent in the locality for such labour."

वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :––

धारा 20

Establishment of primary school hospital, dispensary, road or bridge for a group of Gram Sabhas

"20. Where a group of neighboring [1]Gram Sabhas has no primary school or Ayurvedic, Homeopathic or Unani hospital or dispensary, or it needs a road or bridge for its common benefit, the [1]Gram Panchayats thereof shall, if so directed by the prescribed authority, combined to establish and maintain such a school, hospital or dispensary, or to construct and maintain such a road or bridge, and it shall be managed and financed in the manner prescribed. The State Government and the District Board shall make such grants for such school, hospital, dispensary, road or bridge as may be prescribed.

नई धारा 28–ए, 28–बी और 28–सी के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय ––

"28-A. (1) The [1]Gram Panchayat of every [1]Gram Sabha shall establish a committee to be known as the Bhumi Prabandhak Samiti (Land Management Committee), to assist it in the discharge of its duties of up-keep, protection and supervision of all property vested in the Gram Sabha under section 117 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and all other property vesting in it or coming into its possession under any other provision of that Act :

Provided that where the State Government so directs, the Gaon Panchayat shall constitute a Bhumi Prabandhak Samiti for each such portion of the area of the Gram Sabha as may be specified by the State Government.

(2) The number of members of a Gram Panchayat who shall constitute the Bhumi Prabandhak Samiti and the manner of their election shall be as may be prescribed :

Provided that the Pradhan and the Up-Pradhan shall respectively be the Chairman and the Vice-Chairman of the Bhumi Prabandhak Samiti :

Provided further that where the whole or part of the abadi of any village included in the area of the [1]Gram Sabha lies within the limits of another local authority, the Collector may, in the manner prescribed, nominate from amongst the residents of such abadi such number of members not exceeding five for the purpose of due representation of such village on the said Samiti and these members shall be members in addition to the number otherwise fixed for the Samiti.

(3) The Lekhpal of the area of the [1]Gram Sabha shall be the Secretary of the Bhumi Prabandhak Samiti.

(4) Until the Bhumi Prabandhak Samiti for a [1]Gram Sabha has been constituted under this section, the corresponding committee constituted under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

Act, 1950 and functioning for the area of the [1]Gram Sabha immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961, shall continue to exercise the powers and perform the duties conferred by this Act upon the Bhumi Prabandhak Samiti and shall be deemed to be Bhumi Prabandhak Samiti established under this Act.

Functions of the Bhumi Prabandhak Samiti

28-B. (1) The Bhumi Prabandhak Samiti shall for and on behalf of the [1]Gram Panchayat establishing it, be charged with the general management, preservation and control of all property referred to in section 28-A, including —

(a) the settling and management of land ;

(b) the preservation, maintenance and development or forests and trees ;

(c) the maintenance and development of *abadi* sites and village communications ;

(d) the management of *hats*, *bazars* and *melas* ;

(e) the maintenance and development of fisheries and tanks ;

(f) the rendering of assistance in the consolidation of holdings ;

(g) the conduct and prosecution of suits and proceedings by or against the Gaon Sabhas relating to or arising out of the functions of the Samiti ;

(h) performance of functions, specifically assigned to the Bhumi Prabandhak Samiti under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 or any other enactments ; and

(i) any other mater relating to such management, preservation and control as may be prescribed ;

and may exercise all powers of the [1]Gram Panchayat necessary for incidental to the discharge of such duties.

(2) The Bhumi Prabandhak Samiti shall function subject to the provisions of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

Members and Officers not to acquire interest contracts, etc. with Bhumi Prabandhak Samiti

28-C. (1) No member or office-bearer of a [1]Gram Panchayat or Bhumi Prabandhak Samiti shall, otherwise than with the permission in writing of the Collector, knowingly acquire or attempt to acquire or stipulate for or agree to receive or continue to have himself or through a partner or otherwise any share or interest in any license, lease, sale exchange, contract or employment with, by or on behalf of the Samiti concerned :

Provided that a person shall not be deemed to acquire or attempt to acquire or continue to have or stipulate for or agree to receive any share or interest in any contract or employment by reason only of his —

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

(a) having acquired an interest before he became a member or office-bearer ;

(b) having a share in a joint stock company which makes the contract ; and

(c) having a share of interest in the occasional sale through the Samiti concerned of an article in which he regularly trades up to a value not exceeding Rs. 50 in any one year.

(2) No court or other authority shall enforce at the instance of any person a claim based upon a transaction in contravention of the provisions of sub-section (1)."

शब्द "specified duty" के पहले शब्द "other" बढ़ा दिया जाय । धारा 29 धारा 32, उपधारा (2)

अन्त में फुलस्टाप के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और उपधारा में प्रतिबन्धात्मक खण्डों के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"Provided that such amount up to the total of all sums credited to the Gaon Fund under the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, minus the amount credited to the Consolidated Gaon Fund under section 125-A of that Act, any as may be required by the Bhumi Prabandhak Samiti for being utilized in carrying out its duties or obligations shall be made available out of the Gaon Fund to the Bhumi Prabandhak Samiti every year :

"Provided further that in the event of any difference between the Bhumi Prabandhak Samiti on the one hand and the [1]Gram Panchayat or Gaon Sabha on the other about the requirements of funds by the Bhumi Prabandhak Samiti the matter shall be referred by the Pradhan to the prescribed authority whose decision shall be binding."

खण्ड (डी) में शब्द "court" और "to be" के बीच मे शब्द "or required under any law" रख दिए जायें । उपधारा (2)

वर्तमान खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : ––

"a tax on theatre, cinema or similar entertainment temporarily stationed in the area of the Gaon Sabha not exceeding five rupees per diem." धारा 37, उपधारा (1), खण्ड (सी)

निकाल दिया जाय । खण्ड (जे)

(1) खण्ड (एफ) में जहां कहीं भी शब्द "joint committee" और "or Nyaya Panchayat" आये हों उनके बीच में कामा और उसके पश्चात् शब्द "Bhumi Prabandhak Samiti" रख दिये जाये । धारा 95 उपधारा (1)

(2) खण्ड (जी) में शब्द "joint committee" के पश्चात् और उसके बाद आने वाले कामा के पूर्व शब्द "Bhumi Prabandhak Samiti" रख दिये जाये ।

शब्द "Gaon Panchayat or Joint committee" के स्थान पर शब्द "[1]Gram Panchayat, Joint Committee or Bhumi Prabandhak Samiti" रख दिए जायें। उपधारा (4)

शब्द "or against a member thereof or against an officer or servant of a [1]Gram Sabha, [1]Gram Panchayat or Nyaya Panchayat" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :– धारा 106

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

"or *Bhumit Prabandhak Samiti* or against a member or officer or servant thereof or of Nyaya Panchayat".

इस अधिनियम में जहां कहीं भी पद "District Board" आया हो उसके स्थान पर [1][Zila Panchayat] पद रख दिया जाय । सामान्य

3–1950 का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम

नये खण्ड (3–क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय : ––

(3–क) "मण्डल" (Circle) का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसके लिए यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन कोई गांव सभा स्थापित हो गई हो । धारा 3, खण्ड (3) के पश्चात्

जहां कही भी शब्द "संचित गांव समाज कोष" (Consolidated Gaon Samaj Fund) आये हों उनके स्थान पर शब्द "संचित गांव कोष" (Consolidated Gaon Fund) रख दिये जाये । धारा 3, खण्ड (6–ख)

वर्तमान खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय –– धारा 3, खण्ड (9)

"(9) "गांव कोष" ([1]Gram Fund) "[1]Gram पंचायत", "गांव सभा" तथा भूमि प्रबन्धक समिति" (Land Management Committee) के वही अर्थ होंगे जो उनके यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 में किये गये है ।

निकाल दी जायं । धारा 3, खण्ड (10), (10–क) तथा (14–क)

निकाल दी जायं । धारायें 113 से 116 तक

वर्तमान धारा 117 की संख्या बदल कर उपधारा (1) कर दी जाय और उसमें निम्नलिखित उपधारायें (2), (3), (4) तथा (5) बढ़ा दी जायं : –– धारा 117

"(2) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि निर्दिष्ट किए जाने वाले दिनांक से उक्त उपधारा के खण्ड (1) से (7) तक में उल्लिखित सभी या कोई वस्तुयें जो गांव के किसी ऐसे भाग के सम्बन्ध में जो 7 जुलाई, 1949 ई0 के बाद उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 अथवा कैन्टोनमेंट्स ऐक्ट, 1924 के अधीन किसी नगर, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया या छावनी में, जैसी भी दशा हों, सम्मिलित हो गया हो, इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हुई हो, उस गांव सभा में निहित होंगी जो ऐसे गांव के शेष भाग के लिए स्थापित की गई हो ।

(3) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 द्वारा संशोधित होने के पूर्व इस अधिनियम के अधीन संगठित समस्त गांव समाज समाप्त हो जायेंगे और तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम या उक्त विधि के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति, नियम या आज्ञा में अथवा किसी संविदा या अन्य लेख्य में किसी गांव समाज का निर्देश, यथासंभव ऐसा गांव सभा का निर्देश समझा जायगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन या किसी संविदा के अधीन किसी गांव समाज में निहित या उसकी किसी प्रकार की भी सभी,

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

संपत्ति, कोष तथा अधिकार तथा उस पर आरोपित समस्त दायित्व उनसे सम्बन्धित सभी शर्तें और प्रसंगों (incidents) के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश [1][क्षेत्र पंचायत] तथा [1][जिला पंचायत] अधिनियम, 1961 के प्रारम्भ से गांव समाज के क्षेत्र के लिए, संघटित गांव सभा की सम्पत्ति, कोष, अधिकार तथा दायित्व हो जायेंगे ।

(5) सभी वादों तथा व्यवहारों में जिसमें गांव समाज एक पक्ष हो, उक्त गांव समाज के क्षेत्र के लिए संघटित गांव सभा एक पक्ष के रूप में गांव समाज के स्थान पर रखी जायगी और रखी गई समझी जायगी और वह ऐसी सभी कार्यवाही करने की हकदार होगी जिसे करने की हकदार वह उस दशा में हो यदि वह प्रारम्भ से ही वाद या कार्यवाही का एक पक्ष होती ।"

धारा 117–क

वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : ––

स्थानीय निकायों में कतिपय भूमि का निहित किया जाना

"117–क–– (1) धारा 117 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय किसी गांव में स्थित उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (1) से (7) तक में निर्दिष्ट प्रकार की भूमि या वस्तु जो इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित हुई थी ऐसे कुल गांव के लिए स्थापित किसी स्थानीय अधिकारी (Local authority) में निहित होगी ।"

(2) जब धारा 117 की उपधारा (1) खण्ड (1) से (7) तक में निर्दिष्ट प्रकार की कोई भूमि या वस्तु किसी गांव सभा में उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में इस धारा की उपधारा (1) या उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 126 के अधीन निहित की गई हो तो ऐसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी यथास्थिति, गांव के भाग अथवा कुल गांव के सम्बन्ध में उन कृत्यों का संपादन, कर्त्तव्यों का पालन के भाग अथवा कुल गांव के सम्बन्ध में उन कृत्यों का संपादन, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगी जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन किसी ग्राम सभा या भूमि प्रबन्धक समिति को गांव के भाग अथवा कुल गांव, जैसी भी स्थिति हो, के भीतर स्थित ऐसी भूमि या वस्तु और खातों की भूमि के सम्बन्ध में अभ्यर्पित किए गए, आरोपित किए गए अथवा दिए गए हैं।"

धारा 122, 122–क तथा 123–क

निकाल दी जायं ।

धारा 124

वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : ––

"124–(1) इस अधिनियम के अधीन [1][ग्राम सभा], [1][ग्राम पंचायत] या भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां गांव–कोष में जमा की जायंगी ।"

(2) वह कुल धन जो उत्तर प्रदेश [1][क्षेत्र पंचायत] तथा [1][जिला पंचायत] अधिनियम, 1961 के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व गांव समाज कोष के नाम में था चाहे वह ऐसे प्रारम्भ के पूर्व उसमें वास्तव में जमा कर दिया जाय हो या न किया गया हो गांव कोष को संक्रामित हो जायगा और उसमें जमा हो जायगा । "

वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :–

"125–[1][ग्राम पंचायत] द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति के अधिकार में इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन अथवा अपने कृत्यों के निर्वहन से सम्बद्ध व्ययों की पूर्ति के

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

निमित्त रखा गया कोष नियत रीति से उपयोग में लाया जायगा । "

वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :– धारा 125–क

"125–क–– (1) प्रत्येक जिले के निमित्त एक संचित गांव–कोष संघटित किया जायगा जिसमें उपधारा (2) के अधीन देय सभी अंशदान जमा किए जायेंगे ।"

(2) जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत कलेक्टर को प्रति वर्ष अपनी वार्षिक आय का ऐसा अंश देगी जो कलेक्टर द्वारा नियत रीति से निश्चित किया जायगा और जो धारा 124 की उपधारा (1) के अधीन गांव–कोष (Gaon Fund) में जमा की गई कुल धनराशि के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न होगा ।

(3) उत्तर प्रदेश [1][क्षेत्र पंचायत] तथा [1][जिला पंचायत] अधिनियम, 1961 द्वारा संशोधित होने के पूर्व इस धारा के अधीन संचित गांव समाज कोष में रखे गए या रखे जाने के लिए अपेक्षित समस्त धन संचित [1][ग्राम–कोष] में संक्रामित हो जायगा तथा उसमें जमा किया जायगा ।

(4) कोष का उपयोग निम्नलिखित में किया जायगा : ––

(क) धारा 127–ख के अधीन नियुक्त पैनल के वकीलों के शुल्क और भत्तों का भुगतान ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन [1][ग्राम सभा] अथवा भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अथवा उसके विरूद्ध वादों, प्रार्थना–पत्रों अथवा अन्य व्यवहारों के संचालन तथा अभियोजन के समबन्ध में किए गए व्ययों का भुगतान ;

(ग) सार्वजनिक उपयोगिता की भूमियों के विकास पर किए गए व्ययों का भुगतान; ; और

(घ) अन्य किसी ऐसे धनराशि का भुगतान जिसे राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा कोष पर उचित रूप से भारित व्यय प्रख्यापित करे । "

निकाल दी जायं । धारा 127–क

(i) उपधारा (1) में "गांव समाज अथवा उसके विरूद्ध" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्बन्ध में ग्राम सभाओं द्वारा अथवा उसके विरूद्ध" रख दिए जायं । धारा 127–ख

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : ––

(2) पैनल का वकील जिले की ऐसे गांव सभाओं के सम्बन्ध में जो नियत की जाय, इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय अथवा अधिकारी के द्वारा उनके विरूद्ध जारी किए गए प्रासेस को लेने के लिए उनका अभिकर्ता होगा और ऐसा अभिज्ञात अभिकर्त्ता समझा जायगा जिसके द्वारा ऐसी ग्राम सभाओं की ओर से इस अधिनियम अथवा यूनाइटेड प्राविन्सेज लैड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 अथवा भूमि प्रबन्ध से सम्बद्ध अन्य किसी विधि के अधीन उपस्थिति हो सकेगी, कार्य किए जा सकेंगे तथा प्रार्थना–पत्र दिए जा सकेंगे । "

(1) खण्ड (क), (ग), (ङ) तथा (झ) निकाल दिए जाये । धारा 128

(2) खण्ड (कक) मे शब्द "धारा 117" तथा "के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड" के बीच में शब्द "की उपधारा (1)" रख दिए जायें ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][ग्राम सभा] के स्थान पर "भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिया जाय । धारा 197

पूर्वोक्त संशोधनों के अतिरिक्त जहां कहीं भी इस अधिनियम में शब्द [1][ग्राम समाज], [1][ग्राम समाज कोष] और [1][संचित ग्राम समाज कोष] आए हों, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "ग्राम सभा", "गांव–कोष" और "संचित गांव–कोष" रख दिए जाये । सामान्य

4–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953

(1) उपधारा (1) और (2) में शब्द [1][ग्राम समाज] के स्थान पर [1][ग्राम सभा] रख दिया जाय ; तथा धारा 29 (ग)

(2) नई उपधारा (3) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय : ––

"(3) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 के प्रारम्भ पर इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक [1][ग्राम सभा] में निहित समस्त भूमि, उससे सम्बद्ध सभी शर्तो तथा प्रसंगों के अधीन रहते हुए, [1][ग्राम समाज] के मण्डल के लिए संघटित [1][ग्राम सभा] में निहित हो जायगी ।"

5–उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958

उपधारा (2) में खण्ड (ग) के अन्त में आए हुए पूर्ण विराम के स्थान पर सेमी कोलन रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित को एक नए खण्ड (घ) के रूप में रख दिया जाय– धारा 4

"(घ) उत्तर प्रदेश [1][क्षेत्र पंचायत] तथा [1][जिला पंचायत] अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित [1][क्षेत्र पंचायतों] के प्रमुख।"

————————

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।